Chamber ... 18|X|73

74
20.7.62

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पहला सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
[तृतीय माला, खण्ड ३—अंक २१ से ३०—१२ से २५ मई, १९६२/२२ वैशाख से ४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]	
अंक २१—शनिवार, १२ मई, १९६२/२२ वैशाख, १८८४ (शक)	
सभा का कार्य	१९९५
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिये जारी किये गये पासों के बारे में . .	१९९५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति तथा मालदा में हुई घटनायें	१९९८-२००१
अनुदानों की मांगें . .	१९९५-९८, २००१-४६
सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय .	१९९५-९८, २००१-३५
वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . .	२०३५-४६
हुगली पोत चालकों की हड़ताल के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२००४६-४९
दैनिक संक्षेपिका	२०५०
अंक २२—सोमवार, १४ मई, १९६२/२४ वैशाख, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ से ६९८, ७०१, ७०२, ७०४ से ७०६, ७०८ से ७११ और ७१३ से ७१६	२०५१-७९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८	२०७९-८०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७००, ७०३, ७०७, ७१२ और ७१७ से ७३६.	२०८१-९२
अतारांकित प्रश्न संख्या ११८७ से १२४१, १२४३ और १२४५ से १२८३	२०९२-२१३३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
नागा विद्रोहियों द्वारा पांच सैनिकों का कथित मारा जाना और कई अन्य सैनिकों का घायल किया जाना	२१३३-३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१३४-३५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में राज्य सभा से सन्देश . .	२१३५-३६
समितियों के लिये निर्वाचन—	
(१) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड .	२१३६-३७

(२) राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिये सलाहकार बोर्ड. २१३७-३८

अनुदानों की मांगें . . . २१३८-७६

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय २१३८-७६

आध घंटे की चर्चा के बारे में २१७७

दैनिक संक्षेपिका . . . २१७८-८४

अंक २३—बुधवार, १६ मई, १९६२/बैशाख २६, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३९ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७५२, ७५३ और ७५५ से ७६० २१८५-२२१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३७, ७३८, ७४७, ७५१, ७५४ और ७६१ से ७८८ . . . २२१०-२५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८४, १२८५, १२८७ से १३३०, १३३४ से १३३७, १३३९ से १३४३, १३४५ से १३५९, १३६१ और १३६२ २२२५-५३

हुगली नदी के पोत चालकों द्वारा काम बन्द कर दिये जाने के बारे में वक्तव्य २२५३-५५

समिति के लिये निर्वाचन २२५५

कॉफी बोर्ड २२५५

अनुदानों की मांगें २२५५-९१

खान और ईंधन मंत्रालय २२५५-९१

दैनिक संक्षेपिका . . . २२९२-९७

अंक २४—गुरुवार, १७ मई, १९६२/२७ बैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९०, ७९१, ७९४, ७९५, ७९७ से ७९९, ८०१ से ८०४, ८०६, ८११, ८१३ और ८१४ २२९९-२३२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ २३२४-२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८९, ७९३, ७९६, ८०५, ८०७, ८०८, ८१०, ८१२ और ८१५ से ८३५ २३२५-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६३ से १४७२ और १४७४ से १५०२ २३३९-२४०५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में हुए विस्फोट २४०५-१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२४१०–११
समितियों के लिये निर्वाचन .	२४१२–१३
(१) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति .	२४१२
(२) आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासी निकाय .	२४१२–१३
(३) दिल्ली विकास प्राधिकार सलाहकार परिषद् .	२४१३
अनुदानों की मांगें .	२४१३–५१
इस्पात और भारी उद्योग .	२४१३–५१
दैनिक संक्षेपिका	२४५२–६०

अंक २५—शुक्रवार, १८ मई, १९६२/२८ बैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८३५-ए, ८३७ से ८३९, ८४१, ८४२, ८४४, ८४७, ८४८, ८५१ से ८५४, ८५७ से ८६० और ८६३ से ८६६ .	६१–८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८३६, ८४३, ८४५, ८४६, ८४९, ८५०, ८५५, ८५६, ८६१, ८६२, ८६७ से ८७२, ८७४ से ८८० और ८८२	२४८६–९५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५०३ से १५१३, १५१५ से १५४९ और १५५२ से १६०१	२४९५–२५३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५३७–३८
एक प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण	२५३८–३९
सभा का कार्य .	२५३९
समितियों के लिये निर्वाचन	२५३९–४१
१. राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति	२५३९–४०
२. केन्द्रीय प्राणिशास्त्र सलाहकार बोर्ड	२५४०
३. भारतीय विज्ञान संस्था की परिषद्	२५४०–४१
अनुदानों की मांगें	२५४१–७५
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	२५४१–७५
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया	२५७५–८३
एकाधिपत्य की वृद्धि को रोकने के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया	८३–८९
मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प	२५८९–९०

सरकारी कर्मचारियों के चरित्र और प्राग्वृत्त का सत्यापन के बारे में आधे घंटे की चर्चा २५९०–९३

दैनिक संक्षेपिका २५९४–२६००

अंक २६—सोमवार, २१ मई, १९६२/३१ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ से ८८५, ८८७ से ८८९, ८९१, ८९३, ८९७, ८९८, ९०० और ९०१ . . . २६०१–३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८६, ८९०, ८९२, ८९४ ८९६, ८९९, ९०२ से ९१३ और ४५२ २६२६–३५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . २६३५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०२ से १६५९ २६३५–६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २६६१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २६६१

हुगली नदी के पोत चालकों के बारे में वक्तव्य २६६१–६२

समितियों में निर्वाचन . २६६२–६३

नारियल जटा बोर्ड

अनुदानों की मांगें २६६३–२७१२

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय २६६३–८३

परिवहन तथा संचार मंत्रालय २६८३–२७१२

दैनिक संक्षेपिका . . . २७१३–१७

अंक २७—मंगलवार, २२ मई, १९६२/१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१५ से ९२२, ९२५ से ९२८, ९३० से ९३२, ९३४ से ९३८ और ९४० से ९४४ २७१९–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१४, ९२३, ९२४, ९२९, ९३३, ९३९ और ९४५ से ९४७ . . . २७४५–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १७५९ और १७५८ से १७७९ २७४९–२८०५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . २८०५–०७

१. कुछ चीनियों का भारतीय राज्य क्षेत्र में कथित प्रवेश और उनके द्वारा जोगबानी नगर के फोटो लिये जाना २८०५–०९

२. भारतीय दूतावास को गणराज्य दिवस मनाने के लिये चीन सरकार द्वारा सुविधाओं का न दिया जाना २८०६—०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २८०७—०८

अनुदानों की मांगें . . . २८०८—४५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय २८०८—४५

दैनिक संक्षेपिका . . . . २८४६—५२

अंक २८—बुधवार, २३ मई, १९६२/२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४८ से ९५३, ९५८ से ९६२, और ९६५ से ९६८ २८५३—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९५७, ९६३, ९६४, ९६९ से ९९२ . २८७६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८० से १८२६, १८२८ से १८७१, १८७३ से १८८८ . . . २८८८—२९३२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

२२ मई, १९६२ को मियालदह में हुई रेल दुर्घटना २९३२—३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . २९३४

समिति के लिए निर्वाचन—

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् २९३४—३५

अनुदानों की मांगें . . . . २९३५—८५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . २९३५—४३

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . . . २९४३—८५

नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारत विरोधी प्रचार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . २९८५—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २९८९—९५

अंक २९—गुरुवार, २४ मई, १९६२/३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ से १०००, १००२, १००४ से १०१०, १०१२, १०१५, १०१९ और १०२० २९९७—३०२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००१, १००३, १०११, १०१३, १०१४, १०१६ से १०१८ और १०२१ से १०३७ . . ३०२६—३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८८९ से १९३८ . . ३०३६—५६

सदस्य का निलम्बन . . ३०५६—५८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .

एलिजाबेथविल में हुई रेल दुर्घटना . . . . २०५८—५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०५६

अनुदानों की मांगें . . . . . . ३०६०—२१०६

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . . . ३०६०—६७

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . . ३०६७—३१०६

दैनिक संक्षेपिका ३११०—१३

अंक ३०—शुक्रवार, २५ मई, १९६२/४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३८ से १०४०, १०४२, १०४३, १०४५, १०४७ से १०५०, १०५२ से १०५६ और १०५८ . . ३११५—३८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . . . . ३१३८—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४१, १०४४, १०४६, १०५१, १०५७ और १०५९ से १०६६ . . . . . . ३१४०—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९४९, १९५१ से १९५६, १९५८ से १९८१ और १९८३ से २०२५ . . . . ३१४७—८७

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में . . . . ३१८८—८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३१८९—९१

शिवरामपुरम् में रेलगाड़ी की टक्कर

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३१९१—९२

वित्तीय समितियां (१९६१–६२)

"एक समीक्षा"

सभा का कार्य ३१९२

समितियों के लिए निर्वाचन . . . ३१९२—९३

१. भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति

२. भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति

अनुदानों की मांगें . . . . . ३१९३—३२२६

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . ३१९३—३२१०

स्वास्थ्य मंत्रालय . . ३२१०—२६

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन) **(श्री दी० चं० शर्मा का)** . . . ३२२६–२७

(२) संसद् पुस्तकालय विधेयक **(श्री दी० चं० शर्मा का)** ३२२७

(३) बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३ का संशोधन) **(श्री दी० चं० शर्मा का)** . . ३२२७

(४) खान (संशोधन) विधेयक (धारा १२, ६४, ६६, ६७, ७०, ७२-ग और ७३ का संशोधन) **(श्री स० चं० सामन्त का)** ३२२७–२८

(५) अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) **(श्री सिद्धय्या का)** . ३२२८

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन) **(श्री म० ला० द्विवेदी का)**—वापिस लिया गया ३२२८—३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३२२८—३४

सरकारी नौकरी (निवास का आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन) **(श्री जं० ब० सिं० बिष्ट का)**—वापिस लिया गया ३२३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३२३४—३४

विधान परिषदें (रचना) विधेयक **(श्री श्रीनारायण दास का)** ३२३७—४३

परिचालन करने का प्रस्ताव . . ३२३७—४३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३२४४—५०

नोट:— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह † चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LSIII—1098 (Ai)LSD—6-8-62—150.

लोक-सभा

गुरुवार, १७ मई, १९६२
२७ वैशाख, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीमेंट की नावें

†*७९०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि इंजन या पाल से चलने वाली सीमेंट की नाव जिनमें हजारों टन माल लादा जा सकता है, १९५८ से हांगकांग, शंघाई और चीन के अन्य स्थानों में सफलता पूर्वक काम कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में ऐसी नावें जिन पर व्यय कम होता है, चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री रघुनाथ सिंह : इस प्रकार की सीमेंट की नावों का हांगकांग में प्रयोग हो रहा है। ये नावें सस्ती हैं और अच्छी भी चलती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारतवर्ष के पास अच्छी नावें चूंकि नहीं हैं तो क्यों नहीं इनका उपयोग किया जाता है ?

श्री त्यागी : हम कागज की नावों से काम लेंगे।

श्री राज बहादुर : जैसा कि उत्तर में मैं ने निवेदन किया है कोई निश्चित सूचना नहीं मिली है किन्तु हमारी जो कमिशन है हांगकांग में उसके द्वारा हमें यह पता चला है कि 'न्यू चाइना'

†मूल अंग्रेजी में

912 (Ai) LSD—1.

न्यूज एजेंसी ने ३० अप्रैल को कुछ ऐसी खबर छापी थी ये नावें जो हैं, ये सीमेंट की बनी हैं, ये चल सकेंगी या नहीं चल सकेंगी, या ये पत्थर की नावें हैं या कागज की, इसके बारे में कुछ पता नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं बताना चाहता हूं कि १९५८ से, आज करीब चार वर्ष से इन नावों का उपयोग वहां पर हो रहा है । ये सीमेंट की नावें हैं । क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इनको वहां जा कर देख लिया जाए और इस प्रकार की कोई योजना यहां भी बनाई जाए ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने क्या इनको देखा है ?

श्री रघुनाथ सिंह : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले देख आयें फिर उनको कहें ।

श्री हेडा : मैं जानना चाहता हूं कि 'न्यू चाइनी' न्यूज एजेंसी की जो यह खबर छपी थी, यह क्या ३० अप्रैल को छपी थी या पहली अप्रेल को ?

अध्यक्ष महोदय : अब इसका जवाब मिनिस्टर साहब क्या देंगे ।

डाकघरों में "टैलर" प्रणाली[1]

+

†*७९१. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के डाक घर में बचत बैंक खातेदारों के लिये चालू की गई "टैलर" प्रणाली सफल सिद्ध हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रणाली भविष्य में सभी डाक-घरों में लागू की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) खातेदारों ने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया ।

(ख) अब यह निर्णय किया गया है कि यह प्रणाली सभी खातेदारों के लिये चालू कर दी जाये । इस प्रणाली को अनिवार्य कर देने के छः महीने बाद ही यह पता चल सकता है कि प्रणाली सफल रही या नहीं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह प्रणाली प्रयोग के तौर पर कितने डाक-घरों में लागू की गई थी ?

†**श्री भगवती** : यह प्रणाली सबसे पहले नई दिल्ली के डाक-घरों में लागू की गई थी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह प्रणाली खातेदालों और संबंधित कर्मचारियों के लिये इतनी सुविधाजनक है तो क्या उसे देश के सभी डाक-घरों में लागू करना संभव नहीं है ?

†**श्री भगवती** : यह प्रणाली सभी खातेदारों के लिये चालू करने का निर्णय किया गया है । पहले यह प्रणाली उन्हीं लोगों के लिये थी जो आवेदन करते थे और जिन्होंने घोषणा-पत्र पर हस्ता-

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Teller System in Postal Savings

क्षर किये हों। देखा गया है कि यह प्रणाली विशेप लोकप्रिय नहीं है इसलिये अब उसे सभी खातेदारों के लिये अनिवार्य कर दिया गया है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या प्रचार के अभाव के कारण यह प्रणाली लोक प्रिय नहीं हुई है ?

†**श्री भगवती** : एक कारण तो यह है कि कई लोगों को इस प्रणाली की जानकारी नहीं है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि खातेदारों को घोषणा करनी पड़ती है। खातेदारों की उपस्थिति में जांच, पैसा जमा करना आदि की जो प्रणाली थी वह रद्द कर दी गई है। अब खातेदार को यह घोषणा करनी पड़ती है कि वह काउन्टर पर न हो तो भी उसे खातेबही में दर्ज लेखे को स्वीकार करना पड़ेगा।

दिल्ली-लन्दन बस सेवा

*७६४. { +**श्री भक्त दर्शन** :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और लंदन के मध्य सीधी बस-सर्विस चालू करने के कुछ प्रस्तावों पर कुछ समय विचार किया जाता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). दिल्ली और लंदन के बीच बस सर्विस चलाने के लिये कुछ पार्टियों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। लेकिन इस विषय में उस समय तक कोई निर्णय लेना संभव नहीं जब तक कि भारत सरकार एवं इस मार्ग में पड़ने वाले देशों के अन्तर्गत पारस्परिक समझौते न हो जायें। इस प्रकार के समझौते पर लागू किये जाने वाले नियमों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद इस विषय में आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : इस प्रश्न पर लगभग दो तीन वर्षों से विचार हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके नियम कब तक पूरी तरह से बन जायेंगे।

श्री राज बहादुर : जैसा कहा गया, नियम विचाराधीन हैं, किन्तु प्रमुख बात यह है कि जिन देशों में से हो कर ऐसी बस सर्विस चालू की जानी हो उन से हमारे पारस्परिक समझौते होने चाहियें।

श्री भक्त दर्शन : क्या किसी देश ने अभी तक अपनी सहमति इस बारे में प्रकट की है ?

श्री राज बहादुर : इन समझौतों का जो बाईलेटरल पैक्ट्स या बाईलेटरल ऐग्रिमेंन्ट्स अर्थात् दुतरफा मुआहिदे होते हैं उन पर आधार होता है। किन्तु उन के ऊपर भी एक कनवेंशन है "इंटरनैशनल कन्वेंशन आन रोड ट्रैफिक", २६ जनवरी, १९४९ का, जिस को हमारी सरकार ने ८–४–६२ को ही रैटिफाई किया है। उस के अन्तर्गत इस में कार्यवाही होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाश वीर शास्त्री: क्या मैं जान सकता हूं कि किन्हीं अन्य देशों में भी इस प्रकार की बस सेवायें जारी हुई हैं? यदि हां, तो क्या भारत सरकार उन के अनुभवों से भी कुछ लाभ उठाना चाहती है?

श्री राज बहादुर: अगर अन्य देशों से मतलब योरप से है तो योरप में तो एक देश से दूसरे देश में अनेक बस सेवायें चलती हैं।

डा० गोविन्द दास: अभी भारतवर्ष से लंदन जाने के लिये पानी के जिहाज हैं। तो इस बस सर्विस से क्या लाभ होगा? क्या इस में कुछ किराया कम पड़ेगा लोगों को या कम समय लगेगा?

श्री राज बहादुर: कुछ बातों का अन्तर तो है ही। वह समुद्र की यात्रा है, यह पृथवी की यात्रा है। लोग कुछ अधिक सैर कर सकेंगे और कुछ सस्ता भी हो जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: क्या मंत्रालय जिन देशों के साथ हम ये समझौते करना चाहते हैं उनमें स्थित भारत के दूतावासों के जरिये कोई कोशिश कर रहा है।

†**श्री राज बहादुर**: मेरा ख्याल है कि हम इस मामले में बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं: इन सेवाओं को आरंभ करने से पहले हमें उभयपक्षीय समझौते करने होंगे और यह भी देखना होगा कि इस सेवा की वास्तव में मांग है।

†**श्री प्रभात कार**: क्या उन्होंने सरकार को यह सूचित किया है कि भारत से लन्दन का किराया लगभग कितना होगा?

†**श्री राज बहादुर**: मेरी जानकारी मेसर्ज गैरो फिशर टूज (किंग्सटन) लिमिटेड द्वारा वसूल किये जा रहे किराये पर आधारित है। उन्होंने अस्थायी तौर पर "इंडियामैन" नामक बस चलाई थी और उन्होंने लन्दन से बम्बई तक प्रति व्यक्ति ९३ पौन्ड १० शिलिंग तथा बम्बई से लन्दन १०० पौन्ड किराया वसूल किया था।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त**: जिन दलों ने सरकार को आवेदन किया है उनमें कोई ऐसे भी हैं जो भारतीय नहीं हैं?

†**श्री राज बहादुर**: जहां तक मुझ मालूम है वे सभी भारतीय हैं। उनके नाम हैं—मेसर्ज शेख मन्नू एण्ड ब्रदर्ज, श्री एम० एल० पुरी, श्री त्रिलोकेन्द्र सिंह, मेसर्स अजीज ब्रदर्ज और श्री उपेन्द्र द्विवेदी।

श्री त्यागी: मैं यह दर्याफ्त करना चाहता हूं कि इस स्कीम को चलाने का क्या कारण है? क्या गवर्नमेंट के पास रुपया फालतू है या वसेज फालतू हैं या कि मुसाफिर बहुत ज्यादा हैं या प्लैनिंग की डिमाण्ड है? क्यों आखिरकार यह स्कीम सोची जा रही है?

श्री राज बहादुर: गवर्नमेंट इस स्कीम को बिल्कुल नहीं सोच रही है।

अध्यक्ष महोदय: यह तो दूसरी पार्टीज ने कहा है, गवर्नमेंट नहीं सोच रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आदिम जाति क्षेत्रों में दुग्ध चूर्ण (पाउडर मिल्क) का संभरण

†*७९५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मनीपुर, आसाम, नागालैण्ड और उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण (नेफा) में दूध की बहुत कमी है ;

(ख) क्या सरकार इन क्षेत्रों के स्कूली बच्चों को मुफ्त दूध देने के लिये "यूनीसेफ" द्वारा दिया गया दुग्ध चूर्ण (पाउडर मिल्क) प्राप्त करने के लिये विशेष व्यवस्था कर रही है ; और

(ग) क्या इन क्षेत्रों में विद्यमान दूध की कमी को दूर करने के लिये कोई दीर्घकालीन योजना बनाई जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को एसी योजनायें तैयार करके उसके विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिय कहा है ?

†**श्री द० स० राजू** : माननीय सदस्य का प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी भी समझ में नहीं आया । माननीय सदस्य अधिक स्पष्ट बोलें तो अच्छा होगा ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या किसी राज्य ने आदिम जातियों के स्कूली बच्चों के लिये केन्द्र से दुग्ध चूर्ण प्राप्त करने के लिये कोई योजना तैयार करके प्रस्तुत की है और क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री द० स० राजू** : कुछ क्षेत्रों को दुग्ध चूर्ण दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या किसी राज्य सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत की है और क्या सरकार ने किसी ऐसी योजना के बारे में कार्यवाही की है ?

†श्री द० स० राजू : जी , नहीं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार के पास कुछ ऐसी सूचनायें प्राप्त हुई हैं कि इस प्रकार का मिल्क पाउडर आदिवासी क्षेत्र में बांट करके कुछ ईसाई धर्म प्रचारक वहां के लोगों का बलात् धर्म परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : यह तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि नेफा और नागालैंड के इलाकों में मिल्क पाउडर बांटने का कोई आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन राज्य

---

†नून अंग्रेजी में

सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने मिल कर एक योजना बनायी है कि वहां दूध का उत्पादन बढ़ सके, और इससे काफी दूध का उत्पादन बढ़ा भी है ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या मनीपुर राज्य सरकार ने अधिक दुग्ध चूर्ण प्राप्त करने और मनीपुर के आदिम जाति क्षेत्रों में ऐसी योजनायें कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कभी कहा है ?

†**डा० सुशीला नायर** : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और न हमें प्राप्त हुआ है और केन्द्रीय सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं कर रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि जो लोग नेफा और नागालैण्ड में रहते हैं वे दूध को ज्यादा पसंद नहीं करते क्या यह सच है कि वहां दुग्ध चूर्ण का अक्सर उचित वितरण नहीं होता और वह काले बाज़ार में पहुंच जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि वहां दुग्ध चूर्ण की आवश्यकता है जब कि माननीय सदस्य की राय में आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा निवेदन है कि उन्हें दूध मिलता नहीं ।

†**डा० सुशीला नायर** : चूंकि उन क्षत्रों में दुग्ध वितरण की योजना चालू नहीं की गई इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । योजना पशुओं की नस्ल सुधारने, गो-शालायें खोलने, डेरी का विकास करने तथा अन्य योजनाओं के ज़रिये दूध का उत्पादन बढ़ाने की है ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय शास्त्री जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । उनका प्रश्न यह था कि वहां मिल्क पाउडर बांटने के साथ साथ क्या. . . .

अध्यक्ष महोदय : वह सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री क० ना० तिवारी : केन्द्रीय सरकार ने वहां दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये कौन कौन से काम किए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कह दिया उन्होंने ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या स्कूल आफ सोशल वेलफयर ने आदिम जाति क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया था जिससे ज्ञात हुआ था कि आदिम-जाति के बच्चों को पोषक आहार नहीं मिलता और इस कारण होने वाले कई रोग वहां व्याप्त हैं, यदि हां, तो स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है ?

†**डा० सुशीला नायर** : इस बात का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है और मैं यह बता चुकी हूं कि हम आहार को पोषक बनाने के लिये कई उपाय कर रहे हैं । सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय दूध का उत्पादन बढ़ाना है ताकि बच्चों को अधिक दूध मिल सके । मेरे पास ऐसी योजनाओं की सूची है और जो भी माननीय सदस्य चाहें उन्हें दी जा सकती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी तट के मछुवे

+

†*७९७. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री केप्पन :
श्री कोया :
श्री वारियर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि पिछले कुछ महीनों से मछली न मिलने के कारण पश्चिमी तट के मछुवे बेरोज़गार हैं; और

(ख) इन मछुओं को सहायता देने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) पश्चिमी तट पर केरल, मैसूर और महाराष्ट्र इन राज्यों में मछली का अभाव है किन्तु जहां तक गुजरात राज्य का सम्बन्ध है, वहां मछली का कोई अभाव नहीं है ।

(ख) मछुओं को सहायता देने के लिये केरल, मैसूर और महाराष्ट्र राज्य की सरकारों द्वारा उठाये गये कदम बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७]** ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : उत्तर में कहा गया है कि केरल में मछली का कोई अभाव नहीं । क्या राज्य विधान सभा में मंत्री महोदय ने कहा था कि मछली का अभाव है और सरकार मछुओं को सहायता देने की कोशिश कर रही है ? पश्चिमी तट पर मछली क्यों नहीं मिलती इसके कारण जानने के उद्देश्य से एक सर्वेक्षण भी किया गया था ।

†**श्री शिन्दे** : भारत सरकार को विधान-सभा में हुई चर्चा की कोई जानकारी नहीं है । हमें अब तक सम्बन्धित कागज़ात मिले नहीं हैं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : तटवर्ती क्षेत्रों में मछली न मिलने के कारणों का पता लगाने के लिये क्या हाल में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री शिन्दे** : हाल में एक सर्वेक्षण किया गया था जिससे पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में मछलियों की बहुतायत और अभाव में बहुत परिवर्तन हुए हैं । मछलियों की बहुतायत और उनके अभाव के ठीक-ठीक कारण क्या हैं यह पता नहीं लगाया जा रहा है ।

श्री इम्बीचिबाबा ने मलयालम् में एक प्रश्न पूछा ।

†**श्री वारियर** : क्या मैं इस प्रश्न का सभा की जानकारी के लिये अनुवाद करदूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अनुवाद कर दें ।

†**श्री वारियर** : माननीय सदस्य का कथन है कि विवरण के अनुसार मछुओं को झोपड़ियां छाने लिये प्रति परिवार पीछे २० या ३० रुपये की सहायता दी गई है । वे जानना

---

†मल अंग्रेजी में

चाहते हैं कि क्या यह सहायता पर्याप्त है जबकि छाने के काम आने वाले पत्ते लगभग १०० रुपये हजार के भाव से मिलते हैं ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** यह सहायता उपदान के तौर पर दी गई है । उस क्षेत्र मे झोंपड़ियां छोटी होती हैं इसलिये यह सहायता पर्याप्त हो सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री अ० क० गोपालन ।

श्री इम्बीचिबावा : मलयालम् में बोले ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ।

श्री इम्बीचिबावा : अपने स्थान पर बैठ गये ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** विवरण में बताया गया है कि केरल सरकार ने पात्र पछुओं को मुफ्त आनाज देने के आदेश दिये हैं । कौन से मछुए पात्र हैं इस बात का निर्णय कौन सा अधिकारी करता है । कितने व्यक्तियों को मकान छाने के लिये धन और मुफ्त अनाज दिया गया ?

†**श्री अ० म० थामस :** इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कार्यवाही करनी पड़ती है । जहां तक हमें ज्ञात है राज्य सरकार एक परिवार को एक सप्ताह के लिये एक एड़नगाजी चावल तथा ३ पौण्ड टैपीयो का मुफ्त दे रहीं है। मकान छाने के व्यय की पूर्ति के लिये अन्य सहायता भी दी जाती है । तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ सड़कें भी बनाई जा रही हैं जिससे मछुओं को रोजगार मिलेगा।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमन्, औचित्य के प्रश्न पर मेरा निवेदन है कि जब कोई प्रश्न किसी विशिष्ट भाषा में पूंछा जाये और जिसका उत्तर देने के लिये उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ा हो तो क्या अंग्रेजी में दिये गये उत्तर का उस विशिष्ट भाषा में अनुवाद नहीं किया जाना चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जिस माननीय सदस्य ने वह प्रश्न पूछा उन्हें अंग्रेजी मे दिये गये उत्तर के अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी । हो सकता कि अन्य उनके पास बैठे अन्य माननीय सदस्य ने उन्हें उत्तर स्पष्ट कर के बता दिया हो। मुझे आशा है कि जो माननीय सदस्य ऐसे सदस्यों के पास बैठते हैं जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है वे उन्हें अंग्रेजी से अनुवाद कर के बता दिया करेंगे ताकि हर बार उत्तरों के अनुवाद का अवसर उत्पन्न न हो और सभा को अनुवाद के लिये इतना समय न देना पड़े ।

†**श्री वारियर :** श्रीमन्, मैंने माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मंत्री महोदय के उत्तर का अनुवाद कर दिया था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** धन्यवाद ।

†**श्री वारियर :** क्या केरल या विवरण में उल्लिखित किसी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता मांगी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिन्दे :** जी, नहीं। किसी राज्य सरकार ने हमसे आर्थिक सहायता नहीं मांगी है।

†**श्री तिरूमल राव :** क्या राज्य या केन्द्रीय सरकार ने मछलियों के अभाव के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्री शिन्दे :** जैसा कि मैं बता चुका हूं, कुछ जांच आदि की गयी थी किन्तु मछलियों के अभाव के कारण अब तक ज्ञात नहीं हो सके हैं।

†**श्री कोया :** क्या मछुओं को उन दिनों, जब मछली नहीं पकड़ी जाती, कोई और रोजगार देने की कोई योजना है ?

†**श्री अ० म० थामस :** विवरण में कहा गया है कि "राज्य सरकार ने तटवर्ती क्षेत्रों में मछुओ को सहायता देने के लिये सड़कों का निर्माण भी आरम्भ किया है।"

†**श्री अ० क० गोपालन :** विवरण में महाराष्ट्र राज्य के बारे में कहा गया है कि मछली के अभाव से पीड़ित रत्नागिरि के मछुओं को उदार शर्तों पर ऋण देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ? क्या राज्य सरकार को इस प्रश्न पर विचार करने में छः महीना या एक साल लग जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस :** हमने राज्य सरकार से पूछा था कि उनके यहां क्या स्थिति है और उसने सूचित किया कि यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मेडिकल कालिजों में आयुर्वेद विभाग

†*७९८. **श्री अ० त्रि० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में मेडिकल (एलोपैथिक) कालिजों में आयुर्वेद विभाग खोले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन विभागों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन विभागों ने अपनी स्थापना के बाद अब तक क्या प्रगति की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) :** (क) से (ग). जी, नहीं। इस प्रश्न पर राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

डा० गोविन्द दास : क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं राज्य सरकार से किसी प्रकार के प्रस्ताव आए हैं और क्या किसी भी मेडिकल कालेज में अब तक आयुर्वेद का कोई विभाग खोला गया है ?

डा० द० स० राजू : भारत सरकार की उत्कट इच्छा है कि आयुर्वेद कालेज खोले जायें। उसने राज्य सरकारों को यह सूचित कर दिया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की बैठक कुछ दिन पहले हैदराबाद में हुई थी। उसने राज्य सरकारों को सिफारिशें की हैं। उसने सिफारिश की है सरकारी मेडिकल कालेजों में आयुर्वेद पढ़ाने के लिये अत्यन्त योग्य प्रोफेसर की नियुक्ति की जाये तथा, आयुर्वेद की चिकित्सा और प्रशिक्षण के लिये कुछ बिस्तरों का उपबन्ध किया

†मूल अंग्रेजी में

जाये। इसलिये सरकार आयुर्वेद सम्बन्धी अनुसन्धान आरम्भ करने तथा उसे बढ़ावा देने की भरसक कोशिश कर रही है। किन्तु राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया अब तक ज्ञात नहीं हुई है ।

†**श्री अ० त्रि० शर्मा :** क्या ऐसी कोई योजना चिकित्सा परिषद् ने स्वीकार की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** जी, हां । योजना को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद् ने भी स्वीकार किया है । राज्य सरकारों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है । केवल उड़ीसा सरकार ने अस्थायी तौर पर जवाब दे दिया है ।

†**श्री हनुमन्तैया :** क्या सरकार को ज्ञात है कि एक ही संस्था में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सा व्यवस्था ठीक न रहेगी और आयुर्वेद के चिकित्सक दोनों चिकित्सकों को एक साथ करने के विरुद्ध हैं ?

†**डा० सुशीला नायर :** यह सही नहीं है ? हम आयुर्वेद को एलोपैथी में, मिलाना नहीं चाहते। प्रस्ताव यह है कि मेडिकल कालेज में अन्य प्रोफेसरों की श्रेणी का आयुर्वेद का एक प्रोफेसर नियुक्त किया जाये । इस प्रोफेसर का कार्य स्नातक पाठ्यक्रम से पहले के छात्रों को तथा अस्पतालों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों को व्याख्यान देना। इन छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिये छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं।

पंचायतों के निर्वाचन

+

†*७९९. { **श्री मे० क० कुमारन :** / **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** }

क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पंचायतों के निर्वाचनों को राजनीतिक संघर्षों से मुक्त रखने के लिये कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस अवस्था में है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मे० क० कुमारन :** क्या सरकार को ज्ञात है कि देश में जनता की प्रबल धारणा है कि पंचायती राज के चुनावों तथा पंचायती राज की संस्थाओं के कार्य में भी राजनीतिक दलबन्दी को कोई स्थान नहीं होना चाहिये ; यदि हां, तो क्या सरकार जनता के इस मत के निर्वाह के लिये क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री **ब० सू० मूर्ति :** सरकार जानती है कि यह धारणा प्रबल है किन्तु वह प्रभावी धारणा नहीं है . . . .

† **श्री वारियर :** प्रभावी और अप्रभावी की व्याख्या क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रबल और अप्रभावी धारणा में विभेद करना माननीय सदस्यों के लिये तथा मेरे लिये बहुत कठिन होगा।

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** मैं यह कहने जा रहा था कि श्री जब श्री प्रकाश जैसे कई व्यक्ति ग्राम स्तर पर प्रचार कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिये दल नहीं होने चाहियें। दूसरी बात यह है कि हमारे मंत्रालय ने खासकर मंत्री महोदय ने एक प्रमुख दल को लिखा है कि वह ग्रामीण राजनीति दलों द्वारा दूषित न की जाये इस बात की ओर ध्यान दे। तीसरी बात यह है कि हाल में मसूरी में एक सेमिनार हुई थी जिसमें इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी किन्तु उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला ।

†**श्री मे० क० कुमारन :** क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की राय जान ली है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** इस प्रकार के मामले में भारत सरकार द्वारा नेतृत्व किया जाना आवश्यक नहीं होता ; राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिये और सरकार को परामर्श देना चाहिये ।

†श्री प्र० र० चक्रवर्ती : क्या सरकार को ज्ञात है कि पंचायत समितियों की पदेन सदस्यता के कारण मतदाताओं से जाति और अन्य साम्प्रदायिक आधार पर मत लेने की कुप्रथा बढ़ जाती है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** मेरी राय में माननीय सदस्य का निष्कर्ष सही नहीं है ।

†**श्री वारियर :** क्या किसी भी राजनैतिक दल ने यह कहा है कि राजनीतिक दलों को पंचायत के चुनाव दलगत आधार पर नहीं लड़ने चाहियें ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति:** जी, नहीं। किन्तु चर्चा के दौरान सामुदायिक विकास मंत्री ने अध्ययन के लिये एक उच्च-स्तरीय दल गठित करने का आश्वासन दिया है और यह दल संभवतः अगले वर्ष गठित कर दिया जायेगा ।

†**श्री** दी० **चं० शर्मा :** क्या मंत्रालय ने विभिन्न राजनीतिक दलों के उच्च नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया था ताकि वे इस बात पर आपस में सहमत हो जायें कि वे पंचायत के चुनावों में दखल न देंगे ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** मंत्रालय इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाये तो पता नहीं कि संसद् उसे पसंद करेगी या नहीं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या यह सच है कि विशेषज्ञों की यह निश्चित राय है कि चुनावों को राजनीतिक दलों से परे रखने की दिशा में पहला कदम यह हो कि जिन पंचायतों में सर्वसम्मत चुनाव हों उन्हें कुछ पुरस्कार दिया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० सु० मूर्ति :** जी, हां। पंजाब और राजस्थान आदि कुछ राज्यों में इस प्रकार कुछ प्रोत्साहन दिया गया है जिसका अच्छा परिणाम हुआ है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि ग्राम स्तर पर होने वाले चुनावों में दल के चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता और कांग्रेस एक दल के तौर पर अपने कोई उम्मीवार खड़े नहीं करती ?

†**श्री ब० सु० मूर्ति :** मेरा ख्याल है कि कई राज्यों में ग्राम स्तर के चुनावों में दलों को चिह्न नहीं दिये जाते ।

†**श्री मे० क० कुमारन :** क्या सरकार जानती है कि दलगत मतभेदों के कारण कई पंचायतों को अपनी बकाया राशि वसूल करने में कठिनाई हो रही है ?

†**श्री ब० सु० मूर्ति :** मुझे तो यह जानकारी माननीय सदस्य से ही मिली है।

†**श्री मे० क० कुमारन :** मैं कुरुक्षेत्र पत्रिका में प्रकाशित जानकारी का निर्देश कर रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हो सकता है कि माननीय मंत्री ने उसे पढ़ा न हो :

बिजली के लक्ष्य

†*८०१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने आयोजन में कुछ ऐसी अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया है कि बिजली बनाने के अधिक उपकरणों की व्यवस्था किये बिना बिजली के ऊंचे लक्ष्य कैसे प्राप्त होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या बिजली के उपकरणों के उत्पादन से देश की तीसरी योजना की आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** तीसरी योजना में लगभग ७० लाख किलोवाट बिजली के अतिरिक्त निर्माण की व्यवस्था करने का इरादा है ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** मैंने बिजली नहीं वरन् बिजली के उपकरण का निर्देश किया है।

†**श्री अलगेशन :** फिलहाल तो हमें अधिकांश उपकरण का आयात करना पड़ता है। किन्तु भोपाल में कारखाना स्थापित हो गया है और वह उत्पादन कर रहा है। देश में बिजली के भारी उपकरणों के उत्पादन के और भी कारखाने स्थापित किये जायेंगे। जब वे अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन करने लग जायें तो हमारी आवश्यकता पूरी हो सकती है। अन्यथा हमें आयात करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि कुछ देश बिजली के उपकरणों का संभरण समय पर नहीं कर सके जिससे इस कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हुई है ?

†**श्री अलगेशन :** मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करनी होगी ।

देश में बिजली की कमी

+

†*८०२. **श्री दाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बिजली की कमी दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या कोई विस्तृत योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्रत्येक राज्य में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये तीसरी योजनावधि में कार्यान्वय के लिये कई विद्युत् परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । ऐसी योजनाओं के लिये आवश्यक संयंत्र व उपकरण प्राप्त करने के विदेशी मुद्रा शीघ्रता से दिलाने के लिये कार्यवाही भी की जा रही है । बिजली की कमी वाले क्षेत्रों को अतिरिक्त बिजली दी जाने के लिये अन्तर्राज्य सम्बन्ध और प्रादेशिक ग्रिड के विकास की स्वीकृति दी गई है ।

२. एक अध्ययन दल ने, जिसमें योजना आयोग, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग और सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का एक-एक प्रतिनिधि था, हाल में विभिन्न राज्यों में विद्युत् परियोजनाओं के कार्यान्वय में की गई प्रगति की समीक्षा की और गत्यावरोधों को दूर करने तथा इन योजनाओं को तेजी से पूरा करने के उपायों के सुझाव दिये । जिन राज्यों में बिजली की भीषण कमी है उनकी आवश्यकता की तत्काल पूर्ति करने के लिये कुछ प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं ।

†**श्री दाजी :** कुछ योजनाओं के कार्यान्वित न होने की जांच करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी उस ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण रुकावटों का उल्लेख किया है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी :** दूसरी योजना के अन्तर्गत, अधिकतर, प्रारंभिक स्तरों में विदेशी मुद्रा की कमी थी ।

†**श्री दाजी :** विवरण में कहा गया है कि हाल ही में बिजली सम्बन्धी योजनाओं की जांच करने तथा रुकावटों को दूर करने एवं काम की पूर्णता में शीघ्रता लाने के लिये के उपायों का सुझाव

†मूल अंग्रेजी में

देने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी । यह एक रुकावट नहीं थी बल्कि कई रुकावटें थीं--- रुकावटों को दूर करने तथा काम की पूर्णता में शीघ्रता लाने के लिये वे रुकावटें क्या थीं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : सर्वाधिक महत्वपूर्ण रुकावट विदेशी मुद्रा की थी । मेरे सहयोगी ने इसका उल्लेख किया है । अन्य कठिनाइयां थीं : सीमेंट, और इस्पात का समय पर संभरण, अन्य संयंत्र और उपकरण के आयात की व्यवस्था । ये कठिनाइयां थीं इन के बारे में संबद्ध प्राधिकारियों की संयुक्त बैठक में विचार किया जाता है तथा कठिनाइयों का निपटारा किया जाता है, जिस में केन्द्रीय मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं ।

†**श्री दाजी** : कहा गया है कि कुछ राज्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कराने की प्रस्थापनाएं ली जा रही हैं । वे कौन राज्य हैं ? तात्कालिक आवश्यकताएं क्या हैं ? सरकार इस के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**श्री अलगेशन** : इस समय आंध्र प्रदेश और मैसूर के राज्यों में अत्याधिक कमी अनुभव की जाती है हम यह विचार कर रहे हैं कि क्या अल्प-कालीन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कुछ १०,००० किलोवाट के गैस टर्बाइनों का आयात करना संभव होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तीसरी योजना के अन्दर बिजली की कमी सम्बन्धी कठिनाई को पूरा कर सकेगी और क्या उसके लिये कार्रवाई की जा रही है ।

†**श्री अलगेशन** : भार सर्वेक्षण जो किया गया है उस के अनुसार मांग बढ़ रही है । हम बढ़ती हुई मांग को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । तब भी, शायद मांग हमारे द्वारा किये जाने वाले काम से हमेशा बढ़ जाती है । मैं नहीं समझता कि हमारे लिये तीसरी पंच वर्षीय योजना में मांग को पूरी तरह पूरा करना संभव होगा ।

†**श्री ह० प० चटर्जी** : मंत्री महोदय ने बहुत से मार्ग बताये हैं । मेरा प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल जैसे उद्योग धन्धों वाले राज्यों को बहुत अधिक कठिनाई हो रही है । क्या वह यह बता सकते हैं कि वह अत्याधिक बिजली की कमी को दूर करने में कितना समय लगायेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : यह भी सच है कि दामोदर घाटी निगम, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में बिजली की कमी है । बिजली की कमी को दूर करने के लिये विभिन्न राज्यों में विविध योजनाएं मंजूर की गई हैं । उन में प्रगति हो रही है और जो कुछ जरूरी है वह सब किया जा रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि तीसरी योजना के प्रकाशित होने के पश्चात् सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में तीन योजनाएं बनाई हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को स्वयं विदेशी वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की अनुमति देगी ?

†**श्री अलगेशन** : कलकत्ता बिजली संभरण निगम की केवल एक प्रस्थापना थी ।

†**श्री हेम बरुआ** : तीन हैं ।

†**श्री अलगेशन** : उन को ५० मैगवाट की अतिरिक्त क्षमता लगाने की अनुमति दे दी गई थी । प्रत्येक मामले के गुण दोषों के आधार पर फैसला किया जाना है । हिन्दुस्तान अल्मोनियम समिती की भी एक प्रस्थापना है कि वे अपना बिजली पैदा करने का संयंत्र लगायें । वह विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बिजली की कमी को दूर करने की पश्चिम बंगाल सरकार की कुछ योजनाएं, जिन को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का अनुमोदन प्राप्त था, योजना आयोग द्वारा रद्द या अनुमोदित कर दी गई है, जैसें अजीमगंज बिजली योजना या जलडाका योजना ?

†**श्री अलगेशन :** यदि विशेष प्रश्न पूछा जाये तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को यह पता है कि यू०पी० में ५,००० से ज्यादा ऐप्ली-केशन्स ऐग्रिकल्चरल कंन्सर्स की पड़ी हुई हैं बिजली के लिये, और अगर रिहन्द डैम की बिजली बिरला कंसर्न से हटा कर ५,००० कंसर्न्स को दे दी जाय तो यह कमी पूरी हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : अगर पहले पता नहीं था तो अब जरूर पता चल गया होगा।

†**श्री इकबाल सिंह :** सरकार पंजाब में बिजली की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है? पंजाब में पैदा की गई सब बिजली या तो दिल्ली को दी जाती है या नंगल उर्वरक फक्टरी को। पंजाब में कोई बिजली फालतू नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : पहले ही यह शिकायत है कि पंजाब में बिजली की बहुत जरूरत है।

†**श्री इकबाल सिंह :** अधिकतर बिजली दिल्ली को या नंगल उर्वरक फक्टरी को दे दी जाती है?

†**श्री अन्सार हरवानी** : सभा सचिव ने विदेशी मुद्रा की एक कठिनाई बताई है। मा० मंत्री ने कुछ और कठिनाइयां जोड़ दी हैं। क्या मंत्रालय की व्यवस्था ही इस देश में बिजली पैदा करने में सबसे बड़ी बाधा नहीं है?

†**अध्यक्ष महोदय :** : यह प्रश्न नहीं। आरोप मात्र है।

†**श्री वेंकटासुब्बैया :** विवरण में कहा गया है कि:

> "अन्तर-राज्य मिलाने वाली सड़कों का निर्माण और प्रादेशिक ग्रिडों के विकस भी अनुमोदित कर दिया गया है ताकि अधिक बिजली वाले क्षेत्रों स कमी वाल क्षेत्र में बिजली भेजी जा सके।"

मा० मंत्री के वक्तव्य की दृष्टि से कि आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी है, क्या फालतू बिजली को आंध्र-प्रदेश के कमी वाले क्षेत्र में देने की कोई व्यवस्था की गई है जब तक कि गंस टर्बाइन प्राप्त नहीं हो जाते ?

†**श्री अलगेशन :** हम आंध्र प्रदेश, मद्रास, केरल और मैसूर के राज्यों के लिये एक ग्रिड स्थापित करने का प्रबंध कर रहे हैं।

†**श्री वारियर :** मैं कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं, अपितु एक सामान्य प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं कितने ही अनुपूरकों की अनुमति दे चुका हूं। अधिक समय एक प्रश्न पर नहीं लगाया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हेम बरुआ : जब मैंने पहले प्रश्न पूछा था मैंने तीन बिजली योजनाओं का उल्लेख किया था। मा० मंत्री ने स्वीकार किया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र में दो बिजली संबंधी योजनाएं हैं। क्या इन गैर-सरकारी उपक्रमों को स्वयं विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने दी जाएगी ?

श्री अलगेशन : मैं उत्तर दे चुका हूं कि प्रत्येक प्रश्न के गुण दोषों के आधार पर उसका फैसला किया जाएगा ।

प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र

†*८०३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की सरकार की स्वीकृत नीति है;

(ख) लक्ष्य प्राप्त करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ग्राम पंचायतों तक यह सुविधा देने का है?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० दा० स० राजू) :** (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८]**

(ग) जी नहीं।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या सरकार गांव पंचायत स्तर पर एक प्रसूति केन्द्र खोलना उचित समझती है ?

†**डा० द.० स० राजू :** पंजायत स्तर पर ऐसा करना संभव नहीं है।

†**श्री भगवत झा आजाद :** मंत्रालय के क्रमित कार्यक्रम के अनुसार कब तक खंडों में ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हो जाएंगे ?

†**डा० दा० स० राजू :** तीसरी योजना की समाप्ति तक हमें सब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये कर्मचारियों और सामान की व्यवस्था करने की आशा करते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खंड समिति स्तर पर या जिला स्तर पर किसी अस्पताल से मिले हुए होंगे ताकि कठिनाईयों में डाक्टरी सहायता की व्यवस्था की जा सके ?

†**डा० दा० स० राजू :** जी, हां, वे मिले होंगे।

†**श्री मान सिंह पु० पटेल :** पहली पंचवर्षीय योजना में कुछ विद्यमान डिस्पैंसरियों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित किया गया था। ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थानान्तरण के संबंध में सरकार की क्या नीति है, जैसा कि वी० डी० सी० समिति और राज्य समिति ने सिफारिश की थी, कि उन को नय स्थानों पर स्थापित किया जाए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : प्रत्यक खंड स्तर पर नये स्वास्थ्य केन्द्र आरंभ किये जा रहा हैं। जहां कहीं दोहरा काम होता है, राज्य सरकारें सुविधाओं का पुनरा योजन और वितरण कर रही हैं किन्तु वर्तमान प्रत्येक स्वाथ्य केन्द्र से आशा की जाती है कि वह सो गांव तक फैले हुए किसी क्षेत्र में ६६,००० लोगों की सेवा करे। उनके लिये इतने बढ़े क्षेत्र की सुचारु सेवा करना असंभव होता है। इसलिये इस समय की कुछ विद्यमान डिस्पैंसरियां इन स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा अब उठाया जाने वाला कुछ बोझ उठा रही है।

†**श्री हेम राज** : प्रत्यक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितनी उप–इकाइयां हैं ?

†**डा० दा० स० राजू** : प्रत्येक इकाई के लिये तीन सहायक इकाइयां होती हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस समय सारे देश में कितने कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लाक्स हैं और यह प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स अब तक कितने ब्लाक्स् में खुल चुके हैं ?

†**डा० दा० स० राजू** : समूचे देश को लगभग ५००० सामुदायिक विकास खंडों में विभक्त किया गया है और मार्च १९६२ तक लगभग ३०५० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आरंभ किये गये थे ।

श्री बृ० बि० मेहरोत्रा : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैल्थ सैंटर्स में जो आपने मिडवाइफ्स रक्खी हैं उनको गांव–गांव में पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है तो उनको कोई साथ में जाने वाले सहायक आप दे सकेंगे ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, इस वक्त जो प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स का स्टाफ है उस में मिडवाइफ्स हैं और उनके कुछ थोड़े से सहायक हैं। अब हर एक हैल्थ सेंटर का पैट्रन एक जैसा नहीं है और इस वक्त स्टाफ की शौर्टेज भी बहुत है। ट्रेंड स्टाफ जितना सैंक्शंड है उतना भी वहां पर मौजूद नहीं है। जितने संभव हो सकते हैं उतने यह लोग अपने गांव के बाहर जाते हैं लेकिन कई जगह पर नहीं भी पहुंच पाते हैं।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : नये स्वास्थ्य केन्द्र खोलने या आरंभ करन में विलंब के क्या कारण हैं, हालांकि एक या दो वर्ष बीत चुके है जब कुछ खंडों में इन केन्द्रों को मंजूर किया गया था ?

†**डा० सुशीला नायर** : प्रगति काफी तेज रही है। वास्तव में, पहली योजना में, केवल ७० स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये थे, दूसरी योजना अवधि में २००० से अधिक खोले गये थे। यह संभव है कि कुछ मामलों में कुछ विलंब हो गया हो। उन के कारण ये हैं कि बहुत से मामलों में राज्य सरकारों को कर्मचारी जुटाने की कठिनाई रही है ?

†**श्री अ० व० राघवन** : क्या नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आरंभ करने में पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को कोई प्राथमिकता दी जाएगी ?

†**डा० सुशीला नायर** : पहाड़ी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है जो इस समय संभव हो सकती है।

†**श्री वारियर** : क्या इन सब केन्द्रों के लिये वास्तव में ही प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है, और यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर :** इस सीमा तक कमी है कि इनमें से लगभग २० प्रतिशत केन्द्रों में कुछ राज्यों में योग्य डाक्टर नहीं है। की गई कार्रवाई सर्वविदित हैं मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ा दी गई है और प्रशिक्षित व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन राज्य सरकारों द्वारा दिये जा रहे हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** मा० मंत्री ने बताया है कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग ६६,००० लोगों की देख भाल करता है। अब तक इन केन्द्रों में गाड़ियों की व्यवस्था न हो, वे समूची जनसंख्या की सेवा नहीं कर सकेंगे। कितने केन्द्रों में इस प्रकार की गाड़ियां या चलती फिरती डिस्पैंसरियां स्थापित की गई हैं ?

†**डा० सुशीला नायर :** चलती फिरती चिकित्सा गाड़ियों की एक पृथक् योजना बनाई जा रही है। इस बीच यूनीकेफ की सहायता से हम इन कुछ ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों को तशखीश और विशेष जांच की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये उन्नत किया जा रहा है और उनको जिला स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ मिलाया जाएगा। मैं इस समय गाड़ियों की ठीक संख्या तो बता नहीं सकती, किन्तु यदि मा० सदस्य चाहें तो मैं सूचना एकत्र करके उन को दूंगी।

विभागातिरिक्त डाक तथा तार कर्मचारियों का वेतन

†*८०४. **श्रीमती विमला देवी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का हाल में बढ़ाया गया महंगाई भत्ता डाक तथा तार वभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों पर भी लागू किया गया है ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उनका वेतन २४ रुपये मासिक तक है ;

(घ) क्या उनके वेतन बढ़ाने का कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ङ) यदि हां, दो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी नहीं।

(ख) क्योंकि वे विभाग के अंशकालिक कर्मचारी हैं और स्थायी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते।

(ग) उन्हें कुल मिल कर भत्ता मिलता है तो २० रुपये मासिक से ७२ रुपये मासिक के बीच होता है और उनके काम के स्वरूप तथा काम की मात्रा पर निर्भर करता है।

(घ) नहीं।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता।

†**श्रीमती विमला देवी :** राजन समिति प्रतिवेदन के कार्यान्वित होने के पश्चात् उन के वेतन में कितनी वास्तविक वृद्धि होगी और उससे कितने कर्मचारियों को लाभ होगा ?

†**श्री भगवती :** राजन समिति की सिफारिशों के अनुसार और उन पर सरकारी आदेशों के अनुसार, महंगाई भत्ता मूल वेतन के साथ मिला दिया गया और उन को समेकित भत्ता १–७–१९५९ से दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती विमला देवी :** वह राशि कितनी है ?

†**श्री भगवती :** विभागातिरक्त कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को मिलने वाला, समेकित भत्ता इस प्रकार है :

	निम्नतम	अधिकतम
विभागातिरिक्त मोस्ट मास्टर .	२५ रुपये	४७ रुपये
विभागातिरिक्त सब पोस्ट मास्टर.	५२ ,,	७२ ,,
विभागातिरिक्त स्टाम्प विक्रेता .	३२ ,,	४७ ,,
विभागातिरिक्त डाक ले जाने वाले डिलिवरी करने वाले एल० बी० चपरासी	२४ ,,	४२ ,,
विभागातिरिक्त चौकीदार संदेश - वाहक, संदेश वाहक लड़के , चपरासी लड़के .	२० ,,	४२ ,,

†**श्रीमती विमला देवी :** मैंने यह भी पूछा है कितने लोगों को लाभ होगा ।

†**श्री भगवती :** मैं बताने में असमर्थ हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या राजन समिति की सब सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं और क्या यह सच है कि वेतन केवल कुछ श्रेणियों में वृद्धि हुई है सब में नहीं ?

†**श्री भगवती :** यह महंगाई भत्ता सब में मिला दिया गया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये की गई राजन समिति की सब सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं और यदि हां, तो कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ? क्या यह भी सच है कि उन में से कुछ को कोई भी लाभ नहीं हुआ ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** जहां तक राजन समिति की सिफारिशों का विभागातिरिक्त कर्मचारियों की सब श्रेणियों के भतों से सम्बन्ध था, कार्यान्वित की जा चुकी है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का ध्यान है कि जब कुछ वर्षों पहले डाक-तार विभाग के स्थायी कर्मचारियों के वेतन में पांच रुपये प्रति-मास की बढ़ोतरी की गई थी, तो अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को दो रुपये मासिक दिया गया था ? उसी आधार पर जब स्थायी कर्मचारिय के वेतन में दस रुपये मासिक की वृद्धि की गई है, तो अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के वेतन में कम से कम चार पांच रुपये बढ़ाने में क्या एतराज़ है ?

श्री जगजीवन राम : एतराज की बात नहीं है । सवाल तो यह है कि जो लोग एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्पलाईज़ के तौर पर काम करते हैं, उन के दूसरे भी पेशे रहते हैं । वे थोड़ा सा समय इस काम में लगाते हैं, इस लिये थोड़ा सा मुआवजा उन को दे दिया जाता है । वे लोग कोई न कोई दूसरी नौकरी या कारोबार भी करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दाजी :** क्या सरकार को पता है कि सरकार के निर्णय के प्रतिकूल डाक व तार महानिदेशक, नई दिल्ली ने एक गुप्त पत्र संख्या ५–२/६० जारी करके सभी पोस्ट मास्टर जनरलों को कहा है कि सरकार का उस बारे में कुछ।नर्णय होने के बावजूद, २ रुपये से अधिक न बढ़ायें? क्या सरकार ने इसका अधिकार दिया था ? मेरे पास एक प्रति है ।

†**श्री जगजीवन राम :** कुछ गुप्त पत्रों को पकड़ना मा० सदस्य की होशियारी हो सकती है । मुझे उस का ज्ञान है । कोई भी पोस्ट मास्टर जनरल विभागातिरिक्त कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन न देने के लिये सक्षम नहीं है ।

†**श्री दाजी :** मैं इसे सभा पटल पर रख दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह रख सकते हैं ।

†**श्री प्रभात कार :** मा० मंत्री ने कहा है कि विभागातिरिक्त कर्मचारी दूसरे काम भी करते हैं। उनको डाक व तार विभाग के लिये कितने घंटे काम करना पड़ता है ?

†**श्री जगजीवन राम :** जिन्हें निम्नतम भत्ता मिला है उन से प्रति दिन २ घंटे तक काम करवाया जाता है ।

केरल में नींदाकारा पुल

†*८०६. **श्री प० कुन्हन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नींदाकारा पुल के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इसकी कुल प्राक्कलित लागत क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पुल की रूप रेखा का डिजाइन प्रविधिक रूप से अनुमोदित हो चुका है किन्तु धनाभाव के कारण इस काम को वित्तीय मंजूरी देना अभी संभव नहीं हुआ । राज्य सरकार को विस्तृत प्लान बनाने और प्राक्कलन तैयार करने तथा अनुमोदन के लिये भेज देने को कहा गया है । जब प्राक्कलन प्रविधिक रूप से अनुमोदित हो जाएगा और वित्तीय दृष्टि से मंजूर हो जाएगा, तब काम आरंभ कर दिया जाएगा ।

(ख) लगभग चालीस लाख रुपये ।

†**श्री प० कुन्हन :** यह दूसरी योजना में शामिल है । विलंब का कारण क्या है ?

†**श्री राज बहादुर :** निस्सन्देह यह दूसरी योजना में शामिल है । किन्तु १९५८ में पुनर्विचार किया गया था । पुल पर कुछ विदेशी मुद्रा का व्यय होना था । प्रारंभ में यह पूर्व-बलित गया कांक्रीट की किस्म का था और फिर इसे आर० सी० सी० किस्म का बनाने का फैसला किया गया जिसमें कुछ बिलंब होना था । बाद में जब तीसरी योजना आई, हमें इसके लिये पर्याप्त धन नहीं मिला । मुझे खेद है कि हम इसे तीसरी योजना में शामिल नहीं कर सके।

†मूल अंग्रजी में

किन्तु अब राष्ट्रीय राजपथों के कुछ सैक्शनों की सीमेंट कंक्रीट से कुछ राशि पुलों से निर्माण के लिये दी गई है। इसलिये हो सकता है कि यह पुल इन निधियों में से बनाये जाने वाले पुलों में से एक हो ।

†**श्री मो० के० कुमारन** : समाचार पत्रों के समाचार के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक प्राविधिक दल ने यह विचार व्यक्त किया है कि इस क्षेत्र का प्रथम श्रेणी के एक पत्तन के रूप में विकास किया जा सकता है। क्या सरकार ने नये पुल के लिये स्थान का फैसला करने से पहले विचार किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : पुल की आवश्यकता तथा उपयोगिता स्वीकार की जा चुकी हैं। इसके बारे में कोई झगड़ा नहीं। विद्यमान पुल कमजोर हैं और तंग है तथा इसे बदलना है। उस के लिये, वर्त्तमान पंक्ति बंधन स्थान से पूर्व की ओर लगभग ५० फुट दूर एक नया पंक्ति-बंन स्थान चुना गया है, यदि मैं दुरुस्त हूं।

†**श्री मो० के० कुमारन** : मेरा प्रश्न यह नहीं था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि वर्तमान स्थान पर कठिनाइयां हैं और वह पूछते हैं कि क्या निर्णय करने में इन बातों का ध्यान रखा गया है ।

†**श्री राज बहादुर** : मैंने ठीक यही बताया है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : उस विशिष्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय राजपथ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुल होने के कारण, सरकार ने इस पुल को बहुत से अन्य पुलों के ऊपर प्राथमिकता देना क्यों उचित नहीं समझा ? क्या यह बात सही नहीं है कि उस पुल पर हर रोज मरम्मतें होती रहती हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : स्थिति अच्छी तरह मालूम है और मैं पुनः दुहरा दूं। १९५८ के आसपास विदेशी मुद्रा की अत्याधिक कठिनाई थी। हमें कुछ योजनाएं त्यागनी पड़ीं थी जिन पर विदेशी मुद्रा खर्च होनी थी। इस किस्म के पुल के लिये विशेष प्रकार के इस्पात, उच्च टिनसिल इस्पात की जरूरत थी, जो हमारे पास नहीं था और उस कारण डिज़ाइन बदलने पड़े और इस में समय लग गया ।

इसी बीच तीसरी योजना की प्रस्थापनाएं बनाई गईं और हमें पुनः धन सम्बन्धी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब हम हमारे राष्ट्रीय राजपथों के कुछ सैक्शन की सड़कों के सीमेंट कंकरीट के काम से धन उपलब्ध कर सकते हैं।

†**श्री वारियर** : इस पुल के साथ एक पत्तन बनाने का प्रश्न भी था। क्या पुल के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय किये जाने के पहले उस पर भी विचार किया गया ?

†**श्री राज बहादुर** : हम इस प्रश्न पर केवल राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ की दृष्टि से विचार कर रहे हैं। मैं इसे पत्तन परियोजना के साथ मिला नहीं सकूंगा ।

सड़क से कोयले की ढुलाई

†*८११. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खानों से उपभोग केन्द्रों तक सड़क से कोयला ले जाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है जिससे रेलों से परिवहन का संकट दूर किया जा सके; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उस सम्बन्ध में अन्तर्क्षेत्रीय तथा अन्तर्राज्यीय परमिट जारी किये जाने की सीमा बढ़ायी गई है या बढ़ाये जाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). बंगाल–बिहार कोयला क्षेत्र में 'फीडर' और 'एप्रोच' सड़कों के सुधार तथा कलकत्ता से धनबाद तक जी० टी० रोड, तथा जमशेदपुर तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३२ के सुधार के लिये एक विस्तृत योजना बनाई जा रही है, ताकि उस क्षेत्र में उद्योगों तक सड़क के द्वारा कोयला ले जाया जा सके। इस बीच, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी लाइसेंस देने की नीति में उदारता लाएं और सड़क द्वारा कोयला का परिवहन करने वाले संचालकों को प्रोत्साहन के तौर पर दूसरी रियातें दें।

†**श्री महेश्वर नायक** : सड़क परिवहन व्यवस्था के विकास करने तथा कोयल के परिवहन की सुविधा करने के उनके प्रस्ताव के सम्बन्ध में, क्या सरकार विभिन्न राज्यों में फैले हुए करों के अन्तर को दूर करने का विचार करती है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं समझता हूं कि मा० सदस्य बहुमुखी करारोपण के विपरीत एक पक्षी करारोपण के प्रश्न का उल्लेख करते हैं। मैं समझता हूं कि वह प्रश्न अधिकतर हल किया जा चुका है क्योंकि राज्य सरकारें अन्तिम रूप से सहमत हैं कि वे एक पक्षी करारोपण के सिद्धान्त का पालन करेंगी, और यदि उस कारण कोई अन्तर है तो उसे शीघ्र ही हटाया जाएगा।

†**श्री महेश्वर नायक** : विभिन्न राज्यों में फैले करों के अन्तर को किस मात्रा तक समाप्त किया गया है ? क्या यह बहु–पक्षी करारोपण का प्रश्न नहीं है। उदाहरणार्थ, कुछ राज्यों में करारोपण अधिक है, जो ट्रकों आदि पर लगाया जाता है, जबकि कुछ दूसरे राज्यों में कम करारोपण है।

†**श्री राज बहादुर** : यह वही प्रश्न है भिन्न रूप में। मैं अपना उत्तर दुहराऊंगा। एकल-पक्षीय करारोपण का मतलब है कि कर गाडी के संबंध में कर एक ही राज्य में वसूल किया जा जाएगा। दोहरे या बहु–पक्षीय करारोपण का यह मतलब होता है कि कर एक से अधिक राज्य में लगाया जाएगा। किन्तु एक–पक्षीय करारोपण का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस बात को ध्यान में रखते हुए अब सड़कों का विकास किया जा रहा है और उनको चौड़ा किया जा रहा है, सरकार पुलों और पुलियों से उत्पन्न होने वाली कठिनाई को कैसे दूर करना चाहती है, जो इस समय बहुत थोड़े भार को ही उठाने वाले हल्के ट्रकों के लिय हैं ? इन पुलों और पुलियों पर से भारी बोझ भी ले जा सकेगा, इस उद्देश्य के लिये क्या प्रस्थापना है ?

†**श्री राज बहादुर** : सड़कों पर भारी ट्रक चलाना तभी संभव है जब हम पुलियों और पुलों को मजबूत बना लेंगे और इसको करने का और कोई तरीका नहीं है।

†**श्री इकबाल सिंह** : क्या सरकार कुछ कार्रवाई करेगी जिसके द्वारा इस मामले में केन्द्रीय प्राधिकार के द्वारा अन्तर्राज्यिक पर्मिट जारी किये जा सकें ?

---

†मूश अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : केन्द्र अन्तर्राज्यिक पर्मिट नहीं देता बल्कि राज्य देते हैं। तथापि याता-यात की जरूरतों की देख-भाल के लिये अन्तर्राज्यिक आयोग है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : अभी मा० मंत्री ने बताया है कि सरकार सड़क द्वारा कोयले के परिवहन में सुविधा करने के लिये कुछ योजनाओं को अन्तिम रूप देने का प्रयत्न कर रही है। वे योजनाएं क्या हैं और उनका अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा?

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ मा० मंत्री ने इस सब बात का उल्लेख किया था। उन्होंने सड़क, नदी आदि के द्वारा कोयले के परिवहन के बारे में सब कुछ बताया था। अगला प्रश्न।

दिल्ली के लिये भाखड़ा की बिजली

+

†*८१३ { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लिए भाखड़ा की २०,००० किलोवाट-बिजली की सप्लाई में देर लगेगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हाँ, लेकिन दो से तीन महिनों से अधिक नहीं।

(ख) पंजाब बिजली बोर्ड द्वारा नंगल-दिल्ली प्रेषण लाइन का परिवर्तन और उससे सम्बद्ध १३२ किलोवाट से २२० किलोवाट तक के छोटे बिजलीघरों का पूरा न किया जाना।

(ग) इस लाइन का परिवर्तन पूरा करने की दृष्टि से विशेष कार्यवाही करने के लिए पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को कहा गया है। आगे यह देखने के लिए कि इस काम में कितनी शीघ्रता की जा सकती है, तकनीकी विशेषज्ञों के बीच चर्चा के आयोजन का भी विचार है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : अब जो सप्लाई दिल्ली में कम हो गयी है, उसे किस तरह पूरा करने का सरकार का विचार है?

†**श्री अलगेशन** : इसके लिए कोई अल्पकालीन उपाय नहीं है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि भाखड़ा नंगल से बिजली यथाशीघ्र मिल जाय। इसीलिए हम तकनीकी विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाकर दो या तीन महीने की यह अवधि कम करने और मार्गोपाय ढूंढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या पंजाब सरकार को इस मामले में पत्र लिखा गया है कि कार्यवाही योजना समय से क्यों नहीं तैयार की जा सकी? क्या यह देर धन की कमी के कारण हुई या और किन्हीं कारणों से हुई?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : यह धन की कमी का प्रश्न नहीं है। हमें साजसामान विदशों से मंगाना पड़ता है। वह समय पर नहीं प्राप्त हुआ। फिर इस्पात की सप्लाई में भी कुछ कठिनाई थी।

†**श्री इकबाल सिंह** : क्या सरकार ने पंजाब सरकार की इस प्रार्थना पर विचार किया है, कि उसके पास कोई अतिरिक्त बिजली नहीं है, और क्या सरकार उस प्रश्न पर भी विचार करेगी?

†**श्री अलगेशन** : मैं नहीं समझता कि वह बात दिल्ली बिजली सप्लाई उपक्रम को शक्तियां प्रदान करने के मामले में उत्पन्न होती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब वे किसी दूसरों को देने के प्रश्न पर विचार करते हैं तो पंजाब के सदस्य हतोत्साह होते हैं। अगला प्रश्न।

लाइट रेलवेज का राष्ट्रीयकरण

\+

†*८१४. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० सारादीश राय :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा–आमता और हावड़ा–सियारवाला लाइट रेलों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया गया है ;

(ख) क्या अहमदपुर–कटवा और वर्दवान–कटवा रेलों का भी राष्ट्रीयकरण करने का विचार है; और

(ग) क्या इन रेलों को कोई राज सहायता दी जा रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार को इन रेलों को खरीदने का ठेके में कोई अधिकार नहीं है। इन लाइनों को खरीदने का हक स्थानीय जिला बोर्डों को उन ठेकों के अनुसार है जो उनके तथा लाइट रेलों के बीच हुए थे। इसके अलावा, सरकार की सामान्य नीति यह है कि लाइट रेलों का राष्ट्रीयकरण न किया जाय ताकि योजना के अधीन अतिरिवत रेल परिवहन क्षमता निर्माण करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग मौजूदा लाइनों को ले लेने के बजाय नये परिसम्पद् निर्माण करने के लिए किया जाय।

(ख) जी नहीं।

(ग) अहमदपुर–कटवा और वर्दवान–कटवा रेलों के मामले में, भारत सरकार ठेकों की शर्तों के अधीन उनकी चुकता हिस्सा पूंजी पर सालाना ३ प्रतिशत ब्याज की प्रत्याभूत दर

---

†मूल अंग्रेजी में

में कमी पूरी करने के लिए रकमें दे रही है। हावड़ा–आमता और हावड़ा–शियारवाला लाइट रेलवे के मामले में केन्द्रीय सरकार ऐसी कोई राज सहायता देने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि ठेकों के अधीन सरकार पर न तो कोई दायित्व है और न ही उसका इन दो रेलों में कोई वित्तीय हित है। हावड़ा के जिला बोर्ड ने इन दो कंपनियों के बीच हुए करारों की शर्तों के अधीन, चुकता पूंजी के ४ प्रतिशत के बराबर इन दो लाइनों के वास्तविक साथ की लाभ की गारंटी दी है; लकिन वह हावड़ा–आमता लाइट रेलवे के मामले में अधिक से अधिक २८,००० रुपये प्रतिवर्ष होगा और हावड़ा–शियारवाला लाइट रेलवे के मामले में, तैयार की गयी और चालू की गयी प्रतिमील लाइन के लिए सालाना अधिक से अधिक ९५० रुपये होगा जो लगभग अधिक से अधिक १९,००० रुपये प्रतिवर्ष होगा।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : याचिका समिति ने स्पष्ट सिफारिश की है कि हावड़ा-आमता और हावड़ा शिअरवाला रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया जाये। सरकार ने इस सिफारिश पर क्यों विचार नहीं किया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : सरकार की सामान्य नीति विवरण में बता दी गयी है। उस नीति के अनुसार मंत्रालय ने लोक सभा सचिवालय को लिख दिया है कि उसका राष्ट्रीयकरण संभव नहीं है।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : वह सामान्य नीति हो सकती है लेकिन जब उन क्षेत्रों के स्थानीय लोग पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे हैं और पिछले वर्ष याचिका समिति ने भी सभी पहलुओं पर विचार करके अपनी सिफारिश की थी तब यदि सरकार उस सिफारिश पर विचार न करे तो उस याचिका समिति से क्या लाभ ?

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इस याचिका का मुख्य कारण उस विशिष्ट रेलवे में ऊंचा किराया और सुविधाओं का अभाव था ? यदि सरकार उसका राष्ट्रीयकरण करने में असमर्थ हो तो इस रेलवे सेवा में सुधार करने और किराया कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इन किरायों के सम्बन्ध में तो रेलवे बोर्ड ने १९५१ में उनका आधार निर्धारित किया था। तब से कोई वृद्धि नहीं हुई है, केवल १९५७ को छोड़कर जब कि यात्री कर लागू किया गया था। १९६० में दशमिक प्रणाली के अधीन, रकम पूरी करने की प्रथा के कारण कुछ मामलों में किराया थोड़ा बढ़ गया और कुछ में कम हो गया। इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन सामान्यतया इस रेलवे में अन्य राज्य रेलों की तुलना में किराया कम दूरी और ऊंचा चालन खर्च के कारण कुछ अधिक है। जहां तक सुविधाओं का सम्बन्ध है, उनमें सुधार करने की ओर हमने सम्बन्धित रेलों का ध्यान दिलाया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

रूस से बिजली का साजसामान

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रूस से बिजली के साजसामान की सप्लाई प्राप्त होने में देर हो रही है जिससे भारत में बिजली तैयार करने की योजना बन्द पड़ रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५९]**

†**श्री रघुनाथ सिंह** : स्टेटमेंट से यह जाहिर होता है कि ११५० मैगावाट का इक्विपमेंट रूस से आने वाला था, लेकिन वहां से सिर्फ २०० मैगावाट का इक्विपमेंट आवेगा । मैं जानना चाहता हूं कि ९५० मैगावाट की जो कमी रहेगी उसके वास्ते सरकार क्या इन्तजाम कर रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : पहले ९५० मैगावाट की बात थी, अब सिर्फ ४५० मेगावाट बिजली तैयार की जायेगी।

श्री रघुनाथ सिंह : आपने जो फिगर दिए हैं उनसे जाहिर होता है कि थर्ड प्लान पीरियड में ११५० मैगावाट का इक्विपमेंट आने वाला था लेकिन ९५० मैगावाट का इक्विपमेंट नहीं आवेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो ९५० मैगावाट का इक्विपमेंट नहीं आवेगा क्या इसके लिये कोई इन्तिजाम हो रहा है ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : इस वक्त कोशिश हो रही है और मुमकिन है कि यह कमी रूस से ही पूरी हो जाए इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। उन्हीं से तै हुआ है और उन्हीं से पैसा आने वाला है । अगर इत्तिफाक से उनके यहां से इन्तिजाम न हो सका तो दूसरे जो मुमकिन तरीके होगें वह अख्तियार किए जा सकते हैं।

†**श्री महेश्वर नायक** : साज सामान न दिये जाने के कारण जो कमी होगी क्या वह दूसरे जरियों से पूरी की जायेगी और वे दूसरे जरिये क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो वह दे चुके हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : सिंगरौली के लिए पांच यूनिट आने वाले थे लेकिन स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि उसके लिए एक भी यूनिट नहीं आवेगा। मैं जानना चाहता हूं कि सिंगरौली में थरमल प्लांट लगाया जायेगा या नहीं ? उसके लिए क्या इन्तिजाम होगा ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैंने यह पहले ही अर्ज किया कि जो कुछ भी कमी रहती है उस को पूरा करने के लिए जो भी मुमकिन कोशिश हो सकती है वह गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव** : औचित्य प्रश्न के हेतु श्रीमान् यह एक बड़ी अजीब प्रथा है कि अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तर में विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। साधारणतया, अल्प सूचना प्रश्न के महत्व को ध्यान में रख कर ही वह प्रश्न गृहीत किया जाता है और वह प्रश्न रखने वाले माननीय सदस्य जहां तक संभव हो मौखिक उत्तर अधिक पसन्द करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि उत्तर बहुत लम्बा हो, तो सभा पटल पर विवरण रखने में कोई हानि नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रश्न संख्या ८०२ के मेरे अनुपूरक प्रश्न में जब मैं ने यह पूछा था कि क्या विदेशों द्वारा समय पर साज सामान न दिये जाने के कारण हमारी परियोजनाएं रोक दी थीं, माननीय मंत्री ने यह बताया था कि ऐसी बात नहीं है अब वह यह मंजूर करते हैं कि परियोजना का काम रोक दिया गया है और यह ठीक है कि वह किसी हद तक समय पर साज सामान न मिलने के कारण है। यह दोनों बातें एक ही साथ कैसे ठीक हो सकती हैं ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : वह उत्तर इस तथ्य को देखते हुए बिलकुल ठीक था कि उन्हें सारी चीजें समय से देने के लिए राजी किया जा रहा है। यदि वे ऐसा करते हैं, तो काम बन जायेगा। वह गलत उत्तर नहीं था (**अन्तर्बाधा**)

†**सरदार इकबाल सिंह** : भाखड़ा के दाहिनी किनारे के पांच बिजलीघर रूस से प्राप्त होने वाले हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस पर भी प्रभाव पड़ेगा ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : किस बात पर प्रभाव पड़ेगा यह विवरण में पहले ही बताया जा चुका है

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली विकास प्राधिकार

†७८९. { **श्री म० ला० द्विवदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार (दिल्ली डेवलपमेंट आथारिटी) की रिपोर्ट से विदित होता है कि गबन, क्षति तथा अन्य कारणों से कई हजार की क्षति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार के पास जांच पड़ताल करने के लिये अधिकारियों की समुचित संख्या नहीं है और क्या २७,००० रुपये से अधिक की जो रकम सेफ से गायब हो गयी थी उसकी जांच हुई है ; यदि हां, तो उसका क्या फल निकला ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या कारण है कि नवम्बर, १९५८ से १९५९ तक नकदी का मिलान नहीं किया गया ;

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकार की इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) जो गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जिम्मेदारी किस पर है और उन लोगों को क्या सजा दी जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) प्रारम्भ में दिल्ली विकास प्राधिकार के पास समुचित स्टाफ नहीं था और अब पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनके १९५८-५९ की आडिट रिपोर्ट में प्रकाशित होने से पहले दिल्ली विकास प्राधिकार ने उनका पता लगा कर उनकी जांच कर ली थी। वातस्तव में २७,००० रुपये की किसी नकद राशि का नुकसान नहीं हुआ था बल्कि यह कैशियर द्वारा किया गया एक अस्थायी गबन का मामला था जिसे विभागीय जांच के पश्चात् नौकरी से अलग कर दिया गया था। केशियर के साथ कपट-सन्धि करने के अपराध में सहायक केशियर के और देखरेख में ढिलाई करने के लिये पर्यवेक्षण-स्टाफ के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

(ग) दूसरे महत्वपूर्ण-कार्यों के अत्यधिक काम के कारण और दिल्ली विकास प्राधिकार में अपर्याप्त स्टाफ होने से नवम्बर, १९५८ और जून, १९५९ के बीच नकदी का मिलान न किया जा सका। तथापि अब इस सम्बन्ध में कड़े आदेश दिये गये हैं और नियमित रूप से नकदी का मिलान किया जाता है ।

(घ) लेखा-प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन कर के और इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखने के लिये पर्यवेक्षण कर्मचारियों को अनुदेश दे कर दिल्ली विकास प्राधिकार पहले ही अधिकांश गड़बड़ियां ठीक कर चुका है।

(ङ) इन गड़बड़ियों के लिये मुख्यतः प्राधिकार के दो रेंट कलेक्टर और केशियर जिम्मेदार पाये गये थे । दो रेंट कलेक्टर अदालत द्वारा दोषी पाये गये और एक केशियर को उस पर विभागीय जांच पूरी करने के पश्चात् नौकरी से हटा दिया गया । पर्यवेक्षण-स्टाफ अर्थात् सम्बन्धित तहसीलदार और लेखा-अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

उत्तर और दक्षिण बिहार को मिलाने वाला राष्ट्रीय राजपथ

†*७९२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजेन्द्र ब्रिज पर से उत्तर और दक्षिण बिहार को मिलाने वाले राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

गंगा नदी पर राजेन्द्र पुल राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ पर पड़ता है। यह पुल उत्तर तथा दक्षिण की ओर राज्य राजपथों द्वारा राष्ट्रीय राजपथ के साथ जुड़ा हुआ है और यातायात में कोई रुकावट नहीं है। उत्तरी और दक्षिणी प्रवेश मार्गों के संबंध में, जिनके लिये राष्ट्रीय राजपथ निधि से धन दिया जा रहा है स्थिति इस प्रकार है :—

उत्तरी प्रवेश मार्ग । कुल ४१/२ मील की लंबाई मे से ३ मील की सड़क सभी प्रकार से पूरी हो चुकी है। बाकी हिस्से का काम इसलिये रुका पड़ा है कि ऊपरी पुल की जगह अभी निश्चित नहीं हुई है जिसके लिये राज्य के लोक निर्माण विभाग और रेलवे में पत्र व्यवहार चल रहा है।

दक्षिणी प्रवेश मार्ग : पुल के लिये दक्षिणी प्रवेश मार्ग पूरा हो चुका है, केवल ४ मील का उप-मार्ग (बाह-पास) निर्धारित कार्यक्रम से पीछे है। यह उपमार्ग अधिक सुरक्षित तथा शीघ्र यातायात के लिये बनाया गया है और उससे यातायात की भावी आवश्यकतायें भी पूरी हो जायेंगी। इस उपमार्ग को पूरा करने में विलम्ब इन कारणों से हुआ है :—

(१) दो ऊपरी पुलों के बारे में फैसला न होना, जिनके लिये रेलवे ने डिजाइन के ब्यौरे दिये जाने के लिये लिखा है ;

(२) भूमि प्राप्त करने में विलंब; और

(३) अक्तूबर १९६१ में भारी बाढ़ ।

विद्युत् संयंत्र

†*७९३. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत् संयंत्रों की स्थापना के लिये लोगों को या गैर-सरकारी कम्पनियों को लाइसेंस देने के बारे में विचार कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये किन कारणों से प्रेरित हुई हैं ; और

(ग) क्या उन से औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में (राज्य-मंत्री श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). बिजली पैदा करने और उसे पहुंचाने के लिये गैर-सरकारी व्यक्तियों या कंपनियों को लाइसेंस देना भारतीय बिजली अधिनियम, १९१० के अधीन राज्य सरकारों का काम है। केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रस्तावों की छानबीन मुख्यतः विदेशी मुद्रा के दृष्टिकोण से करती है । अभी एक प्रस्ताव की छानबीन हो रही है । उस पर अभी कोई अंतिम निश्चय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) औद्योगिक नीति संकल्प में ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि राज्य नये एककों की स्थापना के लिये गैर-सरकारी उपक्रमों से सहयोग न प्राप्त करे जब कि राष्ट्रीय हित में वैसा आवश्यक हो ।

त्रिपुरा की सड़कों के लिये पत्थर

†*७९६. **श्री दशरथ देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन सड़कों के निर्माण हेतु आसाम से पत्थर (सैन्डस्टोन) को मंगाता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना पत्थर मंगाया गया है ;

(ग) मंगाये जाने वाले इस पत्थर का प्रति हजार घन फुट मूल्य कितना है ;

(घ) क्या त्रिपुरा में ही यह पत्थर अधिक सस्ते दामों पर जुटाना सम्भव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग) आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) २ लाख घन फुट पत्थर के ढोकों (बोल्डर्स) के लिये दिये गये आर्डर के मुकाबले में, त्रिपुरा लोक प्रशासन विभाग ने अगरताला में अब तक ३०,००० घन फुट और बेलोनिया में ५,००० घन फुट प्राप्त किया है ।

(ग) अगरताला में आयात किये गये पत्थर का मूल्य २,३७५ रुपये प्रति हज़ार घन फुट और बेलोनिया में २,७६० रुपये प्रति हजार घन फुट है । धरमनगर और कैलासशहर जैसे जगहों पर जो आसाम प्रदेश के अधिक निकट हैं, आसाम पत्थर और त्रिपुरा पत्थर के दाम में कोई फर्क नहीं है । धरमनगर में आसाम पत्थर का मूल्य १,०४० रुपये प्रति हजार घन फुट है और त्रिपुरा पत्थर का भी वही मूल्य है ।

(घ) जी नहीं । त्रिपुरा के अन्तर्गत क्षेत्रों से पत्थर सम्बन्धी सभी आवश्यकता पूरी कर लेना संभव नहीं है क्योंकि संपूर्ण राज्य में पत्थर की काफी कमी है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

†*८०५. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन ने वर्ष १९५९, १९६० और १९६१ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये आंकड़े किस आधार पर फैलाये गये हैं ;

(ग) वर्ष १९५९, १९६० और १९६१ में अपने व्यापार के लिये कारपोरेशन ने क्रमानुसार कितनी विदेशी मुद्रा मांगी और प्राप्त की ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) से (ग). मैं सभा पटल पर एक विवरण रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०]**

दिल्ली में डाक तथा तार विभाग का मोटर सेवा अनुभाग

†*८०७. **डा० मेलकोटे** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ दिल्ली डाक तथा तार मोटर सेवा अनुभाग में लागू नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अधिनियम का उपबन्ध लागू करने और इसके लागू न किये जाने की परिस्थितियों की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की या करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां।

(ख) इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्ध डाक मोटर सेवा संगठन पर लागू करने के विषय पर विचार किया जा रहा है।

नये तार घर खोलने के लिए प्रतिभूति

†*८०८. **श्री दिगे** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में नये तार घर खोलने के लिये कोई प्रतिभूति लेता है ; और

(ख) यदि हां, तो कैसी प्रतिभूति लेता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां, जब कि कार्यालय को स्वीकृत सीमा से अधिक घाटे की संभावना हो।

(ख) रजिस्टर्ड संस्था से बैंक गारंटी या प्रतिभूति जमा लेखा; व्यक्तियों से प्रतिभूति बन्धपत्र ।

नागार्जुन सागर बांध

†*८१०. **श्री लक्ष्मी दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागार्जुन सागर बांध के लगभग ३ लाख रुपये की लागत के सीमेंट के बारह खम्भे १९६१ में बह गये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच पड़ताल की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). जानकारी आन्ध्र प्रदेश से इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

बरम्हन में नर्मदा पर पुल

†*८१२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरम्हन (जिला नरसिंगपुर, मध्य प्रदेश) मे नर्मदा नदी पर सड़क पुल कब बनाया जायेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके लिये पांच वर्ष पहले स्थान चुन लिया गया था और काम शुरू कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अनुमान है कि मार्च, १९६३ तक पुल तैयार हो जायगा ।

(ख) पुल के लिये स्थान अप्रैल, १९५६ में चुन लिया गया था लेकिन काम मार्च, १९६१ में शुरू हुआ ।

(ग) काम शुरू करने में देर मुख्यत: इस कारण हुई कि टेण्डरों के बारे में कोई जवाब नहीं मिला और ठेकेदारों के साथ ठेके की शर्तें और कई तकनीकी ब्यौरे निपटाने में और बात-चीत में काफी समय लग गया ।

उड़ीसा में डेल्टा सिंचाई योजना

†*८१५. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्य **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कोई संशोधित डेल्टा सिंचाई योजना प्रस्तुत की थी और क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कोई अतिरिक्त रकम दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि संशोधित योजना में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई के लिये महानदी की शाखा, लूना नदी की एक नहर बनाने की परियोजना को शामिल नहीं किया गया है ; और

(ग) संशोधित योजना का कोई ब्योरा हो तो वह क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली

†*८१६. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के विकास सम्बन्धी मामलों पर सलाह देने के लिये एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के कार्य क्या हैं; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

(ख) समिति इन मामलों में सरकार को सलाह देगी :

(१) संपूर्ण देश में प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसंधान के लिये एक समन्वित नीति निर्धारित करना ।

(२) ऐसे अनुसन्धान के प्रोत्साहन के लिये की जाने वाली कार्यवाही; और

(३) प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता देना ।

(ग) समिति की पहली बैठक ९ मई, १९६२ को हुई थी ।

नर्मदा घाटी विकास योजना

†*८१७. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा घाटी के बहु-प्रयोजनीय विकास के सम्बन्ध में गुजरात सरकार द्वारा तैयार किये गये नोट की छानबीन तकनीकी विशेषज्ञों ने इस बीच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की क्या राय है; और

(ग) भारत सरकार का भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख) केन्द्रीय पानी बिजली आयोग नर्मदा घाटी के बहुप्रयोजनीय विकास के सम्बन्ध में गुजरात सरकार द्वारा तैयार किये गये नोट की छानबीन अभी कर रहा है ।

(ग) नर्मदा घाटी के विकास के लिये एक उपयुक्त केन्द्रीय संगठन कायम करने के विषय पर सरकार अभी विचार कर रही है । ब्यौरा तैयार करने और एक रिपोर्ट सरकार को पेश करने के लिये एक विशेष कार्य पदाधिकारी को नियुक्त करने का निश्चय किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मत्स्यपालन प्रशिक्षण केन्द्र, कोचीन

†*८१८. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में चालू किये जाने वाले मत्स्यपालन प्रशिक्षण केन्द्र के लिये आवश्यक मशीनों और दूसरे साजसामान के लिये सरकार ने निश्चित आर्डर दे दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

†*८१९. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा, घाघरा और राप्ती नदियों पर सालाना औसतन कितना परिवहन होता है;

(ख) क्या इन नदियों वाले क्षेत्रों में कोयला परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने की संभावना की छानबीन की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी सम्बन्धित राज्य सरकारों से मांगी गयी है और वह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रत्नागिरि बन्दरगाह

†*८२०. **श्री नाथपाई** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि बन्दरगाह को सभी मौसमों के योग्य बन्दरगाह घोषित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). रत्नागिरि एक मध्यवर्ती बन्दरगाह है । बम्बई से यात्री जहाज सेवाएं सितम्बर से मई तक अच्छे मौसम में रत्नागिरि में ठहरते हैं । मध्यवर्ती बन्दरगाह विकास समिति ने रत्नागिरि बन्दरगाह के विकास की सिफारिश की है ताकि वहां अच्छे मौसम में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार किया जा सके । इसके लिए १५.३८ लाख रुपये की लागत की कुछ योजनाओं को, जिनकी सिफारिश मध्यवर्ती बन्दरगाह विकास समिति ने की है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है । नये स्थल अर्थात् मिरिया बे पर सभी मौसमों के योग्य सुविधाएं प्रस्तुत करने की दीर्घकालीन

†मूल अंग्रेजी में

योजना के पहले दौर का काम शुरू करना राज्य सरकार अधिक अच्छा समझती है। राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ तकनीकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जब यह योजना तैयार हो जायेगी तब योजना आयोग के परामर्श से उसकी छानबीन की जायेगी।

राजासांसी हवाई अड्डा अमृतसर में विमान उतारने के लिये सुविधायें

†*८२१. **श्री गु० सिं० मुसाफिर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफगानिस्तान से मेवा लाने वाले **भाटकित** (चार्टर्ड) हवाई जहाजों को राजासांसी हवाई अड्डे (अमृतसर) पर उतारने की सुविधाएं बन्द कर दी गयी है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में व्यापारियों की कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी नहीं। राजासांसी हवाई अड्डे (अमृतसर) में चार्टर्ड हवाई जहाजों का उतरना बन्द नहीं किया गया है लेकिन हवाई पट्टी (रनवे) और टैक्सी के रास्ते की असंतोषजनक स्थिति के कारण, उसका उपयोग ९ दिसम्बर, १९६१ से केवल उन्हीं हवाई जहाजों के लिए सीमित कर दिया गया है जिनका कुल तौल ३०,००० पौंड से अधिक न हो।

(ख) जी हां।

(ग) भारत और अफगानिस्तान के बीच माल लाने ले जाने का काम करने वाले, चार इंजनों वाले हवाई जहाज में माल चढ़ाने उतारने की सुविधाएं पालम हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। राजासांसी में दुय्यम हवाई पट्टी (रनवे) चालू करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। ज्यों ही यह हवाई पट्टी चालू हो जायगी मुख्य हवाई पट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसे बन्द कर दिया जायगा।

अलवर में माल डिब्बों का न दिया जाना

†*८२२. **श्री का० रा० गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पन्द्रह दिनों में लगभग ५०० माल डिब्बे दिये जाने के लिये व्यापारियों ने अलवर रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के स्टेशन मास्टर के पास मांगें भेजी हैं और इस अवधि में किसी भी व्यापारी को कोई माल डिब्बा नहीं दिया गया है और इस के परिणामस्वरूप इस तेजी के मौसम में उस बाजार का सारा व्यापार ठप पड़ जाने की आशंका उत्पन्न हो गयी है;

(ख) इतनी लम्बी अवधि तक माल डिब्बे न दिये जाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार माल डिब्बों की तुरन्त व्यवस्था करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है जिससे व्यापार का काम काज सामान्य रूप से चालू हो जाये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि माल डिब्बे तुरन्त सप्लाई करना सम्भव न हो, तो उस के क्या कारण हैं और पहली मांगें पूरी करने के लिये वे कब उपलब्ध हांगे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी).** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बम्बई-गोआ जहाज सेवा

†*८२३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बम्बई-गोआ जहाज सेवा चालू करना सफल सिद्ध हुआ है और बन्द पड़ा हुआ व्यापार तथा यात्री सेवा पुनः चालू हो गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने, जो कराची, बम्बई और कवीन के बीच नियमित साप्ताहिक सेवा चला रही है, अपनी अनुसूची में मारमागोआ बंदरगाह को भी शामिल कर लिया है और २६ जनवरी १९६२ से हफ्ते में एक बार उस बन्दरगाह पर अपने जहाज रोकना शुरू कर दिया है। बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने, जो कोंकण तट पर यात्री सेवा चला रही है, २५ फरवरी, १९६२ से पंजीम में अपने जहाज रोकना शुरू कर दिया है। इधर यात्रियों की काफी भीड़ रही है और वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए यह दिखलायी पड़ता है कि गोआ के लिए यह सेवा पुनः चालू करना सफल सिद्ध हुआ है।

माताटीला बांध से मध्यप्रदेश को बिजली की सप्लाई

†*८२४. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से माताटीला बांध से कितनी बिजली दिये जाने का वचन दिया गया है और किन शर्तों पर; और

(ख) यह बिजली संभवतः कब तक उपलब्ध होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन):** (क) माताटीला बांध से बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश को अभी तक कोई वचन नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भूमियों को दी गई जमीनें

†*८२५. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि त्रिपुरा के आदिम जाति कल्याण विभाग ने झूमियो को जो जमीनें दी थीं वे अब गरजी रक्षित वन में शामिल की जा रही हैं और झूमिया अनुदान पाने वाले लोगों को निकाल बाहर किया जाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो उन झूमियों को निष्कासन से बचाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या आदिम जातियों द्वारा सुरक्षित रखी गयी जमीनों को त्रिपुरा के रक्षित वन क्षेत्रों से बाहर रखने का सरकार का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) कुछ जमीनें जो भूमियों को दी गयी थीं, गलती रक्षित वन में शामिल की गयी हैं। चूंकि इन भूमियों का जंगल के ग्रामीणों के रूप में बसाने का विचार है इसलिए उन्हें निकाल बाहर करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

आन्ध्र प्रदेश में तापीय बिजली घर

†*८२६. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि चैकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड की सरकारों ने आन्ध्र प्रदेश में तापीय बिजली घर स्थापित करने के लिये सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं। हमें ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एशियाई राजपथों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष निधि

†*८२७. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई राजपथों के विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष निधि कायम की गयी है;

(ख) भाग लेने वाले देशों किस सिद्धान्त पर उसके लिये अंशदान दे रहे हैं ?

(ग) निधि से अनुदान देने के लिये एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक आयोग ने टोकियो में हुई अपनी बैठक में जो सिफारिशें की थीं, वे किस हद तक कार्यान्वित की गयी हैं; और

(घ) उससे भारत को किस प्रकार लाभ होने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) खास कर एशियाई राजपथों के विकास के लिए कोई अलग संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष निधि कायम नहीं की गयी है। अविकसित देशों को उनके आर्थिक विकास में सहायता देने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष निधि पहले से मौजूद है और इस निधि में से एशियाई राजपथों के विकास के लिए भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भाग लेने वाले देश अपनी इच्छा से इस निधि में अंशदान देते हैं और इसके लिये कोई निश्चित नियम नहीं बनाये गये हैं।

(ग) एशियाई राजपथ परियोजना के लिये संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष निधि से सहायता मांगने के प्रश्न पर एशिया तथा सुदूरपूर्व का संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक आयोग का सचिवालय पाकिस्तान, बर्मा, भारत और थाइलैण्ड वाले उपप्रदेश में विशेषज्ञ कार्यकारी दलों के सदस्यों के सलाह मशविरे से विचार कर रहा है और उन विशेषज्ञों की राय प्राप्त हो जाने पर आयोग का सचिवालय इस मामले की और छानबीन करेगा।

(घ) सिलचर और इम्फाल के बीच भारत में प्राथमिकता मार्ग ए-१ का शीघ्र विकास करने के लिये एशिया तथा सुदूरपूर्व के संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक आयोग ने करीब १० लाख डालर के मूल्य के मशीनी साज सामान के उपयोग की सिफारिश की है।

तवा परियोजना[1]

†*८२८. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहु प्रयोजनीय तवा परियोजना (जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश) किस दौर तक पहुंची है; और

(ख) यह सम्भवतः कब तक चालू हो जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) यह परियोजना निर्माण की प्राथमिक अवस्था में है। बांध के लिये अन्वेषणात्मक छिद्रण और विमज्जनीय[2] पुल पूरे हो गये हैं। उपागमन सड़कों और बांध के स्थान पर इमारतों का काम हो रहा है।

(ख) इस परियोजना के वर्ष १९६८ तक आरम्भ हो जाने की आशा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पोषाहार[3]

†*८२९. **श्री बिभूति मिश्र :** क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पोषाहार सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें दी गई हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१]**

दुर्घटना जांच समिति

†*८३०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे दुर्घटना जांच समिति में और अधिक सदस्य नियुक्त करने अथवा उसके पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Tawa Project.

[2]Submersible.

[3]Nutrition.

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

वनस्पति तेलों में रंग मिलाना

†*८३१. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सिंहासन सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री यू० सिं० चौधरी :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्था, लखनऊ ने वनस्पति तेलों में रंग मिलाने के लिये एक द्रव्य निकाला है ;

(ख) यदि हां, तो वह द्रव्य क्या है ;

(ग) द्रव्य की लागत क्या है ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग) केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्था, लखनऊ ने वनस्पति में रंग मिलाने के लिये रत्नजोत के जड़ के रंग के इस्तैमाल का सुझाव दिया है। इसके विषैलेपन का पता लगाने के लिये और यह निर्धारित करने के लिये कि यह मानव उपभोग के लिये सुरक्षित है या नहीं, अध्ययन किया जा रहा है। इस द्रव्य से वनस्पति में रंग मिलाने की लागत का अनुमान संस्था ने ६ नये पैसे प्रति पौंड अर्थात् १३.३५ रुपये प्रति टन लगाया है।

कुम्भ मेले के सिलसिले में तैनात रेलवे कर्मचारी

†*८३२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिद्वार में कुम्भ मेले में जिन व्यक्तियों को ड्यूटी पर लगाया गया था, उनको मार्च, १९६२ का वेतन समय पर नहीं दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनको विभिन्न रेलवे में मेले पर ड्यूटी के लिये भेजते समय कुछ पेशगी रकम दी गई थी ;

(घ) यदि हां, तो उनको कितनी रकम पेशगी दी गयी थी; और

(ङ) इस मामले में क्या कदम उठाये गये ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). जी, हां। यात्रा भत्ते की अग्रिम राशि दी गयी थी जो निम्न प्रकार है :

रेलवे	धनराशि
उत्तर	१२,३८९ रुपये
पश्चिम	३,८२० रुपये

(अन्य रेलवे से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है)

(ङ) जिन कर्मचारियों ने यात्रा भत्ते के अग्रिम के लिये आवेदन किया था, उनको यह मंजूर कर दिया गया।

क्विलोन में रेलवे माल-डिब्बा निर्माण कारखाना

†*८३३. **श्री प० कुन्हन :** क्या **रेलवे** मन्त्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलोन में एक मीटरगेज रेलवे माल-डिब्बा निर्माण कारखाना स्थापित करने के लिये केरल राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है और उस पर निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां।

(ख) सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई है।

पम्बा-कक्की जल-विद्युत् परियोजना

†*८३४. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री मोहसिन :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री अ० ब० राघवन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री कोल्ला वेंकया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका केरल में ३००,००० किलोवाट के पम्बा-कक्की जल-विद्युत् परियोजना की समची पूर्वक्षित लागत में धन लगाने के लिये २५ करोड़ रुपये का ऋण देने को सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). अमरीका सरकार ने पम्बा-कक्की जल-विद्युत् परियोजना की विदेशी मुद्रा की लागत के लिये २०२ लाख डालर (९.६ करोड़ रुपये) के ऋण की मंजूरी के बारे में भारत सरकार को सूचित कर दिया है। जहां तक परियोजना पर १५.३१ करोड़ रुपये की रुपया लागत का सम्बन्ध है, भारत सरकार का इरादा अमरीका सरकार से एक करार करने का है जिससे अमरीका सरकार पी० एल० ४८० की तरह की निधि में से भारत सरकार को ऋण देगी जो परियोजना पर किये गये व्यय पर लिया जायेगा। तथापि, अभी तक डालर भाग अथवा रुपया भाग के बारे में किसी ऋण करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

बच्चों में टिटेनस, डिप्थीरिया रोग

†*८३५. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में बच्चे टिटेनस, काली खांसी और डिफ्थीरिया से मर जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले ५ वर्षों में इन रोगों से मरने वाले बच्चों की क्या संख्या है; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन रोगों के निवारण के लिये 'त्रिपिल एन्टिजन' टीका कारगर सिद्ध हुआ है, क्या सरकार ने बच्चों के इन घातक रोगों का टीका लगाने के लिये डाक्टरों को 'त्रिपिल एन्टिजन' के निर्बाध रूप से वितरण के प्रश्न पर विचार किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). टिटेनस से हुई मौतों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। सभा पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं जिनमें वर्ष १९५६-६० के दौरान विभिन्न राज्यों में काली खांसी और डिप्थीरिया से मरने वाले बच्चों के बारे में रिकार्ड की गयी जानकारी, जो उपलब्ध है, दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२ और ६३]**

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोजीकोड में तिरूर पर ऊपरी पुल

†१३६३. **श्री कोया** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में रेल के कितने फाटक हैं ;

(ख) वर्ष १९४७ के बाद कितने ऊपरी पुल बनाये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि जिला कोजीकोड में तिरूर में रेल के फाटक के बार बार बन्द होने से सड़क यात्रियों को कठिनाई में बाधा होती है ;

(घ) क्या सरकार को विदित है कि फाटक शंटिंग के लिये भी बन्द होता है क्योंकि फाटक स्टेशन के बहुत पास है ;

(ङ) क्या सरकार ने तिरूर में ऊपरी पुल की लागत का सर्वे शुरू किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) क्या सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में तिरूर में एक ऊपरी पुल बनाने पर विचार करेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : ढोरों के निकलने के स्थानों को मिला कर ३६९ फाटक हैं ।

(ख) त्रिचूर के पास (मील एस० २०/६–७) कोकालाई फाटक पर सड़क का एक ऊपरी पुल का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है और चार ऊपरी पुल बन रहे हैं ।

(ग) और (घ). फाटक स्टेशन के बहुत पास है और क्योंकि इस स्थान पर रेल का और सड़क का दोनों का ही यातायात अधिक है, यातायात रुक जाता है परन्तु इस प्रकार यातायात एक बार में १० मिनट से अधिक के लिये नहीं रुकता ।

(ङ) और (च). विद्यमान फाटक के स्थान पर सड़क के ऊपरी या नीचे के पुल की योजना राज्य सरकार को बनानी पड़ती है । केरल का सरकार ने तिरूर रेलवे स्टेशन पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में सड़क का ऊपरी या नीचे का पुल विद्यमान फाटक के स्थान पर बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है ।

राजस्थान में नलकूप

१३६४. श्री तन सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में नलकूप खनन संगठन द्वारा कहां पर सफलतापूर्वक कुएं खोदे गये हैं ;

(ख) प्रत्येक कुएं में कितना जल प्राप्त होने की क्षमता है ;

(ग) किन कुओं से जल का उपयोग उनकी क्षमता के ५० प्रतिशत या अधिक मात्रा में अब हो रहा है ;

(घ) अन्य श्रेणी के कुएं कितने हैं ;

(ङ) उन पर कितना खर्चा केन्द्र/राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है ;

(च) वे अब तक प्रयोग में क्यों नहीं लाये जा रहे हैं ; और

(छ) इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान में और कहां-कहां कुएं खोदे जाने को हैं तथा कब ?

खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). एक विवरण नत्थी है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६४]**

(ग) सफलता प्राप्त कुओं को उपयोग में लाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य/परियोजना अधिकारियों की है । उनसे प्रार्थना की जा रही है कि आवश्यक जानकारी भेजें ।

(च) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा की पटल पर रख दी जायेगी ।

(छ) पहले से निर्धारित कार्यक्रम में जयसलमेर में आठ अधिक स्थानों में, बारमेर में १० और जोधपुर में १ स्थान में ड्रिलिंग करना है । जब अन्य प्राथमिकता स्थानों की राज्य सरकार की सूची उपलब्ध होगी, तब अतिरिक्त स्थानों के अन्तिम चुनाव करने के लिये प्रारम्भिक रूप में भू-विज्ञान गवेषणा का कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशाखापटनम में सूखी गोदी

†१३६५. { श्री वी० चं० शर्मा :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम में सूखी गोदी बनाने का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस प्रयोजना के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है और अब तक कितना धन व्यय हुआ है ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए २ करोड़ रुपये का उपबन्ध है और इस राशि मे से अभी तक कोई व्यय नहीं हुआ है ।

रेल के डिब्बों में पंखों की व्यवस्था

†१३६६. श्री उलाका : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाल्टेयर और रायपुर के बीच बड़ी लाइन पर और नौपाद जंकशन तथा गुनुपुर के बीच छोटी लाइन पर तीसरी श्रेणी के कितने ऐसे डिब्बे चल रहे हैं जिनमें पंखे नहीं लगे हैं ;

(ख) उनमे पंखे लगने में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या छोटी लाइन को (नौपाद से गुनुपुर तक) बड़ी लाइन में बदलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उक्त छोटी लाइन पर रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) रायपुर और वाल्टेयर के बीच रेलगाड़ी सेवा के लिये निर्धारित तीसरी श्रेणी के सारे डिब्बों में पंखे लगे हैं।

नौपाद-गुनुपुर लाइन पर चल रहे तीसरी श्रेणी के छोटी लाइन के १२ डिब्बों में से किसी में भी पंखा नहीं है ।

(ख) रायपुर-वाल्टेयर लाइन पर, तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

नौपाद-गुनुपुर लाइन पर, रफ्तार कम होने और चलने में बहुत कम बिजली बनने के कारण डिब्बों मे पंखे लगा कर विद्युत भार नहीं बढ़ाया जा सकता ।

(ग) तीसरी योजना में इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) इस छोटी लाइन पर क्या वर्तमान स्तर पर अधिक रफ्तार नहीं की जा सकती। अधिक रफ्तार के लिए मार्ग में सुधार करने के प्रश्न पर यह निश्चय होने के बाद विचार किया जायेगा कि इसे बड़ी लाइन बनायी जाये या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण पूर्व रेलवे पर टिकट घर और प्रतीक्षालय

†१३६७. **श्री उलाका** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर पर्वतीपुरम नगरके हाल्ट स्टेशन पर टिकटघर और प्रतीक्षालय, सिंहपुर रोड पर प्रतीक्षालय न होने के कारण यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां,तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान। पर्वतीपुरम में विद्यमान टिकटघर और प्रतीक्षालय और सिंहपुर मे प्रतीक्षालय की सुविधाएं आजकल पर्याप्त समझी जाती हैं।

(ख) फिर भी रेलवे पर्वतीपुरम में विद्यमान प्रतीक्षालय बढ़ाने का विचार कर रही है।

नौपाद गुनुपुर (दक्षिण पूर्व) रेलवे लाइन पर वार्षिक आय

†१३६८. **श्री उलाका** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौपाद और गुनुपुर के बीच दक्षिण-पूर्व रेलवे की छोटी लाइन से, मार्च १९६२ में राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद, भाड़ा और किराया से कितनी आर्थिक आय हुई ;

(ख) उपरोक्त काल में उक्त लाइन पर कितने यात्री और सामान ले जाया गया ; और

(ग) उक्त रेलवे लाइन पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ग). जानकारी तत्काल प्राप्त नहीं है। यह रेलवे से मांगी गई है और प्राप्त होते ही पटल पर रख दी जायेगी।

ब्रह्मा (कानपुर) रेलवे स्टेशन

१३६९. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि ब्रह्मा स्टेशन जो कानपुर-बालामऊ रेलवे लाइन (उत्तर रेलवे) पर हाल्ट स्टेशन था, १९४० मे उक्त लाइन के टूट जाने के बाद जब यह फिर बिछा कर चालू की गई यह स्टेशन न तो हाल्ट स्टेशन रहा और न वहां फ्लैग स्टेशन स्थापित किया गया ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान स्थानीय लोगों ने समय-समय पर इस ओर दिलाया है कि वहां के यात्रियों की असुविधा दूर करने के लिये ब्रह्मा स्टेशन फिर चालू किया जाये ;

(ग) क्या सरकार यहां निकट भविष्य में पुनः स्टेशन खोलेगी ; और

(घ) क्या सरकार इस रेलवे लाइन पर जो पहले हाल्ट स्टेशन थे उन्हें पुनः किसी रूप मे चालू करने का इरादा रखती है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) से (ग). १९५४ मे इस लाइन के फिर से चालू होने के तुरन्त बाद और फिर १९५९ मे सफ़ीपुर और माखी स्टेशनों के बीच बाबा हाल्ट खोलने के लिए प्रतिवेदन मिले जिन पर विचार किया गया। लेकिन पर्याप्त औचित्य के अभाव में प्रस्ताव माना न जा सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सूचना मंगाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारत-नार्वे परियोजना का विस्तार

†१३७०. **श्री जे० क० कुमारन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नार्वे परियोजना को केरल राज्य के अन्य भागों में लागू करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ग्र० म० थामस) :** (क) हां।

(ख) परियोजना का कार्य पहले केरल राज्य के तीन दाकारा और कोचीन क्षेत्रों तक ही सीमित था। पहले कन्नूर में कार्य आरम्भ करने का विचार है। अभी तक यह निश्चित नहीं हुआ है कि परियोजना अन्य किन क्षेत्रों में लागू की जायेगी ?

डाक तथा तार परीक्षायें

†१३७१. **श्री बूटा सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग डाकघर के निरीक्षकों और रेलवे डाक सेवा के निरीक्षकों की परीक्षाओं में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किये हुये अंक भुगतान करने पर देता है ; और

(ख) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग की भांति सारे उम्मीदवारों को निःशुल्क अंक न देने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) हां, श्रीमान।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग साधारणतया परीक्षा में शामिल होने के लिए फीस लेता है परन्तु निरीक्षक परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती।

डाकघरों के नगर निरीक्षक तथा रेडियो लाइसेंस निरीक्षक

†१३७२. **श्री बूटा सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकघरों के नगर निरीक्षकों और रेडियो लाइसेंस निरीक्षकों की श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिए कोई संरक्षण नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष १९५७ में इन श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए संरक्षण था ;

(ग) यदि हां, तो संरक्षण हटाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उपरोक्त श्रेणियों में संरक्षण पुनः लागू करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं ।

(ग) नगर निरीक्षकों और रेडियो लाइसेन्स निरीक्षकों के पद क्लार्क पदाली के हैं और उन पर विशेष वेतन मिलता है । इन पदों के लिए नियुक्ति को पदोन्नति नहीं कहा जा सकता । अतः इन पदों पर संरक्षण आदेशों को लागू करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाक तथा तार विभाग की वार्षिक रिपोर्ट

†१३७३. **श्री बूटा सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग वार्षिक रिपोर्ट में विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या शामिल नहीं करता ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त संख्या शामिल न करने के क्या कारण है ; और

(ग) वार्षिक रिपोर्टों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या शामिल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) हां ।

(ख) और (ग). भविष्य में वार्षिक रिपोर्टों में यह जानकारी शामिल करने का विचार है ।

कोटा को अजमेर और भोपाल से मिलाना

†१३७४. **श्री ब्रज राज सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा को रेल द्वारा अजमेर और भोपाल से मिलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कार्यवाही कर रही है और काम कितनी जल्द आरम्भ होगा ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार अन्दरूनी क्षेत्रों को रेल द्वारा मिलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ; और

(घ) क्या कोटा को देश के अन्य भागों से मिलाने के लिए अन्य रेलवे लाइनें विचाराधीन हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कोटा और भोपाल पहिले से ही बरास्ता बीना और नागदा हो कर दो बड़ी लाइनों द्वारा पहिले से ही मिला हुआ है । अजमेर और कोटा छोटी लाइन से बरास्ता अजमेर-फुलेरा-जयपुर-सवाई माधोपुर और बड़ी लाइन द्वारा बरास्ता सवाई माधोपुर-कोटा मिला हुआ है । तीसरी योजना में नई लाइनों के लिए उपबन्ध था की दृष्टि से कोटा और भोपाल के बीच या कोटा और बीना के बीच कोई और लाइन बनाने की निकट भविष्य में संभावना नहीं है ।

(ग) नहीं ।

---

†[ ] में

पार्वतीपुरम् नगर रेलवे स्टेशन

†१३७५. **श्री सत्य नारायण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पार्वतीपुरम् नगर रेलवे स्टेशन को फ्लेग स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब पूरा होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) हां ।

(ख) आशा है कि निर्माण कार्य अक्तूबर तक समाप्त हो जायेगा और फ्लैग स्टेशन दिसम्बर, १९६२ तक खुल जायेगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वन विकास

†१३७६. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वन का विस्तार और पेड़ों का विकास करन के लिए एक पन्द्रह वर्षीय योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की मांग और विद्यमान उपलब्धि में बहुत अन्तर का ध्यान रखकर यह आवश्यक समझा गया है कि जल्द बढ़ने वाले पेड़ों को लगाने का प्रोग्राम तत्काल आरम्भ किया जाये । यह प्रोग्राम राज्य के वन विभाग के पेड़ लगाने के सामान्य प्रोग्राम के अतिरिक्त होगा । इस परियोजना का उद्देश्य अगले १५ वर्षों में प्रतिवर्ष एक लाख एकड़ ज़मीन में पेड़ लगाने का है । तीसरी योजना में इसके लिए केन्द्र द्वारा आरम्भ किये गये कार्य के रूप में २७५ लाख रु० की व्यवस्था की गई है । यह राशि राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में दी जायेगी और इसकी दर में लगाये गये पेड़ों के क्षेत्र पर सामान्य रूप में अधिक से अधिक २००० रु० प्रति एकड़ होगी ? तीसरी योजना के पहिले वर्ष में पौदे लगाने का काम जमाने के लिए पौदा वाटिका बनाने और अन्य प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करने के लिए विभिन्न राज्यों को ८.३१ लाख रु० दिय गये हैं । दूसरे वर्ष (१९६२–६३) में अभी तक प्रशासन को दृष्टि से ५१,६९,७०० रू० स्वीकार हुए हैं ।

दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

†१३७७. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में दिल्ली में एक एक्सचेंज की इमारत का विस्तार करने की योजनायें स्वीकार की हैं ताकि उसमें अन्य लाइनें भी रखी जा सकें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि करौल बाग एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाई जायेगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) हां :

(ख) हां ।

(ग) विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जोरबाग एक्सचेंज की इमारत :

टेलीफोन एक्सचेंज यंत्र की ९००० अतिरिक्त लाइनों के लिए विद्यमान इमारत के विस्तार की योजनाओं तथा व्यय के अनुमान १,३३,००० रु० की अनुमानित लागत पर स्वीकार किये गये हैं । यह विस्तार विद्यमान इमारत की एक और मंजिल बनाकर होगा ।

करौल बाग एक्सचेंज की इमारत :

करौल बाग एक्सचेंज की इमारत को पश्चिम की ओर बढ़ाने की योजनायें और प्राक्कलन १,०१,६०० रु० की लागत पर स्वीकार हुए हैं । इस इमारत का विस्तार पूरा होने पर, इसमें स्वचालित एक्सचेंज यंत्र की २,००० लाइनें और आ सकेंगी ।

८,००० लाइनों की व्यवस्था करन के लिए करौल बाग एक्सचेंज की इमारत को पूर्व की ओर बढ़ाने का भी प्रस्ताव है । इस कार्य की प्रारम्भिक योजनायें स्वीकार हो गई है ।

विशाखापटनम् बन्दरगाह

†**१३७८. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम बन्दरगाह पर जमीन की पुनः प्राप्ति की योजना को लागू करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). विशाखापटनम बन्दरगाह पर जमीन की पुनः प्राप्ति का काम तो बन्दरगाह के आरम्भ से ही निरन्तर कार्य है । सूखी गोदी और पोर्टलैण्ड पार्क जैसे कुछ स्थानों को छोड़कर सारा बन्दरगाह, पुनः प्राप्त की गई जमीन पर बना है । इसमें मेंगनीज के ढेर क्वे बर्थ्स, मशासी कार्यालय, रहने का स्थान, नौका घाट, सामान घाट, मार्शलिंग यार्ड और इस्पात के ढेर, दि हिन्दुस्तान शिपयार्ड, नौसेना संस्थान, आदि शामिल हैं ।

२. जमीन की पुनः प्राप्ति १९३१-३२ में आरम्भ हुई थी और अभी चल रही है तथा काफी समय तक चलती रहेगी । अब तक, ६९० एकड़ भूमि प्राप्त हुई है ।

३. बन्दरगाह की बाहरी धार से निकाली गई मिट्टी, जो कि पहिले काफी दूर समुद्र में डाली जाती थी, अब ड्रेजरों के दायरों से नल द्वारा बेसिन में डाली जाती है । यह बेसिन नार्थर्न आर्म में नीचे घाट बनने से बनता है और वहां से यह मिट्टी वहां डाली जाती है जहां पुनः प्राप्ति की आवश्कता होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

४. निम्न पुनः प्राप्ति के कार्य आरम्भ कर दिये गये हैं या करने का विचार है :—

	(रु० लाखो में)	वर्तमान अवस्था
(१) बलास्ट ट्रेनों द्वारा मिट्टी हटा कर और श्रमिक विश्रामगृह बनाने के लिए दलदली जमीन को भर कर ५.७० एकड़ जमीन की पुनः प्राप्ति ।	०.६	कार्य हो रहा है ।
(२) पश्चिम अयस्क गोदी तथा ईस्ट कार्गो गोदी में मानोलिथ्स खोदने से मिलने वाली मिट्टी फैला कर ५० एकड़ भूमि की पुनः प्राप्ति । ये गोदियां अतिरिक्त गोदी योजना के अन्तर्गत बन रही हैं ।	२.००	कार्य हो रहा है ।
(३) उत्तरी बेसिन को खोदकर ५५ एकड़ भूमि पुनः प्राप्त करना । खुदाई कार्य अतिरिक्त गोदी योजना के एक अंग के रूप में हो रहा है ।	२.४०	वर्ष १९६३–६४ में कार्य आरम्भ करने का विचार है ।

रासायनिक उर्वरकों का सम्भरण

†१३७९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग द्वारा खाद्य तथा कृषि संगठन के महा-निदेशक को आसान किस्तो पर रासायनिक उर्वरक के संभरण का सुझाव स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार को कोई उर्वरक मिली है; और

(ग) इस आसान शर्त के अधीन उर्वरक के मूल्य में क्या अन्तर है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) भारत सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि खाद्य तथा कृषि के महानिदेशक ने एशिया और सुदूर-पूर्व के देशो को आसान किस्तो पर रासायनिक उर्वरक के संभरण के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग का सुझाव स्वीकार किया है या नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण

†१३८०. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के उस सम्मेलन में, जिसकी बैठक हाल ही में नई दिल्ली में इस बारे में विचार करने के लिए हुई थी कि भारत के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उनकी सहायता

†मूल अंग्रेजी में

में किस दिशा में सुधार किया जा सकता है या अधिक सक्रिय रूप से उसका उपयोग किया जा सकता है, किन प्रमुख विषयों पर विचार किया गया;

(ख) क्या सिफारिशें की गयीं और क्या निर्णय किय गये; और

(ग) क्या सम्मेलन के निर्णयों के परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य कार्यक्रम की कोई विशेष शाखा स्थापित की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणो की सहायता से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिये बुलाया गया । कोई विशिष्ट सिफारिशें करने की अपेक्षा यह स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने के लिये था ।

एक विवरण संलग्न है जिसमें विचार किये गये विषयों और व्यक्त किये गये विचारो के बारे में बतलाया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—१२५/६२]**

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिजली का जीना

१३८१. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामकृष्ण रेड्डी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिजली के चलते-फिरते जीने की जो व्यवस्था की गयी थी उस पर मूल्य, यातायात और लगाने में कितना व्यय पड़ा था;

(ख) इस जीने के लगाने का क्या प्रयोजन था और यह प्रयोजन कहां तक पूरा हुआ है;

(ग) इस का उपयोग यात्री कहां तक करते हैं;

(घ) यह कितनी बार खराब हुआ;

(ङ) उसके क्या कारण थे; और

(च) क्या इसे खोल कर इसके निर्माता कारखाने को वापस भेजने का कोई विचार है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) एस्केलेटर उत्तर रेलवे के कारखानों में बनाया गया था । इसको तैयार करने और लगाने में लगभग १,५०,००० रुपये की लागत आयी ।

(ख) एस्केलेटर परीक्षण के लिए बनाया गया था । सका उद्देश्य यह था कि देश में इसका खाका तैयार करने और इसके निर्माण की क्षमता विकसित की जाये, ताकि इससे जो अनुभव हो उसके आधार पर दूसरे बड़े स्टेशनों पर भी यह सुविधा की जा सके । इस उद्देश्य में यहां तक सफलता मिली है कि परीक्षण के लिए एस्केलेटर बनाना सम्भव हो गया है ।

(ग) चूंकि इस देश में एस्केलेटर का खाका बनाने और उसके निर्माण का यह पहला परीक्षण था, इसलिए इसे ऐसी जगह पर लगाना उचित समझा गया जहां कम गाड़ियां आती हों ताकि इसके

†मूल अंग्रेजी में

बिगड़ जाने पर यात्रियों को यथा-संभव कम से कम असुविधा हो। इसलिए यात्रियों द्वारा इसका इस्तेमाल सीमित रूप से किया जा रहा है।

(घ) एस्केलेटर १४-४-१९६१ को लगाया गया था और उसी दिन से इस्तेमाल में आने लगा है। शुरू में सितम्बर, १९६१ तक एस्केलेटर सामान्य रूप से चालू रहा और इस अवधि में तीन बार दो-दो दिन तक बन्द रहा। नवम्बर, १९६१ से मार्च, १९६२ के अन्त तक एस्केलेटर २८ दिन, अर्थात् नवम्बर और जनवरी में एक-एक सप्ताह, फरवरी में १२ दिन और मार्च में २ दिन बन्द रहा।

(ङ) एस्केलेटर खास तौर पर अनुरक्षण, देख-भाल और कुछ घिसे हुए पुर्जों के बदलाव के लिए बन्द रहा।

(च) जी नहीं चूंकि एस्केलेटर परीक्षण के लिए लगाया गया है और अभी यह देखना है कि यह कितना उपयोगी सिद्ध होता है, इसलिए इसको हटाने का सवाल नहीं उठता। इसके कुछ पुर्जों के लिए देश में उपयुक्त सामान तैयार करने में कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां आयीं, लेकिन आशा है कि ये कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और परीक्षण यथा-शीघ्र सफल होगा।

केरल में देशान्तरगामी पक्षी

†१३८२. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में देशान्तरगामी पक्षियों द्वारा संक्रामक रोगों के कीटाणु फैलाने के बारे में कोई जांच की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार से केरल में देशान्तरगामी पक्षियों द्वारा संक्रामक रोगों के कीटाणु फैलाने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और इसलिये कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

'रोटरी विंग' विमान[1]

†१३८३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'रोटरी विंग' विमान के, जिसकी २ अप्रैल, १९६२ से पटियाला हवाई अड्डे से १०० मील प्रति घंटा की रफ्तार पर, १३,००० फुट की ऊंचाई पर और सामान्य प्रकार के मोटरगाड़ी पेट्रोल के २७ मील प्रति गैलन के हिसाब से परीक्षण उड़ान की गयी थी, निर्माण के बारे में पता है; और

(ख) यदि हां, तो विमान का क्या ब्योरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rotary Wing Aircraft

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** (क) और (ख). यह सच है कि ७२ हार्स पावर की शक्ति वाले इंजन वाला, जिसमें केवल १ चालक के बैठने का स्थान था एक आटोगीरो प्रकार का विमान २ अप्रैल, १९६२ को पटियाला से उड़ा था। यह विमान शौकीनी है--जो इस समय जमीन से केवल १० फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने के लिये बनाया गया है। प्रश्न के भाग (क) मे जो आंकड़े दिये गये हैं वह इस समय डिजाइन के केवल अनुमान-मात्र हैं।

नालियां और खड़ंजे

१३८४. श्री बाल्मीकी : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार अप्रैल, १९६२ तक ग्रामो में खड़ंजे तथा नाली बनाने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत कम हरिजन बस्तियों को इस प्रयोजन के लिये लिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस अधिनियम को दूर करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब०सू० मूर्त्ति): (क) सितम्बर, १९६१ तक जो नालियां बनाई गईं उनके बारे में आंकड़े संलग्न विवरण में हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६५]** खड़ंजो के बारे में आंकड़े अलग से नहीं रखे गये हैं। सितम्बर, १९६१ से अप्रैल, १९६२ के दौरान में हुई प्रगति की जानकारी भी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) व (ग). खंड हरिजन कालोनियों के बारे में अलग हिसाब नहीं रखते हैं, किन्तु उन्हें जारी किये गये अनुदेशो में इस बात पर बार-बार बल दिया गया है कि खंड की निधि में से खर्च करते समय हरिजन तथा कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

आवास तथा कृषि श्रमिक

†**१३८५. श्री बाल्मीकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकान बनाने के लिये कृषि श्रमिकों का ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भूमि के कितने प्लाट आवंटित किये गये;

(ख) इस कार्य के लिये किस राज्य में अधिकतम भूमि आवंटित की गयी; और

(ग) मकान बनाने के लिये और क्या सहायता दी गयी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी।

उत्तर रेलवे में हरिजनों के लिये प्रविधिक पद

१३८६. श्री बाल्मीकी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में अभी बहुत से ऐसे प्रविधिक पद हैं जो हरिजनों के लिये रक्षित हैं और खाली पड़े हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनको भरने के क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ग) अप्रेल, १९६२ तक १, २, ३ और ४ श्रेणी के कितने पद खाली थे और उनकी किस प्रकार पूर्ति की जा रही है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :(क) तीसरे दर्जे के कुछ पद खाली पड़े हैं ।

(ख) खाली जगहों को भरने के लिए समय-समय पर विज्ञापन निकाले जाते हैं ।

(ग) तीसरे दर्जे के तकनीकी कोटि के ५१ पद अभी खाली हैं । इनके लिए डिग्री या डिप्लोमा की अर्हता रखी गयी है । समाचार–पत्रों में समय–समय पर विज्ञापन दिये जाते हैं, तिस पर भी अपेक्षित अर्हता वाले अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार नहीं मिलते । इन पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति पाने का प्रयत्न जारी है ।

उच्च रक्त चाप

†**१३८७. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्राजील के एक अत्तार ने एक औषधि का पता लगाया है जिसके बारे में उसने दावा किया है कि यह उच्च रक्त चाप के रोग को ठीक करने के लिये अब तक की सबसे अधिक शक्ति शाली औषधि है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह औषधि भारत में लाभदायक होगी ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). ब्राजील के अत्तार द्वारा पता लगाई गई औषधि 'ब्रेजिलिनीना' के बारे में अभी प्रयोग किया जा रहा हैं और इस लिये अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह औषधि भारत में लाभदायक रहेगी या नहीं ।

पुलिस द्वारा बिना टिकट यात्रा को बढ़ावा

१३८८. श्री प० ला० दारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में चलने वाले पुलिसमैन यात्रियों से सांठगांठ करके बिना टिकट सफर कराते हैं और उन से आधा या पौना किराया ले कर रेलवे कर्मचारियों से मिल कर उन को स्टेशन के दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं ; और

(ख) क्या रेलवे मंत्रालय स्वयं अपनी पुलिस (आर० पी० एफ०) नहीं रख सकता है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :(क) कुछ ऐसे मामले नोटिस में आये हैं जिनमें रेलवे पुलिस के सिपाही यात्रियों को बिना टिकट ले जाते हुए पाये गये हैं । लेकिन पुलिस के साथ रेल–कर्मचारियों की सांठ–गांठ का कोई सबूत नहीं मिला है ।

(ख) रेलवे पुलिस की जगह रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को विधानतः नहीं रखा जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डी० एस० कार्यालय, बीकानेर द्वारा नियोजित अनुसूचित जाति के कर्मचारी

१३८९. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन के डी० एस० कार्यालय द्वारा गत वर्ष चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी थी ; और

(ख) उक्त कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के कितने सदस्य हैं और उसमें बीकानेर डिवीजन में रहने वाले कितने हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) २०३.

(ख) १० । सभी बीकानेर डिवीज़न के रहने वाले हैं ।

मनीपुर को दुग्ध-चूर्ण का सम्भरण

†१३९०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ मे मनीपुर को कितने दुग्ध चूर्ण का आवंटन किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि यह आवंटिन दुग्ध चूर्ण इम्फाल और चूडाचान्दपुर में एपेक्स को-आपरेटिव सोसायटीज़ द्वारा उठाया गया ;

(ग) यदि हां, ता कलकत्ता से इम्फाल तक ुग्ध चूर्ण लाने में समितियों को कितना व्यय करना पड़ा ; और

(ध) यह दुग्ध चूर्ण किस प्रकार बेचा गया है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) वर्ष १९६१-६२ में खाद्य तथा कृषि मत्रालय द्वारा मनीपुर को सार्वजनिक बिक्री के लिये कुल ५० मीटरिक टन दुग्ध चूर्ण का आवंटन किया गया। इसके अतिरिक्त, रेड क्रास और यूनिसेफ़ द्वारा २१.०७६ टन दुग्ध चूर्ण धर्मार्थ दिया गया।

(क) सार्वजनिक बिक्री के लिये आवंटित इस ५० टन में से २५ टन मनीपुर एपेक्स को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, इम्फाल द्वारा उठाया गया और बाकी २५ टन ट्राइबल कल्याण प्रायमरी को-आपरेटिव मारकेटिंग सोसायटी लिमिटेड, चूडाचान्दपुर द्वारा उठाया गया ।

(ग) मनीपुर एपेक्स मारकेटिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, इम्फाल और ट्राइबल कल्याण प्रायमरी मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, चूडाचान्दपुर द्वारा, प्रत्येक द्वारा २५ टन दुग्ध चूर्ण कलकत्ता से इम्फाल ले जाने पर कलकत्ता में ढुलाई शुल्क, रेलवे भाड़ा, संभालने का शुल्क, दीमापुर से इम्फाल तक मोटर भाड़ा और कलकत्ता भेजे गये समितियों के पदाधिकारियों का यात्रा व्यय के रूप में, क्रमशः ७०२९.५२ रुपये और ६८६७.७५ रुपये व्यय किये गये । इसमें दुग्ध चूर्ण का मूल्य शामिल नहीं है जो २५ मीटरिक टन के लिये ३७,४९२ रुपये है ।

(घ) ये समितियां दुग्ध चूर्ण को मनीपुर प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर अथवा, ५६ पौंड के प्रति बोरे के लिये५० रुपये और १ रुपये पौंड के हिसाब से उपभोक्ताओं को और व्यापारियों को थोक और खुदरा भाव पर बेचती हैं ।

रेड क्रास और यूनिसेफ़ द्वारा धर्मार्थ दिया गया दुग्ध चूर्ण प्रसूति एवं शिशु कल्याण और लोक स्वास्थ्य केन्द्रों, सम्बन्ध संस्थाओं, स्कूलों आदि द्वारा निःशुल्क वितरित किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण

†१३९१. **श्री यलमन्दा रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में तृतीय योजना काल के अधीन मंजूर की गयी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का क्या ब्योरा है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन): तृतीय योजना-काल के अभी तक कोई बाढ़-नियंत्रण योजना स्वीकार नहीं की गयी है ।

डाक कर्मचारियों के काम के घण्टे

†१३९२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीग्राफ वर्कशाप के मैनेजर, कन्ट्रोलर आफ टेलीग्राफ स्टोर्स एण्ड अकाउन्ट्स आफिसर, टेलीग्राफ स्टोर्स एण्ड वर्कशाप्स, कलकत्ता के अधीन नियमित संस्थान कर्मचारियों के काम के घंटे प्रशासनीक कार्यालय कर्मचारियों के काम के घंटे के समान हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें मानने के बाद नियमित संस्थानों के काम के घंटे बढ़ा कर ४५ क्यों कर दिये गये हैं जब की प्रशासनीक कार्यालय के कर्मचारियों को केवल ३७$^{१}/_{२}$ घंटे काम करना पड़ता है, और

(ग) क्या तनख्वाह में भी आनुपातिक वृद्धि कर दी गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी,हां ।

(ख) द्वितीय वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि संस्थानों में जहां औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी एक साथ काम करते हैं, गैर-औद्योगिक कर्मचारी भी, जब कि उनका काम ऐसा हो कि औद्योगिक कर्मचारियों के शुल्क कुशल कार्यकरण में उनका वहां उपस्थित रहना आवश्यक हो, तो औद्योगिक कर्मचारियों की तरह ही काम के घंटे अपनायें । सरकार ने यह सिफारिश मान ली है । तदनुसार इन संस्थानों में नियमित कर्मचारियों के काम के घंटों को औद्योगिक कर्मचारियों के बराबर कर दिया गया । तब से वे आदेश अग्रेतर विचार के लिये आस्थगित कर दिया गये हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे सेवा आयोग

†१३९३. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलव सेवा आयोग पृथक यूनिट हैं जिसका ज़ोनल रेलले पद्धति से कोई सम्बन्ध नहीं है ; और

(ख) सेवा आयोग के कर्मचारी किस तरीके से और कहां से लाये जाते हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रेलवे सेवा आयोग के कर्मचारी रेलवे प्रशासन से, जिनकी भर्ती भी सम्बन्धित आयोग द्वारा की जाती है, लिये जाते हैं। ये कर्मचारी सामान्यतः ३ वर्ष के लिये स्थानान्तरण पर आयोग को दिये जाते हैं। यह अवधि समाप्त होने पर उनके स्थान पर रेलवे के नये कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं।

सहायक श्रम कल्याण निरीक्षण और सतर्कता निरीक्षक

†१३९४. **श्री नम्बियार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में सहायक श्रम कल्याण निरीक्षकों (असिस्टेंट लेबर वेलफैयर इन्सपेक्टर) और सतर्कता निरीक्षकों (विजिलेंस इन्सपेक्टर) के चयन की क्या कसौटी हैं; और

(ख) वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता परीक्षा के आधार पर अन्य श्रेणियों के मामलों की तरह इनको न चुनने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) २०५-२८० (ए एस) के वेतन-स्तर में असीस्टेंट लेबर वैलफैयर इन्सपेक्टर के पद, पिछली दो निम्न श्रेणी में विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं इच्छुक व्यक्तियों में से, यदि वे प्रत्येक रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम रेलवे सेवा पूरी कर चुके हों, चुनाव करके भरे जाते हैं। ऐसे अभ्यार्थियों के लिये समाज कल्याण-कार्य में रूचि और प्रशासनिक नियमों का उचित ज्ञान होना जरूरी है। विजिलेंस इन्सपेक्टर के पद सम्बन्धित जनरल मैनेजर द्वारा विशेष चयन के आधार पर भरे जाते हैं।

(ख) विजिलेंस इन्सपेक्टर के पद के लिये सम्बन्धित कर्मचारियों को देखभाल के काम के प्रति प्ररित होना चाहिए ओर वे जांच करने में अच्छे हों ओर उनका आचारण ठीक हो ओर उनकी आवश्यकता वरिष्टता-एवं -उपयुक्ताता के आधार पर कर्मचारियों को पदोन्नत करके पूरी नहीं की जा सकती।

हवाई अड्डे

†१३९५. **श्री कोया :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में सरकार कितने हवाई अड्डे बनायेगी;

(ख) क्या सरकार को पश्चिम तट (वेस्ट कोस्ट) के लोगों और व्यापारियों की कठिनाई ओर दुख का पता है क्यों कि कालीकट में कोई हवाई अड्डा नहीं है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कालीकट में एक हवाई अड्डा बनायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ग). तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में नये हवाई अडँडे बनाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। इस कार्य के लिये योजना में ८५ लाख रुपये की व्यवस्था है।

(ख) कोज़िकोड (कालीकट) में हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव की सरकार ने जांच की थी परन्तु यह पता लगा कि कालीकट में, समीप ही अर्थात् कोचीन में और कोयम्बटूर में दो हवाई अड्डे होने के कारण, परिवहन की संभावता पर्यापति नहीं है और इसलिये यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया। पश्चिम तट (वेस्ट कोस्ट) की बम्बई, बेलगांव, दबोलिम (गोआ), मंगलौर, कोचीन और त्रिवेन्द्रम में हवाई अड्डे से सेवा की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा

†१३९६. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, जो वर्ष १९६१-६२ में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये है, क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) विभिन्न रेलवे ज़ोन में बिना टिकट यात्रा करत हुए कितने सरकारी कर्मचारी पकड़े गये और उनमें से कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध उसी प्रकार कार्यवाही की जाती हैं जिस प्रकार बिना टिकट यात्रा करते हुए अन्य यात्रियों के विरुद्ध की जाती है। इसके अतिरिक्त, उनकी शनाख्त होने पर उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये सम्बन्धित विभागों को एक रिपोर्ट भेज दी जाती है ।

(ख) रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये सरकारी कर्मचारियों के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

तीर्थ स्थानों के लिये रेलवे टिकट पर अधिभार[1]

†१३९७. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीर्थ स्थानों के लिये रेलवे टिकटों पर अधिभार के इकट्ठा करने के शुल्क में कमी कर दी गयी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे टिकटों पर अधिभार में हाल में ही वृद्धि की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय म उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी, नहीं । १-१०-१९५५ से पूर्व भारतीय रेलवे में शुल्क इकट्ठा करने की दर में कोई समानता नहीं थी । १-१०-१९५५ से इकट्ठा करने के लिये ३ प्रतिशत की समान दर निर्धारित कर दी गयी। यह रेलवद्वारा इकट्ठा करने पर किये गये व्यय को पूरा करने के लिये निर्धारित की गयी । इकट्ठा करने के व्यय में वृद्धि होने के कारण इसको १-१-१९६० से ३.५ प्रतिशत कर दिया गया । इस प्रकार मंजूरी में वृद्धि हो गयी ।

(ख) जी, हां । कुछ मामलों में ।

(ग) अधिक संख्या में यात्रियों के आने पर सुविधाओं जैसे स्वच्छता, चिकित्सा, पानी आदि की कुशलतापूर्वक व्यवस्था के लिये अपेक्षित अधिक निधि के कारण सम्बन्धित राज्य सरकारों अथवा अन्य निकायों से प्राप्त अभ्यावेदनों के फलस्वरूप अधिभार की दर में वृद्धि की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में चिकित्सालय

†१३९८. **श्री दशरथ देव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिपुरा में ऐसे कुल कितने चिकित्सालय हैं जिनमें अर्हता-प्राप्त डाक्टर नहीं हैं, और

(ख) त्रिपुरा में अस्पतालों और चिकित्सालयों के लिये अर्हता-प्राप्त डाकटर प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नय्यर)** : (क) अठारह।

(ख) अर्हता-प्राप्त डाक्टरों की कमी मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में है, त्रिपुरा में संचार के कठिन साधन, सुविधाओं की कमी और रहने का उच्च-स्तर मुख्य कारण है जिससे अर्हता-प्राप्त डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने से घबराते हैं। तथापि इस कठिनाई को दूर करने के लिये प्रशासन और त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद्—दोनों—द्वारा भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। बाहर से अधिक संख्या में अर्हता-प्राप्त डाक्टरों को प्रेरित करने के लिये त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उनको बिना प्रैक्टिस का भत्ता देने का अनुदान देने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। डाक्टरों की कमी कों कम करने के लिये अधिवार्षिकी प्राप्त डाक्टरों को, जब तक स्थिति सुधरती नहीं है, पुन: रोजगार पर नियुक्त किया जाता है। केन्द्रीय लोक-सेवा आयोग द्वारा अर्हता-प्राप्त मेडिकल स्नातकों द्वारा भी पदों को भरने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कुएं और नल कूप

†१३९९. **श्री दशरथ देव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितने गांव हैं,

(ख) पीने के जल की व्यवस्था के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कितने कूएं और नल कूप लगाये गये हैं;

(ग) १९६२–६३ में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कूए और नल कूप लगाये जायेंगे ;

(घ) क्या अधिक कूओं और नल कूपों की आवश्यकता अनुभव की गई है; और

(ङ) उन की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** :

(क) ३६२६

(ख) (१) नल कूप १२२६
चिने गये कूएं २५१
(३) आर सी० सी० कूएं २३६
(४) अंशत: प्लास्टर वाले कएं १३८

(ग) (१) नल कूप २७०
(२) आर सी० सी० कूएं ४०

(घ) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) १९६३–६४, १९६४–६५ और १९६५–६६ में स्थानीय विभाग निर्माण कार्य क्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल संभरण योजना के लिये प्रति वर्ष ३ लाख रुपये के हिसाब से खर्च किये जाने का विचार है।

नये मेडिकल कालेज

†१४००. **श्री लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३ मई, १९६२ के अतांराकित प्रश्न संख्या ५५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये चिकित्सा स्नातकों की कितनी कमी है; और

(ख) नये मेडिकल कालेज स्थापित करने की कसौटी क्या है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक डाक्टरों की प्रत्याशित कमी १५००० होगी।

(ख) नये डाक्टरी कालेजों की स्थापना की कसौटी मोटे तौर पर है:

(१) राज्य के अन्दर सेवित होने वाली जन संख्या—विद्यार्थी संख्या अनुपात और डाक्टर संख्या अनुपात। स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति ने कहा है कि चौथी योजना अवधि के अन्त तक प्रत्येक ३०००/३५०० जन संख्या के लिये एक डाक्टर रखने का उद्देश्य सुरक्षित लक्ष्य होगा।

(२) वर्तमान सुविधाओं, अर्थात इमारतें, उपकरण आदि की नये डाक्टरी कालेज खोलने के लिये उपलब्धि।

(३) आरम्भ किये जाने वाले कालेज से सम्बध होने वाले हस्पताल या हस्पतालों में उपलब्ध सुविधायें।

(४) राज्य के अन्दर कालेज चलाने के लिये अपेक्षित अध्यापन कर्मचारी और अन्य कर्मचारी।

(५) धन की उपलब्धि ; और

(६) जहां कहीं आवश्यक और संभव हो, पिछड़े हुए तथा अर्ध विकसित क्षेत्रों के लिये अधिमान।

केरल में छोटे पत्तन

†१४०१. **श्री० अ० क० गोपालन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल के किन छोटे पत्तनों के लिये धन आंवटित किया गया ; और

(ख) प्रत्येक पत्तन के लिये कितना धन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर).** (क) और (ख) : केरल में निम्न छोटी पत्तनों के विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्न व्यवस्था की गई है :–

क्रमांक	पत्तन का नाम	उपबंध (लाख रुपयों में)
१.	नींडा कारक	१११.६५
२.	बेपोर	१०.००
३.	कोजीकोड	१०.००
४.	आत्रीकाल	२.००
५.	टेल्लीचेरी	०.५०
६.	अल्लघी	१.५०
७.	सामान्य	२०.००
	(बीच के तथा छोटे पत्तनों की सफाई के लिये ड्रेजर	
	योग	१५५.६५

टिड्डी दल का आक्रमण

†**१४०२. श्री विश्वनाथ राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में देश को टिड्डी दल के भारी आक्रमण का डर है; और

(ख) यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में फसलों को उस आक्रमण से बचाने के लिये कोई कार्रवाई करने का विचार किया है?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम सुभग सिंह :** (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार केवल अनुसूचित मरुस्थल में टिड्डी दल के सर्वेक्षण और नियंत्रण कार्यों के लिये उत्तरदायी है। अनुसूचित मरुस्थल राजस्थान, गुजरात और पंजाब के मरुस्थलों के ८०,००० वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। अनुसूचित मरुभूमि के बाहर, टिड्डी दल के नियंत्रण का उत्तर दायित्व संबंध राज्य सरकार पर होता है, किन्तु केन्द्रीय सरकार अपेक्षित प्रविधिक और सामान संबंधी सहायता अपने योधा संरक्षण निदेशालय के द्वारा देती है जहां कहीं उससे वैसी सहायता मांगी जाए।

भारत सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर टिड्डी दल के आक्रमण का मुकाबला करने के लिये निम्न कार्य किये हैं :

(१) टिड्डी दल के आक्रमणों के शिकार होने वाले राज्यों को, जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल हैं, सावधान कर दिया गया है और उनको आने वाले टिड्डी दल के आक्रमण का मुकाबला करने के लिये किये जाने वाले कामों के बारे में सलाह दे दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) भारत में तथा पड़ोसी देशों में टिड्डी दल संबंधी सूचना, पूर्व सूचना समेत, राज्यों को समय समय पर दी जाती है ।

(३) भारत सरकार का स्थायी टिड्डी दल चतावनी संगठन जो अनुसूचित मरुस्थल में काम करता है, देश में अन्य राज्यों में टिड्डी दल के फैलाव को रोकन के लिये, उस को मजबूत बनाया गया है; और

(४) टिड्डी दल का मुकाबला करने के लिये चार जहाजों की एक हवाई टुकड़ी विद्यमान है। राज्यों को जहाज दिये जाते हैं जब कभी उनको जरुरत होती है और वे मांगते हैं।

घाटे में चलने वाली रेलवे लाइनें

†१४०३. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि मीटर गेज और नैरो गेज की कुछ रेलवे लाइने घाटे में चल रही हैं; और

(ख) यदि हां तो घाटे को रोकने के लिये क्या कार्य किये गये हैं या करने का विचार किया गया है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

संभवतया प्रश्न का भाग (क) विशेषतया मीटर गेज रेलवे, जैसे उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, तथा दक्षिण रेलवे की मीटरगाज रेलवे के संबंध में है तथा मध्यपूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के नैरो तथा मीटर गाज के संबंध में नहीं हैं ।

पूर्वोतर तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे नुकसान में हैं जैसा की १९६२–६३ के आय व्ययक मदों के साथ परिचालित १९६२–६३ के लिये व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुपूरक परिशिष्ट पुस्तिका के परिशिष्ट ७ में जोनल रेलवे के कार्यवहन के वित्तीय परिणामों में देखा जा सकता है। परन्तु यह स्पष करना आवश्यक है की बड़ी लाइन की तुलना में मीटर गाज और नैरो गाज लाइनों के कार्यवहन मितव्ययी न होने के अतिरिक्त हानियों का पता लगाने के और कारण है जैसे जिन स्थानों में से रेल गुजरती है उन स्थानों में औद्योगिक विकास न होना भी है क्योंकि इस कारण यात्री यातायात आदि कम हो जाता है ।

स्थिति सुधारने के लिये चालन आदि में सुधार करके प्रयत्न करने के अतिरिक्त व्यय पर भी नियंत्रण रखा जाता है। १९६२–६३ के आय व्ययक पत्रों के साथ परिचालित 'समीक्षा' के पृष्ठ १०० तथा १०१ में इन कार्यों से जो लाभ हुए हैं वह बताये गये है।

झांसी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय

†१४०४. **श्री अ० त्रि० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार झांसीके आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को पिछले कई वर्षों में वित्तीय सहायता दे रही थी और उसने अब वह बन्द कर दी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों में कितनी राशि दी गई थी; और

(ग) इस समय वित्तीय सहायता बन्द करने के क्या काम हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों पर, १९५२–५३ से १९५५–५६ के वर्षों में झांसी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को ४०,००० रुपये की राशि दी गई थी ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिक सहायता देने की सिफारिश नहीं की ।

भूमि परिरक्षण

†**१४०५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रसिद्ध प्राकृतिक सौन्दर्य के क्षेत्रों के परिरक्षण के मामले में क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख). प्रसिद्ध प्राकृतिक सौंदर्य वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय पार्क, शिकार गाहें, पर्वतीय स्थान, पर्वतों के दृश्य, ऐतिहासिक स्मारक, जल प्रपात तथा अन्य बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं। इनमें, खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय का केवल राष्ट्रीय पार्कों और शिकारगाहों से सम्बन्ध होता है । जहां तक इनका सम्बन्ध है, ८ देश में ८३ राष्ट्रीय पार्क और शिकारगाहें हैं जिनका परिरक्षण राज्य सरकारों का दायित्व होता है, उनके विकास के लिये सम्बद्ध राज्य की विकास योजनाओं में धन की व्यवस्था होती है । केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय पार्क और शिकारगाहों की स्थापना के लिये परियोजनाओं की अनावर्त्ती लागत के ५० प्रतिशत तक दी जा सकती है ।

मनीपुर में टीक की उपज

†**१४०६. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में कितने एकड़ भूमि में टीक पैदा होता है ;

(ख) १९५९ से १९६१ तक की अवधि में टीक की कितनी लकड़ी काटी गई ;

(ग) सरकार को टीक निकालने से कितनी आय हुई; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना में टीक निकालने और बोने का क्या कार्यक्रम है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) लगभग ७२,००० एकड़ ।

(ख) ४५०९७ घन फुट ।

(ग) ७३०५७ रुपये ।

(घ) टीक इमारती लकड़ी निकालने का कार्यक्रम २०,००० घन फुट वार्षिक है और टीक बोने का प्रतिवर्ष लगभग २०० एकड़ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में भूमि परिरक्षण

†१४०७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में भूमि परिरक्षण की क्या योजनाएं और कार्यक्रम हैं ;

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी प्रगति की गई है ; और

(ग) विस्तार तथा गहनीकरण की योजनाएं और कार्यक्रम क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख) तीसरी योजना अवधि में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत, मनीपुर में भूमि परिरक्षण की योजनायें और व्यय इस प्रकार रहा है :

योजना में व्यवस्था	योजना का कार्य
०.५० लाख रुपये	. कृषि क्षेत्र में बदलती खेती सम्बन्धी अनुसन्धान के लिये एक उपकेन्द्र की स्थापना ।
२५.०० लाख रुपये	. आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन आग्रिम जाति क्षेत्रों में भूमि परिरक्षण योजनाएं ।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रगति इस प्रकार थी—

योजना उपबन्ध	वास्तविक व्यय	किया गया कार्य
	कृषि क्षेत्र	
१.२२ लाख रुपये	. ०.१४ लाख रुपये (पहले दो वर्षों में) १९५८-५९ में योजना, वन विकास योजनाओं के साथ मिला दी गई थी ।	मांग्रो मोरान राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, इम्फाल में भूमि परिरक्षण सम्बन्धी उपाय ।
१४.०० लाख रुपये	. १३.२४ लाख रुपये	. कृषि प्रदर्शनी एवं प्रयोगनात्मक फार्म, नूंगा, टिनमोना फुंग्यार और चपकी कारोंग में स्थापित किये गये थे । २३८०० एकड़ में आदिम जातीय किसानों ने चबूतरे बनाये ।

नामेंगलोंग आदि में बासों का उपयोग

†१४०८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामेंगलोंग, गिरिवाय और चूड़यापुर क्षेत्रों के बड़े भाग में बांस हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बांस का उपयोग करने के लिये सरकार की कोई योजनाएं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे योजनाएं क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय नहीं क्योंकि बांस कच्चे होने के कारण, औद्योगिक कामों के लिये उपयुक्त नहीं होते। तथापि आदिम जाति के लोग उनको उपयोग में लाते हैं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

रेलवे प्रविधिक प्रशिक्षण स्कूल समिति

†१४०९. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रविधिक प्रशिक्षण स्कूल समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा पूर्णतया जांच की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सब सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) सभी सिफारिशों की अभी तक जांच नहीं की गई।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होते।

बम्बई के डाक व तार कर्मचारियों की मुअत्तिली

†१४१०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बम्बई डाक व तार बड़े डाकखाने के बहुत से कर्मचारी पिछले पांच वर्षों में एक वर्ष से अधिक समय तक मुअत्तिल रहे ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुअत्तिल करने के आदेशों का आधार डाक व तार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को हिदायतें थीं ;

(ग) उनमें से कितने मामलों में उनके विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप उनको नौकरी से बर्खास्त होना पड़ा ; और

(घ) शेष मामलों में क्या दण्ड दिये गये ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) बम्बई बड़े डाकघर के आठ कर्मचारी पिछले पांच वर्षों में एक वर्ष से अधिक समय तक मुअत्तिल रहे।

(ख) जी नहीं।

(ग) तीन।

(घ) शेष पांच में से दिये गये दण्डों का सम्बन्ध तीन मामलों में ९०० रुपये की वसूली और दो वर्ष के लिये वार्षिक वृद्धि रोकना, ६५१ रुपये की वसूली तथा कुछ वापिस हुए, वेतन में दो क्रम नीचे कर देना, एक वर्ष के लिये वेतन में दो क्रम की कमी करना है। दो मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई चल रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली का चिड़िया घर

†१४११. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(घ) क्या दिल्ली के चिड़िया घर में कुछ दुर्लभ पशु प्रविष्ट किये गये हैं ; और

(ख) विश्व के विभिन्न भागों से ऐसे अधिक पशुओं को प्राप्त करने के बारे में अग्रेतर प्रस्थापना क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]**

लखुपुर में रेलवे स्टेशन

†१४१२. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री गोपाल दत्त :
बख्शी अब्दुल रशीद :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माधोपुर (पंजाब) से कठुआ (जम्मू और काश्मीर) तक जो नयी रेलवे लाइन बढ़ायी जा रही है उस पर लखुपुर में एक नये रेलवे स्टेशन की मंजूरी के लिये लखुपुर क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर) के लोगों ने कोई अभ्यावेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके इस अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) शायद माननीय सदस्य लखनपुर के बारे में निर्देश कर रहे हैं। यदि ऐसा हो तो उत्तर नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जम्मू और काश्मीर राज्य में सहकारी संस्थाओं के लिए अनुदान

†१४१३. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री गोपाल दत्त :
बख्शी अब्दुल रशीद :

क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य में सहकारी संस्थाएं बढ़ाने के लिये भारत के रिजर्व बैंक ने जम्मू और काश्मीर सरकार को कर्ज दिया है ;

(ख) यदि हां तो कुल कितना ; और

(ग) किन शर्तों पर यह कर्ज दिया गया है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र):** (क) और (ख) जी हां। भारत के रिजर्व बैंक ने जम्मू और काश्मीर राज्य की सहकारी ऋण संस्थाओं

†मूल अंग्रेजी में

की हिस्सा पूंजी में अंशदान देने के लिये १९५७–५८ से १९६०–६१ की अवधि में जम्मू और काश्मीर सरकार को १३.६९ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया है।

(ग) राज्य सरकार को दिये गये ऋण की शर्तें इस प्रकार हैं :—

(१) सामान्यतया प्रत्येक ऋण केवल १२ वर्ष की अवधि के लिये होगा; केवल अपवादात्मक कारणों से ही वह अधिक अवधि के लिये हो सकेगा।

(२) मूल धन बराबर-बराबर वार्षिक किश्तों में चुकाया जायगा और पहली किस्त तीन साल समाप्त होने के बाद देनी होगी।

(३) मार्च, १९६२ तक के लिये दिये गये ऋणों के लिये ब्याज की दरें इस प्रकार होंगी :—

१२ वर्ष के लिए

पहले २ वर्ष	कुछ नहीं
अगले ३ वर्ष	२ प्रतिशत
अगले ४ वर्ष	२।। प्रतिशत
अगले ३ वर्ष	३ प्रतिशत

अपवादात्मक मामलों के लिये

अगले २ वर्ष	३ प्रतिशत
१४वें वर्ष के बाद	३½ प्रतिशत

(४) जब एक सीमा मंजूर हो जाती है तब यह आशा की जाती है कि समय-समय पर रिजर्व बैंक के नाम से जारी किये गये वचन पत्रों से वर्ष के दौरान, जब और जैसी जरूरत उसके अनुसार, उस सीमा के अन्दर ऋण लिये जायेंगे। किसी वर्ष के लिए मंजूर की गयी सीमा को सारी रकम उस वर्ष के ३१ मार्च से पहले ले ली जानी चाहिए। अन्यथा उस तारीख को न ली गयी रकम डूब जायगी।

(५) इस सीमा के अधीन निकाली गयी प्रत्येक रकम ब्याज के हिसाब के लिए एक अलग ऋण के तौर पर समझी जायगी।

टेलीफोन के कनेक्शन

†१४१४. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री गोपाल दत्त :
बख्शी अब्दुल रशीद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य मे जम्मू और श्रीनगर के शहरों में नये टेलीफोनों की बड़ी जबर्दश्त मांग है; और

(ख) यदि हां, तो यह मांग पूरी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) **श्रीनगर** : मौजूदा १३०० लाइनों के एक्स्चेन्ज की जगह २००० लाइनों वाला एक स्वचालित एक्स्चेन्ज बनाने का विचार है । नये एकस्चेन्ज की इमारत बन रही है ।

जम्मु : मौजूदा १००० लाइनों में २०० लाइन जोड़ने का विचार है ।

राजस्थान में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

१४१५. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) यह सच है कि राजस्थान मे डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये रहने के लिये सरकार द्वारा कोई क्वार्टर नहीं बनाये गये जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) राजस्थान परिमंडल में विभिन्न स्थानों पर डाक तार कर्मचारियों के लिए २२४ क्वार्टरों की व्यवस्था की गई है ।

(ख) तथा (ग). नीचे दिए गए स्थानों पर १५१ क्वार्टर बनाने की योजनाओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है :—

अजमेर	६४ क्वार्टर
भरतपुर	१६ क्वार्टर
बीकानेर	१० क्वार्टर
जयपुर	४६ क्वार्टर
मारवाड़ जंकशन	१२ क्वार्टर

डाक-तार कर्मचारी

१४१६. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग के कर्मचारियों से डाक व तार विभाग के अतिरिक्त अन्य काम भी लिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें सेविंग सर्टिफिकेट और इनामी बांड, जीवन बीमा तथा रेडियो आदि के लाइसेंस भी बनाने पड़ते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अतिरिक्त कार्य करने पर उन्हें क्या भत्ता दिया जाता है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । सेविंग सर्टिफिकेट, इनामी बांड, जीवन-बीमा फार्म तथा रेडियो लाइसेंस बनाने का काम डाक कर्मचारियों के कर्तव्यों का एक आवश्यक अंग हैं । फिर भी यदि कर्मचारियों को दफ्तर के कार्य-समय के बाद काम करना पड़ता है तो उन्हें ऐसे कुछ कामों के करने पर पारिश्रमिक दिया जाता है जिनके लिए मौजूदा स्टाफ की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी जाती ।

(ग) उक्त सूचना इकट्ठी की जा रही है और समायानुसार सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में पशुधन का विकास

१४१७. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सबसे अधिक पशुधन कौन से जिले में हैं ; और

(ख) उसके विकास के लिये भारत सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

खाद्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) नागोर ।

(ख) भारत सरकार ने केवल मात्र इस जिले के पशुधन के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई है । फिर भी राजस्थान राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में पशु-पालन योजनाओं के लिये ४७१ लाख रुपयों का उपबन्ध है ।

रेलवे कर्मचारियों को उत्सव ऋण

†**१४१८. श्री नम्बियार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों को दिये गये उत्सव ऋणों की कटौती चार किस्तों के बजाय १२ किस्तों में करने के बारे में रेलवे मंत्रालय को प्रार्थनाएं प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रार्थनाओं पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) किस्तों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं ।

(ख) सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में इस प्रश्न पर विचार किया है और उसका निर्णय यह है कि किस्तों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता । रेलवे मंत्रालय इस निर्णय से सहमत है ।

मलनाड बोर्ड

†**१४१९. श्री अ० व० राघवन् :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैसूर, केरल और मद्रास राज्य के पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए मलनाड़ बोर्ड स्थापित करने का विचार है ?

†**खाद्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस):** मैसूर, केरल और मद्रास के मलनाड़ क्षेत्र का विकास करने के लिए कोई ऋण बोर्ड कायम करने की कोई योजना नहीं है । इस क्षेत्र की आवश्यकताओं पर संबंधित राज्य सरकारों को तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंग के रूप में विचार करना चाहिये था । राज्य सरकारों से ब्यौरे मांगे गये हैं और वे प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

सरकारी मजदूर संघ

†**१४२०. श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे प्रत्येक राज्य में कितने सहकारी मजदूर संघ या संस्थाएं काम कर रही हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन सहकारी मजदूर संगठनों को कोई बड़े ठेके दिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं ;

(घ) क्रमशः प्रत्येक काम के लिए कितनी रकम मंजूर की गयी हैं ; और

(ङ) क्या इन सहकारी मजदूर संगठनों को कोई वित्तीय ऋण, सहायता, अनुदान दिये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) से (ङ). राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है । वह जानकारी प्राप्त होते ही एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

खाद का उत्पादन

†१४२१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तैयार की गयी खाद की सप्लाई की स्थिति से किसानों द्वारा उनकी बढ़ती हुई मांग कहां तक पूरी होती है ;

(ख) इस वर्ष कितनी खाद, उसके मूल्य सहित, आयात करने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या खाद का आयात करते रहने की अपेक्षा उसके उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करने में धन लगाना लाभदायक है ; और

(घ) यदि हां, तो एक निश्चित तारीख तक आयात बन्द कर देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क)

प्लान्ट न्यूट्रिएन्ट	देशी सप्लाई से १९६२–६३ की मांग जिस हद तक पूरी होती है
नाइट्रोजन	३४ प्रतिशत
पी₂ ओ₅	१०० प्रतिशत
के₂ ओ	नगण्य

(ख) **नाइट्रोजन**	**टन में मात्रा**	**मूल्य करोड़ रुपयें में**
नाइट्रोजन	४,१७,०००	२५.६० (नाइट्रोजन तथा पी₂ ओ₅)
पी₂ ओ₅	*१०,०००	
के₂ ओ	**५४,०००	२.५०

†मूल अंग्रेजी में

*काम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के रूप में ।

**इस आयात की व्यवस्था भारत का राज्य व्यापार निगम करता है ।

(ग) और (घ). विदेशों से मंगायी गयी खाद का दाम साधारणतया देशी खादों से कम होता है। विदेशों से खाद मंगाने में काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। यह खर्च रोकने के लिए यह निश्चय किया गया है कि तीसरी योजना में नाइट्रोजनस और फास्फेटिक उर्वरकों की मांगें पूरी करने के लिए अतिरिक्त कारखाने स्थापित किये जायें। पी० ओ० के संबंध में उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ चुकी है कि मौजदा मांग पूरा हो जाये। नाइट्रोजेनस खाद तैयार करने के कारखानों में काफी अधिक पूंजी-खर्च होना है और कारखाना बनने में समय लगता है। इसलिए नाइट्रोजन खाद का आयात इस बीच के समय में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए जरूरी होगा। नये ढंग की खादों का आयात भी इसलिए जरूरी होगा कि देश में उनके उत्पादन से पहले किसानों को उनके प्रयोग से परिचित कराया जा सके और देश में तैयार होने पर उनकी तुरन्त बिक्री हो सके। अनुमान है कि चौथी योजना तक देश नाइट्रोजेनस खाद के संबंध में आत्मनिर्भर हो जायेगा।

पोटैसिक खाद की पूरी मांग आयात द्वारा ही पूरी की जाती है। पोटैश के उत्पादन के लिए कुछ अग्रिम परियोजनाओं पर विचार हो रहा है लेकिन वाणिज्यिक स्तर पर उससे उत्पादन प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा।

पाकिस्तान को रावी और व्यास का पानी देना

१४२२. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ अप्रैल, १९६२ से भारत की रावी और व्यास नदियों से जो पाकिस्तान को पानी जाता था वह बंद कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब इन नदियों का पानी कहां-कहां वितरण किया जायेगा ; और

(ग) इस में से राजस्थान को कितना पानी मिलेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) ११ अप्रैल, १९६२ से पाकिस्तान को रावी नदी से मिलने वाला पानी बंद कर दिया गया है। व्यास नदी से पानी देना बंद नहीं किया गया।

(ख) इस नदी का पानी जम्मू और काश्मीर और पंजाब में इस नदी के पास लगते इलाकों को दिया जा रहा है। रावी नदी का कुछ पानी, माधोपुर-व्यास नहर के जरिए, व्यास नहर में मिलाया जा रहा है।

व्यास नदी में से पाकिस्तान को जो पानी मिलता है, उसको छोड़, बाकी के पानी को और रावी नदी से व्यास में लाये गए पानी को हरिके और फिरोजपुर से निकलने वाली भारतीय नहरों में डाला जा रहा है ताकि इस पानी का उपयोग पंजाब और राजस्थान में हो।

(ग) प्राप्त जल-राशि को संबद्ध राज्य-सरकारें ही आपस में बांटती हैं। विभिन्न राज्यों में पानी की बांट भारत सरकार नहीं करती।

रेलवे बोर्ड में असिस्टेंटों की वरिष्ठता

†**१४२३. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के दफ्तर में कार्यकारी असिस्टैन्टों की वरिष्ठता के प्रश्न का अंतिम रूप से फैसला किया गया था और वह फैसला ७ नवम्बर, १९६० को अधिसूचित कर दिया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके आदेशों को कार्यान्वित करने में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) वह निर्णय किस तारीख तक पूरी तौर से कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा की श्रेणी ४ (असिस्टेन्ट्स) के प्रारंभिक निर्माण के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश किया गया था । आयोग से यह ज्ञात हुआ है कि इस मामले में उसकी राय शीघ्र ही सूचित कर दी जायगी ।

प्रारंभ में यह श्रेणी कायम किये जाने के बाद, १९६० का रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरीयल इस्टैब्लिशमेंट स्टाफ आफिस आर्डर संख्या १४ के उपबन्धों के अनुसार संधारण रिक्त स्थानों (मेन्टेनेन्स वैकेन्सीज) को भरने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

नारियल की खेती के लिए खाद

†**१४२४. श्री प० कुन्हन्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारियल की खेती के लिए सर्वोत्कृष्ट खाद का पता लगाने के उद्देश्य से अनुसन्धान करने के लिए भारत सरकार ने ५१,००० रुपये की रकम दी है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने यह रकम खर्च कर दी है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). केरल राज्य में नारियल की खेती करने वालों के बगीचों में खाद संबंधी प्रयोग करने की एक योजना जिस पर १,०२,४७० पये खर्च होने का अनुमान है, १ अप्रैल, १९६२ से चार वर्षों की अवधि के लिए मंजूर की गयी है। भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति ५०,५५० रुपये खर्च करेगी जो इस योजना के कुल आवर्तक व्यय का ५० प्रतिशत है।

प्रविधिक शिक्षा

†**१४२५. श्री प० कुन्हन्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिल्पिक शिक्षा पर कुल कितनी रकम खर्च की गयी ; और

(ख) वर्ग ४ और वर्ग ३ के कितने कर्मचारियों के बच्चों को उससे लाभ हुआ ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री स०वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

डाक तार मोटर सेवा अनुभाग, दिल्ली, में भ्रष्टाचार

†**१४२६. डा० मेलकोटे** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार मोटर सेवा अनुभाग, दिल्ली, में भ्रष्टाचार के संबंध में कर्मचारियों तथा नैशनल यूनियन आफ टेली-पोस्ट वर्कर्स से सरकार को शिकायतें मिली हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच पड़ताल की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उस जांच पड़ताल का क्या नतीजा निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्यम सिंचाई योजनाएं

†१४२७. **डा० क० ल० राव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मंझली सिंचाई परियोजनाओं का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी लगभग लागतों और लाभों सहित उनकी एक सूची सभा पटल पर रख दी जायेगी ; और

(ग) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं, उन परियोजनाओं पर कितनी रकम खर्च की गयी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी रकम की व्यवस्था की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) केन्द्रीय सरकार मंझली सिंचाई योजनाओं का कोई सर्वेक्षण नहीं करती जब तक कि कोई राज्य सरकार उसके लिए प्रार्थना न करे। राज्य सरकारें स्वत: ही सभी बड़ी और मंझली परियोजनाओं का सर्वेक्षण और खोजबीन करती है ।

(ख) प्रत्येक योजना की लगभग लागत और उसके साथ बताने वाली एक सूची संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—१२६/६२]

(ग) मंझली परियोजनाओं पर खर्च के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं । पहली और दूसरी योजना में बड़ी और मंझली सिंचाई परियोजनाओं पर कुल परिव्यय क्रमश: ३०० करोड़ और ३७० करोड़ रुपये हुआ । तीसरी योजना में मंझली सिंचाई परियोजनाओं के लिए १४० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

जी० टी० रोड पर हावड़ा के निकट होने वाली दुर्घटनायें

†१४२८. **श्री वीनेन भट्टाचार्य :**
डा० सारावीश राय :
श्री सरकार मुरमू :

क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जी० टी० रोड के हावड़ा से दुर्गापुर तक के भाग पर दुर्घटनाओं की संख्या बहुत बढ़ गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

केरल की नदियों के पानी का उपयोग

†१४२६. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने सिंचाई सुविधाएं देने के उद्देश्य से राज्य की नदियों के पानी के उपयोग के बारे में कोई मास्टर प्लैन प्रस्तुत किया था ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) इस बात को देखते हुए कि केरल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, क्या सरकार इस मामले को उच्चतम पूर्ववर्तिता प्रदान करेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जब राज्य सरकारों से विस्तृत योजनायें प्राप्त होती हैं तो उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित करने के उद्देश्य से उनकी मास्टर प्लैन को ध्यान में रखते हुए जांच की जाती है । मास्टर प्लैन में समाविष्ट सभी योजनाओं का कार्यान्वय १९९१ तक पूरा हो जायेगा । राज्य सरकारें अपने वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए योजनाओं की पूर्ववर्तिता निर्धारित करती हैं ।

डाक्टर

†१४३०. **श्रीमती विमला देवी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में कितने डाक्टर होंगे ;

(ख) जनसंख्या और डाक्टरों का वर्तमान अनुपात क्या है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वह कितना होगा ; और

(ग) क्या यह अनुपात तीसरी योजना के अन्त तक जो जनसंख्या होगी उसकी उचित चिकित्सा के लिये पर्याप्त होगा ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर):** (क) योजना आयोग का अनुमान है कि देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ८१,००० डाक्टर होंगे ।

(ख) अनुमान है कि इस समय ६००० लोगों के पीछे १ डाक्टर है । चूंकि डाक्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले लोगों के साथ-साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है अतः तीसरी योजना की समाप्ति तक यह अनुपात लगभग इतना ही रहने की संभावना है । योजनावधि में डाक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं वे चौथी और उसके बाद की योजनाओं में सफल होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पश्चिम के देशों में डाक्टर और जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए भारत में प्रति ६००० लोगों के पीछे १ डाक्टर का जो वर्तमान अनुपात है वह कम है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा आयोजना समिति की राय है कि चौथी योजना के अन्त तक प्रति ३०००/३५०० लोगों के लिये एक डाक्टर की व्यवस्था का लक्ष्य ऐसा है जो प्राप्त किया जा सकता है। समिति ने राय दी है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाये और डाक्टर शहरी क्षेत्रों में ज्यादा भीड़भाड़ न करें तो जनसंख्या के प्रायः सभी वर्गों की चिकित्सा का प्रबन्ध संभव हो सकता है ।

मेडिकल कालेज

†१४३१. **श्रीमती विमला देवी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के मेडिकल कालेजों के छात्र अधिक अच्छे डाक्टर बनें इसके लिये चुने हुए सर्वोत्तम छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में नकद पुरस्कार देने की कोई योजना है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** :देश में अधिक अच्छे डाक्टर हों इसके लिये स्नातकोत्तर चिकित्सा (जिसमें दन्त चिकित्सा शामिल है) शिक्षा की एक योजना केन्द्र-प्रवर्तित योजना के तौर पर शामिल की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ योग्यता के आधार पर चुने हुए छात्रों को २०० रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति देने का निम्नलिखित उपबन्ध किया गया है :—

(१) देश के मेडिकल कालेजों व अनुसन्धान संथाओं के, जिन विभागों का दर्जा बढ़ाया गया है उनमें भर्ती किये गये छात्र ।

(२) दिल्ली के सरकारी अस्पताल अर्थात् अर्विन, विलिंगडन तथा सफदरजंग और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज अस्पताल, नई दिल्ली तथा मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली, चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी अखिल भारतीय संस्था, नई दिल्ली और दि वल्लभभाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यट, दिल्ली में चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा, पैथालाजी, मिडवाइफ़ी, शरीर-विज्ञान, फिजियालाजी, फार्मेकोलाजी, जीवाणु-विज्ञान, बायो-केमिस्ट्री, क्षय रोग, अनीस्थिथिया और बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये भर्ती किये गये छात्र ।

(३) देश की चिकित्सा की विभिन्न संस्थाओं में स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा के लिये १ अप्रैल, १९६१ से ३०० अतिरिक्त छात्रवृत्तियां मंजर की गई हैं ।

२. छात्राओं को भी काउन्टेस आव डफरिन फन्ड से निम्नलिखित छात्रवृत्तियां दी जाती हैं :—

(१) स्नातकोत्तर चिकित्सा की छात्राओं को १५० रुपये प्रति मास १२ छात्रवृत्तियां ;

(२) स्नातक-पूर्व चिकित्सा की छात्राओं को ७५ रुपये प्रति मास की ७५ छात्रवृत्तियां । और

(३) शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अधीन योग्य चिकित्सा छात्रों को छात्रवृत्ति देने का उपबन्ध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) इसके अतिरिक्त देश में प्राय: सभी मेडिकल कालेजों में चुने हुए छात्रों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं ।

नागार्जुनसागर परियोजना

†१४३२. **श्री लक्ष्मण दास** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्यों में सामान्य वृद्धि के परिणामस्वरूप नागार्जुनसागर परियोजना के अनुमित व्यय में बहुत वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यय में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुनसागर परियोजना का संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार योजना व्यय में मूल्यों की वृद्धि के कारण ही नहीं अपितु परियोजना के आकार में परिवर्तन के कारण भी वृद्धि हुई है ।

(ख) संशोधित प्राक्कलन १३९.५३ करोड़ रुपये है जब कि वर्तमान स्वीकृत अनुमित व्यय ९१.१२ करोड़ रुपये है । इस प्रकार व्यय में ४८.४१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ।

रेलवे कर्मचारियों की सहकारी मकान निर्माण समितियां

†१४३३. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के विभिन्न महाखण्डों में इस समय रेलवे कर्मचारियों की कितनी सहकारी मकान निर्माण समितियां काम कर रही हैं ;

(ख) क्या ये समितियां अपने सदस्यों को मकान बनाने के लिये ऋण देने के अतिरिक्त और भी कोई काम करती हैं ;

(ग) इन समितियों की कुल पूंजी कितनी है ;

(घ) क्या सरकार ने इन समितियों को कोई अंशदान किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) कुल ११ ।

मध्य १, उत्तर १, उत्तर-पूर्व १, दक्षिण ५, दक्षिण-पूर्व १, पश्चिम २ ।

(ख) जी, हां । ऋण देने के अतिरिक्त कुछ समितियां जमीन अर्जित करके अपने सदस्यों की ओर से उन पर मकान भी बनवाती हैं ।

(ग) ११,१०,७४५ रु० ।

(घ) रेलवे ने समितियों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र

†१४३४. **श्री दशरथ देव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के किसी राजनीतिक दल या दलों ने हाल में अगरतला नगरपालिका वार्ड के प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र को एक-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर):** (क) जी, हां । त्रिपुरा प्रशासन को हाल में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन प्रस्ताव की जांच कर रहा है ।

धर्मनगर (त्रिपुरा) में सहकारी खेती

†१४३५. **श्री दशरथ देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतसंघ सहकारी समिति, धर्मनगर (त्रिपुरा) को सहकारी खेती के लिये बजई-छेरा और उजान मसमरा क्षेत्र में जमीन का कोई पट्टा दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वह जमीन (प्लाट) कहां स्थित है और उसका रकबा कितना है ;

(ग) क्या जमीन के अधिकार के बारे में सहकारी समिति के दो सदस्यों और स्थानीय किसानों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हुआ है ; और

(घ) ऐसे विवाद हल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**खाद्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में जूरी नदी पर पुल

†१४३६. **श्री दशरथ देव :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलथुई बाजार, धर्मनगर, त्रिपुरा में जूरी नदी पर पुल बनाने के लिये अब तक कोई कदम उठाया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में कार्यवाही कब की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) :** (क) इस नदी पर लकड़ी के एक अर्द्ध-स्थायी पुल के निर्माण के लिये, जिस पर अनुमानतः १२,५०० रुपये खर्च होंगे, मंजूरी दे दी गई है और त्रिपुरा की क्षेत्रीय परिषद् का इंजीनियरिंग विभाग अभी टेन्डरों की जांच कर रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में बाढ़ नियन्त्रण

†१४३७. **श्री दशरथ देव :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के कैलासहर सब-डिवीजन में खमबिल में बाढ़ नियंत्रण कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस कार्य पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अलगेशन):** (क) कैलासहर सब-डिवीजन में खमबिल नामक कोई कार्य नहीं है। किन्तु, कैलासहर में खोवरा बील नाली योजना का कार्य जारी है ।

(ख) और (ग). खोबरा बील नाली योजना के दो चरण हैं। पहले चरण में नाली के मार्ग की खुदाई की जायेगी जिस पर २,१२,००० रुपये खर्च होने का अनुमान है। त्रिपुरा प्रशासन ने यह काम लगभग पूरा कर लिया है। अब कुछ पुलिया और किनारों को ऊंचा करने का काम शेष रह गया है। योजना के दूसरे चरण में एक बन्ध तथा पानी की निकासी के लिये द्वार (sluice gate) बनाया जायेगा और योजना के इस चरण की जांच की जा रही है । यदि ये निर्माण-कार्य मितव्ययी साबित हुए तो वे शुरू किये जायेंगे ।

भारतीय भूमि की उर्वरता

†१४३८. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूमि में (१) नाइट्रोजन, (२) फास्फोरस और (३) पोटैश के अभाव का क्या प्रतिशत है ; और

(ख) भारतीय भूमि की उर्वरता बढ़ा कर उसे अन्य देशों की भूमि के समकक्ष लाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) भारतीय भूमि में (१) नाइट्रोजन, (२) फास्फोरस और (३) पोटैस के अभाव का प्रतिशत बताना कठिन है क्योंकि प्रत्येक फसल के लिये इन पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न होती है। भारतीय भूमि में ये पोषक तत्व किस मात्रा में होने चाहिये यह तय करके उनके अभाव का प्रतिशत मालूम करना भी कठिन है ।

किन्तु देश की भूसर्वेक्षण प्रयोगशालाओं से उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि (१) जांच किये गये मिट्टी के ८० प्रतिशत से अधिक नमूनों में नाइट्रोजन का अभाव पाया गया, (२) ६० से लेकर ७५ प्रतिशत नमूनों में फास्फोरस का अभाव था और (३) २५ से लेकर ३० प्रतिशत नमूनों में पाटैश का अभाव था ।

(ख) भारतीय भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं

(१) मिट्टी के परीक्षणों तथा उर्वरकों के प्रयोग के आधार पर उर्वरक कितनी मात्रा में डाला जाये इस बात की सिफारिश की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) देश के विभिन्न भागों में उर्वरक प्रदर्शन योजना के अधीन प्रति वर्ष एक लाख उर्वरक प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं ।

(३) तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक १९६५–६६ में उर्वरकों के संभरण में निम्नलिखित वृद्धि करने की योजना है :—

नाइट्रोजन (एन)—१० लाख टन

फास्फोरस ($पी_2 ओ_5$)—४ लाख टन

पोटैश ($के_2 ओ$)—२ लाख टन

(४) तीसरी योजनावधि में ४१० लाख एकड़ जमीन में हरी खाद डालने की योजना है ।

(५) आशा है कि तीसरी योजनावधि में ११० लाख एकड़ जमीन में भूपरिरक्षण कार्य किये जायेंगे ।

मिश्र खाद का उपयोग बढ़ाने के अतिरिक्त उपरोक्त उपायों से भारतीय भूमि की उर्वरता बढ़ायी जायेगी ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के मैडिकल अफसरों को सवारी भत्ता

१४३९. श्री राम सेवक यादव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत काम करने वाले मेडिकल अफसरों को पीछे १-१०-६१ से कोई सवारी भत्ता (कन्वेंयस अलाउन्स) नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वित्त मंत्रालय से उनका यह सवारी भत्ता दिय जाने के आदेश निकल चुके हैं ;

(ग) यदि हां, तो यह आदेश कब निकला था ;

(घ) अब तक यह भत्ता उन लागों को क्यों नहीं दिया जा सका है ; और

(ङ) कब तक इसके मिलने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). २४ मई, १९६१ को वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले सामान्य आदेश निकाले हैं ।

(घ) और (ङ). वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को १ अक्टूबर, १९६१ से सवारी-भत्ता तभी दिया जा सकता है जब कि इन आदेशों के अनुसार उसका पुनर्विलोकन और पुनर्निर्धारण हो जाय । अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन काम करने वाले मेडिकल अफसरों को मिलने वाले सवारी भत्ते की दरों का पुनर्विलोकन हो चुका है और २८-३-१९६२ को संशोधित आदेश जारी कर दिये गये हैं । ए० जी० सी० आर० से आवश्यक अनुमति-पत्र मिलने पर सम्बन्धित मेडिकल अफसरों को संशोधित दरों पर सवारी भत्ता दे दिया जायेगा ।

उत्तर रेलवे में मडौली पर हाल्ट स्टेशन

१४४०. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे स्थित मैथा तथा रूरा रेलवे स्टेशनों के मध्य "मड़ौली" में एक हाल्ट स्टेशन खोलने के बारे में क्या कोई आवेदन-पत्र जनता तथा विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). मैथा और रूरा स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में उत्तर रेलवे जांच कर रही है।

धौरसलार पर फ्लैग स्टेशन

१४४१. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **रेलवे** मंत्री २५ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे स्थित उनीपुरा तथा बिल्हौर स्टेशनों के मध्य "धौरसलार" स्थान पर एक वर्ष के लिये ठेके पर स्टेशन की स्वीकृति हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशन कब से चालू होने की आशा है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). आशा है कि निर्माण-कार्य जून, १९६२ के अंत तक पूरा हो जायेगा। उसके बाद हाल्ट यात्री-यातायात के लिये खोल दिया जायेगा ।

दिल्ली से हिसार तक डीजल ट्रेन बन्द होना

१४४२. श्री युद्धवीर सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली (सरायरोहिल्ला) स्टेशन से हिसार तक जाने वाली डीजल गाड़ी क्यों बन्द हो गयी है ; और

(ख) क्या दिल्ली से सादूलपुर जाने वाली डीजल गाड़ी को हिसार के मार्ग से चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) १-१०-६१ से पहले डीज़ल रेल-कारें दिल्ली सराय-रोहिल्ला और हिसार के बीच चलायी जाती थी। १–१०–६१ से रेवाड़ी और हिसार के बीच इनका चलना इन कारणों से बन्द कर दिया गया है :

(१) रेवाड़ी से आगे सवारियां की कमी ; और

(२) शकूरबस्ती डीज़ल शेड में अनुरक्षण के लिये अपर्याप्त समय। उसी तारीख से ये डीज़ल रेल-कारें सदर बाज़ार और रेवाड़ी के बीच चल रही हैं।

(ख) जी नहीं ।

कम्बोडिया की मेकांग योजना

†१४४३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कम्बोड़िया की मेकांग योजना के लिये भारतीय सहायता के तौर पर कितने प्रविधिज्ञ और इंजीनियर भेजे जा रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अलगेशन)** : केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के तीन अधिकारी अब तक कम्बोड़िया भेजे जा चुके हैं तथा दो और निकट भविष्य में भेजे जाने की संभावना है ।

खनिजस्रोत और स्वास्थ्यवर्धक स्थान

†१४४४. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में कितने खनिज स्रोत और स्वास्थ्य वर्धक स्थान प्रयोग में हैं और ये कहां कहां हैं ;

(ख) क्या ऐसे और स्थानों को विकसित करने की कोई योजना है;

(ग) क्या सरकार का इन का लाभ कम आय वाले व्यक्तियों तक पहुंचाने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** :(क) एक विवरण जिस में भारत के प्रमुख खानिज चश्में और उनके चिकित्सीय गुण आदि बताये गये है पटल पर रखा जाता है। तथापि इन गुणों की वैज्ञानिक रूप से जांच नहीं की गई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६७]**

(ख) से (घ). रूसी विशेषज्ञों ने जिन्होंने १९५५ में भारत का दौरा किया था, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में स्थित लगभग एक दर्जन चश्मों को विकसित करने की सिफारिश की थी। सोहना चश्मा (पंजाब), राजगीर (बिहार) और शस्त्रधारा (उत्तर प्रदेश) को विकसित करने के प्रश्न पर सम्बन्धित राज्य सरकारें विचार कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार भी मामले पर विचार कर रही है।

दिल्ली में पानी का सम्भरण

†१४४५. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग १०० लाख गैलन पानी दिल्ली में प्रतिदिन ज़ाय हो जाता और

(ख) क्या सरकार ने इसे रोकने के लिये कोई कार्यवाही सोची है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) जी हां। अनुमान है कि १०० गैलन पानी प्रतिदिन पाइपों के बहने, नलों को अनावश्यक तौर पर खुला रखने और दुरुपयोग के कारण ज़ाय हो जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिल्ली नगर निगम इसे रोकने के लिये निम्न कार्यवाही कर रही है ;

(१) नये नल बहुत कम खोले जा रहे हैं और पुराने नलों को यथासम्भव बन्द किया जा रहा है ।

(२) वाशर मुफ्त लगाने की सेवा शुरू की गई है और बहते हुए नलों की मुफ्त मुरम्मत की जा रही है ;

(३) सभी नलों के लिये यथासम्भव शीघ्र मीटर लगा दिये जायेंगे । इससे पानी का दुरुपयोग कम हो जायेगा ।

केरल में समुद्र द्वारा कटाव को रोकने की कार्यवाही

†१४४६. **श्री अ० ब० राघवन् :**
श्री प० कुन्हन् :
श्री म० क० कुमारन् :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि राज्य में समुद्र द्वारा कटाव को रोकने का काम अमरीकी ऋण निधियों में से लिये अनुदानों के द्वारा किया जाये ।

(ख) क्या यह सच है कि केरल सरकार अपने सीमित साधनों से यह समस्या हल नहीं कर सकती ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि समस्या कितनी बड़ी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस आवर्तक खतरे को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) आवश्यक प्रविधिक सहायता और ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता राज्य सरकार को दी जा रही है । राज्य सरकार को अपनी योजनाओं का व्यय पूरा करने के लिये तीसरी योजना में ऋण देने के लिए ३६० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ?

ग्वालियर और कानपुर के बीच पुल

†१४४७. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या ग्वालियर और कानपुर के बीच दो पुल बनाने की मंजूरी के लिये कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) प्रस्ताव पर विचार किस अवस्था में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य का निर्देश भिण्ड और इटावा को मिलाने वाली सड़क पर चम्बल और यमुना नदियों पर बनाये जाने वाले पुलों की ओर है। इनके बनाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश की ओर से आया था और यह मामला उसने केन्द्रीय प्रादेशिक परिषद् में भी उठाया था। परिषद् की सिफारिश पर, भारत सरकार ने अक्तूबर, १९६० में प्रस्तावित पुलों के कुल अनुमानित व्यय (११० लाख रुपये) का एक तिहाई खर्च पूरा करने की लिये ३७ लाख रुपये का सहायतानुदान दिया था। शेष रकम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा अपने साधनों से, जिसमें केन्द्रीय सड़क निधि के निम्न आवंटन भी सम्मिलित हैं :

(१) यमुना पुल परियोजना का २/३ व्यय पूरा उत्तर प्रदेश उठायेगा।

(२) चम्बल पुल परियोजना का २/३ व्यय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें बराबर बराबर उठायेंगी।

उक्त प्रकार से व्यय करने के प्रस्ताव के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

धुवरन तापीय सन्यन्त्र

†**१४४८. श्री पु० र० पटेल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने धुवरन तापीय सन्यन्त्र की क्षमता दुगनी करने के लिये अभ्यावेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) १९६५ में गुजरात की बिजली की आवश्यकता कितनी होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्राप्त होने पर केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग प्रस्ताव की जांच करेगा।

(ग) केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार ४१५·३ मैगवाट।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण

†**१४४९. श्री ह० च० सौय** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिये आरक्षण के होते हुए भी चौथी, तीसरी और दूसरी श्रेणी के पदों के लिये अभी बहुत सी रिक्तियां भरी जानी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे मन्त्रालय यह वांछनीय समझता है कि प्रत्येक रेलवे एक सलाहकार समिति स्थापित करे ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की भरती काफी सन्तोषजनक है। कमी केवल कुछ प्रविधिक श्रेणियों

†मूल अंग्रेजी में

में है, उन पदोन्नति रिक्तियों को भरने में कमी पूरी की जानी है, जिनमें पद आरक्षित हाल में किये गये हैं। आरक्षित कोटा तभी पूरा हो सकता है जब इन जातियों के उम्मीदवार अनुभव प्राप्त करके पदोन्नति के योग्य हो सकें ?

(ख) नहीं ।

रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये नियम

†१४५०. **श्री याज्ञिक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों को सेवा की वरिष्ठता के अनुसार ऊंचे पदों पर पदोन्नति के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कौन से निदेशक नियम निर्धारित किये गये हैं;

(ख) वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिन के अन्तर्गत ऊंचे पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए नियमों में अपवाद किया जा सकता है; और

(ग) अनुसूचित जाति और आदिम जातियों के सदस्यों की सेवा में वरिष्ठ व्यक्तियों को छोड़ कर ऊंचे पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए क्या कोई विशेष नियम हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) गैर-गजेटिड रेलवे कर्मचारियों को ऊंचे पदों पर पदोन्नति के आधार हैं---चुनाव और बिना चुनाव । चुनाव वाले पदों पर उन कर्मचारियों में से जो इस के योग्य हैं उन में से चुनाव बोर्डों की सहायता से चुनाव के क्रियात्मक कार्य द्वारा भरती की जाती है और बिना चुनाव वाले पदों की पूर्ति वरिष्ठतम उपयुक्त रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा की जाती है, उपयुक्तता का निर्धारण सेवा के रेकार्ड और/अथवा आवश्यकता हो तो विभागीय परीक्षाओं के आधार पर किया जाता है ।

(ख) ऊंचे पदों पर सीधी भरती समुचित योग्यता-प्राप्त युवा व्यक्तियों में से की जाती है ताकि गैर-गजेटिड सेवाओं में कुशलता का युक्तियुक्त स्तर बना रहे और बाद में इन व्यक्तियों को सामान्य दौर में गजेटिड पदों पर पदोन्नति की जा सके । अनेक विभिन्न श्रेणियों मे इस प्रयोजन के लिए अलग कोटा निर्धारित है ।

(ग) चुनाव वाले पदों के इस मामले में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए रिक्त स्थानों का उतना ही प्रतिशत सुरक्षित है जितना सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये ।

रेलवे के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण के बारे में नियम

†१४५१. **श्री याज्ञिक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलवे कर्मचारियों को अपने खंड में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त तथा स्थानांतरित करने के लिए नियम निर्धारित किये हैं;

(ख) क्या नियमों में यह व्यवस्था है कि उन्हें अपनी भाषा के क्षेत्र में काम करने की विशेष सुविधाएं दी जायें, ताकि उनके बच्चे आसानी से पढ़ सकें; और

(ग) इन नियमों को किन हालतों में लागू नहीं किया जाता ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) से (ग). रेलवे बोर्ड ने इस प्रयोजन के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किये, किन्तु गैर-गजेटिड रेलवे कर्मचारियों की इन

†मूल अंग्रेजी में

प्रार्थनाओं में कि उन्हें अपने पसन्द के क्षेत्रों में नियुक्त किया जाये सहानुभूति से विचार किया जाता है और जहां तक हो सके उन्हें मान लिया जाता है।

स्टेशनों पर भोजन व्यवस्था ठेकेदारों सम्बन्धी नियम

†१४५२. **श्री याज्ञिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने विभिन्न स्टेशनों के लिए भोजन व्यवस्था ठेकेदारों के चुनाव के लिए कोई निदेशात्मक नियम निर्धारित किये हैं;

(ख) क्या साधारणतया यह विभिन्न रेलों का कर्तव्य है कि वह समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर टेंडर बुलायें और फिर सब से अधिक बोली देने वाले का ठेका दें; और

(ग) ये नियम किन हालतों में लागू नहीं किये जाते ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). वर्तमान आदेशों के अनुसार रेलवे प्रशासनों के लिए जरूरी है कि वे समाचारपत्रों द्वारा या स्टेशनों पर नोटिस लगा कर भोजन व्यवस्था के ठेकों के लिए आवेदन पत्र मंगवायें । संस्थापन चलाने की लाइसेंस फीस प्रशासन द्वारा पहले से निश्चित कर दी जाती है । आवेदनों पर विचार कर के सब से अधिक उपयुक्त व्यक्ति को ठेके दे दिये जाते हैं । टेंडर बुलाने और सब से अधिक बोली देने वाले उम्मेदवार को ठेका देने की प्रक्रिया चालू नहीं है ।

लमडिंग-बदरपुर पहाड़ी विभाग में रुकावट

†१४५३. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर सीमान्त रेलवे में लमडिंग–बदरपुर पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे संचार में रुकावट के कारण दक्षिण आसाम और त्रिपुरा के लोगों को सदा कठिनाई रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसको दूर करने के लिए क्या पग उठाने का विचार है; और

(ग) सरकार धर्मनगर–त्रिपुरा लाइन कब पूरी करेगी ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में यातायात की वर्तमान कठिनाइयां दूर करने और यातायात की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, लमडिंग–बदरपुर विभाग में मालगाड़ियों को डीज़ल इंजनों द्वारा चलाने का विचार है । इसके अतिरिक्त ९ नये क्रासिंग स्टेशन खोले जायेंगे और २ स्टेशनों पर लूप बढ़ाये जायेंगे जिस से लाइन क्षमता दुगनी हो जायेगी, जो अब २ यात्री गाड़ियों और ४ माल गाड़ियों की है । अब प्रतिदिन ७३ डिब्बे भेजे जाते हैं, जबकि १९६१ में केवल ४७ भेजे जाते थे । अतिरिक्त क्रासिंग स्टेशन बनाये जाने से यह संख्या और भी बढ़ जायेगी । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में २१० डिब्बे रोज़ाना भेजे जा सकेंगे ।

(ग) कलकलीघाट–धर्मनगर रेलवे परियोजना अप्रैल, १९६३ तक पूरी हो जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

तेजपुर उत्तर लखीमपुर रेलवे लाइन

†१४५४. **श्री बसुमतारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह रेलवे लाइन जो तेजपुर उत्तर से लखीमपुर तक बनाई जा रही थी, वह पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो मीलों में कितना फासला है; और

(ग) लाइन पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) रंगीया–तेजपुर रेलवे लाइन पर रंगापाड़ा उत्तर स्टेशनों से मरकोंगसेलक तक उत्तर लखीमपुर के रास्ते एक नई मीटर गेज लाइन बनाई जा रही हैं । रंगापाड़ा उत्तर से धोलेबिल तक का भाग मार्च, १९६२ में यातायात के लिए खोल दिया गया है । धोलबिल से उत्तर लखीमपुर तक का भाग अप्रैल, १९६२ में भारी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है । यह जून ६२ में माल गाड़ियों के लिए खोल दिया जायेगा ।

(ख) रंगापाड़ा उत्तर से उत्तर लखीमपुर तक लाइन की लम्बाई लगभग १०७ मील है और उत्तर लखीमपुर से मरकोंगसेलक तक लगभग १०० मील है ।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

आसाम में उमियम बांध परियोजना

†१४५५. **श्री बसुमतारी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उमियम बांध (शिलांग) पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी बिजली संभरित की जायेगी और आसाम में किस क्षेत्र या ज़िले को दी जायेगी; और

(ग) क्या इस बांध को, उमतटु जल विद्युत् से जो कि पहले ही चालू है, जोड़ा जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) नहीं ।

(ख) उमयिम जल विद्युत् परियोजना अवस्था–१ में ३६ मेग वाट बिजली पैदा करेगी जो कि आसाम में के ऐंड जे पहाड़ियां और कामरूप को दी जायेगी ।

(ग) जी हां ।

कालपी के पास जमुना पर पुल

१४५६. **श्री ब्र० बी० मेहरोत्रा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालपी (उ० प्र०) के पास जमुना नदी पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक पुल बनाने का निश्चय हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। रेलवे विभाग कालपी के पास यमुना नदी के अपने पुल के गर्डर बदल रहा है और नये गर्डरों वाले पुल पर सड़क के लिए डेक बनाने का निर्णय किया गया है।

(ख) इस के लिए सेन्ट्रल रेलवे द्वारा खाके व तख्मीना तैयार किये जा रहे हैं।

सेंगर नदी पर पुल

१४५७. श्री ब्र० बी० मेहरोत्रा : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर (उ० प्र०) जिलान्तर्गत बारा गांव से सिकन्दरा गांव तक जिस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है उससे सम्बन्धित सेंगर नदी पर पुल बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है; और

(ग) क्या उपरोक्त पुल निर्माण के लिये एक बार टेण्डर भी मांगे जा चुके थे ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) :(क) से (ग). सिकन्दरा को बारा से मिलाने वाली सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बल्कि एक प्रदेश राजमार्ग है। भारत सरकार ने अन्तर्प्रदेशीय या आर्थिक महत्व की सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस सड़क के विकास कार्य के लिये जिस में सेंगर नदी पर ऊंची सतह के एक पुल का निर्माण भी शामिल है, २४ लाख रुपयों के सहायता अनुदान की व्यवस्था की है। इस सड़क का निर्माण कार्य अधिकांशतः पूरा हो रहा है, लेकिन सेंगर नदी पर प्रस्तावित पुल का निर्माण कई बार टेंडर मंगाये जाने पर भी उचित कोटेशन न मिल सकने के कारण शुरू नहीं किया जा सका है। अतः इस पुल के निर्माण के लिए परस्पर समझौता कर ठेका देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

केरल में पर्यटन का विकास

†**१४५८. श्री अ० ब० राघवन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में बड़ागरा में "सैंड बैंग्ज़" को अर्जित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि इसे पर्यटन केन्द्र बनाया जा सके।

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि विदेशियों को इस समुद्री केन्द्र से आकर्षित होने की बहुत संभावना है; और

(ग) कितने विदेशी पिछले ५ वर्षों में इस स्थान पर आये ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) संभवतः "सैंड बैंग्स' की तरफ निर्देश है। राज्य सरकार इस भवन को पर्यटक बंगले में बदलने के प्रस्ताव की जांच कर रही है। राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस के लिये एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख), राज्य सरकार की राय में इस स्थान की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने की कुछ संभावनाएं हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विगत ५ वर्षों में इस स्थान पर आने वाले विदेशियों की संख्या उपलब्ध नहीं है। १९६१–६२ में, ६७ विदेशी इस स्थान पर आये बताये जाते हैं।

रेलवे के स्कूलों और कालेजों में अध्यापक

†१४५९. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के हाई स्कूलों, हायर सेकन्डरी स्कूलों और इन्टरमीडिएट कालिजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम पिछले वर्ष पुनरीक्षित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्टरमीडिएट कालिज के अध्यापकों के वेतन बढ़ा दिए गए थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां। इन्टरमीडिएट कालिजों के अध्यापकों की वेतन श्रेणी और पुनरीक्षित की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फल और सब्जी गवेषणा केन्द्रों की स्थापना

†१४६०. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारत में त्रिचूर, केरल को मिला कर कुछ फल और सब्जी गवेषणा केन्द्र स्थापित करने की योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो योजनाओं की विशेष बातें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां। भारत में स्थानीय फल और सब्जी गवेषणा केन्द्र स्थापित करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है, परन्तु इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र के अन्तिम स्थान के विषय में अभी तक फैसला नहीं हुआ है।

(ख) योजना का ध्येय स्थानीय आधार पर फलों और सब्जियों के सम्बन्ध में गवेषणा को तेज करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में कारापारा-कुरियार कुट्टी जल विद्युत योजना

†१४६१. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि केरल राज्य के इंजीनियरों ने पारम्बीकुलम नदी पर कारापारा–कुरियारकुट्टी जलविद्युत् योजना पर सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ;

(ख) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्र को मंजूरी के लिये यह योजना भेजी थी; और

(ग) यदि हां, तो इस समय यह किस अवस्था पर है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

चन्दन की लकड़ी का रोपण

†**१४६२. श्री महेश्वर नायक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की देश में चन्दन की लकड़ी के स्वयं या राज्य सरकारों के सहयोग से रोपण की कोई योजना है ;

(ख) चन्दन की लकड़ी का साधारणतया किन-किन उद्योगों में प्रयोग किया जाता है; और

(ग) क्या इस से विदेशी मुद्रा कमाने की कोई कोशिश की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) केन्द्रीय सरकार की अपनी या राज्य सरकारों के सहयोग से चन्दन की लकड़ी के रोपण की कोई योजना नहीं है। मैसूर, मद्रास और केरल राज्य में चन्दन की लकड़ी का रोपण वाणिज्य के लिये किया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य भी ऐसे रोपणों के लिये चेष्ठा कर रहे हैं।

(ख) चन्दन की लकड़ी सुन्दर खुदाई के काम के लिये प्रयोग में लाई जाती है। मैसूर में यह चन्दन का तेल निकालने के लिये प्रयोग में लाई जाती है। यह तेल सौगन्ध साबुन के उद्योग और दवाइयों इत्यादि में प्रयोग में लाया जाता है। बुरादा और लकड़ी के टुकड़े इत्यादि धूप बनाने में प्रयोग में लाई जाती हैं।

(ग) मैसूर सरकार का तेल बनाने का कारखाना है और विदेश में भी एक संघठन है ताकि चन्दन के तेल की बिक्री लाभदायक हो। निर्यात बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने 'एगमार्क स्कीम' के अन्तर्गत चन्दन के तेल पर श्रेणी–नियन्त्रण लगा रखा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली ट्राम सेवा

†१४६३. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब देहली ट्राम सेवाएं किस के स्वामित्व तथा नियन्त्रण के अधीन हैं;

(ख) इस की आर्थिक परिस्थिति कैसी है; और

(ग) क्या इन सेवाओं को फिर से बढ़ाने या बिल्कुल हटा देने की प्रस्तावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) दिल्ली में ट्राम सेवाएं दिल्ली परिवहन उपक्रम जो कि दिल्ली नगर निगम का ही भाग है, के एक विभाग के रूप में चलाई जाती है ।

(ख) दिल्ली में ट्राम सेवाएं इस लिये घाटे में चल रही हैं कि उस की गाड़ियां और 'ओवर हैड एक्युपमैंट' बहुत पुराने हो चुके हैं और नगर में यातायात की हालत बहुत जटिल है। १९६०-६१ और १९६१-६२ वित्तीय वर्षों में क्रमानुसार २,४३,६०४ रुपये और ३,२३,००० रुपये की हानि हुई ।

(ग) यह फैसला किया है कि इस को आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल हटा दिया जाएगा ।

अंडमान द्वीपसमूह में इमारती लकड़ी के मूल्य

†१४६४. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान द्वीप समूह के वन विभाग ने स्थानीय विक्रय के लिए १ अप्रैल, १९६२ से चिरी हुई लकड़ी के मूल्य पुनरीक्षित कर दिए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ किस्म की लकड़ी के मूल्य ५० प्रति से अधिक बढ़ा दिये गये हैं (जैसा कि टम्पींग, काला चुगलम पायिनमा इत्यादि) ; और

(ग) स्थानीय विक्रय के लिए इमारती लकड़ी की इतनी कीमत बढ़ाने का क्या औचित्य है, जब कि कलकत्ता/मद्रास के बाज़ारों में उन लकड़ियों के विक्रय-मूल्य में कोई वृद्धि नहीं है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). कुछ किस्म की इमारती लकड़ियों के मूल्यों में वृद्धि दिखाने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६८]** सिलवरग्रे' जो कि श्रृंगार के लिये लकड़ी है के अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि २० से २५ प्रतिशत के बीच में हुई है ।

"सुपीरियर टारडवुड" की श्रेणी को जो कि ३१-३-६२ तक चालू थी दो वर्गों में विभिन्न कर दी गई है--"सुपीरीयर टाडबुड 'ए' ग्रेड" और "सुपीरीयर हाईवुड बी ग्रेड"। "सुपीरीयर हार्डवुड बी ग्रेड" में बढ़िया किस्म की लकड़ी है और इस लकड़ी का मूल्य जैसे ऊपर उल्लेख किया है बढ़ा दिया गया है ।

(ग) ३१-३-६२ तक "स्टैंडर्ड हार्ड वुड" विभिन्न प्रकार की लकड़ियों जिन में बढ़िया किस्म की लकडियां भी थीं की मिलावट के रूप में बेचा जाता था। परन्तु लोग सदैव केवल बढ़िया किस्म की लकड़ी खरीदा करते थे क्योंकि वे अधिक टिकाऊ और ज्यादा अच्छी किस्म की होती थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मूल्य इस लिए बढ़ा दिए हैं ताकि विभिन्न प्रकार की सख्त लकड़ियां उसी काम के लिए प्रयोग में लाई जाएं जिस काम के लिए विशेषतया वे हैं। इसके अतिरिक्त १९६०-६१ में सख्त लकड़ी का उत्पादन मूल्य पिछले वर्षों के मुकाबले में १५ रुपये प्रति टन बढ़ गया था और बढ़िया किस्म की लकड़ी की कीमत बढ़ाते समय यह बात भी ध्यान में रखी गई थी। 'सिलवर ग्रे' जो कि सजावट के लिए काम में आने वाली लकड़ी है नीलामी में सदैव अच्छे मूल्य पर बिकती है और इस की मांग काफी है। अतः इस की कीमत शेष लकड़ियों से अधिक बढ़ी है अंडमान वन विभाग वाणिज्य-आधार पर चलाया जाता है। लकड़ी संग्रहागारों में निश्चित मूल्य पर नहीं बेची जाती परन्तु आम नीलामी द्वारा।

कृषि फसलों के लिए बीमा योजना

†१४६५. **श्री मा० ल० जाधव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने कृषि फसलों के लिए बीमा योजना चालू करने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) सरकार इस योजना को कब तक आरम्भ करेगी ; और

(ग) यह योजना कैसी होगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) से (ग). पंजाब सरकार की अपने राज्य में फसल बीमा के लिए अग्रिम योजना आरम्भ करने का इरादा है। वह योजना का ब्यौरा तैयार कर रही है और अन्तिम योजना अभी तक भारत सरकार के पास नहीं आई है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि योजना कब आरम्भ की जाएगी।

डाक तथा तार विभागों के क्लर्कों और आर० एम० एस० सार्टर

†१४६६. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के टाइम स्केल क्लर्कों और आर० एम० एस० सार्टरों को स्थायी करने से पूर्व लिखित और मौखिक परीक्षा देनी पड़ती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि ये कर्मचारी जो कि सीधी भर्ती के द्वारा किए गए हों ऊपर लिखी परीक्षाएं न पास कर सकें तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और उन कर्मचारियों को जो विभागीय उन्नतियों से ऊपर आए हों नीचे की श्रेणी की नौकरी पर लगा दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो कुल ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है (१) जिन को नौकरी से जवाब दिया गया है, (२) जिन को निचली नौकरियों पर वापस भेज दिया गया, और (३) डाक तथा तार विभाग के सभी केन्द्रों में १९६० और १९६१ में दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां, जो कर्मचारी सीधे भर्ती किए जाते हैं उनको नौकरी से हटाने से पूर्व निचली श्रेणी में दूसरी नौकरियों पेश की जाती है। उन टाइम स्केल क्लर्कों और सार्टरों को जो कि नियत

†मूल अंग्रेजी में

अवसरों में स्थायी परीक्षा नहीं पास कर सके और १२ अक्तूबर १९६१ से पहले ५ साल की संतोषजनक नौकरी कर चुके हों, रियायत के तौर पर स्थायी परीक्षा से छूट दी जाती है यदि उनका काम और आचरण संतोषजनक समझा जाता हो। सारे प्रश्न की समीक्षा की जा रही है और इस बीच में यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि कर्मचारियों को स्थायी परीक्षा न पास करने के लिए निचली नौकरी पर न लगाया जाए और न ही नौकरी से हटाया जाए।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कल्याण निरीक्षक

†१४६७. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या यह सच है कि १९५७ से अब तक डाक तथा तार के विभिन्न केन्द्रों और उन के अधीन अन्य एककों में कल्याण निरीक्षकों और अपर डिवीज़न क्लर्कों के नये पद बनाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक डाक तथा तार सर्विस में कुल कितने पद मंजूर किये गये हैं और उन्होंने श्रेणियों में कितने स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षित रखे गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) जी हां।

(ख) स्थान केन्द्रीय रूप में नहीं भरे जायेंगे कल्याण निरीक्षकों के पदों के लिये कोई कोटा रक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक सर्किल में एक स्थान ही विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर भरा जायेगा 'ओवर आल समस्त आधार बेसिस पर अम्भंश रखने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है। अपर डिवीज़न क्लर्कों के पद निम्न आधार पर भरे गये थे :–

(१) सीधी भर्ती ।

(२) लोअर डिवीज़न क्लर्कों की प्रतियोग योग्यता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति से ।

(३) विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारी वृन्द का चयन ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थानों के रक्षण के सम्बन्ध में आदेश (१) और (२) पर लागू होते हैं।

मांगी गई सांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वाराणसी को 'बी' श्रेणी का नगर घोषित करना

†१४६८. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या १ जुलाई १९६१ से वाराणसी को 'बी' श्रेणी का नगर बनाने का फैसला हो चुका है ;

(ख) क्या वाराणसी मंडुआडी में पूर्वोत्तर रेलवे के डिस्ट्रिक्ट आफिस क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को जिन्हें जब वाराणसी 'सी' श्रेणी का नगर था निश्चित दर पर भत्ते मिलते थे

†मूल अंग्रेजी में

अब 'बी' श्रेणी के नगरों पर लागू प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ते और मकान किराये भत्ते की बढ़ी हुई दरें दी गई हैं ।

(ग) क्या मंडुआडी ट्रांशिपमैंट यार्ड, आफिस और पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन में काम करने वाले कम कर्मचारियों को वही सहूलियतें दी गई हैं जो वहां 'लोको मोटिवज़ वर्कशाप' में काम करने वाले कर्मचारियों को दी गई हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर मेरीन स्टाफ़

†१४६९. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिस्ट्रिक्ट मैकैनीकल इंजीनियर (मैरीन) पाण्डु में वर्ष १९६२ में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मैरीन स्टाफ़ को जिन्होंने भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा ७१ के अन्तर्गत काम के घारा विनियमों के अनुसार उचित प्राधिकार द्वारा बनाए गए वर्गीकृत 'रोस्टर' के अनुसार निश्चित ८ घन्टे काम करने पर भी सात दिन का वेतन नहीं दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो किस प्राधिकार के अन्तर्गत; और

(ग) जब विवाद उनके सामने आया तो उतर सीमा रेलवे प्रशन ने क्या कार्यवाही की ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). उचित प्राधिकार ने सम्बन्धित-मैरीन स्टाफ' को पुनः 'ऐसेंन्शियली इंटरमिटेंट' स्टाफ-जिन्हें १२ घण्टे प्रति दिन काम करना पड़ता है-की श्रेणी में रख दिया है । फरवरी-मार्च १९६२ में स्टाफ ने लग भग (एक महीना पूरा नहीं किया और इसलिए साधारण प्रक्रिया के अनुसार उनका वेतन नहीं लिया जा सका । तदोपरान्त स्टाफ द्वारा आवेदन देने पर प्रशासन ने अनुपस्थिति की अवधि को अवकाश मान लिया है और उन्हें वेतन दे दिए गए है ।

रेलवे पर सामयिक श्रमिकों का लाया जाना

†१४७०. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय रेलवे पर सामयिक श्रमिक किन शर्तों पर लगाए जाते हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में (उपमंत्री श्री सें० वें० रामस्वामी)** : सामयिक श्रमिक रेलवे कर्मचारी नहीं हैं, इस लिए उनके लिए कोई शर्त नहीं हैं । उन की नौकरी लगातार नहीं होती और उन को प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिलता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में पत्तन

†१४७१. **श्री जेधे** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के समुद्र तट पर नये पत्तनों के विकास के लिए सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उन पत्तनों के विकास के लिए जो पूरी तरह से विकसित नहीं है, क्या कार्यवाही की है और उन पत्तनों के क्या नाम हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के वर्तमान छोटे पत्तनों को सुधारने के लिए विकास योजनाओं को ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६९]**

बिना डाक-खानों वाले ग्राम और टेलीफोन प्रयोक्ताओं से आय

†१४७२. **श्री जेधे** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन ग्रामों की प्रत्येक राज्य में क्या संख्या है यहां डाकखाने नहीं हैं ।

(ख) भारत में उन ताल्लुकों की प्रत्येक राज्य में क्या संख्या है जहां टेलीफोन के कनैक्शन हैं और जहां नहीं हैं ;

(ग) बम्बई और पूना नगरों में टेलीफोन प्रयोक्ताओं और डाक विभाग से दैनिक औसत आय और दैनिक व्यय क्या है ; और

(घ) १९६१–६२ में महाराष्ट्र राज्य में अलग अलग टेलीफोन प्रयोक्ताओं में और डाक तथा तार विभाग से क्या आमदनी हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ). डाक तथा तार विभाग का हिसाब इस के चार भागों—डाक, तार, टेलीफोन और रेडियो—के अनुसार पूरे विभाग की कुल आमदनी और खर्च दिखाने के लिए रखा जाता है । प्रत्येक नगर और प्रत्येक राज्य की आमदनी और खर्च का अलग हिसाब नहीं रखा जाता ।

क्षय रोग के रोगियों की घर पर चिकित्सा

†१४७४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षय रोग के रोगियों को घर पर चिकित्सा के अन्तर्गत किस रूप में और कहां तक सहायत दी जाती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सहायता को मंजूर करने की क्या प्रक्रिया है ; और

(ग) किन परिस्थितियों में ऐसी सहायता दी जा सकती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) 'घर पर चिकित्सा' के अन्तर्गत क्षय रोगियों को मुफ्त निदान की सुविधाएं और क्षय रोग को दूर करने की औषधियां दी जाती है । जहां सम्भव हो, उचित रोगियों को आर्थिक सहायता दी जाती है ।

(ख) क्षय रोग रुग्णालय घर जा कर देखने वालों के कहने पर पात्र निर्धन क्षयरोग रोगियों को मुफ्त इस बीमारी की औषधियां दे देते हैं। ये घर घर जा कर रोगियों को देखने वाले उन को इलाज में पथप्रदर्शन करते हैं और क्षयरोग रुग्णालय को उन की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था से अवगत कराते हैं। पात्र रोगयों को क्षयरोग संस्था द्वारा बनाई गई देखभाल और बाद की देखभाल समितियों के द्वारा स्थानीय अंशदानों में से या लोकोपकारियों द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है । कुछ राज्य और केन्द्र भी उचित रोगियों को सहायता देते हैं ।

(ग) मुफ्त इलाज और आर्थिक सहायता के लिए साधारण शर्तें ये हैं (१) औसतन परिवार की आय ३०० रुपये प्रतिमास से कम हो (२) रोगी बहुत भीड़ वाली और अस्वस्थ्य परिस्थितियों में रहते हों (३) विशेष आवश्यकताएं--रिक्शा का किराया, किराये और पौष्टिक अनुपूरक इत्यादि के लिए ।

जहाज खरीदने के लिये ऋण

†१४७५. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) जहाज खरीदने के लिए अंडमान और निकोबार के मेसर्स आर० अकजी जादवल एण्ड कम्पनी को सरकार ने कुल कितना ऋण दिया है ;

(ख) इन ऋणों से कम्पनी ने कितने जहाज खरीदे थे ; और

(ग) इस तरह खरीदे गए प्रत्येक जहाज की कुल कीमत क्या है ; और

(घ) क्या ऋण की अदायगी आरम्भ हो गयी है और क्या कम्पनी ऋण की शर्तों के अनुसार किश्तें दे रही हैं।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) एक ऋण ६,२०,००० रुपये का ।

(ग) और (घ). कम्पनी ने क्रमशः ८.४६ लाख रुपए और १० लाख रुपए को दो जहाज 'एम० वी० राहीदा' और 'एम० वी० सीना' खरीदे ।

(घ) ऋण की अदायगी अभी आरम्भ नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अम्बाला डिवीजन में टेलीफोन आपरेटर

†१४७६. { **श्री बूटासिंह :**
श्री गुलशन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला डिवीजन के टेलीग्राफ डिवीजनल इंजीनियर ने १९६१ में १६ टेलीफोन आपरेटरों को स्थायी बनाया था ; और

(ख) यदि हां, तो वहां के इंजीनियर द्वारा तैयार किये गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिये जाति विशेष के रजिस्टर के अनुसार कितने अनुसूचित जाति के टेलीफोन आपरेटरों को स्थायी बनाया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) वर्ष १९६१ में २६ पदाधिकारियों को स्थायी बनाने के लिए विचार किया गया जिनमें से २२ को १९६१ में स्थायी बनाया गया और शेष ४ को भूतलक्षी प्रभाव से १९६२ में स्थायी बनाया गया।

(ख) ६ ।

गन्ने की खेती

१४७७. **श्री बागड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को गन्ने की पूरी कीमत कारखानेदार नहीं देते हैं, इसलिये किसान गन्ना कम पैदा करता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सिलसिले में कुछ कार्यवाही करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नर्मदा घाटी परियोजना

१४७८. **श्री बड़े** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर हीरण प्रभात के पास बांध बांधकर बिजली उत्पादन तथा सिंचाई करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या इसका सर्वेक्षण हो गया है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार तथा गुजरात सरकार से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) उक्त बांध के निर्माण पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें कितना धन खर्च करेंगी ; और

(ङ) यदि बांध बढ़वानी के पास बनाया जायेगा तो कितने ग्राम तथा नगर डूब जायेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). इस योजना का सर्वे और छानबीन हो रही है ।

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ). छानबीन के बाद ही परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाएगी । लागत और उन ग्रामों की संख्या का पता जो कि जलमग्न हो जायेंगे रिपोर्ट के तैयार हो जाने के बाद ही चलेगा ।

कानपुर में ऊपरी पुल

१४७९. श्री बृ० बि० मेहरोत्रा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर शहर में बिजलीघर के पास मरे फाटक कम्पनी के पास तथा पनकी स्टेशन के पास फाटक पर अकसर यातायात रुका रहता है ;

(ख) क्या उपरोक्त स्थानों पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऊपरी पुल बनाये जाने की योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो यह काम कब तक शुरु किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी हां । रेल यातायात के गुजरते समय सुरक्षा की दृष्टि से समपार फाटकों को, यथा-संभव कम से कम समय के लिए, बन्द करना पड़ता है ।

(ख) और (ग). मौजूदा समपारों के स्थान पर लाइन के ऊपर या नीचे पुल की व्यवस्था राज्य सरकार की अपनी आयोजनाओं का एक अंग है । रेल-प्रशासन उन्हीं पुलों के निर्माण का काम हाथ में लेता है, जिनकी सिफारिश राज्य सरकार करती है और वर्तमान नियमों के अधीन जिनकी लागत पर अपने हिस्से की रकम देने को तैयार होती है । मरे समपार के सम्बन्ध में कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने अभी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है और न यह फैसला किया है कि पुल लाइन के ऊपर बनेगा या नीचे । फिर भी रेलवे ने अपना काम कर लिया है, अर्थात् पुल बनाने क लिये १९६२–६३ के निर्माण कार्यक्रम में आवश्यक व्यवस्था कर ली है । पुल बनाने के सम्बन्ध में अंतिम आयोजना उस समय तैयार की जायेगी, जब कानपुर म्यूनिसिपल बोर्ड से इस आशय की एक निश्चित योजना मिल जाये कि पुल के लिए अपने खर्च पर वह पहुंच-मार्ग बनाने का काम किस वर्ष शुरु कर सकेगा।

पंकी स्टेशन के पास मौजूदा समपार के स्थान पर लाइन के ऊपर नीचे पुल बनाने के सम्बन्ध में उतर प्रदेश राज्य सरकार ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि धन की कमी के कारण वह अपने राज्य में मुजफरनगर में एक पुल के अलावा किसी और ऊपरी पुल के लिए धन की व्यवस्था नहीं कर सकेगी ।

चम्बल परियोजना

१४८०. श्री बेरवा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल योजना के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस योजना का कार्य कितने समय में पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इसके अन्तर्गत सिंचाई के लिये नहरों का निर्माण और विद्युत् का उत्पादन होने के के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश को कितना लाभ होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चम्बल परियोजना की प्रथम अवस्था के मुख्य कार्यों की प्रगति मार्च, १९६२ के अन्त तक नीचे दी गई है :—

(१) गांधी सागर बांध (मध्य प्रदेश)

पूर्ण हो गया है।

(२) गांधी सागर बिजलीघर (मध्य प्रदेश)

बिजलीघर संरचना पूर्ण हो गई है। बिजलीघर में चौथा यूनिट लगाया जा रहा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में पांचवां यूनिट भी लगाया जाना है।

(३) प्रेषण लाइनें

मध्य प्रदेश में विद्युत् वितरणार्थ सारी प्रेषण लाइनें सवाए माधोपुर से ग्वालियर तक की लाइन को छोड़ कर पूर्ण हो गई हैं। गांधी सागर बिजलीघर के और प्रेषण लाइनों के पूर्ण होने के फलस्वरूप उज्जैन, भोपाल, नीमच तथा इन्दौर आदि को बिजली दी जा रही है। सभी ग्रिड उप-केन्द्रों पर, ग्वालियर वाले को छोड़ कर, कार्य पूर्ण हो गया है।

राजस्थान में, गांधी सागर से कोटा तक की प्रेषण लाईन तथा सवाएमाधोपुर से जयपुर तक की प्रेषण लाइन पूर्ण हो गई है। अन्य लाइनों और ग्रिड उपकेन्द्रों पर कार्य प्रगति कर रहा है। इस समय राजस्थान में निम्नलिखि शहरों को बिजली दी जा रही है ;—

(१) कोटा (२) बूंदी (३) भवानी मंडी (४) रामगंज मंडी (५) झालावार (६) झालावार-रोड और (७) पव-पहार।

(४) कोटा बैरॉज (राजस्थान)

पूर्ण हो गया है।

(५) नहरें (मध्य प्रदेश और राजस्थान में)

मध्य प्रदेश में दाई मुख्य नहर पर कार्य प्रगति कर रहा है। नहर के प्रथम चालीस मील पूर्ण हो गये हैं। यह सिंचाई के लिये दिसम्बर, १९६० में खोली गई थी।

राजस्थान में दाईं मुख्य नहर पूर्ण हो गई है और बांई मुख्य नहर पर कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। दांई मुख्य नहर की वितरण प्रणाली पर ८५० मीलों की लम्बाई में से लगभग ५०० मील लम्बाई पूर्ण हो गई है। लगभग २,२०० मील की लम्बाई के जल मार्ग खोद दिये गये हैं।

परियोजना की दूसरी अवस्था के अधीन कार्य

राणा प्रताप सागर बांध पर प्राथमिक कार्य, जिनमें कालोनी के मकान, बांध स्थल तक जाने वाली सड़कें और प्रवेश पथ सम्मिलित हैं, प्रगति कर रहे हैं। बांध के आधार की खुदाई पूर्ण होने को है। बांध पर कन्सालिडेशन ग्राउटिंग, कंक्रीट और मेसनरी का कार्य भी प्रगति कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) परियोजना की प्रथम अवस्था के अधीन शेष कार्य, आशा है, मार्च, १९६४ तक पूर्ण हो जाएंगे। परियोजना की दूसरी अवस्था के अधीन राणा प्रताप सागर बांध के १९६४–६५ के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(ग) प्रथम अवस्था के पूर्ण होने पर, चम्बल परियोजना से मध्य प्रदेश में ५·५ लाख एकड़ भूमि और राजस्थान में भी इतनी ही भूमि को सिंचाई की सुविधाएं मिलने की संभावना है। इस से ६० प्रतिशत भार अनुपात पर ८०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। दूसरी अवस्था के पूर्ण होने पर परियोजना से ६० प्रतिशत भार अनुपात पर ९०,००० किलोवाट अतिरिक्त बिजली उत्पन्न होगी और मध्य प्रदेश में १·५ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को और इतनी ही भूमि को राजस्थान में सिंचाई की सुविधाएं भी मिलेंगी। इस से उत्पन्न हुई बिजली राजस्थान और मध्य प्रदेश को बराबर अनुपात में दी जायेगी।

दिल्ली में कृषि मेला

†१४८१. **श्री चांडक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष १९६२ की शीत ऋतु में दिल्ली में कृषि मेला होगा ;

(ख) क्या इसका आयोजन भारत सरकार करेगी, अथवा भारत कृषक समाज ;

(ग) क्या भारत सरकार अथवा भारत कृषक समाज इसके लिये अपना कार्यालय अलग से बनायेगा ;

(घ) यह कार्यालय कब तथा कहां बनाया जायेगा ; और

(ङ) इसके पदाधिकारी कौन कौन होंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

'अपना टेलीफोन' योजना

†१४८२. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च १९६२ को देश भर में ऐसे कितने प्रार्थनापत्र थे जो 'अपना टेलीफोन' योजना के अन्तर्गत टेलीफोन प्राप्त करने के लिये आये थे और उन पर विचार नहीं किया गया था तथा अन्य श्रेणियों में भी कितने प्रार्थनापत्र निलम्बित थे ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में तथा केन्द्र शासित क्षेत्र में टेलीफोन देने के लिये क्या संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) 'अपना टेलीफोन' योजना तथा अन्य दूसरी योजना के अधीन निलम्बित प्रार्थनापत्रों की संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ७०]**

(ख) तीसरी योजना के आगामी चार वर्षों में सारे भारत में कुल मिलाकर २,७५,००० लाइन तैयार करने का कार्यक्रम है। इन अतिरिक्त लाइनों से अधिक से अधिक टेलीफोन लगाने

---

†मूल अंग्रेजी में

१Own your telephone scheme

का विचार है ताकि निलम्बित मांगों की पूर्ति हो सके और भविष्य में होने वाली मांगों की पूर्ति भी की जा सके ।

"अपना टेलीफोन" योजना के अधीन आवश्यकता को देखते हूए प्रार्थनापत्र बहुत कम आये हैं क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन इसलिये नहीं किया जाता क्योंकि एक लम्बे अर्से से उनकी मांगों की पूर्ति नहीं की गई है ।

ताजेवाला हेडवर्क्स दिल्ली के पास बांध में दरार

१४८३. श्री रामेश्वरानन्द : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताजेवाला हैडवर्क्स से नीचे की तरफ यमुना का जो बांध पिछले वर्ष टूट गया था, उस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) यह बांध कब तक ठीक ही जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : : (क) तथा (ख). यमुना नदी पर ताजेवाला हैडवर्क्स के निकट कोई भी बांध नहीं है। इसलिये बांध के टूटने और उसकी मरम्मत करने का सवाल ही नहीं उठता ।

यमुना नहर के दोनों ओर पानी जमा होना

१४८४. श्री रामेश्वरानन्द : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना नहर के समीप दोनों ओर लाखों बीघा भूमि बाढ़ग्रस्त है ;

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में सरकार क्या कर रही है ; और

(ग) इस सेलाब को कब तक दूर किया जा सकेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यह यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रूपड़ नांगल बांध लाईन पर प्रतिक्षालय बनाना

†**१४८५. श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में उत्तर रेलवे की रूपड़ से नांगल बांध तक लाइन के कितने स्टेशनों पर प्रतीक्षालय बनाये गये हैं ; और

(ख) यदि प्रतिक्षालय नहीं बनाये गये हैं तो इसके क्या कारण है ।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामास्वमी)** (क) तथा (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में कोई प्रतीक्षालय नहीं बनाये गये हैं। वहां यात्रियों को सुविधा देने की व्यवस्था तभी हो सकती है जब कि वहां की राज्य सरकार लागत में से अपना हिस्सा देने

†मूल अंग्रेजी में

के लिये तैयार हो क्योंकि जब यह लाइन बनाई गई थी और उसका काम आरम्भ हुआ था तो उस राज्य सरकार के साथ एक करार किया गया था और उस करार के अनुसार ही राज्य सरकार को लागत में से खर्च देना होगा।

पंजाब में मध्यम सिंचाई योजनाएं

†१४८६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, वर्ष १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में अब तक पंजाब राज्य को मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये अनुदान तथा ऋण के रूप में कितनी सहायता दी गई है?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : वर्ष १९६०–६१ में पंजाब राज्य में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिये ७९,१२,००० रुपये की सहायता दी गई थी, स्वभावतः मध्यम सिंचाई योजनाएं भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। १९६१–६२ में कोई ऋण नहीं दिया गया। वर्ष १९६२–६३ के लिये धन के बारे में निर्णय किया जायेगा।

इन वर्षों में मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये पंजाब राज्य को अलग से कोई राशि नहीं दी गई।

बिहार के सिंहभूम जिले में डाकघर

†१४८७. **श्री ह० च० सौय**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के सिंहभूम जिले में खर्सवान तथा गोहलखेड़ा पुलिस स्टेशनों का क्षेत्राधिकार बहुत विस्तृत है और उन क्षेत्रों में डाकघरों की संख्या बहुत कम है;

(ख) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे पर स्थित आम्दा और गोइलखेड़ा के डाकघर बहुत काम कर रहे हैं किन्तु अभी तक किराये के भवनों में काम कर रहे हैं, और वहां तार की कोई सुविधा नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) खर्सवान पुलिस स्टेशन का क्षेत्र तो बहुत छोटा है और वहां की जनसंख्या भी अधिक नहीं है। किन्तु गोहलखेडा पुलिस स्टेशन का विभाजन करके चक्रधरपुर पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है और इसका क्षेत्राधिकार अभी तक पता नहीं है। इस क्षेत्र में चार डाकघर है।

(ख) चूंकि ये दोनों डाकघर अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालय है अतः वे गैर-सरकारी मकानों में कार्य कर रहे हैं। आजकल वहां तार आदि की सुविधा नहीं है।

(ग) तीसरी योजना के दौरान में इस क्षेत्र में ८ डाकघर खोलने का विचार है। इसके अलावा आम्दा तथा गोहलखेड़ा के डाकघरों को शाखा कार्यालय में बदलने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। गोहलखेड़ा में तारघर खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है। आम्दा में तार घर खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

फरक्का बांध

†१४८८. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरों की कमी के कारण फरक्का बांध की प्रगति सन्तोषजनक ढंग से नहीं हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). जी नहीं। बांध का काम सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है। अनुभवी सहायक इंजीनियरों की कमी अवश्य महसूस की गई थी लेकिन पश्चिमी बंगाल तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग से अनुभवी पदाधिकारियों की सेवाएं ऋण लेकर यह कमी भी दूर हो गई है।

हिसार पशु फार्म

१४८९. **श्री युद्धवीर सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिसार पशु फार्म जो एशिया का सबसे बड़ा फार्म कहा जाता है उसके अधिक विकास के लिये केन्द्र सरकार क्या राज्य सरकार को कोई सहायता देना चाहती है; और

(ख) यदि हां तो सारी योजना का क्या ब्योरा है?

खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). जी हां। केन्द्रीय सहायता का हिस्सा अधिक से अधिक ५० लाख रुपये तक सीमित होगा।

योजना का उद्देश्य है (१) उन ढोरों का जनन श्रेणी का विकास करना, जोकि पशु-पालन स्थितियों में फार्मों में नियन्त्रित प्रजनन के द्वारा आजकल रखे जाते हैं और दोनों प्रकार के पशुओं के रूप में नसल का विकास करना तथा (२) ऐसे हरियाना नसल के ७५० उत्तम सांडो का वार्षिक उत्पादन, जो कि पंजाब और अन्य राज्यों में प्रजनन के लिए उपयोग किये जाते हैं।

दिल्ली दुग्ध वितरण योजना

१४९०. **श्री बेरवा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दुग्ध वितरण योजना के अन्तर्गत दिल्ली में इस समय कितने दुग्ध वितरण केन्द्र हैं;

(ख) इन केन्द्रों से दूध लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या इस समय क्या है और उनमें कार्ड वाले ग्राहक कितने हैं;

(ग) क्या यह सच है कि हाल में ऐसा कोई परिपत्र जारी किया गया है कि नए कार्ड अभी नहीं दिये जायें; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) ४४४ दूध डिपो और सारे दिन खुलने वाले ६ स्टाल ।

(ख) ऐसा कोई भी लेखा नहीं रखा जाता है कि कितने मनुष्य दूध केवल नकद खरीदते हैं और इसलिए यह ज्ञात नहीं है कि डिपो और स्टालों से दूध खरीदने वाले मनुष्यों का कुल संख्या कितनी है, दूध के कार्ड वाले व्यक्तियों की संख्या ९९११९ है।

(ग) भैंस के दूध के लिये नये कार्ड बनाना मई, १९६२ में बन्द कर दिया गया था, लेकिन टोण्ड दूध के कार्ड बनाने के लिए कोई भी ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है।

(घ) भैंसों के दूध की उत्पत्ति में कमी होने के कारण, उसके दूध के सम्भरण में कमी हो गई।

नागालैंड में सड़क परिवहन

†१४९१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागालैंड में तथा उसको मिलाने वाली सड़कों के विकास करने के बारे में कोई योजना है ;

(ख) यदि हां तो उस योजना की विस्तृत बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) से (ग). नागालैंड प्रशासन द्वारा नागालैंड में एक राज्य परिवहन संस्थान की स्थापना करने के बारे में विचार किया जा रहा है, और मणीपुर राज्य से भी इस बारे में परामर्श किया जा रहा है। क्योंकि इस योजना पर अभी निर्णय होना शेष है अतः इसकी विस्तृत बातें और उस पर कितना धन व्यय होगा अभी तक मालूम नहीं है।

बिहार में राजपथ

†१४९२. **श्री ह० च० सौय** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में सिंहभूम से होकर जाने वाले राजपथ का निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख): राजपथ संख्या ३३ और ६ जोकि सिंहभूम जिले से होकर जाते हैं उनका निर्माण कार्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (विश्व बैंक से सम्बद्ध) के अन्तर्गत आता है और उसने इसके लिये धन उधार दिया है। इन राजपथों का निर्माण कार्य गत वर्ष बंद कर दिया गया था क्योंकि दुहरे रास्ते वाली सड़क बनाने के विचार से इसका स्तर बढ़ा दिया गया था आशा है कि सम्पूर्ण कार्य सितम्बर १९६४ तक पूरा हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

†१४९३. **श्री राजगोपाल राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बयानें की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान में प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी मध्यम एवं बड़ी परियोजनाओं के लिये स्वीकृति दी गई थी और उनका अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है; और

(ख) क्या इन सभी परियोजनाओं की तीसरी योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) सन् १९६१ तक जिन बड़ी तथा मध्यम स्वीकृत परियोजनाओं का काम शुरू नहीं हुआ था उनकी बताने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या ७१]**

(ख) उन परियोजनाओं को छोड़कर जिनको राज्य सरकार ने बनाने का विचार छोड़ दिया है, बाकी सभी परियोजनाएं तीसरी योजना में सम्मिलित कर ली गई हैं।

वंशधारा परियोजना

†१४९४. **श्री राजगोपाल राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वंशधारा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) निर्माण कार्य के कितने प्रक्रम बनाये गये और उनमें कितना अन्तर रहा;

(ग) कुल अनुमानतः व्यय क्या है;

(घ) अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि मूल योजना के अनुसार विद्युत् भी तैयार होती है; और

(च) यदि हां तो क्या आंध्र में विद्युत् की कमी को ध्यान में रखते हुए इस वंशधारा परियोजना को बिजली एवं सिंचाई परियोजना बनायेगी।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) परियोजना प्रतिवेदन पर अभी विचार हो रहा है।

(ख) यह परियोजना एक प्रक्रम में बनाई जायेगी और शायद चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरी हो।

(ग) अनुमानतः व्यय १३.६० करोड़ रुपये है।

(घ) निर्माण कार्य के लिये अभी परियोजना को स्वीकृति नहीं मिली है।

(ङ) मूल योजना में विद्युत तैयार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई–गोआ सड़क

†**१४९५. श्री नाथपाई :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बम्बई-गोआ सड़क कब तक बनेगी;

(ख) इसमें से कितनी सड़क अब तक बन चुकी है; और

(ग) क्या निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७२**]

सिंचाई परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा

†**१४९६. श्री जेधे :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कुछ बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का काम रुक गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) तथा (ख). सिंचाई परियोजनाओं का काम आगे बढ़ाने में विदेशी मुद्रा की कमी भी बाधक रही है। फिर भी हर मुमकिन कोशिश यह की जा रही है कि ये मध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जाये ।

सिंचाई और विद्युत परियोजनायें

†**१४९७. श्री जेधे :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में कितनी सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं को थोड़ी अथवा अधिक हानि हुई है जिनका कि निर्माण कार्य चल रहा था ; और

(ख) क्या एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा जिसमें कि प्रत्येक राज्य की उन परियोजनाओं का ब्यौरा रहेगा जिन में कि धन तथा जीवन की हानि हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन):** (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तृतीय योजना में चीनी के कारखाने

†**१४९८. श्री जेधे:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय योजना के दौरान में सहकारी संस्थाओं को चीनी के कारखाने खोलने के लिये अधिक अनुज्ञप्तियां दी जायेंगी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** :(क) से (ग). चीनी के अतिरिक्त उत्पादन को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ समय तक सहकारी संस्थाओं को भी इसके लिये अनुज्ञप्तियां नहीं दी जायेंगी ।

वातानुकूलित डिब्बों के यात्री

†**१४९९. श्री रामसेवक यादव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली से बम्बई, दिल्ली से मद्रास और दिल्ली से हावड़ा जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों में लगे वातानुकूलित डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों का प्रतिशत इन गाड़ियों में बैठने की जगह के हिसाब से क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जिन स्टेशनों के बीच वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं		१९६१ में वातानुकूल डिब्बों के उपयोग में घटा-बढ़ी का प्रतिशत	
		(अव्यस्त काल में)	(व्यस्त काल में)
नई दिल्ली-बम्बई सेण्ट्रल	वातानुकूल	३०	७५
	तीसरा दर्जा वातानुकूल	६६.२	९८.७
बम्बई सेण्ट्रल-नयी दिल्ली	वातानुकूल	४९.५	८१
	तीसरा दर्जा वातानुकूल	६६.२	९२.५
नयी दिल्ली-मद्रास सेण्ट्रल	वातानुकूल	१८.५	६७
	तीसरा दर्जा वातानुकूल	३०.३	८०
मद्रास सेण्ट्रल-नई दिल्ली	वातानुकूल	२०.५	६२
	तीसरा दर्जा वातानुकूल	२९.४	७२
नई दिल्ली-हावड़ा	वातानुकूल	३१.५	७३.५
	तीसरा दर्जा वातानुकूल	४९	९५.५
हावड़ा-नई दिल्ली	वातानुकूल	४१	७८.५
	तीसरा दर्जा वातानुकूल	६२.५	८६

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

†**१५००. श्री नम्बियार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे कर्मचारियों की जो केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन में दैनिक वेतन पर कार्य करते थे और उनका वेतन आकस्मिक निधि में से दिया जाता था अब १ जुलाई १९५९ से उनका वेतन ७० रुपये प्रति मास और उन पर मिलने वाला साधारण भत्ता कर दिया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन भी जिन्हें आकस्मिक निधि में से भुगतान किया जाता है, इसी प्रकार निश्चित कर दिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में काम करने वाले उन कर्मचारियों का वेतन भी इसी आधार पर निश्चित कर दिया जायेगा जिनको दैनिक वेतन मिलता है और वह आकस्मिक निधि से दिया जाता है, तथा उन्हें काम करते हुए ५ वर्ष से अधिक हो गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

चावल का आयात

†**१५०१. श्री ई० मधूसूदन राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल के आयात के बारे में सरकार की आयात नीति क्या है ;

(ख) १९६१–६२ में कितना चावल आयात किया गया है ;

(ग) उसका मूल्य कितना है तथा किस किस देश से कितना कितना चावल आयात किया गया है ; और

(घ) १९६२–६३ में कितना चावल आयात किया जायेगा ?

†**खाद्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) व्यापार की दृष्टि से भारत में चावल का आयात बिल्कुल नहीं किया जाता। केवल भारत सरकार ही अपने लिये आयात करती है।

(ख) लगभग ४१५ हजार मीट्रिक टन।

(ग) लगभग २० करोड़।

विभिन्न देशों से आयात की गई मात्रा निम्न है :

अमरीका	लगभग	१८३ हजार	मीट्रिक	टन
बर्मा . .	लगभग	२०२ हजार	,,	,,
अरबगणराज्य . . .	लगभग	३० हजार	,,	,,

(घ) जनहित की दृष्टि से यह बताना हितकर नहीं है।

डाक तथा तार के कानपुर इंजीनियरिंग डिवीजन का विभाजन

†१५०२. { **श्री बूटासिंह :**
श्री गुलशन : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार के कानपुर इंजीनियरिंग डिवीज़न को बांट कर डी० इ० टी० कानपुर डिवीजन तथा डी० ई० पोन डिवीजन इलाहाबाद बना दिया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि पोस्टमास्टर जनरल लखनऊ ने जो सिद्धान्त बनाया था उसके अनुसार डा० इ० टी० कानपुर कार्यालय के कर्मचारियों को ४ अप्रैल, १९६२ को इलाहाबाद स्थानान्तरण कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इलाहाबाद डिवीजन को कितने कर्मचारियों का हस्तानान्तरण किया गया था ; और

(घ) कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को इलाहाबाद के लिये भेजा गया ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम):** (क) जी हां। नये डिवीजन का मुख्यालय कुछ समय के लिये कानपुर ही रखा गया है। इलाहाबाद के पोन डिवीजन का नाम टेलीग्राफ़ इंजीनियरिंग डिवीजन रखा गया है।

(ख) जी हां। १२-४-६२ से उनको इलाहाबाद भेजा गया है ।

(ग) १३ ।

(घ) ३ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देहली में हुए विस्फोट

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): नियम, १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"१४ और १५ मई, १९६२ को दिल्ली में हुए दो कथित विस्फोट"

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : महोदय, १४ मई, को लगभग ८.१५ बजे रात को लाल कुआं बाजार दिल्ली में हमदर्द दवाखाना के 'शो रूम' के पास किसी चूड़ियां बेचने वाले की दुकान के नजदीक एक विस्फोट हुआ। ईद-उल-जुहा के त्यौहार के कारण चीजें खरीदने वालों की बाजार में भीड़ थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जहां चूड़ियां बेचने वाले अपना सामान बेच रहे थे उसके नजदीक एक बोतल के अन्दर बिस्फोटात्मक पदार्थ फट गया। धमाके के टुकड़ों में दवाखाना के 'शो रूम' की खिड़की में दो सुराख कर दिए। एक आदमी और उसके चार बच्चे जो चूड़ियां खरीद रहे थे उनके थोड़ी चोटें लगीं। दो चूडियां बेचने वालों और तीन स्त्रियों को नाम मात्र की खरोंचें आई। पुलिस शीघ्र ही पहुंच गई और जख्मी लोगों को शीघ्र अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है और इस की जांच हो रही है।

१५ मई, रात को ८.४० बजे फतहपुरी मसजिद के अन्दर एक पटाखा फट गया। मसजिद के दक्षिण द्वार के नज़दीक जो खारी बावली की ओर खुलता है, बिस्फोट हुआ था। उससे किसी के चोट नहीं आई। विस्फोट सूतली और साधारण रूई के टुकड़े ही विस्फोट के अवशेष थे। यह प्रतीत होता है कि यह घटना लोगों को भयभीत करने के इरादे से हुई किसी व्यक्ति को जख्मी करने के लिये नहीं। चूंकि ईद-उल-ज़हा का उत्सव था इसलिये पुलिस ने प्रार्थना के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

मसजिद जाने के लिये लोगों को असुविधा न हो इस के लिये आवश्यक प्रबन्ध किया हुआ था। और भी सावधानी रखी गई क्योंकि पहले फतहपुरी मसजिद में धमाके होते रहे थे। उस क्षेत्र और मसजिद के उत्तरी दरवाजे की देखभाल के लिये विशेषतया एक कांस्टेबल लगाया गया था। उस के नजदीक ही दूसरे कान्सटेबल को लगा दिया गया। एक कान्सटेबल ने देखा था कि विस्फोट के समय एक ही व्यक्ति उपस्थित था। वह वहां ५ बजे से लेटा हुआ था। कान्सटेबलों ने उस से इस लिये कुछ नहीं कहा क्योंकि उन का विचार था कि वह नमाज में सम्मिलित होने के लिये आया था। विस्फोट के बाद यह व्यक्ति उत्तरी द्वारा की ओर जल्दी से गया और दोनों कान्सटेबल ने उस व्यक्ति को पूछताछ के लिये रोक लिया। उस के मकान और दुकान की भी तालाशी ली। वह चूड़ियां और कुछ पुरानी वस्तुएं बेचता है। पटसन के रस्सों के दो टुकड़े, कुछ पुरानी रूई और एक छोटी प्लास्टिक की नाली मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विस्तृत जाच हो रही है। और भी अन्य कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई है।

मैं इस अवसर पर देहली में जो बिस्फोट होते रहे हैं उस के सम्बन्ध में साधारण रूप से कुछ कह दूं। सौभाग्यवश इन दुर्घटनाओं में से बहुत सी छोटी दुर्घटनाएं थीं, परन्तु पांच बड़ी दुर्घटनाएं थीं। इन विस्फोटों में से तीन में कोई हानि नहीं हुई परन्तु अगस्त, १९५६ को दो दुर्घटनाएं बड़ी थी और उन से कई ज़खमी हुए। चूंकि ये विस्फोट एक ही क्षेत्र में नहीं होते हैं इस लिये इन दुर्घटनाओं के पीछे क्या इरादा है उस को सही रूप में कहना कठिन है यह महत्वपूर्ण है कि बिस्फोट मुहर्रम या ईद जैसे त्योहारों के समय होते रहे हैं। १५ मई की दुर्घटना फतहपुरी मसजिद के अन्दर हुई। यह पहलीबार ही नहीं हुआ है। यह आश्चर्यजनक है कि ऐसी दुघटनाएं मसजिद के अन्दर हों। ऐसे विचार हो जाता है कि इन का ध्येय भय उत्पन्न करने और सरकार को बदनाम करने का था।

रात को या प्रातः जब शान्ति होती है तो छोटे से पैक्ट या गठड़ी जैसी वस्तु को फैंकना बहुत आसान है। केवल जब इसे कोई उठाता है और खोलने की कोशिश करता है तो यह फट जाता है। इसलिये विस्फोट के मामलों का पता लगाने में कठिनाई स्वभाविक है। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिये बहुत कोशिश की है। १५५७ से लेकर पुलिस ने अनुज्ञप्ति के बिना रखे हुए विभिन्न प्रकार के ५ लाख पौंड विस्फोटक पदार्थों को प्राप्त किया है। हाल ही में विशेष कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं जो कि इन विस्फोट के मामलों के सम्बन्ध में काम करेंगे और अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : क्योंकि यह विस्फोट लगातार हो रहे हैं, सरकार ने अभी तक क्यो पता नहीं लगाया है कि क्या साम्प्रदायिकता दिल्ली में फिर सिर उठा रही है या कोई दुनिया की निगाह में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यह पांचवां विस्फोट है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने प्रशासनिक 'मशीनरी' को तेजी से सतर्क नहीं किया है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : कुछ बड़े विस्फोटों के सम्बन्ध में मने प्रशासन की असफलता को मान लिया है। यह कहना भी ठीक नहीं है कि पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकी है। मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि पिछले दो-तीन वर्षों में इस दिशा में कुछ किया गया है। १९५७ में १० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और आठ को दोषी

†मूल अंग्रेजी में

ठहराया गया। १९५८ में पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और २ को सजा मिली। १९५९ में १० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और पांच को गिरफ्तार किया गया। १९६० में १४० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और ६ को अपराधी सिद्ध किया गया। हम सफल जांच करते रहे हैं, लोगों पर अभियोग चलाते रहे हैं और न्यायालयों में दोषी ठहराते रहे हैं। जैसा मैंने वक्तव्य में कहा इन मामलों का पता लगाना आसान नहीं। फिर भी हमने इसी काम के लिये विशेष कर्मचारीवृन्द की व्यवस्था की है और आशा है कि इसका अच्छा नतीजा होगा।

†**श्री नाथपाई** : विस्फोटों के सम्बन्ध में अपराधियों का न पता लगना प्रशासन की आम ढील ढाल के अनुसार ही है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी में जितनी दुर्वटनाएं होती हैं उन में से कुछ प्रतिशत जैसा कि एक समाचारपत्र ने लिखा है का पता ही नहीं चलता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जो सूचना विचाराधीन है उस से सम्बन्धित प्रश्न ही पूछें।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य प्रश्न तो पूछ सकते हैं परन्तु वे थोड़े दिन और प्रतीक्षा करें। जब बजट की मांगों पर चर्चा होगी तो उन्हें प्रशासन पर आक्षेप करने का समय मिल जायगा।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : जैसा अभी गृह-मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है उससे प्रतीत होता है कि यह घटनायें भारत की राजधानी दिल्ली में कुछ मासों से नहीं बल्कि कुछ वर्षों से निरन्तर चल रही हैं तो क्या जिन मुहल्लों में और जिन स्थानों पर विशेष रूप से इस प्रकार के यह विस्फोट हुए हैं उनको देखते हुए केन्द्रीय सरकार के गुप्तचर विभाग ने सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट भी दी है कि इन विस्फोटों के पीछे कुछ विदेशी तत्वों का भी हाथ है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अब मैं वैसे बिलकुल एक पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस मौके पर और जिस जगह पर ऐसी चीजें होती हैं उन में कभी कभी मुझे यह शक होता है कि उन में शायद इंडियन सिटीजंस शामिल न हों, बल्कि कोई और भी हों।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय ....

अध्यक्ष महोदय : आप जरा बैठ जाइये। जब आप को बारी आयेगी तब मैं बुला लूंगा।

श्री बागड़ी : मेरी बारी न पिछली दफा आई और न ही आगे आ पायेगी ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। आप बैठ जाइये।

†**श्री मोहमिन** : मार्च, १९६१ में 'फतहपुरी मसजिद' में ऐसा ही विस्फोट हुआ था। उस में क्या कार्यवाही हुई थी। क्या उस का सम्बन्ध १५ मई वाले विस्फोट के साथ है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस मामले की जानकारी मेरे पास नहीं है।

†**श्री रामसेवक यादव** : मंत्री महोदय ने अभी बतलाया कि पुलिस असफल नहीं रही है और बहुत से वाकियात उन्होंने बतायें जिन में कि मुजरिमों को सजायें हुई तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को सजायें हुई हैं वे भारतीय नागरिक हैं या कुछ विदेशी नागरिक हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं वह सब भारतीय नागरिक हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी।

श्री बागड़ी : पहले तो मुझे यह शिकायत है कि कौलिंग एटेंशन में जो सवाल पूछा जाता है और मंत्री महोदय द्वारा जो वक्तव्य दिया जाता है उस को हिन्दी में समझा दिया जाया करे —

अध्यक्ष महोदय : अब आप सवाल करें।

श्री बागड़ी : सवाल तो मैं तब करूं जब मैं अंग्रेजी की वह सारी बात समझता होऊं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वह सारी बात शुरू से तो समझा नहीं सकता। अगर आप साथ साथ पूछते रहते तो और बात थी।

श्री बागड़ी : अगर मैं बीच बीच में खड़ा हो कर पूछता रहता तो आप कहते कि माननीय सदस्य बीच में बाधा डालते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के पास कोई सवाल पूछने के लिये है या नहीं। अगर आप सवाल नहीं पूछना चाहते तो मैं आगे बढ़ूं।

श्री बागड़ी गृह मंत्री महोदय ने अभी जो बताया उस से मेरी समझ में कुछ यह बात आई कि यह जो वाकयात होते हैं इन में हिन्दुस्तानी लोग नहीं हैं बल्कि कुछ बाहरी तत्व शामिल हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके ऊपर कोई नई तहकीकात करने के लिये सैंट्रल ब्यूरो लगाया है या नहीं? यह नम्बर एक सवाल है।

नम्बर दो सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से इन बम केसेज में लोगों में हैरेसमेंट फैलता है और पुलिस अपनी नालायकी छिपाने के लिये आम जनता पर तशद्दुद करके हैरेसमेंट फैलाती है उसकी रोकथाम के लिये सरकार कुछ कर रही है या नहीं ....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य के सिर्फ पहले सवाल का जवाब दे दिया जाये कि क्या यह मामला सेंट्रल इन्टेलिजेंस ब्यूरो को सौंपा जा रहा है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य के सवाल का जवाब तो मैं देने के लिये तैयार हूं, लेकिन अगर वह इतने जोरों से हाथ और उंगली दिखायेंगे, तो डर मालूम होता है।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। चूंकि अब होम मिनिस्टर साहब ने इस बात की तरफ मेरी तवज्जह दिलाई है, इस लिये मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि यहां पर हम को कुछ न कुछ डिग्निटी रखनी है। जब कोई माननीय सदस्य खड़ा होकर बोलता है, तो इधर उधर हाथ करना कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। इसलिये हमें अपनी जगह पर खड़े हो कर कुछ ज्यादा डिग्निटी से . . .

एक माननीय सदस्य : और अदब के साथ।

अध्यक्ष महोदय : . . . और अदब के साथ सवाल करने चाहिये। जब मैं किसी आनरेबल मेम्बर का नाम नहीं जानता हूं, तो मैं उंगली का इशारा कर के कहता हूं, "आनरेबल मेम्बर"। मैं अपने मन में समझता हूं कि वह भी काबिले-एतराज है, लेकिन चूंकि अभी मैं ने बहुत से

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्यों के नाम जानने हैं, इस लिये मुझे ऐसा करना पड़ता है। इस के लिये मैं मेम्बर साहबान से माफी चाहता हूं। जब मैं किसी की तरफ उंगली से इशारा करके "आनरेबल मेम्बर" कहता हूं तो वह अच्छा नहीं लगता है, वह बुरा है। मैं मेम्बर साहबान के नाम जानने की जल्दी कोशिश करूंगा, ताकि मुझे उंगली से इशारा में करना पड़े। मैं मेम्बर साहबान से दरख्वास्त करूंगा कि चूंकि इस तरह उंगली दिखाने से डेकोरम में फर्क पड़ता है, इस लिये ऐसा न किया जाय। लेकिन मैं होम मिनिस्टर साहब को यकीन दिलाता हूं कि उन को डरने की कोई वजह नहीं है। आर्डर आर्डर।

श्री दाजी (इन्दौर) : अगर माननीय मंत्री उंगली से डरेंगें, तो बम का मुकाबला कैसे करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य की उंगली भी बहुत ज्यादा तेज है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : आपने मुझे सवाल के पहले हिस्से का जवाब देने के लिये कहा है। मैंने शक की बात कही थी। इस सिलसिले में जो कुछ बातें सामने आती हैं, उन से शक पैदा होता है। लेकिन चूंकि ये बड़ी नाजुक बातें हैं, इस लिये जब तक इस बारे में पूरी तरह से जानकारी न हो, तब तक उन पर राय दे देना, या कुछ कह देना सहल नहीं है। इसलिये इस विषय में काफी जांच-पड़ताल करनी पड़ेगी।

मैं इतना और कहना चाहता हूं कि अभी मैंने इस बात का आदेश दिया है—और शायद वह जल्दी हो जायेगा—कि दूसरे सूबों के पुलिस अफसर ऊंचे दर्जे के पुलिस अफसर को बुला कर उनसे जांच कराई जाये। माननीय सदस्य, श्री नाथपाई, को दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में परेशानी है। इस लिये मैं उनके जवाब में निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बात का भी इन्तजाम करना चाहता हूं कि बाहर के लोग यहां आयें और इस मामले की जांच करें।

†**श्री रामसेवक यादव :** मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस को जानकारी हासिल करने में इस लिये तो दिक्कत तो नहीं हो रही है कि .....

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य उंगली न दिखायें।

श्री रामसेवक यादव : मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यहां पर इस प्रकार की बंदिशें और कवायद लगाए जायेंगे .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सवाल करें।

श्री रामसेवक यादव : .....कि कोई हाथ नहीं हिला सकता है, तो यह लोक सभा न रह जा कर कोई मुगल दरबार हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सवाल करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री रामसेवक यादव : सवाल तो करूंगा।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि यहां पर कोई राजनीतिक दल उन लोगों की मदद करता हो, इस लिये पुलिस या दूसरे सरकारी अधिकारियों को पता लगाने में और उनको सजा दिलाने में दिक्कत हो रही हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं। जहां तक हमें पता है, किसी राजनीतिक दल का उस में कोई दखल नहीं है और न ही किसी ने कोई मदद की है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वणिक नौवहन एक्ट के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : मैं वणिक् नौवहन एक्ट, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) दिनांक १३ अगस्त, १९६० को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३८ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम, १९६०।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—११२/६२]

(२) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२६७ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) संशोधन नियम, १९६०।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—११३/६२]

(३) दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८७ में प्रकाशित वणिक नौवहन (चिकित्सा अधिकारियों का ले जाया जाना) नियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—११४/६२]

(४) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२६५ में प्रकाशित वणिक नौवहन (समुद्र सेवा में शिशिक्षुता) संशोधन नियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—११५/६२]

(५) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३४७ में प्रकाशित वणिक नौवहन (पालदार जहाजों का पंजीयन) संशोधन नियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—११६/६२]

(६) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३४८ में प्रकाशित वणिक नौवहन (भारतीय जहाजों का पंजीयन) संशोधन नियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—११७/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

(७) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५१० में प्रकाशित वणिक नौवहन (सक्षमता के प्रमाणपत्र) नियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—११८/६२]

(८) दिनांक १० फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६७ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) संशोधन नियम, १९६२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—११९/६२]

(९) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९६ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, १९६२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१२०/६२]

(१०) दिनांक १० मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९६ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, १९६२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१२१/६२]

अत्यावश्यक पण्य एक्ट के अन्तर्गत आदेश

†**खाद्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** मैं अत्यावश्यक पण्य एक्ट, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक ८ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३७ में प्रकाशित रौलर मिले गेहूं के उत्पाद (मूल्य नियन्त्रण) संशोधन आदेश, १९६२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१२२/६२]

(२) दिनांक १० मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६७१ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियन्त्रण (चौथा संशोधन) आदेश, १९६२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१२३/६२]

(३) दिनांक १० मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६७३ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१२४/६२]

†मूल अंग्रेजी में

समितियों के लिए निर्वाचन

भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: मैं श्री स० क० पाटिल की ओर से प्रस्ताव करता हूं:—

"कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के क्रमशः दिनांक २२ जनवरी, १९५५ और ५ मार्च, १९६० के संकल्प संख्या एफ० १२–४१/५३–क्रम–२ और ६–१९८/५८–क्रम–२/४ द्वारा संशोधित भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के दिनांक १० अप्रैल, १९४५ के संकल्प संख्या एफ० ४०–२६/४४–क के पैराग्राफ ३ के खण्ड (७—९) के अनुसरण में लोक–सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के क्रमशः दिनांक २२ जनवरी, १९५५ और ५ मार्च, १९६० के संकल्प संख्या एफ० १२–४१/५३–क्रम–२ और ६–१९८/५८–क्रम–२/४ द्वारा संशोधित भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के दिनांक १० अप्रल, १९४५ के संकल्प संख्या एफ० ४०–२६/४४–क के पैराग्राफ ३ के खण्ड (७–९) के अनुसरण में लोक–सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासी निकाय

†**स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री द० स० राजू)** : मैं डा० सुशीला नायर की ओर से प्रस्ताव करता हूं:—

"कि आयुर्वेद के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र नियमों के नियम ४(७) के अनुसरण में, लोक–सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासी निकाय के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : महोदय, क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूं। जब माननीय मंत्री बैठे हैं, तो क्या उपमंत्री के लिए उनकी ओर से सभा में बोलना या कुछ प्रस्तुत करना उचित है?

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा तो यही है कि माननीय मंत्री जी यदि वह उपस्थित हैं तो स्वयं प्रस्ताव प्रस्तुत करें, परन्तु हमें अपने नवयुवकों को भी प्रशिक्षण देना है। कभी कभी ऐसा भी किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है :—

"कि आयुर्वेद के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र नियमों के नियम ४(७) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासी निकाय के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब माननीय मंत्री जी स्वयं उपस्थित हों, तो उन्हें ही प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। यह अच्छा नहीं लगता कि दूसरे मंत्री उनकी ओर से ऐसा करें।

दिल्ली विकास प्राधिकार मन्त्रणा परिषद्

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि दिल्ली विकास एक्ट, १९५७ की धारा ५ की उप-धारा (२) (ज) के अनुसरण, में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, दिल्ली विकास प्राधिकार सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि दिल्ली विकास एक्ट, १९५७ की धारा ५ की उप-धारा (२) (ज) के अनुसरण, में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, दिल्ली विकास प्राधिकार सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की मांगें--जारी

†अध्यक्ष महोदय : हम अनुदानों की मांगें जिनके लिए इस्पात और भारी उद्योग-मंत्रालय उत्तरदायी हैं पर चर्चा और मतदान आरंभ करेंगे। जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे पटल पर १५ मिनट में दे दें। समय-सीमा प्रत्येक माननीय सदस्य को पता है।

वर्ष १९६२-६३ के लिये इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय के लिये निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८६	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय	१८,३०,०००
८७	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	३८,९०,५५,०००
१३५	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	९५,५७,४३,०००

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : पिछले वर्ष यह विषय विवादास्पद था कि तृतीय पंचवर्षीय योजाना के १०० लाख टन का जो लक्ष्य था, ज्यादा था या नहीं, परन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जो आवश्यकताएं होंगी, उस के लिये कम था। पिछले वर्ष सरकार ने कहा १०० लाख टन का कम से कम लक्ष्य था जो हमें पूरा करना चाहिये। अब सब से महत्वपूर्ण समस्या यह है कि यह लक्ष्य पूरा होने की संभावना नहीं। हमारे इस्पात के संयन्त्रों में उत्पादन कम हो रहा है। इसलिये लक्ष्य पूर्ति की सम्भावना नहीं है।

अगला प्रश्न है विस्तार का। इस विषय में भी हम काफी पीछे हैं। इसलिये यह स्पष्ट नहीं है कि तृतीय योजना के अन्त तक विस्तृत सामर्थ्य का लाभ उठा सकेंगे।

अब मैं उस मामले के विषय में कहता हूं जिसका उल्लेख प्राक्कलन समिति ने अपने ३३वें प्रतिवेदन में किया। निःसन्देह मूल कीमतें बढ़ गई हैं। विस्तार के प्रोग्राम की कीमतें भी बार बार बढ़ रही हैं। हमारे विस्तार के प्रोग्राम में काफी गड़बड़ है।

बोकारो इस्पात संयंत्र अमरीका के सहायता से स्थापित होता है। अमेरिका इस विषय में देरी कर रहा है। अब एक दल यह देखने के लिये भारत आ रहा है कि क्या यहां इस्पात के अधिक उत्पादन की सम्भावना है। यह तो हम ने देखना है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। अमेरिका यह दल क्यों भेज रहा है? हमारे संसद् ने १०० लाख टन का लक्ष्य निश्चित किया है। हम इस निर्णय को नहीं हटा सकते। यदि उन्होंने सहायता देनी है तो अच्छी बात है। यदि सहायता नहीं देनी तो हम कहीं और देश से ले लेंगे। तृतीय योजना का दूसरा वर्ष आरम्भ हो गया है। भिलाई 'पलांट' को चालू करने के लिये ५ साल लग गए। यदि इसी रफ्तार से बोकारो 'पलांट' भी पूरा हो जाए तो भी तृतीय योजना में इससे कोई इस्पात नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि तीन लाख टन इस्पात की जो आशा बोकारो 'पलांट' से थी वह पूरी नहीं होगी।

यदि अमरीका सहायता नहीं दे रहा तो रूस तथा अन्य देशों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये, नहीं तो तृतीय योजना का लक्ष्य पूरा नहीं होगा।

जो दुर्गापुर में विशेष मिश्र इस्पात और उपकरण 'पलांट' स्थापित करता था उस के विषय में वही कहानी दुहराई गई है। इस को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी गई है, यद्यपि योजना में ऐसा कहा गया है।

तीसरी योजना के दूसरे वर्ष में भी इस संयंत्र की स्थापना के लिये विदेशी मुद्रा देने में सरकार असमर्थ है। इसकी स्थापना के लिये अब भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र जिसे भी कुछ कोटा दिया गया था उसे भी नहीं मिला, प्रतिरक्षा संगठन भी कुछ संयंत्र डालने को था वह भी इसकी स्थापना नहीं कर सका। द्वितीय योजना में कोई संयंत्र नहीं स्थापित किये गये। हम अपने लक्ष्य में पिछड़ गये हैं। मेरा निवेदन तो यही है कि ऐसे कदम उठाये जायें जिससे कि इन आगामी तीन वर्षों में नये संयंत्र की स्थापना हो सके और वास्तविक उत्पादन हो सके। ऐसा मालूम होता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हिन्दुस्तान स्टील लि० की अंतिम तो नहीं बल्कि गत वर्ष का प्रतिवेदन हमारे सामने है। अंतिम प्रतिवेदन दिया जाना चाहिये था। गैर-सरकारी समवाय इस प्रकार के कार्य किया करते हैं कि समय निकल जाने के बाद वे अपना प्रतिवेदन देते हैं। सरकार को ऐसा करना शोभा नहीं देता। इसमें दिखाया गया है कि रूरकेला में १५५.६ लाख, दुर्गापुर में ७५ लाख की हानि है और भिलाई में १५२.७ लाख

†मूल अंग्रेजी में

रुपये का लाभ हुआ है। भिलाई और रूरकेला ने साथ साथ काम शुरू किया था। यह बड़ी विचित्र बात है कि एक कारखाने में तो हानि हुई है और दूसरे में लाभ। इससे तो यह प्रकट होता है कि एक संयंत्र जो समाजवादी देश से आया वह तो अच्छा काम कर रहा है और जो एक पूंजीवाद देश से आया उसमें नाना प्रकार की कठिनाइयां हैं। मेरा एक यही सुझाव है कि सभा में जो शिकायतें की हैं उनको दूर करने के लिये यथासंभव शीघ्र ही कदम उठाये जाने चाहियें जिससे कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकें।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स का महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि कुछ नये संस्थान भी इसके अधीन आने वाले हैं। इसका जो भी उत्पादन दिखाया गया है वास्तव में उतना उत्पादन हुआ नहीं है। भोपाल के "हैवी इलेक्ट्रिकल्स' द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है। अधिकारियों ने आयातित बिजली के मोटरों को कारखाने द्वारा तैयार किया गया बताने का दुस्साहस प्रधानमंत्री के समक्ष किया है। इस प्रकार वे प्रधान मंत्री तक को धोखे में डाल रहे हैं। यह एक गम्भीर बात है और इसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। वहां जो भी काम किया जाता है उसका 'उद्घाटन समारोह' अवश्य किया जाता है। हर महीने वहां 'उद्घाटन समारोह' मनाया जाता है। इससे यह मालूम होता है कि हर चीज़ लक्ष्य के अनुसार हो रही है जब कि वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है। मालूम हुआ है कि वहां विदेशी टेक्निशियनों का एक दल आया हुआ है जब कि वास्तव में उसका काम आज से छः महीने बाद शुरू होगा। माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार की धांधली की जांच करे। इस प्रकार की बातें वहां नहीं होनी चाहियें।

"हिन्दुस्तान स्टील लि०" द्वारा सरकारी उद्योग क्षेत्र की प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये बम्बई के एक गैर-सरकारी सार्थ के साथ लाखों रुपये के ठेके की बातचीत की जा रही है। इस सार्थ के मैनेजिंग डाइरेक्टर सरकारी उद्योग क्षेत्र के कट्टर दुश्मन है। माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करें और बतायें कि इस प्रकार के ठेके की क्या आवश्यकता है।

मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि इस्पात का प्रतिधारण मूल्य हर वर्ष क्यों बढ़ाया जा रहा है और इन वार्षिक वृद्धियों का उसके उत्पादन की लागत में वृद्धि से कोई सम्बन्ध है।

हमने कुछ लौह अयस्क खानों का यन्त्रीकरण किया है। किन्तु सरकार "सिंटरिंग प्लांट" के सम्बन्ध में कोई प्रगति करने में असफल रही है इससे ब्रास्ट भट्टी के उत्पादन में तुरंत ही उन्नति हो सकती है।

यह बात समझ में नहीं आयीं सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में श्रमिक कानूनों के पालन की अपेक्षा उल्लंघन अधिक होता है। पांच वर्ष हो गये हैं लेकिन रूरकेला में अभी तक स्थायी आदेशों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मान लीजिये कि यह बात कहीं गैर-सरकारी क्षेत्र में होती तो सरकार उसके प्रबन्धकों को न जाने कितना दंड देती। स्थायी आदेशों के न होने के कारण प्रशिक्षित व्यक्ति सेवा से निकाल दिये जाते हैं उनको परेशान किया जाता है। अतिरिक्त काम करने के लिये उन्हें भत्ता नहीं दिया जाता। श्रमिकों के साथ सम्बन्ध भी अच्छे नहीं हैं। सम्पर्क अधिकारियों से परामर्श तक नहीं लिया जाता। कार्य समिति, कैन्टीन समितियों की स्थापना तक नहीं की गई है। एक ओर तो श्रमिकों को प्रबन्ध में लेने की बात की जाती है और दूसरी ओर सरकार अपने ही क्षेत्र में उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव करती है। भला यह बात कहां तक ठीक है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों के साथ कभी भी अच्छे सम्बन्ध नहीं हो सकते।

कहने को तो मजूरी बोर्ड है किन्तु एक आदमी ही सब कुछ कर देता है। भिलाई में यही हुआ। श्रमिकों के वेतन बढ़ाने की अपेक्षा उनके वेतन कम कर दिये गये। ऐसी स्थिति में यह

[श्री दाजी]

आशा कैसे की जा सकती है कि वहां के श्रमिक जी लगा कर काम करेंगे । उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये था न कि वेतन में कमी ।

श्रम-नीति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है । मजदूर संघों के साथ बातचीत करके मामला निपटाने का प्रयत्न करना चाहिये । न कि कोई दबाव डाल कर मामलों को निपटाने का प्रयत्न करना चाहिये । मेरा सुझाव है कि इस्पात संयंत्रों में श्रमिक सम्बन्धों की देखभाल केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिये न कि राज्य सरकारों द्वारा । सभी इस्पात संयन्त्रों से इस बात की मांग की जा रही है । राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से हम उकता गये हैं ।

आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इन सभी बातों पर विचार करेंगे । बोकारो इस्पात संयंत्र की समस्या का समाधान करते समय इस बात का भी प्रयत्न करेंगे कि अमरीका का हस्तक्षेप कहीं बहुत अधिक न हो जाये ।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : आजकल हम औद्योगिक क्रान्ति युग में से गुजर रहे हैं । मंत्रालय को इस क्षेत्र में अतः बहुत ही महत्वपूर्ण योग दान करता है । देश में लोहा तथा इस्पात की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है । और उसका कारण यह दिखाई पड़ता है कि हमारे यहां इस्पात का उपयोग करने वाले उद्योगों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है । मांग में तो वृद्धि अवश्य हुई है किन्तु उत्पादन में उसके अनुसार वृद्धि नहीं हुई है । संभरण की कमी के कारण उपभोक्ताओं को चोरबाजारी का सहारा लेना पड़ता है । अधिक मूल्य दे कर अपनी मांग की पूर्ति करनी पड़ती है । १९६१–६२ में कुल ४१.५ लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ । इसमें से ३१.५ लाख टन तो हमारे देश में तैयार हुआ और १० लाख टन विदेश से आयात किया गया। अतः हमें उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने चाहियें। और यह प्रयत्न करना चाहिये कि उपभोक्ताओं को ठीक दरों पर इस्पात मिलने लगे ।

दूसरी योजना में भारी उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया था किन्तु गत पांच वर्षों में उन्होंने जो उत्पादन किया है उससे बड़ी निराशा हुई है । ऐसी आशा थी कि तीसरी योजना में ये इस्पात संयंत्र १५० करोड़ रुपये का अतिरिक्त माल देंगे । सभा के सभी सदस्यों की राय है कि इस्पात संयंत्रों में जो धन लगा है उससे अच्छी आय होनी चाहिये थी । कुल मिलाकर इनमें अब तक ६०७.२ करोड़ रुपये की पूंजी लग चुकी है । इस्पात का प्रतिधारण मूल्य बढ़ा कर लाभ दिखाने का प्रयत्न किया गया है । जो कि कारी चाल है, धोखा है । सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को तो असलियत दिखानी चाहिये थी ।

हिन्दुस्तान स्टील ने गत वर्ष ७४.३४ लाख रूपये की हानि दिखाई है । यही हाल लगभग सभी इस्पात संयंत्रों का है । हर साल हम इन संयंत्रों में कुछ न कुछ रुपये लगा रहे हैं किन्तु लाभ कुछ नहीं मिल रहा है । यदि वर्ष १९६१–६२ के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि देश के ७३ सरकारी क्षेत्रों का लाभ कुल मिलाकर ०.३ प्रतिशत से भी कम आता है । यदि यह दशा कहीं गैर-सरकारी क्षेत्रों में होती तो वहां के प्रबन्धकों को कभी का निकाल बाहर किया गया होता । गत वर्ष अगस्त के महीने में प्रधान मंत्री ने कहा था कि ये सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्रों का मुकाबला करेंगे । मेरा निवेदन तो यह है कि इन सरकारी क्षेत्रों का प्रबन्ध ठीक ढंग से नहीं हो रहा है । और इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय

†मूल अंग्रेजी में

प्रगति पर आघात पहुंचता है। चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समुचित लाभ नहीं हो रहा है इसलिये उनके प्रबन्ध और कार्यकरण में सुधार करने के लिये कदम उठाने चाहियें। कम लाभ होने के लिये ये कारण जिम्मेदार हैं : गलत प्रकार के कर्मचारियों का चुनाव, लागत और मंत्रालय में शक्ति का ख्याल न रखना एवं अत्यधिक केन्द्रीयकरण। मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति को सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहिये। प्रशिक्षित व्यक्तियों की भी बहुत कमी है। सामान्य प्रबन्ध की अपेक्षा व्यापारिक प्रबन्ध अलग चीज है। इसलिये ऐसे आई० ए० एस० पदाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों को इन विशाल उद्योगों का प्रबन्ध नहीं देना चाहिये जिन्हें इनका कोई अनुभव नहीं है।

इन संयंत्रों में प्रशासक मानवीय दृष्टिकोण का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। रूरकेला में हड़ताल हुई वहां काफी नुकसान हुआ, लोगो को नौकरी से अलग किया गया। लेकिन वहां के प्रबन्धक अभी तक श्रमिकों को परेशान कर रहे हैं। रूरकेला में आधुनिकतम मशीनें लगाई गई हैं। वहां आये दिन कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। यही कारण है कि वह अपने लक्ष्य से बहुत पीछे है। रूरकेला में किसी भी मजदूर संघ को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है इस प्रकर वे संयुक्त रूप से अपनी मांग नहीं रख सकते।

सरकारी उद्योगों में श्रम सम्बन्धों का संचालन बहुत खराब ढंग से किया जाता है, और यही कारण है कि उन उपक्रमों में हड़तालें और तालाबन्दियां प्रायः होती रहती हैं। प्रशासन द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जाता है।

इन इस्पात संयंत्रो को ऐसे स्थानों पर लगाया गया है यहां कि लोग सिफारिशें करने में सफल हुए हैं। सरकार सिफारिश मानती है। मेरा सुझाव तो यह है कि सरकार यदि यह चाहती है कि सारे देश का विकास समान रूप से हो तो ऐसे स्थानों में ये उद्योग डाले जायें जहां कि वास्तव में उनकी आवश्यकता है एवं वे क्षेत्र पिछड़े हैं। सरकार को चाहिये कि एक इस्पात संयंत्र दंडकारण्य में खोलें। इनके लिये स्थान का चयन किसी दल विशेष की इच्छानुसार न होकर आवश्यकता के अनुसार होना चाहिये।

समस्त उद्योगों में उपभोक्ता मंत्रणा परिषदें बनाई जानी चाहियें। ये परिषदें मूल्यों तथा माल की किस्म के विषय में उपभोक्ताओं के विचारों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं।

इन उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों का हाथ होना चाहिये। इसका प्रभाव मूल्यों पर पड़ेगा और उत्पादित माल की किस्म में सुधार होगा तथा संयंकों का स्तर भी बढ़ेगा। आशा है कि सरकार इस बारे में विचार करेगी।

समस्त सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों की देख भाल के लिये एक संविहित समिति बनानी चाहिये। जो इनके काम की देख भाल करने के बाद यह बताये कि इनके उपबन्धों का और सुधार किस प्रकार किया जा सकता है।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : अच्छा होता 'इस्पात' मंत्रालय ही अलग होता। किसी देश के औद्योगिक कार्यक्रम में इस्पात का बहुत बड़ा महत्व है। हम देखते हैं कि हर साल देश में इस्पात की मांग बराबर बढ़ती जा रही है। लेकिन इस्पात का संभरण बहुत कम है यही कारण है कि उद्योग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते हैं। इस्पात की मांग अधिक होने के कारण यह चोर-बाजारों में बिकता है और इसका मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[श्री हेडा]

इस्पात की कमी के कारण आज प्रत्येक उद्योग की कुशलता, चाहे वह बड़ा हो अथवा छोटा, कम हो गई है। ऐसी स्थिति आ गई है कि यदि कुछ न किया तो ये छोटे छोटे उद्योग एक दिन निश्चय ही ठप्प हो जायेंगे। इसलिये इस्पात का उत्पादन बढ़ाना चाहिये ताकि इस्पात सबको उपलब्ध किया जा सके।

भारी उद्योग मंत्रालय को केवल उद्योग मंत्रालय होना चाहिये था, अथवा उसे समस्त सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का भारी बनाया जाना चाहिये था। अभी जैसा उसका संगठन है उससे पहले की अपेक्षा अधिक गड़बड़ उत्पन्न होने की संभावना है। सरकार को इस विभाग के पुनर्गठन पर विचार करना चाहिये।

भारी उद्योग के अन्तर्गत बहुत से विषय रख दिये गये हैं। यदि अन्य दूसरे मन्त्रालयों से इसकी तुलना की जाये तो देखेंगे कि यह काफ़ी बड़ा मंत्रालय बन गया है। इसके अलावा जनता के सामने अब यह भी कठिनाई है कि उनको यदि कहीं आवेदन करना है तो वह किस मंत्रालय को आवेदन भेजें।

सरकार ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों के छोटे से क्षेत्र में उद्योगों का भारी जमाव कर दिया है। समस्त भारी इस्पात उद्योग वहीं स्थित हैं। इससे अनेक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं जैसे बिजली, कच्ची सामग्री और परिवहन के साधनों की कमी। यह बात समझ में नहीं आई। अच्छा तो यह होता कि यदि ये उद्योग सभी राज्यों में स्थापित किये जाते। जब हम इसकी तुलना अन्य पिछड़े वर्गों से करते हैं तो यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है।

रूरकेला और दुर्गापुर की अपेक्षा भिलाई का काम अच्छा रहा है। लेकिन लक्ष्य की पूर्ति भिलाई में भी नहीं हुई है। हमारे देश के व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के मामले में रूस वालों ने हमारी आशाएं पूरी नहीं की हैं।

जहां तक रूरकेला की बात है जर्मन लोग हमारे ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और यही कारण है कि वहां काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। मेरा सुझाव है कि यह विवाद ठीक ढंग से हल कर लेना चाहिये ताकि उत्पादन पर इसका कोई प्रभाव न पड़े।

जहां तक इस्पात उद्योग के लिये अमरीका की सहायता की बात है। वे हमारी कठिनाइयां जानते हैं हमें भी उनकी कठिनाइयों का ध्यान रखना चाहिये। वे हमारे योजना आयोग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। इसने जो कार्य किया है उसे वह बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। मेरा एक सुझाव है कि योजना आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य का प्रसार वहां अमरीका में और भी अच्छी तरह से किया जाना चाहिये। इससे लाभ यह होगा कि अमरीका वाले जो सहायता भारत को देते हैं उसके समर्थन में अमरीकी अधिकारियों को बल मिलेगा और वे कह सकेंगे कि भारत को दी जाने वाली सहायता का सदुपयोग हो रहा है।

वे भारत को एक महान देश मानते हैं। और इसके प्रति उनकी श्रद्धा है।

पहले वे लोकतांत्रिकता और योजनीकरण को परस्पर विरोधी समझते थे। वे समाजवाद शब्द को भी अब सम्मान की दृष्टि से देखने लगे हैं। हालांकि वे स्वयं 'समाजवाद' शब्द का प्रयोग न करके 'कल्याणकारी राज्य' का इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है।

श्री दाजी द्वारा कही गई बातों का यही उत्तर है।

कारण जो भी हो, सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्य-संचालन की तुलना की जा रही है और एक वाद-विवाद खड़ा हो गया है। हमने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य सामने रखा है। सरकारी क्षेत्र की सब से बड़ी खामी यही है कि उसके संचालक व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं अपना पाये हैं, इसलिये वे मुनाफे नहीं कर पाते। वे केवल कार्य-संचालन पर ही जोर देते हैं।

सरकारी क्षेत्र में कार्यक्षमता की कमी इसीलिये है कि उसमें नौकरशाहियत घुस गई है। इसीलिये वह गैर-सरकारी क्षेत्र की भांति मुनाफे कमा कर अपने विस्तार के योग्य धन इकट्ठा नहीं कर पाता। सरकारी क्षेत्र का मुनाफा केवल ०.३ प्रतिशत बैठता है। जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र का न्यूनतम मुनाफा १० प्रतिशत है। हमें कोशिश करनी चाहिये कि सरकारी क्षेत्र का कार्य-संचालन वाणिज्यिक दृष्टि से हो।

मैं इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : खेद की बात है कि इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हुए भी, इस समय सभा में मंत्रिमंडल के स्तर का एक भी मंत्री उपस्थित नहीं है।

हम मंत्रालय को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, इसलिये मैं इस मंत्रालय के विभाजन के औचित्य का प्रश्न एक बार फिर उठाना चाहता हूं। सरकारी क्षेत्र को अपनी प्रभावशीलता और उपयोगिता के बल पर गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता में आगे बढ़ने योग्य होना चाहिये। मंत्रालय के विभाजन के प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये। मैं अभी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि इस नये विभाजन से गड़बड़ी ही अधिक होगी, या कार्यक्षमता बढ़ेगी।

सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योग कई विभिन्न मंत्रालयों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अब क्या उन सब को इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय के ही अन्तर्गत लाया जायेगा? इन उद्योगों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि रेलवे उनके लिये पर्याप्त परिवहन-व्यवस्था नहीं कर पाती। रेलवे मंत्री इस आरोप का प्रतिवाद करते हैं। उनका कहना है कि कमी रेलवे के माल-डिब्बों की नहीं, कोयले के उत्पादन की है। सरकारी क्षेत्र में इस्पात रहना ही चाहिये। लेकिन उसे एक अलग मंत्रालय में रखना, सरकारी क्षेत्र को दो मंत्रालयों में बांटना होगा। इस प्रकार का विभाजन सरकारी क्षेत्र के हित में नहीं रहेगा।

'हिन्दुस्तान स्टील' लिमिटेड पर सरकार का नहीं, संसद् का नियंत्रण रहना चाहिये। संसद् को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाती है। इस प्रश्न को सभा में कई बार उठाया जा चुका है। सब से पहली बार इसे १९५३ में उठाया गया था। लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हुआ है।

प्राक्कलन समिति ने अपने तेहत्तरवें प्रतिवेदन में इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था और सिफारिश की थी कि संसद् को इनके सम्बन्ध में सूचित करने की पद्धति में सुधार किया जाये। लेकिन सरकार ने वैसा कुछ नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

सरकारी क्षेत्र से आशा थी कि वह तृतीय योजना के लिये पर्याप्त अंशदान कर सकेगा। लेकिन उसकी स्थिति यह है कि १९६०–६१ में उन पर ६०५ से ७०९ करोड़ रुपये तक विनियोजन हुआ, पर मुनाफ़ा १९६०–६१ में २.०१ करोड़ और १९६१–६२ में उस से भी कम १.९५ करोड़ रुपया ही हो पाया। संसदीय नियंत्रण रहने से स्थिति में अवश्य कुछ सुधार किया जा सकता है।

संसद् के लगभग सभी सदस्य चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सफलता मिले। इसलिये संसदीय नियंत्रण के प्रश्न पर पुनः विचार किया जाना चाहिये। संसद् को उनकी पर्याप्त जानकारी रहनी चाहिये।

इन मांगों पर चर्चा करते समय हमें देखना चाहिये कि इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र में अभी तक कितनी प्रगति हुई है।

द्वितीय योजना में प्रति वर्ष ६० लाख टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। १९६१–६२ की कुल मांग का अनुमान ६२ लाख टन का था। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की प्राधिकृत पूंजी ३०० करोड़ रुपये से बढ़ा कर ६०० करोड़ रुपये कर दी गई है।

माननीय मंत्री ने ९ मई को इस्पात पिण्डों के उत्पादन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ तक के सरकारी क्षेत्र के ये आंकड़े दिये थे :

भिलाई	१२.७ लाख टन
रूरकेला	६.३४ लाख टन
दुर्गापुर	६.३ लाख टन

इसमें हमें ध्यान रखना चाहिये कि इन तीनों कारखानों ने लगभग एक साथ ही काम शुरू किया था। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि इन तीनों कारखानों की योजना एक साथ नहीं बनाई गई थी। एक ही निगम इन तीनों इतने बड़े-बड़े कारखानों के काम की देख-भाल नहीं कर सकता। उनके प्रबन्ध में सरकारी अधिकारियों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। उनको अधिक कार्यक्षम बनाने के लिये आवश्यक है कि उनको थोड़ी स्वायत्तता भी दी जाये।

अधिकारियों की भरमार होने से कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह भी बिल्कुल सही है कि इस्पात कारखानों की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। बोकारो के इस्पात कारखाने के लिये अमरीका का सहयोग मिल रहा है। समाचारपत्रों में समाचार आया है कि उसके बारे में तथ्य इकट्ठे करने के लिये एक अमरीकी दल भारत आ रहा है। क्या उस सब के बाद ही अमरीका यह निश्चित करेगा कि कारखाना खड़ा करने के लिये वे सहायता दें या नहीं? उससे तो कारखाने की स्थापना में बड़ा विलम्ब हो जायेगा। और, इन तीनों वर्तमान कारखानों के काम को देखते हुए, यह आशा नहीं बंधती कि तृतीय योजना का एक करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य पूरा भी हो सकेगा।

रूरकेला के बारे में मंत्रालय के इसी प्रतिवेदन में स्वीकार किया गया है कि वह घाटे में चल रहा है। उसी कारखाने में सबसे पहले काम शुरू हुआ था। वहां अभी तक मशीनों की खराबी के कारण २६ बार काम बन्द हो चुका है। मशीनों की खराबी के अलावा श्रमिकों और प्रबन्धकों के विवाद भी वहां उठ खड़े हुए हैं।

विवादों का कारण यह है कि वहां एक भी कार्मिक संघ को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। जबकि वहां एक-दो नहीं, पांच कार्मिक संघ चल रहे हैं। उनकी मान्यता के सम्बन्ध में एक जांच भी की गई थी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला।

रूरकेला की सभी समस्याओं पर विचार करने के लिये एक जांच-पड़ताल समिति नियुक्त की जानी चाहिये। राष्ट्रीय उपक्रमों को इस तरह मटियामेट नहीं होने देना चाहिये।

भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के लिये कुछ सोवियत विशेषज्ञ लेने के समझौते पर सोवियत संघ के साथ हस्ताक्षर हुए हैं। प्राक्कलन समिति ने इस विषय पर लिखा था कि विदेशी विशेषज्ञों की संख्या देश में न्यूनतम रखनी चाहिये। हाल की घटनाओं को देखते हुए, इसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

हम विदेशों से सहायता तो लें, पर अपने उद्योगों को विदेशी विशेषज्ञों पर पूरी तौर से आश्रित रखना निरापद नहीं होगा। वरना किसी भी दिन राजनीतिक मतभेद होने पर पूरे उद्योग का काम रुक सकता है। इसलिये हमें सावधानी रखनी चाहिये।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : मैं केवल इस्पात का प्रश्न लेता हूं।

इस्पात का महत्व भारत ही नहीं, सारे संसार में बढ़ता जा रहा है। संसार भर में पिछले दस वर्ष में इस्पात का उत्पादन १५ करोड़ ८० लाख टन से बढ़ कर ३४ करोड़ टन हो गया है।

इस शताब्दी के औद्योगिक विकास का मुख्य आधार इस्पात ही है। और आगे चल कर इस्पात की मांग और भी तेजी से बढ़ेगी।

१९५० से १९६० के बीच हमारे देश में इस्पात का उत्पादन १० लाख टन से बढ़ कर २२ लाख टन हो गया है। लेकिन उसकी मांग और भी तेजी से बढ़ गई है। १९६१–६२ में हमारी कुल मांग ६२ लाख टन की थी, और सम्भरण, आयात सहित, ४१ लाख टन था। २१ लाख टन इस्पात की कमी है, जो निरन्तर बढ़ती जा रही है।

द्वितीय योजना का लक्ष्य ४२ लाख टन था, और उत्पादन केवल २८ लाख टन ही हो पाया था।

तृतीय योजना का लक्ष्य १ करोड़ टन है। पर इसकी पूर्ति असम्भव दिखती है। उसके लिये अथक प्रयत्न करना पड़ेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ की उपसमिति ने भारत में १९७४ तक इस्पात की मांग का मूल्यांकन २८० लाख टन का किया था। अभी हमारी क्षमता केवल ६० लाख टन के उत्पादन की है और वास्तविक उत्पादन केवल ३२ लाख टन है। इसलिये अभी बहुत कुछ करना शेष है।

लगता है कि द्वितीय योजना के लक्ष्य शायद तृतीय योजना के मध्य तक पूरे हो पायेंगे। इस्पात जैसे बुनियादी और अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्योग की भावी योजनायें भावी आवश्यकताओं को सामने रख कर तैयार की जानी चाहियें।

उत्पादन-वृद्धि के दो ही उपाय हैं : एक तो यह कि वर्तमान क्षमता को बढ़ाया जाये और दूसरा यह कि नयी क्षमता पैदा की जाये। अब भिलाई को १५०, रूरकेला को ८० और दुर्गापुर को ६० प्रतिशत विस्तारित किया जा रहा है। सोवियत विशेषज्ञ के अनुसार, भिलाई का और अधिक विस्तार तृतीय अवस्था में किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

नयी क्षमता पैदा करने की अपेक्षा वर्तमान क्षमता में वृद्धि करना अधिक सस्ता पड़ता है। नये कारखाने की लागत २,००० रुपये प्रति टन आयेगी, लेकिन वर्तमान क्षमता को विस्तारित करने की लागत १,००० रुपये प्रति टन ही पड़ेगी।

विस्तार करना इसलिये भी ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसमें नयी-नयी टेकनीकों और आधुनिकतम सुधारों को सम्मिलित किया जा सकेगा।

तीसरा फायदा यह होगा कि विस्तार करने में अधिक समय नहीं लगेगा।

और, चौथा फायदा यह कि नये उद्योगों को खड़ा करने में अनेक प्रारम्भिक कठिनाइयां आती हैं।

इसलिये मैं वर्तमान कारखानों के विस्तार की ही सलाह दूंगा।

बड़े-बड़े कारखानों की संचालन लागत भी अपेक्षाकृत कम पड़ती है। कारखाना जितना बड़ा होगा उसकी प्रति टन क्षमता की लागत उतनी ही कम पड़ेगी। इसलिये नये कारखानों की स्थापना के समय विस्तार की काफी गुंजाइश रखी जानी चाहिये।

बड़े-बड़े कारखानों की योजना बनाने में एक लाभ यह भी है कि कारखाना खड़ा करने की लागत हर वर्ष में २ प्रतिशत बढ़ती जाती है। इसलिये बड़े कारखाने खड़े करने से लागत-वृद्धि नहीं हो पाती।

'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' के बारे में लोगों का ख्याल है कि उसके उच्चाधिकारियों का प्रबन्ध ठीक नहीं है। वह देश ही नहीं, संसार भर का सबसे बड़ा निगम है। लेकिन वह इस्पात कारखानों का सही-सही पथ-प्रदर्शन नहीं कर पाया है। उदाहरण के लिये रूरकेला कारखाने को अप्रैल १९५९ से जुलाई १९६१ विलम्ब शुल्क के रूप में एक करोड़ से अधिक रुपयों का भुगतान रेलवे को करना पड़ा था। एक पत्र का उत्तर देने में उनको छः महीने लग जाते हैं। यदि इसी तरह अवाणिज्यिक ढंग से सरकारी क्षेत्र के कारखाने चलाये जायेंगे, तो उनकी प्रगति असंभव है।

हमारे आर्थिक विकास की रीढ़ ये तीनों इस्पात कारखाने ही हैं। यदि वे सफल न हुए तो जनता का आत्मविश्वास चूर-चूर हो जायेगा। इसलिये सरकार को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

लक्ष्य है कि इन इस्पात कारखानों से तृतीय योजना के लिये १११० करोड़ राशि मिल सके। लेकिन वर्तमान प्रगति देखते हुए, इस पर विश्वास नहीं जमता।

इसीलिये योजना आयोग को अब उसकी चिन्ता सता रही है। इसीलिये अब हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन की बात चलने लगी है। यदि एक ही निगम काम न सम्भाल सके तो दो या तीन निगम भी बनाये जा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव रखा है कि इस्पात कारखानों को अधिक स्वायत्तता दी जाये। मैं इसे उचित नहीं समझता। मैं तो समझता हूं कि उस पर सरकारी नियन्त्रण अत्यावश्यक है।

हमारे देश में रूरकला इस्पात कारखाना आधुनिकतम माना जाता है यह भी कहा जाता है कि रूरकेला में तैयार वस्तुओं का मूल्य ८०० से ८५० रुपये प्रति टन होगा, जबकि अन्य कारखानों की वस्तुओं का मूल्य ५०० रुपये प्रति टन ही रहेगा। उसमें प्रतिवर्ष १० करोड़ रुपये के मूल्य की १४ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होगा।

परन्तु रूरकेला कारखाने में बार बार मशीनें बिगड़ने से काम बन्द हो जाता है।

दूसरी चीज यह कि उसका उत्पादन अभी बहुत ही कम है।

इसलिये हमें रूरकेला कारखाने की बड़ी बारीकी से छानबीन करने के लिये कोई कदम उठाना चाहिये।

मेरी समझ में तो रूरकेला की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि वहां अनेकानेक ठेकेदारों को ठेके दिये गये हैं। उनके बीच सहकार्य नहीं हो पाता। फिर वहां के प्रबन्धक भी बार-बार बदलते रहे हैं। इस तरह सुचारु प्रशासन नहीं हो सकता। वहां किसी अच्छे प्रशासक को प्रबन्धक के पद पर भेजना चाहिये।

रूरकेला और दुर्गापुर में कच्चे माल की कमी और परिवहन की कठिनाइयों की वजह से उत्पादन कम हो पाया है। यदि उत्पादन की गति नहीं बढ़ेगी, तो इतना अधिक विनियोजन हमारे लिये लाभदायक नहीं रहेगा।

भारी उद्योगों के क्षेत्र में हमें संसार की आधुनिकतम तकनीकी प्रगति के साथ कदम मिला कर चलना चाहिये। टैक्नीकल गवेषणा का विकास किया जाना अत्यावश्यक है।

†**श्री कु० च० पन्त** (नैनीताल) : इस्पात और खान मंत्रालय की स्थापना अभी हाल हुई है तथापि इस मंत्रालय के अधीन लोहा, इस्पात, भारी मशीनों और उर्वरकों का कार्य आता है जिनके विकास के ऊपर तीसरी योजना का भविष्य निर्भर है।

कुछ लोग इस्पात की उत्पादन वृद्धि का विरोध कर रहे हैं तथापि मेरा उनसे मतभेद है। जब हमारे देश में लौह अयस्क की बड़ी बड़ी खानें मौजूद हैं, आवश्यक मजदूर उपलब्ध हैं, और इतनी बड़ी जनसंख्या है जो कि ऐसे कई बड़े बड़े कारखानों के उत्पादन को खपा सकें तब इसकी गति में कमी करने से क्या लाभ ?

श्री मुरारका ने देश की बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए इस्पात उत्पादन के लक्ष्य में और अधिक वृद्धि करने का सुझाव दिया है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। विकासशील देशों का यह अनुभव रहा है कि औद्योगिक आधार पर विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में इस्पात और शक्ति के आधिक्य होने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

पहिली योजना की अवधि में इस तथ्य की उपेक्षा करने का हमें अभी तक पश्चाताप करना पड़ रहा है, तथापि यदि हम पिछले दस वर्षों में इस ओर किये गये प्रयत्नों की ओर ध्यान देवें तो ज्ञात होगा कि वे सन्तोषजनक रहे हैं। उक्त अवधि में इस्पात लोहे और रसायनिक वस्तुओं के उत्पादन में क्रमशः ४००, १२४ और ४०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उक्त अवधि में उर्वरकों के उपभोग में ३१८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कई महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन लक्ष्य प्राप्ति से बहुत कम रहा है। यथा लोहा और इस्पात, उर्वरक, रसायनिक गूदा, सोडा एश इत्यादि। मैं इस्पात के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। दूसरी परियोजना में ६० लाख टन लोह पिंडों का और ४३ लाख टन बिक्री के योग्य लोहे के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। जबकि लौह पिंडों का कुल उत्पादन ३५ लाख टन और तैयार इस्पात केवल २२ लाख टन था। इसका परिणाम यह हुआ कि वह राशि जो विकास कार्य के लिये सुरक्षित रखी गयी थी उसे इस्पात के निर्यात में व्यय करना पड़ा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृ० च० पन्त]

उत्पादन में जो कमी हुई है हमें उनसे यह सीखना है कि उसका क्या कारण है जिससे कि भविष्य में गलतियों की पुनरावृत्ति न हो सके। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि हमने इस्पात संयंत्रों के निर्माण में बहुत बड़ी राशि विनियोजित की है। यह राशि आरम्भ में ३५० करोड़ रु० थी जो बढ़ कर ६०० करोड़ से भी अधिक हो गयी। इतनी वृद्धि बहुत अधिक है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ा है।

जहां तक इस लगाई गई पूंजी से होने वाले लाभ का प्रश्न है आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि १९६०-६१ में ७४·३४ लाख रु० का घाटा रहा। यदि अवक्षयण की व्यवस्था की जाये और इस घाटे को आगे दिखाया जाये तो ३१ मार्च १९६१ तक यह राशि २० करोड़ हो जाती है।

संसद् का यह कर्त्तव्य है कि इन इस्पात संयंत्रों के कार्य पर निगरानी रखें तथा उसकी असफलताओं व त्रुटियों की ओर ध्यान दिलायें। तथापि हमें इस बात की प्रशंसा करनी होगी कि सरकारी क्षेत्र में तीन इस्पात संयंत्रों की स्थापना करना भी कम साहस और दूरदर्शिता का कार्य नहीं है। इन इस्पात संयंत्रों से हमें लाभ हुआ हो या नहीं; इतना तो है ही कि इससे न केवल भौतिक अर्थों में शक्ति प्राप्त हुई है अपितु इसका उपयुक्त मनोवैज्ञानिक असर हुआ है कि लोग यह सोचने लगे हैं कि हम में अपने देश के औद्योगीकरण करने की क्षमता है।

अतः मेरा सुझाव है कि दूसरी योजना में लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहने के कारणों की पूरी जांच की जाये। विशेषज्ञों की एक समिति बनायी जाये जो कि विभिन्न इस्पात संयंत्रों का दौरा करें तथा उन की त्रुटियों का विश्लेषण कर उनका उपचार करें।

दूसरी परियोजना की अवधि में हुए अनुभव के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक इस्पात संयंत्र की स्थापना में लगभग ५ वर्ष लगते हैं तथापि इस आधार पर भी तीसरी परियोजना के दूसरे वर्ष में भी यह दुख की बात है कि भिलाई को छोड़ कर कोई भी संयंत्र अनुसूची के अनुसार काम नहीं कर रहा है और न उनके विस्तार की योजनायें ही क्रियान्वित हुई हैं। अब तक बोकारो में चौथे इस्पात संयंत्र की स्थापना का कार्य भी उचित गति से नहीं चल रहा है। इस रफ्तार को देखते हुए तीसरी योजना में लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन मालूम होता है।

इन बातों को देखते हुए हमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में व्यवस्था संबंधी परिवर्तन करने चाहिये क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इस्पात संयंत्र वाणिज्यिक आधार पर चलें और लाभ अर्जित करें। अतः व्यवस्था की रूप रेखा इस प्रकार होनी चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति पर सीधा उत्तरदायित्व रखा जा सके।

सरकारी उपक्रमों का संचालन केवल ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिये जो यह अनुभव करते हों कि उनका भविष्य इन इस्पात कारखानों के ऊपर ही निर्भर करता है। इसके साथ साथ उन्हें पूरी स्वतन्त्रता भी दी जानी चाहिये। निस्सन्देह सरकार को व्यापक नीति स्वयं बनानी चाहिये तथापि उनके दिन प्रतिदिन के काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाना चाहिये।

यदि हम चाहते हैं कि इन सुझावों के अनुसार कार्य हो तो संसद् को भी संयम से काम लेना चाहिये। निस्सन्देह हमें कार्य में ढिलाई तथा विलम्ब को कभी माफ नहीं करना चाहिये तथापि साथ साथ यदि कार्य को शीघ्रता से करने पर कुछ गलतियां हो जायें तो भी ऐसा करने को प्रोत्साहित करना चाहिये। केवल इसी प्रकार हम सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में अनुशासन पैदा कर सकते हैं जिससे कि वहां के अधिकारी व्यक्ति निर्भयता से अपना कार्य कर सकते हैं।

विभिन्न कारखानों के उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका यह भी है कि सरकार को एक ऐसी सूची बनानी चाहिये जिनमें वे निर्देश अंकित रहें जो कि इन कारखानों द्वारा सरकार को भेजे गये हैं। इनको संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। इस प्रकार संसद् स्वयं निर्णय कर सकती है कि किस कारखाने में उत्तरदायिता को दूसरे को सौपने की प्रवृत्ति है।

सरकारी लाल फीताशाही से किस प्रकार के विलम्ब होते हैं मैं इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक कार्यदक्षता विशेषज्ञ ने ४ स्टाप घड़ियों का आर्डर दिया। १३ महीने तक यह आर्डर ८९ व्यक्तियों के हाथ से गुजरता रहा तथापि उन्हें खरीदने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया। इस बीच घड़ियों की कीमतें दुगनी हो गयीं।

उर्वरकों के सम्बन्ध में मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी उर्वरक नीति की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह भूमि सर्वेक्षण पर आधारित है। वस्तुतः सबसे पहिले देश की मिट्टी का सर्वेक्षण करके उसे विभिन्न प्रकार के खण्डों में बांट लिया जाना चाहिये तत्पश्चात् उसके अनुकूल ही उर्वरक कारखानों की स्थापना की जानी चाहिये।

इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उर्वरकों की कीमतों को कम करने का प्रयास किया जाये। इसके लिये उत्पादन की लागत कम करनी होगी। यह इस प्रकार किया जा सकता है कि स्थानीय कारखानों को बड़े जटिल कारखानों का एक अंग माना जाये और वे आंशिक पदार्थ का उत्पादन करें।

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८६	१७	श्री मै० क० कुमारन	केरल में भारी उद्योगों की स्थापना में असमर्थ रहना	१०० रुपये
८६	४	श्री शिव मूर्ति स्वामी	इस्पात और भारी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता	१०० रुपये
८६	५	श्री शिव मूर्ति स्वामी	मैसूर में इस्पात उद्योग स्थापित कराने की आवश्यकता	१०० रुपये
८६	५	श्री शिव मूर्ति स्वामी	मैसूर राज्य के लोहा और मेंगनीज का मैसूर में लौह उत्पादन के लिये उपयोग	१०० रुपये
८६	७	श्री कोया	दक्षिण भारत में एक बड़े इस्पात कारखाने की स्थापना	१०० रुपये
८६	१८	श्री मै० क० कुमारन	इस्पात और भारी उद्योगों तथा रेलवे मन्त्रालय के बीच तैयार माल को भिलाई सन्यन्त्र से बाहर भेजने के लिये समन्वय	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का प्रस्ताव	कटौती की राशि
८६	१९	श्री मै० क० कुमारन	रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन का रुकना और मिल का बार बार खराब होना	१०० रुपये
८६	२०	श्री मै० क० कुमारन	सलैम में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये तत्काल कार्यवाही करना।	१०० रुपये
८६	२१	श्री मै० क० कुमारन	इस्पात कारखानों तथा सरकारी क्षेत्रों में स्थापित अन्य उद्योगों में सभी राज्यों के युवकों के लिये समान अवसर उपलब्ध करना	१०० रुपये
८६	२२	श्री मै० क० कुमारन	बोकारो इस्पात सन्यन्त्र की स्थापना के कार्य में शीघ्रता करना	१०० रुपये
८६	२३	श्री स० मो० बनर्जी	हैवी इलैक्ट्रिकल्स (प्रा०) लिमिटेड भोपाल का कार्य	१०० रुपये
८६	२४	श्री स० मो० बनर्जी	इस्पात संयंत्रों में श्रमिक विधियों का पालन न किया जाना	१०० रुपये
८६	२५	श्री स० मो० बनर्जी	इस्पात की कीमतों का स्थिर रखना	१०० रुपये
८६	२६	श्री स० मो० बनर्जी	सारे इस्पात संयन्त्रों एक रूप मजूरी रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
८६	२७	श्री स० मो० बनर्जी	सारे इस्पात कारखानों तथा भोपाल हैवी इलैक्ट्रक्ल्स लिमिटेड भोपाल को केन्द्रीय श्रमिक विधान के अधीन लाना	१०० रुपये
८६	२८	श्री स० मो० बनर्जी	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल के अध्यक्ष और वहां के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते का क्रियान्वित न किया जाना	१०० रुपये
८६	३२	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना में अमेरिका की सहकारिता	१०० रुपये
८६	३३	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात सन्यन्त्रों में विदेशियों को रोजगार देने का प्रश्न	१०० रुपये
८६	३४	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	रूरकेला इस्पात सन्यन्त्र में उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त न हो सकना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८६	३५	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	इस्पात कारखानों पर संसद् का अधिक कड़ा नियन्त्रण	१०० रुपये
८६	३६	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	इस्पात सन्यन्त्रों में अच्छे श्रमिक संबंधों को बनाना	१०० रुपये
८६	३७	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	रुरकेला इस्पात सन्यन्त्र की प्रशासनिक जांच के लिये एक समिति की नियुक्ति	१०० रुपये
८६	३८	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का प्रशासन स्वायत्तशासी बोर्डों को सौंपना	१०० रुपये
८६	३९	श्री दाजी	लोहे और इस्पात विभाग का कार्य	१०० रुपये
८७	४१	श्री दाजी	राज्यों के बीच लौह और इस्पात के के वितरण में असन्तुलन	१०० रुपये
८७	४२	श्री दाजी	कीमतों को स्थिर रखने में सहायता देने की अनुपयुक्तता	१०० रुपये
८७	४३	श्री दाजी	उपक्रमों में श्रमिक विधियों का पालन करने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
८७	४४	श्री दाजी	भिलाई इस्पात सन्यत्रों में आपरेटिवों के ग्रेड में मनमाना परिवर्तन	१०० रुपये
८७	४५	श्री दाजी	रूरकेला इस्पात सन्यन्त्र का असन्तोष-जनक कार्य और उत्पादन में गिरावट	१०० रुपये
८७	११	श्री शिव मूर्ति स्वामी	लौह और इस्पात नियन्त्रण नीति का असफल रहना	१०० रुपये
८७	२९	श्री शिव मूर्ति स्वामी	लौह और इस्पात नियन्त्रक के कार्यालय का कार्य	१०० रुपये
८७	३०	श्री शिव मूर्ति स्वामी	केरल के वास्तविक उपभोक्ताओं को लोहा और इस्पात सम्भरण करने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
८७	३१	श्री मै० क० कुमारन	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये लोहे और इस्पात के नियमित सम्भरण की आवश्यकता	१०० रुपये
८७	४०	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	इस्पात की कीमत निश्चित करने का सामान्य अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१३५	१४	श्री शिव मूर्ति स्वामी	मैसूर राज्य में इस्पात तथा भारी उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१३५	१५	श्री शिव मूर्ति स्वामी	मंगलौर और कारवाड़ पत्तन में नौवहन उद्योगों के स्थापन की आवश्यकता तथा मैसूर में अल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना की आवश्यकता	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उक्त सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सम्मुख प्रस्तुत हुए ।

†**श्री जयपालसिंह** (रांची पश्चिम) : हमें इस नवजात मन्त्रालय को कम से कम इस नाते अवश्य धन्यवाद देना चाहिये कि इसने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें अपनी असफलताओं को स्पष्ट स्वीकार किया है । वस्तुत: यह निर्भीकता का उदाहरण है ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : मुझे किसी ऐसे मसविदे का पता नहीं है क्या माननीय सदस्य इस पर प्रकाश डाल सकते हैं ?

†**श्री जयपाल सिंह** : यह पुस्तिका परामशदात्री समिति में सभी सदस्यों को बांटी गयी थी । इसका शीर्षक इस प्रकार है : "इस्पात और भारी उद्योगों मन्त्रालय पर अनुदानों की मांगों पर टिप्पण ।"

इसमें स्पष्ट यह कहा गया है कि इस्पात और खान मन्त्रालय के अधीन जो सरकारी उद्योग हैं उनके कार्य का पुनरीक्षण करने के बाद यह कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को छोड़ कर अन्य उपक्रमों का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा है । साथ में यह भी कहा गया है कि अपेक्षित अर्हता प्राप्त अच्छी प्रबन्धक पंक्ति का अभाव होने से अधिकतर असैनिक सेवा अधिकारियों तथा अवकाश प्राप्त अधिकारियों पर निर्भर रहना होता है । जहां तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का सवाल है रूरकेला तो गड़बड़ और अन्धेरगर्दी का केन्द्र बन गया है ।

साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इन इस्पात सन्यन्त्रों के बारे में मैं जो कुछ भी कहूंगा वह अपने अनुभव के आधार पर कहूंगा केवल अध्ययन के आधार पर नहीं ।

तीसरी योजना में एक बड़ी समस्या यह है कि परियोजनाओं पर व्यय कितना होगा । सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को लीजिये । प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट में कहा जाता है कि उसपर ४२५ करोड़ रुपये लगेंगे किन्तु इस अनुमान में संशोधन होते होते यह राशि ६२० करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है । क्या आयोजना इसी को कहते हैं । कुछ बातें गलत हो सकती हैं किन्तु इतना अन्तर पड़ना बहुत असाधारण बात है । मेरे विचार में इस प्रकार की आयोजना, जिस से हमें वास्तविक स्थिति का ज्ञान ही नहीं रहता, हमारे लिए बहुत हानिकार है ।

†मूल अंग्रेजी में

इसका इलाज यह है कि हम विशेषज्ञों की सलाह लें। ऐसी विशेषज्ञ संस्थाएं हैं, जो सरकार की बड़ी बड़ी परियोजनाओं के सम्बन्ध में अच्छी सलाह दे सकती हैं। यदि सरकार उन को सुने, तो व्यय के ढांचों के अनुमान अधिक वैज्ञानिक तरीके से लगाये जा सकते हैं।

इस्पात और बिजली के उत्पादन में हमें आगे बढ़ना है। मुझे हर्ष है कि मेरे राज्य में शुरूआत होने वाली है।

रांची में भारी इंजीनियरिंग निगम है। उसके व्यय के अनुमान के आंकड़े तीन गुना बढ़ गये हैं। यदि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। किन्तु इस निगम के मामले के प्रारम्भ अच्छा नहीं हुआ। भूमि के बिना आप निगम और सम्बन्धित उद्योग स्थापित नहीं हो सकते। भूमि अर्जित करना राज्य सरकारों का विषय है किन्तु परियोजना केन्द्रीय है। नौ आदिवासी ग्रामों का अर्जन करना है। भूमि अर्जन पदाधिकारी एक एकड़ भूमि के लिए ४५ रुपये देता है। क्या जंगलों या राजस्थान के रेगिस्तानों में आप को ४५ रुपये एकड़ भूमि मिल सकेगी? इस का परिणाम यह होता है कि खिचाव, श्रम विवाद बढ़ते हैं और आज तक हो रहे हैं। एक चालाक व्यापारी ने उसी प्रकार की भूमि के लिए ६,००० रुपये प्राप्त किये। आज स्थिति यह है कि प्रतिकर देने के मामले में एक एक दिन के विलम्ब से एक लाख रुपये प्रतिदिन का नुक्सान हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ वे मांगते हैं, आप उन्हें दे दीजिये। मैं चाहता हूं कि हमें युक्तियुक्त होना चाहिये। चाहे रूरकेला हो, दुर्गापुर हो, या सिन्द्री पुनर्वास भूमि के अर्जन के साथ साथ होना चाहिये। दूसरे शब्दों में कोई व्यक्ति, चाहे वह आदिवासी हो या नहीं, अपनी भूमि से बेदखल नहीं करना चाहिये, जब तक उसके पुनर्वास के लिए अन्य स्थान पर भूमि न दी जाये, यह आवश्यक है कि हम इस महान परियोजना को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करे।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तमा : यदि हम देश में इस्पात उद्योग की प्रगति दूसरी पच-वर्षीय योजना के आरम्भ से देखें, तो हमें बहुत से सबक सीखने पड़ेंगे। हमें खेद है कि वे सबक हमने सीखे नहीं। मुझे संदेह है कि हमें जो लक्ष्य १९६०–६१ तक प्राप्त करने थे, हमने अब भी प्राप्त नहीं किये हैं। मुझे यह भी संदेह है कि हम तीसरी योजना के लक्ष्य भी प्राप्त कर सकेंगे।

बहुत से सदस्यों ने कहा है कि १९६५–६६ तक हमें ९९ लाख टन इस्पात का लक्ष्य प्राप्त करना है। किन्तु मेरे ख्याल में हम १९६५–६६ तक केवल ६६ लाख टन इस्पात पैदा कर सकेंगे। इसका कारण? कारण यह है कि विस्तार योजनाए जो पिछले वर्ष क्रियान्वित की जानी थी, किसी न किसी वजह से क्रियान्वित नहीं की जा सकीं? दूसरा कारण यह है कि बोकारो का चौथा इस्पात संयंत्र जो अब तक निर्माण की अवस्था में होना चाहिये था अभी तक नक्शों की अवस्था से बाहर नहीं आया।

आश्चर्य की बात है कि मंत्रालय योजना के निर्णयों को क्रियान्वित करने में इतनी सुस्त क्यों है। हम माननीय मंत्री से यह जानना चाहेंगे कि बोकारो संयंत्र तैयार करने में ६ बड़े इस्पात कारखानों के प्रविधिक विशेषज्ञों की राय से क्यों लाभ नहीं उठाया जा सकता।

हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने इस बात का पूरा लाभ उठाया है कि इस्पात कारखाने बनाने में भारतीय प्रविधिक विशेषज्ञों को सम्बद्ध किया जाये। हमने सुना है कि दुर्गापुर और रूरकेला के ठेकों में ऐसा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा क्यों है?

एक और बात यह है कि तीन इस्पात कारखानों के निर्माण व्यय में बहुत अन्तर है। यह अन्तर कुछ करोड़ रुपयों का है। क्या सरकार ने इस का कारण मालूम करने का प्रयत्न किया है।

यह भी बड़े खेद की बात है कि विभिन्न इस्पात कारखानों में कच्चे माल के उपभोग की दरों में भी अन्तर है। इस का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। मंत्री महोदय का कहना है कि इस का कारण यह है कुछ कारखानों में घटिया कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। किन्तु मेरे विचार में सभी कारखाने एक ही क्षेत्र से कच्चा माल लेते हैं। यदि मंत्री महोदय की बात मान भी ली जाये, तो हमें घटिया किस्म के अच्चे माल को प्रयोग नहीं करना चाहिये। पत्थर का कोयला अपेक्षित स्तर का होना चाहिये। ऐसा न होने से न केवल लोहे के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है बल्कि कोयला भी अधिक मात्रा में खर्च होता है।

इस्पात और कोयला उद्योगों ने परिवहन स्थिति में सुधार करने के लिए पूरी कोशिश नहीं की :

बंगाल-बिहार क्षेत्र में तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोयले का उत्पादन बढ़ा दिया गया है किन्तु मध्य भारत के क्षेत्र में इस में घोर असफलता हुई है। मेरी इस आलोचना का अर्थ यह नहीं है कि मैं सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के विरुद्ध हूं। मैं केवल इतना चाहती हूं कि उन के कार्य संचालन में जो त्रुटियां हैं वह बुद्धिमत्ता से दूर की जायें। हम चाहते हैं कि दुर्गापुर और रूरकेला के कारखाने भी भिलाई के स्तर पर आ जायें।

आंध्र प्रदेश में खम्भम जिले में एक दर्मियाने दज का इस्पात कारखाना शुरू करने का प्रश्न विचार करने योग्य है, क्योंकि इस ज़िले में न केवल अच्छी किस्म का लोहे-अयस्क मिलता है, बल्कि अच्छी किस्म का कोयला भी मिलता है।

कोटागुडियम में उर्वरक के कारखाने का निर्माण किस अवस्था पर है? खम्मम में बेरियम रसायन उद्योग और कुर्नूल में एक कागज का कारखाना लगाया जा सकता है।

श्री बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की मार्फत इतना अर्ज करना चाहूंगा कि किसी देश के अन्दर जब उद्योगों और इस्पात के सम्बन्ध में निर्णय किया जाता है तो तीन बड़ी बुनियादी बातों को उस देश के प्रतिनिधि और उस देश की सरकार अपनी आंखों के सामने रक्खा करते हैं। (१) देश को फौरी तौर पर, उस वक्त के मुताबिक किस चीज की जरूरत है और उस फौरी जरूरत को पूरा कर के देश को उस वक्त की परिस्थितियों से बचाया जाये। (२) रात दिन बराबर या आगे आने वाले समय में भी उस की जरूरतें पूरी होती रहें। (३) उस उद्योग से जो चीज पैदा हो उससे देश के रहने वालों को ज्यादा से ज्यादा नफा मिले, मफाद हासिल हो। मैं समझता हूं कि हमारे देश के अन्दर इस्पात और भारी उद्योगों के कारखाने जो हैं, उन से थोड़ी बहुत कमी इस्पात की पूरी हुई हो तो हुई हो, हिन्दुस्तान के जो पुराने तौर तरीके के कल कारखाने चलते थे या पुराने तौर तरीके से जो इस्पात की कमी थी वह भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन इस देश की जरूरियात जिन्दगी जो हैं, उन को पूरा करने में जो इस देश के भारी उद्योग धन्धे हैं वह बिल्कुल असफल रहे हैं। इस से तो सिर्फ एक ही बात नजर आती है कि जिस किसी तरीके से भी उद्योगों का शास्त्र लिखा जा रहा हो कि हम इस देश के अन्दर समाजवाद को फैलाना चाहते हैं, लेकिन जिस शास्त्र की खुद नींव नाबराबरी पर और भ्रष्टाचार पर रक्खी जाय, जिस की खुद नींव सरमायादाराना समाज के नाम पर रक्खी जाय, वह किस तरीके से एक आदर्श पेश कर सकता है दूसरे लोगों के सामने समाजवाद का, और किस तरीके से समाजवाद आ सकता है? हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने अपने भाषण के दौरान में कहा था कि क्या बांट दें, गरीबी बांट दें या भूख बांट दें? जब सवाल उठता है बांटने का, तो ऐसी बात कही जाती है। लेकिन जब भिलाई के कारखाने में या भोपाल के कारखाने में या दूसरे कारखनों में हड़तालें होती हैं तो उनमें भूख के बंटवारे की बात नहीं होती, उनमें सरकार की

नीति की बात होती है । एक तरफ तो समाजवादी कही जाने वाली सरकार की तरफ से मैनेजमेंट के लिए लाखों रुपया खर्च किया जाता है, उनके लिए ठंडी हवा के पंखे और रहने के लिए बंगलों वगैरह पर खर्च किया जाता है और दूसरी तरफ जो मजदूर अपनी जिन्दगी को लोहा बना कर और अपने खून को पानी और तेल बनाकर मशीन के साथ लगता है उसको हड़ताल करने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर जब डंडे के जोर से हड़ताल तोड़ दी जाती है तो आते हैं बड़े नाज के साथ जंग तोड़ बनके हालांकि चीन की तरफ जाते डर लगता है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह चीज समाजवाद की बुनियाद से विपरीत है । मैं भी कहता हूं कि भारी उद्योग के कारखाने हों, लेकिन वे चलें किस तरीके से ? वे इस तरीके से चलें कि इस देश के अन्दर लोगों को काम मिले । यह भारत जो आज नजर आ रहा है, ये जो चन्द व्यक्तियों और आदमियों के नाम लिए जा रहे हैं, दरअसल इतना ही भारत नहीं हैं । इसके ऊपर जो छिपा हुआ भारत है जो जंगलों में रहता है, जो खानाबदोश भारत है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों वह आगे उठेगा और वह काम चाहेगा । वह खानाबदोश नहीं रह सकेगा और उनके लिए काम चाहिए । और इन भारी उद्योगों को ऐसी मशीनें बनानी चाहिएं जिनसे इस देश के करोड़ों इंसानों का जो साढ़े पांच लाख गांवों में रहते हैं, काम चल सके । इन बड़े बड़े कारखानों में चमड़े के जूते बनाने की, कपड़ा बनाने की और साबुन बनाने की छोटी छोटी मशीनें बनायी जाएं, तभी वह सारे देश के बोझ को उठा सकेंगे । आज भारत की पृथवी इतने बोझ को नहीं उठा सकती । इस बोझ को उद्योग को उठाना है, लेकिन जिस प्रकार के उद्योग आजकल चल रहे हैं जिनमें मैनेजमेंट पर ज्यादा खर्चा किया जाता है, वह इस देश के गरीबों को बोझा नहीं उठा सकते और न उठा सकेंगे ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि भोपाल में एच० एम० टी० का कारखाना बना कर सरकार ऐसा समझ रही है कि जैसे बड़ा तीर मार दिया । कहा जाता है कि इसमें बिजली के पुर्जे बनाए जाते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि यह बिजली के पुर्जे बनाने का कारखाना नहीं है बल्कि मिस्त्रियों की ट्रेनिंग का स्कूल है जहां बाहर से पुर्जे मंगा लिए जाते हैं और उनको जोड़ लिया जाता है और कहा जाता है कि हम बिजली के पुर्जे बना रहे हैं । पुर्जे बाहर से मंगाए जाते हैं और वहां जोड़ दिए जाते हैं और जब प्रधान मंत्री जाते हैं तो जय जय कार करके कहते हैं कि हमने बड़ा उद्योग कायम कर दिया और न जाने कितनी तरक्की कर ली । तो बुनियादी बात आपको यह करनी चाहिए कि इस उद्योग में पुर्जे बनाए जाएं और जो लोग काम करते हैं उनको केवल फिटर ही न बनाया जाए ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो बड़े उद्योग हमारी सरकार की तरफ से चलते हैं और जो प्राइवेट लोगों के कारखाने चलते हैं उनमें मजदूर और मैनेजमेंट के सम्बन्ध में कोई अन्तर नही होना चाहिए । यहां हड़ताल होती है तो मजदूर के साथ वही व्यवहार किया जाता है जो प्राइवेट कारखानों में किया जाता है । मैं चाहता हूं कि सरकारी कारखानों में और प्राइवेट कारखानों में इस बारे में अन्तर होना चाहिए और वह अन्तर जनता के सामने आना चाहिए तब जनता को मालूम हो कि सरकारी कारखाने समाजवादी तरीके पर चलाए जा रहे हैं ।

आप देखें कि सिंदरी के सरकारी कारखाने में जो खाद बनती है उसकी कीमत तीन सौ सवा तीन सौ रुपया प्रति टन आती है जब कि जो खाद बाहर से मंगायी जाती है सब खर्च दे कर उसकी कीमत २२० रुपये टन आती है । तो फिर अपने यहां खाद बनाने से क्या फायदा हुआ, आप देश को यह बेकार की प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हो । हमारे देश के अन्दर पैदावार होनी चाहिए लेकिन यह नहीं कि मिट्टी मल कर सोना निकाला जाए बल्कि मिट्टी से अनाज पैदा करके उससे सोना बनाया जाए, हमें देश में पैदावार बढ़ानी है लेकिन दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हमारा रेट बराबर चलना चाहिए । जो चीज सरमाएदार के कारखाने में बनती है और जो चीज सरकार के कारखाने में बनती है उनमें अन्तर होना चाहिए । जो चीज सरकारी कारखाने में पैदा होती है वह जनता को सरमाएदारों

[श्री बागड़ी]

के कारखानों की चीज से सस्ती मिले। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसा होगा तभी देश के अन्दर जो मुनाफाखोरी हो रही है वह खत्म हो सकेगी। हमारी सरकार के कुछ लोग कहते हैं कि हम सरमायादाराना समाज को तोड़ना चाहते हैं, मुनाफाखोर वर्ग को तोड़ना चाहते हैं। यह अच्छा है, तोड़ो। मगर हम देखते हैं कि पिम्परी के कारखाने में जो दवा बनती है उसकी क्या हालत है। हमने सुना है कि हिरणकश्यप के समय में कुछ बिल्ली के बच्चे अवे में से जिन्दा निकल आए थे। इस पिम्परी के कारखाने में जो दवा बनती है उसमें मक्खी जिन्दा निकलती है। यह चीज एक माननीय सदस्य के सामने आयी थी और उसका चर्चा यहां हुआ था। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक तरफ हमको सरमायादार वर्ग लूटता है और दूसरी तरफ रेड्डी सेठ बिड़ला सेठ की तरह उस दवा का जिसकी लागत तीन आने है और जो तपेदिक के मरीज के काम की है १२ आने लेता है। हमारी सरकार उस दवा का दाम उस बीमार से १२ आने लेती है जिसकी लागत ३ आने है। कितना बड़ा अन्याय है। इस देश के गरीब बीमार आदमी के फेफड़े से किस बेदरदी के साथ खून और रस को चूस कर मुनाफाखोरी की जाती है। सरकार कहती है कि हम मुनाफाखोरी को बन्द करना चाहते हैं लेकिन इस तरह मुनाफाखोरी बढ़ायी जा रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से ये बातें बन्द नहीं हो सकतीं। आज आपके पास शक्ति है। उस शक्ति के बलबूते पर आप जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जिस जनता के हम प्रतिनिधि हैं वह इन बातों को अभी नहीं समझती है। लेकिन वह दिन आएगा कि जनता इन बातों को समझेगी तो वह कहेगी कि आप कहते तो कुछ और हैं और यहां बैठकर करते कुछ और हैं। आप देखें कि अगर एक चपरासी या चौकीदार या किसान और मजदूर तपेदिक से बीमार होता है तो उससे मुनाफा लेना कहां तक उचित है। अगर कोई बड़ा आदमी बीमार हो तो उससे अगर आप ३० रुपया भी ले लें उस पैनिसिलिन के जिसका दाम ३ आना है तो कोई बात नहीं क्योंकि वह तो दे सकता है। लेकिन एक गरीब ज्यादा दाम कैसे दे सकेगा।

इसके बाद मैं अर्ज करूंगा खादी के बारे में। सरकार देश में खादी का ढिंढोरा पीटती है और गांधी जी का नाम लिया जाता है .

उपाध्यक्ष महोदय : भारी उद्योग की बात कहिए।

श्री बागड़ी : मैं भारी उद्योग के साथ खादी की बात भी कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि खादी उद्योग को भी बड़ा उद्योग बनाओ।

उपाध्यक्ष महोदय : खादी इसमें शामिल नहीं होती।

श्री बागड़ी : शामिल कर लीजिए। खादी से डर लगता है तो जाने दो।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं।

श्री बागड़ी : मैं एक सजेशन रखता हूं कि जो ये बड़े कारखाने हैं वे ऐसे औजार बनावें जिनसे कि खादी का काम चल सके और देश के लाखों गरीब लोगों को काम मिल सके .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य खादी के बारे में नहीं भारी उद्योगों के बारे में बोलें।

श्री बागड़ी : बहुत अच्छा।

---

†मूल अंग्रेजी में.

तो मैं अर्ज कर रहा था कि कितना करप्शन और भ्रष्टाचार चल रहा है इन बड़े उद्योगों के नाम पर। एक कारखाना बनाया जाता है, उसमें कुछ चीज बने या न बने लेकिन कुछ लोगों का मुनाफा बन जाता है। वहां पर परमिटों का सिस्टम चलता है, चादरों का, लोहे का और हर चीज का परमिट मिल जाता है। राम के युग में कहा जाता था कि

राम नाम की लूट है लूटा जाए सो लूट,
अन्त काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट।

आजकल बड़े उद्योगों में कहा जाता है

बड़े उद्योग के नाम में लूटा जाए सो लूट,
परमिट सिस्टम चला चाएगा फिर करोगे क्या।

तो यह उद्योग विपरीत तरह से चल रहे हैं, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है और बचाना है तो आपको तीन बातों को लेकर चलना होगा।

(१) इस देश में जो प्राइवेट सेक्टर में सरमाएदारों के कारखाने हैं उनको नेशनलाइज किया जाए क्योंकि ये हमारे कारखानों से बेजा कम्पिटीशन करते हैं। हमारे जो रिटायर्ड मैनेजर आदि होते हैं उनको अपने यहां रख लेते हैं और उनसे मिल कर करप्शन और भ्रष्टाचार चलाते हैं और हमारे कारखानों के माल के लिए मारकेट में कम्पिटीशन करते हैं। ऐसा न हो कि जो भयानक बादल आज छिरे हैं वे छा जाएं और ये भारी उद्योग पूंजीवाद का रूप ले लें,। अगर इस तरफ ध्यान न दिया गया तो देश में पूंजीवाद आ जाएगा और जनता का समाजवाद से विश्वास हट जाएगा। यह चीज देश के लिए बड़ी हानिकर होगी और देश के अन्दर गलत नीति चल जाएगी और देश तबाह हो जाएगा। इसीलिए अगर इस देश को तबाही से और कम्पिटीशन से बचाना है तो प्राइवेट कारखानों को नेशनलाइज करना चाहिए।

(२) इन कारखानों के अन्दर ऐसी मशीनें बनायी जाएं जो कि छोटे छोटे उद्योगों को चला सकें, जो खादी बना सकें, चमड़े का सामान बना सकें, जिनसे गरीबों को काम मिल सके। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी के नाम पर बिड़ला भवन को एक्वायर करके वहां कोई अच्छा उद्योग खोल दिया जाए और उसको गांधी जी के नाम से चलाया जाए जिससे देश के लोगों का भला हो सके।

मैं यही चन्द चीजें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं।

†**श्री मानसिंह पृ० पटेल** (मेहसाना) : मैं अपना भाषण केवल कलकत्ता के लौह और इस्पात नियंत्रक के संगठनात्मक पहलू और उसके प्रेषणों तक ही सीमित रखूंगा। मैं जानता हूं कि लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा आवंटन चार किस्तों में एक चौथाई वर्ष से एक वर्ष की अवधि तक के लिए किये जाते हैं, किन्तु विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किये जाने वाले प्रेषणों और प्राप्तियों में बहुत विलम्ब होता है। इस में ६ से ८ महीने तक लग जाते हैं। अतः आवंटन का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अतः नियंत्रण निष्फल हो जाता है और असंतोष पैदा होता है।

लोहा और इस्पात दो प्रयोजनों के लिए दिया जाता है—कृषि और गैर-कृषि। किन्तु जब कृषि या गैर-कृषि कोटे की किसी विशेष मौसम में आवश्यकता हो, तो वह उस मौसम में नहीं मिल पाता। हमारा दुर्भाग्य है कि प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा जब कलकत्ता के इस्पात नियंत्रक द्वारा किये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मानसिंह पृ० पटेल]

गये आवंटनों के बारे में अनुस्मारक भेजे जाते हैं, तो उन पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। एक मामले में जिला न्यायाधीश की चिट्ठी का भी उत्तर नहीं दिया गया, जो मेरे जिले के एक जिला विक्रय और क्रय सहकारी संघ के बारे में थी। इस कारण ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं में बहुत असंतोष फैलता है।

अब मैं आवंटनों की मात्रा के बारे में कुछ शब्द लेना चाहता हूं। यह आवंटन अधिकतर राज्यवार जनसंख्या के आधार पर होता हैं। यह अधिक अच्छा होगा यदि मात्रा उपयोग के आधार पर निश्चित की जाये।

जहां तक संग्रहकर्ताओं के पंजीयन का सम्बन्ध है, मेरा अनुभव है कि दो निजी समवाय, इंडियन आयरन कम्पनी और टाटा कम्पनी नई सहकारी संस्थाओं का संग्रहकर्ताओं के रूप में पंजीयन नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार में सहकारी संस्थाओं को वरीयता दी जानी चाहिये, यदि वे अन्य शर्तें पूरी करती हों।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ऐसे कदम उठाने चाहियें कि तीसरी योजना में लोहे की सलाखों, चादरों और तारों में कमी न रहे और उन का उत्पादन उस हद तक पहुंच जाये कि नियंत्रण आदेश जारी रखने की आवश्यकता ही न रहे।

†**डा० उ० मिश्र** (जमशेदपुर) : हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी नीति ऐसी होनी चाहिये जिस से यह लक्ष्य प्राप्त हो सके। किन्तु आजकल यह हो रहा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक मज़बूत बनाया जा रहा हैं। बोलानी आरज़ को लीजिये। इस में हमारे ५०.५ प्रति अंश हैं किन्तु इस का प्रबन्ध गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा हुआ है।

हमें इस नीति पर दृढ़ होना चाहिये कि इस्पात और अन्य सभी भारी उद्योग सरकारी क्षेत्र में रहें।

टाटा को पिछले १० या १२ वर्षों में हम ने कई करोड़ रुपये का मुनाफ़ा करने का अवसर दिया है, वह इसलिए कि उन्हें बहुत समय तक एकाधिकार प्राप्त रहा है। इतना मुनाफा उन्होंने श्रमिकों की उत्पादकता के बल पर कमाया है, जिसके कारण मूल्य जो १९५० में १०० रुपये था, १९५८ में ३१८ रुपये हो गया था। वे इतने धन को हमारी राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं। संधारण मूल्य तेरह बार बढ़ाये जा चुके हैं।

रूरकेला के बारे में कुछ हल्कों में यह धारणा है कि चूंकि यह पश्चिम जर्मनी की ओर से है, हम इसे सफल नहीं देखना चाहते। पर बहुत विचित्र बात है, क्योंकि आखिर यह हमारा ही कारखाना है और हमारा ही धन लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हम अपने कारखानों के लिए अपने इंजीनियर जो भारत के अन्दर हों या बाहर की सेवाओं से लाभ उठायें और टाटा आदि पर निर्भर न रहें। हमें यह दृढ़ नीति बदलनी चाहिये कि सारे इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

†**श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम** (बेल्लारी) : इस्पात के बारे में यह आलोचना की गई है कि वास्तविक विनियोग मूल प्राक्कलनों से बहुत आगे चला गया है। यह सही है। यह भी सही है कि इस विनियोग से आय कम है। उत्पादन भी लक्ष्यों से कम हुए हैं, जैसा कि तैयार इस्पात उर्वरक, कपड़ा

†मूल अंग्रेजी में

बनाने की मशीनरी, सीमेंट आदि उद्योगों में । किन्तु हमें आशा हैं कि ऐसी स्थिति आ जायेगी जब हम अपने उद्योगों को अपने संसाधनों के द्वारा चला सकेंगे । इस के लिए हमें भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि तीसरी योजना में विस्तार न किया जाये, जब तक कि उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त न हो जायें । मेरे विचार में यह वांछनीय नहीं है । मेरे विचार में उत्पादन और आयोजना या विस्तार साथ साथ चलते रहना चाहिये । कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करने में प्रादेशिक असंतुलन दूर कर देना चाहिये और मैसूर राज्य में जो लोह-अयस्क पाया जाता है, उससे लाभ उठाना चाहिये । मद्रास सरकार नेवेली में कच्चे लोहे का कारखाना स्थापित करना चाहती है । मेरा सुझाव है कि जो डिब्बे बेल्लारी से जाते हैं, वे नेवेली से लिगनाइट लेकर वापस आयें ।

लगभग २६१,००० टन मिश्रित इस्पात उत्पादन के लिए आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिये गये हैं । टाटाज़ को भी लाइसेंस दे दिया है । उच्च कोटि की इस्पात की १५,००० टन प्रति वर्ष सलाखें बनाने के लिए मिश्रित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए मैसूर सरकार की प्रस्तावना विचाराधीन है। मैं इस बात पर बल देता हूं कि इस काम को जल्दी करना चाहिए, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में यदि ऐसे संयंत्र लगाये जायें तो हम परिवहन की कठिनाई पर काबू पा सकेंगे । इस समय हमें हर स्थान पर रुकावटें हैं और बनी हुई वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को और एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजना आसान नहीं है । यदि ऐसे संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये जायें इससे स्थानीय उपभोग को सहायता मिलेगी और इस के अतिरिक्त भाड़े की दिक्कतें और परिवहन में रुकावटें दूर की जा सकेंगी ।

मैं मोटर उद्योग के विषय में कुछ कहूंगा । तृतीय पंचवर्षीय योजना में ३०,००० मुसाफिर कारें, ६०,००० व्यापार गाड़ियां, १०,०००जीपें और स्टेशन गाड़ियां और ६०,००० मोटर साईकलें बनाने का प्रोग्राम है । ऐसा अनुमान है कि १९६५–६६ तक ८५ प्रतिशत पुर्ज़े इस देश से खरीदे जा सकेंगे । हम इस में लगभग ८५ करोड़ रुपये लगायेंगे और ४० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा लगेगी ।

हम पिछले पांच छः वर्ष से छोटी कार बनाने की चेष्टा कर रहे हैं । लाइसेंस दिये गये और विभिन्न औद्योगिक एककों को अवसर भी दिये गये, परन्तु उन्होंने किसी न किसी कारण उन से लाभ नहीं उठाया । फिर भी हम इसे बाज़ार में लाने की कोशिश कर रहे हैं । १९६५–६६ के अन्त तक भी केवल ८५ प्रतिशत पुर्ज़े इस देश में बनाये जायेंगे । यह अफसोस वाली बात है, परन्तु ऐसी सच्चाई है ।

अब मैं पुनर्वेलन मिलें (रीरोलिंग मिल्ज़) के विषय में कुछ कहूंगा । आसाम, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में छोटे एककों को बढ़ाने के लिए आवेदनपत्रों को मंजूर कर लिया है । मैसूर और उड़ीसा में लगभग १५,००० टन की मंजूरी देने की प्रस्तावना हैं । मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस विषय में शीघ्र फैसला करे । लोहे और इस्पात के वितरण में कुछ उदारता हुई है । पतली चादरों, तारों, 'बेलिंग हूप्स' और टीन की प्लेटों के लिए अभ्यंश नियत किये जाते हैं और नियंत्रित स्टाक वाले ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं । उन की संख्या २१४ है और पंजीबद्ध स्टाक वाले १,९०३ हैं । कई ताल्लुकों में ताल्लुक बहुप्रयोजनीय या सेवा सहकारी संस्थाओं को लाइसेंस नहीं दिये गये हैं । उन को लोहा और इस्पात आसानी से नहीं मिलता रहा है । मेरा सुझाव है कि कम से कम ताल्लुक के स्तर पर सब सेवा सहकारी संस्थाओं को या तो स्टाक वाले घोषित कर दिया जाए या स्टाक वाले पंजीबद्ध कर लिया जाये और उन्हें बिना किसी कठिनाई के लोहा और इस्पात का स्टाक सीधा लोहा और इस्पात नियंत्रक से मिल जाना चाहिए । इस मामले में केन्द्रीकरण को कुछ ढ़ील देनी चाहिए ।

[श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम]

कृषि में उत्पादन में वृद्धि सिंचाई के बाद उर्वरकों पर आधारित है। हमारा इरादा तृतीय योजना के अन्त तक आत्मनिर्भर होने का है अर्थात् १००० लाख टन उत्पादन करने का इरादा है। यदि हम ने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है और अमरीका से 'पी० एल० ४८०' के अन्तर्गत जो आयात करते हैं उस से छुटकारा पाना है तो यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हम अपने वर्तमान प्रोग्राम के अनुसार इन उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करें। दुर्भाग्यवश, इस मामले में भी बहुत देरी हुई है। सरकारी क्षेत्र में सिन्दरी उर्वरक कारखाने और गैर सरकारी क्षेत्र में बनारस में कारखाने से बहुत जल्दी उतना उत्पादन नहीं हुआ जितनी आशा थी। उन के आरम्भ करने में लगभग १८ महीनों की देरी हुई है। तीन सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों को यथार्थ में कार्यान्वित करने के लिए भी देरी हो गई है। प्रत्येक उर्वरक संयंत्र की ऐसी ही कहानी प्रतीत होती है। इस में बहुत देरी हुई है। हमें इन उर्वरक संयंत्रों को जितनी जल्दी हो सके स्थापित करना चाहिए। १९६५–६६ तक 'नाइट्रोजीनीयस' उर्वरकों की मांग १० लाख टन तक की आशा है। यह 'फौसफैटिक' उर्वरकों की ६००,००० से ७००,००० टन तक की मांग के अतिरिक्त होगी। सरकारी क्षेत्र में ७२५,००० टन 'नाईट्रोजन' उर्वरकों का उत्पादन करना है। जहां तक गैर सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, मद्रास, मध्य प्रदेश, आन्ध्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से आवेदनपत्रों को स्वीकार कर लिया गया है। यह प्रस्थापना है कि गुजरात और मैसूर में उर्वरक कारखाने स्थापित करने चाहिएं। व्यौरे देखे जा रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि इस मामले में कोई देरी नहीं होही चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उर्वरक संयंत्रों को शीघ्र से शीघ्र स्थापित करें।

श्री मुंजनी (लोहरदगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इसलिये खड़ा हुआ हूं कि यह कहूं कि लोहा और इस्पात मंत्रालय को १३५ करोड़ रु० देना गलत होगा। तजुर्बे से देखा गया है कि जो भी व्यय होता है वह इस ढंग से खर्च होता है कि सारा रुपया बेकार बरबाद हो जाता है। मैं सारी बातें न कह कर सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूं, नक्शा खींचना चाहता हूं, कि मांग नं० ८६, ८७ और १३५ के सम्बन्ध में क्या गलती हो सकती है।

मुझे एक कारखानों के शहर में रहने का अवसर हुआ। मैं रूरकेला में ६ वर्ष रहा था और बहुत नजदीक से जानता हूं कि यह शहर कैसे बढ़ा और यहां कैसे कैसे नुक्स कारखाने में होते रहे हैं। मैं चार दिन पहले रूरकेला गया था और वहां देखा कि जो मकान या क्वार्टर मजदूरों के लिये बने हैं उन में दरार पड़ती जा रही है। मकान फट रहे हैं। इस की वजह हमारे मंत्री शायद जानते होंगे कि टेन्डर तो दिये गये थे सीमेंट के साथ ईंट जोड़ने के लिये लेकिन चल कर देखिये कि वहां पर चीप टाइप के क्वार्टर जो मजदूरों के लिये बनाये गये उन का क्या हाल है। पहली बात तो यह कि मजदूरों के लिये वे क्वार्टर बने फिर चीप टाइप के क्वार्टर बने और उस के बाद उन चीप टाइप क्वार्टरों में ईंटों को मिट्टी से जोड़ कर सीमेंट का पलस्तर देते हैं। नतीजा यह है कि सैंकड़ों मकान फट रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि किस तरह की उनकी प्लैनिंग थी और किस तरह के इंजीनियर थे जो इस तरह का नुक्स पैदा हो गया। यहां तो अंग्रेज़ी में बतलाया जाता हैं कि :

"हिन्दुस्तान स्टील को अनुभवी वास्तुकार और नगर निवेशकों की सेवाएं प्राप्त हैं" कहते तो इस तरह से हैं लेकिन जोड़ा मिट्टी से जाता है और हजारों रुपये बरबाद करते हैं उन गरीबों के और उन लोगों के जिन से गला दबोच कर टैक्स लिया जता है।

मंत्री महोदय को यह मालूम होना चाहिए कि रूरकेला टाउनशिप के सैक्टर नम्बर १६ और २० में मजदूरों के लिए जो क्वार्टर्स बने हैं वह धंसने को है और उन मकानों में दरारें पड़ गयी हैं !

ब्लूमिंग मिल और स्लैविंग मिल में कई दफे ब्रेक डाउन हुआ था और उस के फलस्वरूप कई बार समिति बनाई गई लेकिन हमें पता नहीं कि उस का क्या परिणाम हुआ और क्या तबदीली वह करने जा रहे हैं। हम ने देखा कि जो वहां पर फरनेसेज बड़े बड़े चूल्हे बनाये गये थे उनमें दरारें पड़ गयी हैं और वह चूल्हे धंस गये और उन्होंने उन धंसे हुए चूल्हों को जल्दी से गुड्स ट्रेन पर लाद कर बाहर दूर फेंक दिया और नये चूल्हे बनाने का इंतजाम किया गया।

तो मैं कहना चाह रहा था कि बड़े बड़े प्लानर्स हैं और बड़े बड़े कारखाने बने और बहुत रुपया खर्च हुआ लेकिन स्थानीय परिस्थिति को ये बड़े बड़े इंजिनियर और प्लानर नहीं देख सके। इस कारखाने के बीच में एक पहाड़ पूरब से पच्छिम जाता है और उत्तर दिशा की जो मिट्टी है वह कुछ सख्त है और दक्षिण दिशा की जो मिट्टी है वह नगड़ी मिट्टी है जो बार बार फटती रहती है। मौसम बदलता है तो यह मिट्टी फटती है और मिट्टी के साथ बड़े बड़े घर जो बने हुए हैं वे भी फटते हैं और हमने देखा कि कारखाने के जो मकान बनाए गए थे वे फटे और बेकार हो गये और लाखों रुपए का घाटा हुआ। तो क्या हम करोड़ों रुपया प्लानिंग के लिए देते रहेंगे और इस तरह का प्लानिंग होता रहेगा। उत्तर दिशा में कारखाना बनना चाहिए था और दक्षिण दिशा में मकानात बनने चाहिएं थे।

तो इस तरह तो इंजिनियर लोग काम करते हैं और मंत्री महोदय जो वहां जमीन लेते हैं वह कितनी जबरदस्ती से लेते हैं। और कितने दिनों में जमीन एक्वायर करते हैं और कैसी जमीन एक्वायर करते हैं यह देखने के लायक है। रूरकेला में ९३ गांव लेने का नोटिस दिया गया फिर ६० गांव लेने की बात कही गयी। कुछ जमीन ऐसी ली गयी है जिसका कोई काम नहीं है लेकिन उसका पैसा देना है। उस जमीन के लिए नोटिस दिया गया, वह एक्वायर की गयी और वह बेकार पड़ी है। हमारे माननीय जयपाल सिंह जी ने भी कहा था कि जबरदस्ती करके जमीन एक्वायर की जाती है लेकिन उससे फायदा नहीं उठाया जाता। अगर कोई मस्जिद या मन्दिर बनवाने के लिए जमीन चाहे तो कम्पनी ४०,००० रुपए एकड़ लेती है और गांव के बाशिन्दों से कितने में ली जाती है? कभी तो ६०० रुपए एकड़ की बात कही गयी और कभी ६००० रुपए एकड़ की बात कही गयी। अब क्या तै हुआ है यह किसी को पता नहीं। सरकार का गांव के बाशिन्दों को अभी रुपया देना बाकी है। यह मालूम नहीं कि यह पैसा काम में आवेगा या बरबाद होगा।

जितनी देर में कारखाना बनता है और जो जमीन खरीदने में अड़चनें आती हैं और स्थानीय परिस्थिति को न समझने के कारण रोजाना लाखों रुपए का घाटा होता है।

इतना ही नहीं। सरकार के जो वहां स्थानीय अफसर रखे जाते हैं वह कैसा काम करते हैं हमें पता नहीं। वह काफी रुपया सरकार का कचहरियों में खर्च करते हैं। गांवों के लोगों से जमीन लेने में और मजदूरों से छोटे छोटे झगड़ों में वह कचहरियों में जाते हैं और सरकारी रुपया खर्च करते है। ऐसा भी हुआ कि कम्पनी के अफसरों ने गिरजाघर ढहा दिया। उसका हरजाना देना होगा। गिरजाघर बना के देना होगा। नेहरू जो जब रूरकेला गए थे तो उन्होंने कहा था कि सरकार गिरजाघर बनाकर देगी। यह पैसा तो सरकार का जाएगा। तो क्या इस तरह से हम अफसरों की गलतियों के लिए पैसा देते रहेंगे?

दूसरे जिन लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है कारखाना जलाने के लिए, स्किल्ड लेबर के नाम पर, क्या उनको वहां नौकरी देने की सुविधा है? आपने उन पर खर्च किया है। क्या उनका बन्धन का समय बीत जाने पर वे यहां से काम छोड़ कर दूसरी जगह जा सकेंगे। इस तरह की जो अड़चनें एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में हैं उनको मंत्रिमंडल देखे और उसका सुधार करे।

[श्री मुंजनी]

हमने देखा कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर इस कम्पनी को चलाने के लिए है उसमें तीन जनरल मेनेजर हैं जो कारखाने में काम करते हैं। ऐसे लोगों को डाइरेक्टोरेट में न रखा जाए। उसमें ऐसे लोग रखे जाएं जिनको बिजनेस का अन्दाजा हो और यह नहीं कि जो लोग दफ्तर और एडमिनिस्ट्रेशन को चलावें वे ही बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में रहे। हमने पबलिक सेक्टर में जो कारखाने बनाए हैं वे मुनाफे के लिए बनाए हैं, इसलिए हमको इस तरह का परसोनल डाइरेक्टोरेट में रखना चाहिए जिससे घाटा न हो और प्रोडक्शन जो कम होता है वह कम न हो।

प्रोडक्शन के लिए बहुत से फिगर दिए गए। आप देखें कि पिग आयरन रूरकेला में सन् १९६० में १ लाख ८६ हजार मीट्रिक टन पैदा हुआ था, लेकिन सन् १९६१ में उसका उत्पादन १ लाख मीट्रिक टन ही रह गया। फिनिश्ड स्टील को देखा जाए। रूरकेला में भिलाई से आधे से भी कम रहा। तो पैदावार देखने से मालूम होता है कि साल साल काम होती जा रही है और हम लोग ज्यादा पैसा देते जाते हैं। इसलिए मेरे खयाल में होना यह चाहिए कि डिमांड नम्बर ८६, ८७ और १३५ के लिए केवल सौ रुपया ही दिया जाए।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : ओइम् जात वेदसे सुनवाम सोम मरातीय तो निदहाति वेदः सन : पषदति दुर्गाणि विश्वा नावेवसिन्धुं दरितात्यग्निः

श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, देश का उत्थान कल कारखानों से होगा यह निर्विवाद बात है क्योंकि जब शिल्प की उन्नति होती है, जहां देश का उत्थान होता है वहां देश की सब वस्तु काम आती है और लाखों करोड़ों व्यक्तियों को काम मिलता है। आज मेरे देश में बेकारी बढ़ी हुई है। उसका सर्वोत्तम उपाय उत्तम प्रकार की रसायनशालाएं और विज्ञान शालाएं खोलना है। उनसे देश का उत्थान होगा। परन्तु मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि सरकार स्वयं बड़े बड़े कारखाने खोले। जो काम केवल नौकरों का होता है वह छोटा हो या बड़ा हो कभी पूरा नहीं होता है। आज सारे विभागों में जो रोना पड़ा है वह रोना इसीलिए पड़ा हुआ है कि सारा काम केवल वेतनिक नोकरों से चलाया जा रहा है। सरकार यदि वास्तव में देश का उत्थान करना चाहती है तो उसको उन लोगों को जिनको कि लोहे, लकड़ी आदि वैज्ञानिक कार्यों का अनुभव है, सहायता देना चाहिए। यदि सरकार उन अनुभवी लोगों को सहयोग और सहायता दे जैसे कि लोहे का कोई काम करने वाला है उसको यदि सरकार सहायता देती है तो जो काम सरकार के द्वारा चलाये जाने वाले कारखानों में १००० रुपय से होगा वही काम वह १०० रुपय में कर के दिखा सकेंगे क्योंकि उसको उस चीज का अनुभव प्राप्त है। वही वस्तु जोकि सरकार द्वारा चलाये गये कारखाने में अधिक लागत पर बनेगी उसको अनुभवी व्यक्ति स्वयं कम लागत में तैयार करके रख देगा। एक स्वाभाविक बात यह भी है कि जिस का लाभ व्यक्ति को स्वयं पहुंचता है उस काम को व्यक्ति बहुत अधिक चाव से करता है। इस के विपरीत सरकार द्वारा संचालित कारखानों में वैतनिक कर्मचारी एक सरकारी ड्यूटी की दृष्टि से काम करते हैं और एक नियत समय के अंदर ही काम करते हैं। लेकिन जिन के अपने हाथ के कल कारखाने हैं वे उन्हें अपना समझ कर अधिक से अधिक समय काम करते हैं और बहुत अच्छे प्रकार से करते हैं।

एक दूसरी बात जिसकी कि ओर में संदन् का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि सरकार द्वारा जो कल, कारखाने खोले जा रहे हैं और विशाल नगरों को और अधिक विशालकाय बनाया जा रहा है इस से ग्रामों की अवस्था और दयनीय हो गयी है। गांवों में चूंकि उद्योग धंधे सुलभ नहीं होते

इसलिए ग्रामीण जनता विशालकाय नगरों की तरफ दौड़ रही है। नगरों में हम उनके आवास और खान-पान आदि का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं। मेरा तो कहना यह है कि यदि सरकार इस प्रकार के कारखाने खोलती भी है तो जो छोटे मोटे अविकसित नगर हैं उन में इन को खोलना चाहिए। वहां पर इसके लिए आप को सहस्त्रों बीघा जमीन वैसी ही पड़ी मिल सकती है जोकि कृषि योग्य भूमि नहीं है।

उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाऊं कि हमारे करनाल जिले में इन्द्री कस्बा है। किसी युग में वह बड़ा समृद्ध होता था लेकिन आज के युग में वहां की हालत यह है कि हजारों बीघा जमीन बेकार पड़ी हुई है। कस्बे के लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं क्योंकि वहां पर कुछ काम काज नहीं है। यदि ऐसे स्थानों पर जहां कि काफी गैर-कृषि योग्य भूमि पड़ी है, यह कल कारखाने खोले जांय तो उन कस्बों की जनता को वहां पर काम काज मिल सकता है और काम काज के अभाव में आज विशालकाय नगरों की ओर उनके भागने से जो सरकार के लिए आवास और खानपान का एक सिरदर्द हो जाता है वह भी हलका हो सकता है। इसके अलावा शहरों में जैसी मंहगाई चलती है उसको देखते हुए वे हमारे ग्रामीण भाई चाहे कितना ही पैसा क्यों न कमा लें, बड़े बड़े शहरों की जैसी मंहगी जिंदगी है वहां पर किसी के भी पास पैसा नहीं रह सकता है। इस के विपरीत छोटे नगरों और कस्बों में वे उससे आधे पैसों में भी अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि यह कल कारखाने छोटे छोटे कस्बों में खोले जांय और वहां पर पुराने युग के जो शिल्पकार हैं। और अनपढ़ हैं विश्वकर्मा इस देश के हैं उनसे काम लिया जाय उनका सहयोग इसके लिए प्राप्त किया जाये तो मैं अनुभव की दृष्टि से यह बात कहता हूं कि काम अधिक अच्छी तरह से और सस्ते में होगा। स्पष्ट बात है कि एक अनपढ़ व्यक्ति जिसके कि घर में लोहे, लकड़ी का काम होता है वह बिना पढ़े बहुत सारी बातें जानता है लेकिन इसके विरुद्ध दिल्ली में लाला जी का बालक इंजीनियरिंग पास कर लेता है लेकिन चूंकि उसको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता है इसलिए उसको उस ग्रामीण व्यक्ति के बालक की अपेक्षा कम अनुभव और जानकारी होगी। इसलिए आवश्यकता आज इस बात की है कि जो छोटे छोटे काम करते हैं उनको ही सरकार सहायता व प्रोत्साहन दे और छोटे छोटे अविकसित नगरों और कस्बों में यह सरकारी कल कारखाने खूलें।

दिल्ली आदि शहरों में सरकार द्वारा कल कारखाने खोलने की योजना बनाई जा रही है। एक तरफ तो सरकार चिल्लाती है कि देश की खाद्य समस्या अभी तक हल नहीं हो पायी है लेकिन दूसरी तरफ वह कृषि योग्य भूमि पर कल कारखाने खोलती जा रही है और आबादी का यह हाल है कि बरसाती मच्छरों की तरह निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। अब जमीन कोई रबड़ तो है नहीं जोकि बढ़ती चली जायेंगी। इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि यह कल कारखाने गैर-कृषि योग्य भूमि पर बनाये जांय जो छोटे छोटे पहाड़ हैं वहां पर बनाये जांय। गुड़गांव के पहाड़ों पर या राजस्थान के कम उन्नत पहाड़ी स्थानों पर यह कारखाने यदि खोले जायेंगे तो पहाड़ी जनता को और पहाड़ों की आसपास की जनता को जो भूखों मरती हैं और जिन के कि पास रहने को झोंपड़ी भी नहीं है और खाने को रोटी भी नहीं मिलती है उनको सहारा मिल सकेगा और वह अच्छे प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यदि आपको देश को समृद्ध बनाना है तो आपको कृषि-योग्य भूमि और नीची भूमि पर यह कारखाने नहीं बनाने चाहिएं क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप देश की खाने की आवश्यकता को पूरा न कर सकेंगे, खाद्यान्न के सम्बन्ध में देश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकेंगे और आपको या तो कहीं बाहर से अनाज मंगवाना पड़ेगा या फिर कोई वैज्ञानिक अविष्कार करना पड़ेगा कि जिससे आपका काम चल सके।

आज देश की निर्धनता हम एक जगह इकट्ठे होकर दूर नहीं कर सकते हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज इस प्रकार के यत्न हो रहे हैं कि बड़े बड़े विशालकाय नगरों को और विशाल बनाया जाये। मेरे शरीर के यदि सब अंग ठीक ठाक रहते हैं तो मेरा शरीर स्वस्थ समझा जायेगा लेकिन यदि

[श्री रामेश्वरानन्द]

उस का कोई भाग मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है अथवा सूख जाता है तो यह माना जायेगा कि मेरा शरीर अस्वस्थ है।

पहले भारतवर्ष में विशालकाय नगर नहीं होते थे और छोटे छोटे नगरों में ही सब प्रकार के उद्योग धंधे होते थे। उदाहरणस्वरूप गांव में तेल का धंधा करने वाले तेली होते थे और लोगों को शुद्ध तेल और खली मिल जाया करती थी। इसके साथ ही गांवों में ही लोगों को इस तौर पर कामकाज मिल जाया करता था और बिना बड़ी मेहनत के काम चल सकता था। एक ओर तो सरकार यह कल कारखाने खोल कर देश को समृद्ध बनाना चाहती है लेकिन दूसरी ओर गांवों में जो छोटेमोटे उद्योग धंधे तेल आदि के पहले होते थे उनको भी चौपट किया जा रहा है और समाप्त किया जा रहा है। मेरी बुद्धि इस को नहीं मानती कि हम देश को विकास पथ पर ले जा रहे हैं। देश को विकास की ओर ले जाना है तो आप पीछे की ओर भी देखिये। किस प्रकार से पिछले लोग देश को बढ़ा रहे थे यह भी आपको देखना होगा। प्रत्येक गांव में सभी जातियों और वर्गों के लोग परस्पर मिल कर रहते थे और उद्योग धंधे चलाते थे और सारी आवश्यक चीजें वहीं अपने गांव में पैदा कर लिया करते थे। लेकिन आज हालत यह हो गई है कि

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए १६–२७)

अगर किसी ने बढ़िया टाइप का जूता पहनना है तो वह शहर की ओर भागता है क्योंकि गांव में इस प्रकार के साधन नहीं हैं जिससे कि गांव का चमार उस प्रकार का जूता तैयार कर सके। साधन के अभाव के कारण गांव का लुहार उस प्रकार की वस्तुएं नहीं बना पाता जैसी कि शहरों के बड़े बड़े कारखानों में तैयार होती हैं। लेकिन यदि उस बेचारे गांव के लुहार को आप आवश्यक साधन सुलभ कर दें तो वह वही वस्तु जोकि शहर में सरकार के कारखाने में १००० रुपये में तैयार होगी उसे १०० रुपये में तैयार करके दे सकता है। इसलिए सरकार जहां कल कारखाने खोलने को सोचती है वहां गांवों के उन पुराने और अनपढ़ लुहार और बढ़ई विश्वकर्माओं को यदि वह आवश्यक साधन सुलभ करे और उनको प्रोत्साहन दे तो वह इस देश की अधिकाधिक आवश्यक वस्तुएं तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार उनकी बात नहीं पूछती है। हमारे मंत्री महोदय को तो पुराने युग की बात यदि कही जाये तो जिस तरह से बिच्छू का जहर शरीर में एक दम से दौड़ जाता है उसी तरह से पुरानी बातें सुन कर उनके शरीर में जहर चढ़ जाता है। यह बाबा तो पुराने समय की बातें करता है, ऐसा समझ कर उसकी ओर उपेक्षा बरतते हैं। लेकिन मैं अपने मंत्री महोदय को यह बतलाना चाहता हूं कि पुराने समय में जो छोटी छोटी जगहों में बड़ी बड़ी चीजें तैयार होती थीं उनको यही पुराने युग के विश्वकर्मा तैयार किया करते थे। आज हम ने उन विश्वकर्माओं को दृष्टि से ओझल कर दिया है। देश में पढ़े लिखे और नवीन विश्वकर्मा बनें, या लम्बे-चौड़े विशालकाय कारखाने खुलें, मैं इस का विरोधी नहीं हूं। लेकिन इस बात का मैं अवश्य विरोधी हूं कि उन पुराने युग के लोगों को दृष्टि से ओझल कर दिया जाये जो कि नवीन युग की चीजें भी अधिक से अधिक दे सकते हैं। उन को दृष्टि से ओझल करने के परिणामस्वरूप हमारे सामने कई समस्यायें खड़ी हो जाती हैं।

आज यदि हम उन लोगों की ओर ध्यान नहीं देते, तो वे बेकार हो जाते हैं। सरकार तो उन पढ़े-लिखे लोगों को ही बेकार समझती है, जो कि उस के यहां आकर नाम लिखाते हैं और कहते हैं कि हम नौकरी चाहते हैं। किन्तु मैं आप को बताना चाहता हूं कि आज देश में ऐसे करोड़ों आदमी बैठे हुए हैं जो बेचारे सरकार के सामने बोलना नहीं जानते जो मूक हैं, जो हाथ से काम करना चाहते हैं। उन को सरकार बेकार नहीं समझती और उन की ओर दृष्टिपात नहीं करती। मैं नम्रता से आप का ध्यान उन बेचारे ऊंचे से ऊंचे इंजीनियरों और विश्वकर्माओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिन के

पास कोई बड़े साधन नहीं हैं और जो इस कारण अच्छी से अच्छी वस्तुऐं बना कर नहीं दे सकते । मैं आप को यह घोषणा-पूर्वक कहूंगा कि यदि सरकार उन को साधन दे, तो वे अपनी छोटी छोटी भट्टियों में भी बड़ी बड़ी और ऊंची से ऊंची वस्तुएं बना कर दे सकते हैं। इस लिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इस विषय में सरकार को हमारी ओर से परामर्श दें और सरकार के मंत्री महोदय को कहें कि वे उन लोगों की ओर भी ध्यान दें। मैं सरकार के मंत्री महोदय पर आक्षेप नहीं करता । यदि वह कहीं किसी पुराने विश्वकर्मा कुल के होते, तो वह मेरी बात को बहुत जल्दी अच्छी तरह से समझ सकते थे ।

एक माननीय सदस्य : शर्मा जी तो समझ रहे हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द : शर्मा जी तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का तो ज्ञान और विज्ञान कर्तव्य है । "ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभाव जम्" । ब्राह्मण तभी बनता था जब कि उस को विज्ञान आता था । बिना विज्ञान के ब्राह्मण बनता ही नहीं था । इस लिए अगर शर्मा जी न समझें, तो क्या वर्मा जी समझेंगे या गुप्ता जी समझेंगे ? शर्मा जी का समझना अनिवार्य है। मैं चाहता हूं कि विज्ञान-शालाएं खुलें ।

इसी तरह से मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं । मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि मैं अन्य प्रान्तों का विरोध नही करता हूं अन्य प्रान्तों में भी इस प्रकार के इंजीनियर और विश्वकर्मा बैठे हैं । किन्तु पंजाब में विश्वकर्मा अधिक से अधिक मिल सकेंगे । सरकार पंजाब में छोटे छोटे उद्योग-धंधों की भी व्यवस्था करे और बड़ी बड़ी मशीनें भी बनवाए लेकिन वह छोटे छोटे विश्वकर्माओं के हितों का भी ध्यान रखे और उन से इस विषय में सहयोग ले । यदि वह यह काम पंजाब के लोगों से करवाए, तो इस में बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है । आप देश के कोने कोने में जाकर देखिए । आप को इस प्रकार के कल-कारखानों के मालिक और उन कल-कारखानों में काम करने वाले अधिक से अधिक पंजाबी ही मिल सकते हैं । मैं इस विषय में कोई अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा हूं । सरकार स्वयं अपने साधनों से इस बात की जांच कर के वास्तविक स्थिति को जान सकती है । इस लिए सरकार पंजाब में इस प्रकार की सुविधायें दे और पंजाब के लोगों को आगे लाने का यत्न करे । कोई माननीय सदस्य मेरी इस बात का यह अर्थ न लगाए कि मैं दूसरे प्रान्तों में इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध किये जाने अथवा वहां के लोगों को अवसर देने के विरुद्ध हूं । मेरा कहना तो यह है कि और प्रान्तों को भी आगे लाया जाये' लेकिन पंजाबी अधिक से अधिक मिल सकते हैं और वे मेहनती आदमी हैं । वे थोड़े से थोड़े में काम कर सकते हैं ।

यदि सरकार इतने काम कर पाई तो उस के बहुत सारे सिर-दर्द जो आज उस के सिर पर चढ़े हुए हैं हल हो सकते हैं। इन सुझावों को कार्यान्वित करने से विशालकाय नगर नहीं बनेंगे और उन नगरों में सरकार को आवास की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए बड़े यत्न नहीं करने पड़ेंगे कृषि-योग्य भूमि को इस तरह से कुचलने के लिए किसानों की भूमि नहीं लेनी पड़ेगी आज सरकार के हाथों में डंडा है । अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसानों से भूमि बलात् ली जा रही है । वह टके में ले ली जाती है और आगे लाखों में बेची जाती है । अगर सरकार चाहती है कि किसान का भी विकास हो तो जिस कीमत पर किसान से भूमि ली गई है उसी कीमत पर वह क्यों न बेची जाये या जिस कीमत पर कारखाने वाले भूमि बेचते हैं वह कीमत किसानों को भी क्यों न दी जाये । इस का नाम तो न्याय है, लेकिन सरकार इधर ध्यान नहीं देती । मेरे जैसे सीधे-सादे बिना डिज़ाइन के व्यक्ति की बात सरकार की समझ में नहीं आती वह तो किसी और ही डिज़ाइन के आदमियों की बात को समझती है । अगर कोई मेरे जैसी सीधी भाषा में कहे तो उस की बात सरकार की समझ में नहीं आती । जब तक कोई पूर्ण टूटीफूटी इंगलिश न बोले और पाश्चात्य संस्कृति की चमक से चमत्कृत न हो, तब तक सरकार की समझ में नहीं आता है । उस के दिमाग़ में यह बात आई हुई है कि यह बेचारा बे-डिज़ाइन का आदमी क्या जाने । ठीक है' बे-डिज़ाइन का आदमी सरकार

[श्री रामेश्वरानन्द]

को पसन्द नहीं है परन्तु मेरे कपड़े भी वही काम करते हैं जो कि उन के डिज़ाइन वाले करते हैं। यह बात उस को समझ में नहीं आ सकती है। क्यों ? सब बातें सबकी समझ में नहीं आती हैं। जब कोई व्यक्ति मलेरिया में बीमार होता है, तो उस को रोटी और पानी कड़वे मालूम होते हैं। कोई वैद्य या डाक्टर उस के सामने यह साबित नहीं कर सकता कि वह पानी मीठा है। अगर हम उस पानी को पीते हैं तो वह मीठा है लेकिन मलेरिया के रोगी को वही पानी कड़वा मालूम होता है और वह उस को कड़ुवा बताता है। इसी प्रकार पीलिया के रोग को सब पीला ही पीला दिखाई देता है। मैं चाहता हूं कि सरकार का पीलिया हटे और वह सीधे-सादे लोगों की बात पर भी ध्यान दे। वह सब लोगों से--हम से भी--पूछे कि किस तरह से देश समृद्ध हो सकता है। यह नहीं कि टोपी वालों से कान में बात कर के पूछ लिया जाये। उन का ही ज्यादा दिमाग नहीं है। हम लोग कहीं पागल नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग पांच पांच लाख की राय ले कर आए हुए हैं।

ओ३म शान्ति।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): मैं जानना चाहता हूं कि इस्पात के प्रतिधारण मूल्य पर कब अन्तिम निर्णय किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस का निर्णय शीघ्र करें।

रूरकेला एक कठिनाई का स्थान हो गया है। माननीय मंत्री भी वहां की स्थिति ठीक करें। वहां पर कठिनाई विदेशी लोगों की भारतीयों की और वर्ताव है। इस लिये भारतीय विशेषज्ञ पूरे ज़ोर से काम नहीं कर सकते। इस इस्पात संयन्त्र में श्रम विधान को कार्यान्वित किया जाये।

मुझे आशा है कि दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र की नींव मज़बूत है। भिलाई में कुछ श्रम अधिनियम लागू नहीं किये गये हैं। सरकारी क्षेत्रों की परियोजनाओं में संयुक्त सलाहकार समितियां नियुक्त की जानी चाहियें।

अब भारी बिजली के सामान का कारखाना जो भोपाल में है उसके सम्बन्ध में कहूंगा। १२ मार्च को कारखाने के नौकरों के संघ (यूनियन) और निगम के सभापति के बीच में समझौता हुआ था और हड़ताल हट गई। कारीगरों ने उत्पादन पक्ष मनाया। इस से उत्पादन बढ़ा। इस के उपरान्त संघ के प्रतिनिधि माननीय मंत्री और श्रम मंत्री से मिले। भोपाल पहुंचने पर उन को नौकरी से बरखास्त किए जाने की सम्भावना मालूम हुई। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि औद्योगिक सम्बन्धों के प्रश्न पर विचार करें--विशेषकर इन २१ कारीगरों और संघ के अधिकारियों का प्रश्न। माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें कि क्या इस तरह से औद्योगिक शान्ति स्थापित होगी।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि श्रम और रोजगार मंत्री के परामर्श से इस बात पर विचार किया जाये, कि इस्पात संयन्त्रों 'हैवी इलैक्ट्रीकल्ज' और भारी अभियान्त्रिक निगम पर केन्द्रीय कानून श्रम कानूनों के मामले में लागू कर दिये जायें।

रूरकेला इस्पात संयन्त्र का क्रय विभाग १९५७ फरवरी में रूरकेला को भेज दिया था, फिर उसे वापिस कलकत्ता लाया गया। फिर इसे रूरकेला भेजने की कोशिश हो रही है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये क्योंकि हम इस संयन्त्र को अच्छी तरह से चलते देखना चाहते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन गैर-सरकारी क्षेत्रों में जो उपक्रम सरकारी क्षेत्र के फलने फूलने में बाधा डालते हैं उनके काम की जांच करें।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इस्पात और भारी उद्योगों पर जो बहुत लाभदायक चर्चा हुई है मैं उसके माननीय सदस्यों का आभारी हूं। इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय नया बना है और इसके अधीन सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की परियोजनाएं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि मिश्रित आर्थिक व्यवस्था की हमारी नीति है और जब तक हम इस नीति को अपनाए हुए हैं हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परियोजनाएं चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों या गैर-सरकारी में सफल हों। दुर्भाग्यवश कभी कभी दोनों क्षेत्रों में आपस में नुक्ताचीनी होती है जो कि बारा वर्ष को दूषित कर देती है। विशेष कर आज सरकारी क्षेत्र भी देश में उद्योग के विकास के लिये जो काम करना है उस को सब ने मान्यता दी है, सब राजनैतिक दलों ने भी माना है। केवल स्वतन्त्र पार्टी और कुछ माननीय स्वामियों ने जो कि दूसरी दुनिया के लिये रहते है ने नहीं माना है। अतः हमे इस बात का ध्यान रखना है कि सरकारी क्षेत्र मे जो परियोजनाएं हैं वे अच्छी तरह से काम करें क्योंकि इस्पात और भारी उद्योगों में सरकारी क्षेत्र महत्वपूर्ण काम कर रहा है। और इस ने और महत्वपूर्ण काम करना है। इस लिये यह आवश्यक है कि यह सदन ऐसा वातावरण उत्पन्न करे और नियम बनाये ताकि सरकारी क्षेत्र देश में औद्योगिक विकास के लिये प्रभावशाली बन सके।

औद्योगिक संयन्त्र चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या गैर-सरकारी क्षेत्र मे हो औद्योगिक संयन्त्र ही होगा। इस सदन को ससंद और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के सम्बन्ध पर विचार करना चाहिये। मैं इस बात को समझता हूं कि माननीय सदस्य सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते है ? इस लिये कि कई करोड़ रुपये लगें हुए है, परन्तु दिलचस्पी इस सीमा तक नहीं होनी चाहिये कि उपक्रमों के काम में हस्तक्षेप बन जाए और उन के हितों के विरुद्ध जाए। इसलिये मैं ने कहा यदि सरकारी क्षेत्र में भी औद्योगिक संयन्त्र होगा तो यह औद्योगिक संयन्त्र के रूप में ही काम करेगा।

हम इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संतोषजनक काम के लिये विभिन्न प्रकार के संघठन और प्रबन्धों पर विचार करते रहे हैं। हम परिनियत निगम बनाते रहे हें कम्पनियों को कम्पनी कानून के अन्तर्गत पंजीबद्ध करते रहे हैं और कभी कभी इन का विभागीय प्रबन्ध किया। संघठन का कोई भी रूप हो जब तक संयन्त्र के प्रबन्ध कर्ताओं को काम करने में स्वाधीनता नहीं होगी, कोई भी औद्योगिक संयन्त्र सफल रूप से काम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिये मैं हिन्दुस्तान स्टील के कम्पनी बनाए जाने के विषय कहता हूं इस कम्पनी के बनाए जाने का तात्पर्य यह था कि मंत्रालय इस्पात संयन्त्रों के दिन प्रतिदिन के प्रबन्ध में हस्तक्षेप न करे और इस्पात और औद्योगिक संयन्त्रों के काम में सचिवालयों की प्रक्रिया से बाधा न हो। जब हमने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड बनाई तो हमारा तात्पर्य देहली के स्थान पर रांची करना नहीं था। दुर्भाग्यवश कि इन तीनों सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं का प्रबन्ध करने वाला केन्द्रीय संघठन उस तरह से काम नहीं करता रहा है जिस तरह से करना चाहिये क्योंकि यह अलग सचिवालय बन गया है। इस लिये कठिनाई की ओर जांच करनी है और इस पर विचार पूर्वक निर्णय करना है।

मेरे विचार में निगम के स्वायत्त का मतलब यह है कि मैं संयन्त्रों को अपने काम मे स्वायत्त होना चाहिये।

मैंने सरकारी उपक्रमों पर कृष्णा मैनन कमेटी का प्रतिवेदन पढ़ा है। वहां पर यह महत्वपूर्ण बात लिखी थी कि प्रत्येक संयन्त्र को अपना व्यक्तित्व बनाना चाहिये और जब तक ऐसा न हो तो सफलता नहीं मिलेगी अतः हमें ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिये जिस से प्रत्येक संयन्त्र अपना व्यक्तित्व बना सके और एक दूसरे से मुकाबला करे।

दूसरा प्रश्न यह है कि सरकारी उपक्रमों के काम में संसद को कहां तक दिलचस्पी लेनी चाहिये। हमारे पास इतनी जानकारी आती है जब से इस्पात और भारी उद्योग का मंत्री बना हूं मेरे पास कई जानकारी आई हैं। इसी प्रकार माननीय सदस्यों के पास भी आती होंगी। परन्तु इन सब को बिल्कुल सत्य नहीं मानना चाहिये। या बिना मिलने पर सदस्य शीघ्र ही प्रश्न दे देते हैं। ऐसा वातावर्ण बन जाता है जिस में कोई उतरदायीत्व लेने के लिये त्यार नहीं होगा।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

सरकारी क्षेत्र के संघठन में हमारी बड़ी कमजोरी उत्तरदायीत्व को न मानना है। यह इस लिये होता है कि इन चीज़ों के दिन प्रति दिन काम में अधिक दिलचस्पी लेते हैं। जब किसी औद्योगिक संयन्त्र का प्रबन्धक सुनते है, तो उचित व्यक्ति चुने और उसे पूर्ण उत्तरदायित्व दें। यदि वह एक दो वर्ष में काम करने में सफल नहीं होता तो उसे हटा दें। इस तरह से करना चाहयिे। कोई एक मामला नहीं ले लेना चाहिये और कहना चाहिये कि हर चीज गलत हो रही है और किसी व्यक्ति विशेष को नौकरी से हटा दिया गया है। निस्सन्देह यह गलत है। हमे ऐसी श्रम नीति नियत करनी चाहिये जिसका परिपालन प्रत्येक व्यक्ति करे। यदि कोई उस का उल्लघंन करता है, तो हम उसे दण्ड दे सकते हैं। इन विभिन्न संयन्त्रों के जो प्रबन्धकर्ता हैं उन पर अपराध लगाने से ऐसा वातावरण पैदा हो जाता हैं जिस में कोई उत्तरदायित्व मानने के लिये तैयार नहीं होता। अतः मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा वातावरण पैदा करें जिस में कि इन संयन्त्रों के प्रबन्धक अपने कार्यों का उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिये तैयार हों। यह एक पहलू है जिस पर हमे विचार करना होगा।

इस बात पर परामर्शदातृ परिषद् में पूरी तरह विचार किया जायेगा। मैं नहीं कह सकता कि यह एक नई नीति है तथापि इस संबंध में बहुत से प्रश्न और अभ्यावेदन आये हैं। मैं श्रमिक कल्याण के संबंध में दिलचस्पी की प्रसंशा करता हूं। यदि एक व्यक्ति का रूरकेला से स्थानान्तरण किया जाता है तो तत्काल उसके विषय में प्रश्न पूछ दिया जाता है। इसका यह फल होता है कि वह व्यक्ति घबरा जाता है। और बाद में वह कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाने पाता है। ।

दूसरी बात टैक्नीकल व्यक्तियों के सम्बन्ध में हैं। हमने जो नयी योजनायें आरम्भ की हैं उन के संबंध में हमें इंगलेंड, अमेरिका, जर्मनी इत्यादि की तरह अनुभव नहीं है। अतः हमें आरम्भ में विदेशी कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तथापि यह दशा अनिश्चित काल तक नहीं रह सकती है। अतः हमें खतरा मोल लेकर भी युवक पीढ़ी को उत्तरदायी स्थान में रखना होगा। इन संयंत्रों में जिन व्यक्तियों को उत्तरदायी स्थान दिया गया है उन्हें तीस या चालीस वर्ष का अनुभव है। इस लिये जब वह यह देखते हैं कि नवयुवक लोग केवल ५ या ६ वर्षों के अर्से मे ही इन पदों पर आ रहेहैं तो वे कहते हैं कि वे ऐसा कदापि नहीं कर सकते हैं।

यदि हम अनुभवि व्यक्तियों को इन संयंत्रों का उत्तरदायित्व सौंपते हैं तो क्या वे गलतियां नहीं करते हैं। तथापि वे अपनी गलतियां से सबक लेते हैं। तथापि इसका लाभ संयंत्र को एक या दो वर्षों के लिये ही प्राप्त होता है। जबकि नयी पीढी को जो अनुभव होगा उसका लाभ संयंत्र को कई वर्षों तक मिलेगा।

अतः इमें उन देशों का अनुकरण करना चाहिये जिन्होंने क्रांतिकारी तरीके से तरक्को की है, न कि विकासवादी तरीके से तरक्की की है। अपने विदेशों के दौरे में मुझे यह ज्ञात हुआ कि कई लोगों को केवल ३० वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े संयंत्रों का उत्तरदायित्व सोंपा गया।

इस समय हमारे सामने यह समस्या है कि काम सफलतापूर्वक किस प्रकार चले और भविष्य के लिये हम किस प्रकार कुशल कारीगर तैयार करें। इस लिये वैज्ञानिक और प्रोद्यौगिकीय क्षेत्र में आयु की प्रौढता इतना महत्व नहीं रखती जितनी कि विचार और कार्य करने की सक्रियता। इसी कारण संयंत्रों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में हमें अपने नवयुवकों को उत्तरदायित्व देना है।

यदि हम उन व्यक्तियों को लेवें जिन्हें अपने अनुसंधान कार्य पर नोबुल पुरस्कार मिला है तो ज्ञात होगा कि जिस कार्य के लिये उन्हें नोबुल पुरस्कार मिला है वह अनुसंधान अधिकतर व्यक्तियों ने ३० वर्ष की आयु के पहिले कर लिया था।

मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि हमे प्रशिक्षित और अर्हता प्राप्त नवयुवकों को और अधिक दायित्व देना चाहिये ।

डा० उ० मिश्र ने यह आरोप लगाया है कि एक विदेशी और एक भारतीय का विदेश में इन्टरव्यू किया गया और उसमे भारतीय को अस्वीकार कर दिया गया । यदि कोई ऐसा इन्टरव्यू हुआ होगा तो वह केवल विदेशों में रहने वाले भारतीयों का ही हुआ होगा । विदेशी व्यक्ति हमेशा विदेशों से लिये जाते हैं । प्रतिवर्ष हम २०० भारतीय इंजीनियरों को इन संयंत्रों में काम करने के लिये विदेशों में नियुक्त करते हैं । हमारा उद्देश्य यह है कि कुछ खतरा मोल ले कर भी हम टैक्नीकल व्यक्तियों की एक ऐसी पदालि तैयार करें जो कि इन संयंत्रों का काम करने की क्षमता रखे ।

मुझे विभिन्न परियोजनाओं में श्रमिकों के संबंध मे भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । मैंने स्वयं कार्मिक संघों में सक्रिय भाग लिया है । मैंने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि सरकारी क्षेत्रों में श्रमिकों के सम्बन्ध मे नीति क्या है ? वस्तुतः अभी तक सरकारी क्षेत्र में श्रमिक नीति नहीं बनी है ।

हमने इस सम्बन्ध में एक सरकारी समिति बनायी थी जिससे कि वह एक श्रीमक नियमावलि बनाये जिसे कि सभी सरकारी क्षेत्र के परियोजनाओं में लागू किया जा सके । इसमें विभिन्न परियोजनाओं के महाप्रबन्धकों तथा इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले अन्य लोगों से भी परामर्श लिया जायेगा । तत्पश्चात् हामरे लिये एक ऐसी संहिता बनाना सम्भव होगा जिसे कि सभी सरकारी उपक्रमों में लागू किया जाये ।

यद्यपि सभी परियोजनाओं के लिये एक केन्द्रीय विधि संहिता बनाने की बात आकर्षक प्रतीत होती है तथापि यदि कोई संकट पैदा होगा तो इसका सामना राज्य सरकार को करना पड़ेगा, अतः जब तक इस मामले में हमें राज्य सरकारों का पूरा सहयोग प्राप्त न हो तब तक इन कानूनों को क्रियान्वित करना बहुत कठिन हो जायेगा ।

साथ ही साथ हमें यह भी सोचना है कि क्या सरकारी क्षेत्र के लिये एक प्रकार के नियम और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये दूसरे प्रकार के नियम बनाना उचित होगा । यद्यीप मेरा अपना मत है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में बुनियादी अन्तर है और गैर-सरकारी क्षेत्र में नियोजक और कर्मचारी के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है तथापि सरकारी क्षेत्र की स्थिति इसके विपरीत है उसे समाजवादी आदर्श की ओर काम करना है । एक बार श्रम नीति निश्चित् हो जाने पर हम इस बात का पूरा प्रयत्न करेंगे कि इस पर पूरी तरह से अमल किया जाये । जब तक सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का दायित्व मेरे पर रहेगा तब तक मैं इस बात का पूरा प्रयत्न करूंगा कि सरकार आदर्श नियोजक की तरह कार्य करे ।

यदि हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उद्योगों को प्रभावशाली और कुशल बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी । मुझे आशा है कि यदि मैं अपनी भावनाओं को एक अश में भी पूर्ण कर सका तो मुझे सरकारी क्षेत्र में कार्य करने में पूरी सफलता मिलेगी ।

यदि हम विभिन्न सरकारी उपक्रमों की त्रुटियां का पता लगा सकें, उनमें आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धी परिवर्तन कर सकें तथा आवश्यक श्रमिक सम्बन्ध कायम कर सके तो मुझे विश्वास है कि हमें वांछनीय परिणाम प्राप्त होंगे ।

हम सभी का यह प्रयत्न होना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र हमारे देश के औद्योगीकरण का एक शक्तिशाली साधन बने । मैं आशा करता हू कि इसमें मुझे सभा का पूरा सहयोग प्राप्त होगा ।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

इस मंत्रालय की चर्चा करते समय इस्पात के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। इस्पात भारी उद्योगों का मुख्या आधार है। एक समय ऐसा था कि जब हमने ६० लाख टन लोह-पिंड उत्पादन का लक्ष्य रखा तो लोग कहते थे कि इसकी खपत किस तरह हो सकेगी आज स्थिति यह है कि लोग शिकायतें करते हैं कि लक्ष्य पूर्ति नहीं हो सकी है। सचाई यह है कि जितना ही अधिक इस्पात होगा उतनी ही औद्योगीकरण की संभावनायें होंगी।

जहां तक इस्पात संयंत्रों के कार्य की आलोचना का सम्बन्ध हैं इसके सम्बन्ध में दो तीन प्रकार की बातें कही गयी हैं। एक प्रकार की आलोचना इस उद्देश्य से की गयी है कि इनके कार्य में सुधार हो इस सम्बन्ध में सभा के एक पक्ष का यह मत है कि संयंत्रों से सफलता केवल तभी मिल सकती है जब कि संयंत्र समाजवादी देशों से खरीदे जायें। एक औद्योगिक संयंत्र भले ही किसी देश से आये उसकी टैक्नोलोजी में कोइ अन्तर नहीं पड़ता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि रूरकेला का संयंत्र अब केवल भारतीय संयंत्र रह गया है। इसी प्रकार भिलाई और दुर्गापुर के भी संयंत्र हैं। अतः हमें अपने वादविवादों को संयंत्रों तक नहीं ले जाना चाहिये। मैं ने माननीय सदस्यों से यह अनुरोध किया था कि चाहे संयंत्र किसी भी देश से आये हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि वे सफलतापूर्वक कार्य करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी सदस्यों ने संयंत्रों के कार्य के सुधार के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं।

दुर्भाग्य से रूरकेला इस्पात संयंत्र का कार्य बहुत असंतोषजनक रहा है। वह संयंत्र २६ बार खराब हुआ है जिसे में एक प्रश्न के उत्तर में बता चुका हू। इनमें से कुछ खराबियां बहुत बड़ी थीं। इस संबंध में कई जांच समितियां भी बैठ चुकी हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि हमारे प्रतिनिधिमडल के पश्चिम जर्मनी जाने के पश्चात से तथा काफी चर्चा के उपरांत वे समति के प्रतिवेदन से सहमत हो गये हैं। उन्होने त्रुटियों को दूर करने के लिये कई सुझाव दिये हैं। मैं आशा करता हूं कि इस प्रतिवेदन का अध्ययन कुछ ही दिनों में समाप्त हो जायेगा। तत्पश्चात् इस प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिये प्रक्रिया विहित की जायेगी। मैं आशा करता हूं कि यह सारा कार्य कुछ ही दिनों में पूरा कर दिया जायेगा। और हम आशा करते हैं कि रूरकेला भी अन्य संयंत्रों की भांति ही भारत प्रगति में सहयोग करेगा।

जहां तक रूरकेला का सम्बन्ध है उत्पादन में बड़ी विषमता रही है दुर्गापुर के उत्पादन में वृद्धि हुई है में चाहता था कि और अधिक वृद्धि होती। यह कहा गया है कि जर्मनी और इगलेंड का उद्देश्य लाभ कमाना रहा है इसलिये सभवतः हमें उपयुक्त संयंत्र बनाकर नहीं दिये गये हैं। तथापि इस उद्देश्य से तो उन्हें और भी अच्छे संयंत्र हमें देने चाहिये थे। प्रश्न इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि संयंत्र कहां से आया है। वस्तुतः रूरकेला संयंत्र के निर्माण में ३० या ३९ कारखानों ने सहयोग किया है जिनके बीच अपेक्षित समायोजन नहीं रहा। अब हम गलतियों का पता लगा चुके हैं अतः उनका निराकरण करना सम्भव हो सकेगा।

जहां तक रूरकेला का सम्बन्ध है मजदूरों में अपेक्षित मात्रा में अनुशासन नहीं रहा है। इसे हमें दूर करना होगा। अतः वे लोग जो श्रमिकों के हितों में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें चाहिये कि वे उन्हें उचित सलाह देवें जिससे वे अनुशासन से काम करें। यदि हम बिना अधिक उत्पादन किये हुए अधिक की माँग करेंगे तो कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं टिक सकती है। अतः अधिक उत्पादन के लिये कार्यकुशलता अत्यधिक आवश्यक है।

रूरकेला में न केवल टेक्नीकल गलतियां दूर करनी होंगी अपितु व्यवस्था और श्रमिक सम्बन्धों के संबंध में भी आवश्यक सुधार करने होंगे। मैं आशा करता हूं कि ६ या १२ महीनो में उक्त सुझाव क्रियान्वित हो सकेंगे और रूरकेला लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन कर सकेगा।

फिर भी द्वितीय योजना में ६० लाख टन का लक्ष्य पूरा हो गया। किन्तु फिर भी हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमें केवल इन लक्ष्यों की पूर्ती ही करना है अपितु तीसरी योजना के लक्ष्यों को नहीं ध्यान में रखना है। तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि इन इस्पात संयंत्रों का विस्तार किया जाये। यह बात नहीं है कि हम इस बारे में विचार न कर रहे हों अब गम्भीरतापूर्वक इस बारे में विचार कर रहे हैं। भिलाई में विस्तार का काम हो रहा है और आशा है कि यह काम और भी शीघ्रता के साथ आगे बढ़ेगा।

रूरकेला और दुर्गापुर के मामले में कुछ कठिनाइयां हैं। लेकिन फिर भी मशीनों के लिये टेन्डर मांगे गये हैं। हमें आशा है कि विस्तार कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और हम तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति करने मे समर्थ हो सकेंगे। यह विश्वास तो मैं नहीं दिला सकता कि १९६५-६६ में हम लक्ष्यों की पूर्ति कर सकेंगे किन्तु इतना अवश्य है कि हम बड़ी तीव्रता के साथ प्रयत्न करेंगे। इतना हम जानते हैं कि औद्योगिक कार्यक्रम इस्पात उत्पादन पर निर्भर करता है। बिना इस्पात के काम रुक सकता है।

बात यहीं खतम नहीं हो जाती कि हम तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति कर लेते हैं। अभी कई पंचवर्षीय योजनाएं आनी हैं। यह काम तो लगातार चलता रहेगा। इसलिये हमें इस्पात के उत्पादन के बारे में सापेक्ष दृष्टीकोण रखना चाहिये और इसके लिये हमें अभी से तैयारी करनी होगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हम कब तक विदेशी मशीनों के आयात पर निर्भर रहेंगे। और यही कारण है कि हम बोकारों में एक ऐसा संयंत्र चाहते हैं जहां कि मशीनों का निर्माण हो सके। ऐसी आशा करते हैं कि चौथी अथवा पांचवीं पंचवर्षिय योजना के अन्त तक हम विदेशों से मशीनों का आयात करना बन्द कर देगें और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम भी वही करें जो कि दूसरे देशों मे हो रहा है। हमारा विचार यह है क हम इन संयंत्रों की स्थापना यहां करे तथा दूसरे देशों में क्या हुआ है वह भी यहां करें और इसके अलावा आगे बढ़े। इसके लिये औद्योगिक एवं वैज्ञागिक वातावरण तैयार करना होगा। और यह काम नई पीढ़ी करेगी। उनके कंधों पर दायित्व अधिक होगा। बोकारो का महत्व इस्पात की दृष्टि से बहुत ही महान है। हम चाहते हैं कि बोकारों संयंत्र की स्थापना हो और इसके लिये हमें अमरीका से सहायता लेनी होगी। अमरीका यदि सहायता देने से पूर्व यह मालूम करना चाहे कि क्या इस प्रकार का संयंत्र भारत में सफल हो सकता है तो उसके द्वारा इस सम्बन्ध में की जाने वाली जांच के विषय में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह कोई अनुचित बात नहीं है। इस सम्बन्ध में यदि वह स्वतंत्र रूप से जांच करके अपनी कोई धारणा बनाना चाहता है तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हां, इतनी बात हम ज़रूर चाहते हैं कि इस बात को लेकर संयंत्र की स्थापना में देर नहीं होनी चाहिये। यही कारण है कि हमने कुछ तथ्य वाणीज्यदूत को वहां दे दिये हैं और उन्होंने वहां प्रारम्भिक प्रतिवेदन तैयार करके अमरीकी सरकार को दे दिया है। इसके अलावा यदि कुछ और तथ्यों की आवश्यकता पड़ेगी तो वे भी हम उनको देंगे।

चूंकि हमें उनसे सहायता लेनी है तो इस सम्बन्ध में यदि उनके सरकारी ढांचे अथवा प्रक्रिया के अनुसार कुछ देर भी होती है तो वह देर हमें सहन करनी होगी। हम उनसे यह नहीं कह सकते कि आप हमें तुरन्त ही सहायता दीजिये और अपनी प्रक्रिया अथवा ढांचे को बदल दीजिए।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

हां, इतनी बात अवश्य है कि यदि उनकी ओर से हमारे काम मे कोई हस्तक्षेप होगा तो हम निश्चय ही उसका विरोध करेंगे। उदाहरणार्थ शुरू में उन्होंने कहा था कि यह संयंत्र गैर-सरकारी क्षेत्र में होना चाहिये हमने इसका विरोध किया। फिर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कम अंश अमरीका के होने चाहिये। लेकिन अब वह बात भी समाप्त हो चुकी है। बोकारो संयंत्र अब शतप्रतिशत सरकारी क्षेत्र का होगा। यदि उनकी ओर से हमें सहायता मिल जाती है तो उनकी सहायता से अन्यथा उनकी सहायता न मिलने पर भी हम बोकारो संयंत्र की स्थापना करेंगे। हमने अपने परामर्शदाताओं से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने लिये कहा है ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देशों से भी सहायता ली जा सके। बोकारो संयंत्र की स्थापना हर सूरत से होनी है। जहां तक समय की बात है। हमने अपने भारतीय परामर्शदाताओं से कहा है कि वे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करें। हमें आशा है कि अमरीका उस प्रतिवेदन को अवश्य ही स्वीकार करेगा। यदि उसमें कुछ हेर फेर करने की आवश्यकता हुई तो उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। इस प्रकार हम इस क्षेत्र में अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं और यह प्रयत्न कर रहेहैं कि इसकी स्थापना में और अधिक समय बर्बाद न हो।

इस बात को हमें अधिक महत्व नहीं देना चाहिये कि यह सहायता अमरीका से मिल रही है या रूस से। आखिर हमें तो कहीं न कहीं से सहयाता लेनी ही है। लेकिन यह सहायता लेते समय यह अवश्य ध्यान रखा जायेगा कि हमारी वैदेशिक नीति अथवा आर्थिक नीति में इसके कारण कोई हस्तक्षेप न हो। हमारी इस नीति से हमें बहुत लाभ है और आशा है कि भविष्य मे भी लाभ होगा। हमारा उद्देश्य यह है कि हम यह सहायता हमेशा न लें और शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो जायें। और जिस प्रकार की मशीनें बनाना चाहें वैसी मशीनें बना सकें। लेकिन साथ ही हमारा यह प्रयत्न है कि इस्पात संयंत्रों की स्थापना में कम से कम देरी हो।

यह शिकायत की गई है कि लोहा इस्पात नियंत्रक की ओर से पूछताछ करने पर उत्तर भी नहीं मिलते। मैं कहना चाहूंगा कि यदि ऐसा हुआ भी है तो वह जान बूझ कर नहीं हुआ। सहकारी संस्थाओं की ओर से कोई बात यदि पूछी गई है तो उसका उत्तर तुरन्त ही दिया गया होगा। फिर भी मैं वह आश्वासन देता हूं कि इसकी जांच की जायेगी और भविष्य में ऐसी शिकायत का कोई अवसर नहीं मिलेगा।

इस्पात की बहुत सी श्रेणीयों पर से हमने नियंत्रण हटा दिया है। चादरों तथा छड़ों पर आजकल नियंत्रण अवश्व है। शीघ्र ही इन पर से भी नियंत्रण हटाया जायेगा। लेकिन यह तभी संभव है जब कि उत्पादन मांग के अनुकूल होने लगता है। प्रवृत्ति यह है कि जब कभी किसी वस्तु की कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती हैं। लोगों की आवश्यकता यदि १० टन की होती है तो वे ५० टन मांगते हैं। सोचते हैं कि इतना मांगने पर भी १० टन मिलेगा। इस प्रकार इस्पात की यह मांग बनावटी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। जैसे ही रूरकेला और दुर्गापुर में उत्पादन बढ़ेगा वैसे ही हम यह नियंत्रण उठाने में सफल हो सकेंगें।

भूमि अजन के मामले में कुछ कठिनाई अवश्य है। भूमि अर्जन का यह काम राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें ही प्रतिकर निर्धारित करती हैं। लेकिन अब करार हो गवा है और हमें कुछ भूमि मिल जायेगी। हमें वह नीति भी बनानी होगी कि जो लोग अपनी भूमि से विस्थापित हुए हैं उन्हें फिर से बसाया जाये। उन्हें बसाने का दायित्व वास्त में या तो केन्द्रीय सरकार का होना

चाहिये अथवा राज्य सरकार का चाहे कोई क्यों न हो दायित्व किसी का अवश्य होना चाहिये मैं जानता हुं कि आदिवासी आर्थिक, शिक्षा आदि सभी दृष्टि से पिछड़े हैं उन्हें बसाने का प्रयत्न अवश्य किया जाना चाहिये। थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देश के विकास के लिये करनी ही होगी जिसके लिये हमें शिकायत नहीं करनी चाहिये।

जहां तक हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात है मैं कहना चाहूंगा कि इस्पात की तरह विद्युत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से होने वाली आय की बात है मैं कहूंगा कि ये अभी चालू हुए हैं और इनके सामने नाना प्रकार की कठिनाइयां आई हैं। इसलिये अभी पूरा उत्पादन इनके द्वारा नहीं हुआ है। अतः लाभ आदि के बारे में हमें तभी सोचना चाहिये जब कि ये पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करने लगे। बात यही नहीं है कि हम पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करने लगें बल्कि यह भी है कि कुशलता के साथ उत्पादन करने लगें। कुछ समय में हम अपने संयंत्रों का संचालन दक्षतापूर्वक और कम खर्चे से करने लगेंगे और लागत कम कर सकेंगे। प्रारम्भिक अवस्थाओं में किसी भी बड़ी परियोजना से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

भविष्य में विस्तार एवं विकास के लिये हम सदैव ही इस बात पर ध्यान देते हैं कि इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से उत्पादन भी अधिक हो और उनसे लाभ भी अधिक हो। मूल्य बढ़ाकर लाभ कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इससे तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। किन्तु इस समय हमारा लक्ष्य यही है कि हम किसी न किसी तरह पूरी क्षमता में उत्पादन कर सकें। हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी अन्य देशों की तरह उत्पादन हो। कुशलतापूर्वक उत्पादन हो तथा साथ ही मूल्य भी अधिक न हो। हम जानते हैं कि हमारे यहां मजदूर सस्ते मिलते हैं। अतः हम आशा करते हैं कि निश्चय ही हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे। अतः यह कहना कि इनसे अधिक लाभ हो कोई अच्छा तर्क नहीं है। क्योंकि प्रारम्भिक स्थिति में लाभ अधिक नहीं होते। उदाहरण के लिये सिंचाई परियोजना ही लीजिये। हम उनमें काफ़ी धन लगाते हैं लेकिन उनके बन जाने और पूरी क्षमता के साथ काम करने के बावजूद भी उनसे कोई विशेष लाभ उस समय तक नहीं होता जब तक कि उनके पानी का पूरा पूरा सदुपयोग नहीं होता। यह बात मैं जरुर मानता हूं कि यथाशीघ्र ये पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करने लगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य उस समय तक थोड़ा धैर्य रखें जब तक कि ये पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करना शुरू न कर दें। तभी इनसे लाभ होगा।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जिस प्रकार इस्पात महत्वपूर्ण है उसी प्रकार विद्युत् भी महत्वपूर्ण है। इसकी मांग भी बराबर बढ़ती जा रही है। तीसरी योजना के लिये हमने पहले जो लक्ष्य रखा था अब उसे बढ़ाना होगा क्योंकि मांग बराबर बढ़ी है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस बढ़ती हुई मांग के लिये हमें अधिक जेनरेटर लगाने होंगे जो अधिक बिजली पैदा कर सकें। लेकिन इनका आयात हम कब तक करते रहेंगे। इसलिये हमने भूपाल में जेनरेटर तथा विद्युत उत्पादन करने वाले संयंत्रों के बनाने के लिये हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की है। भूपाल की यह परियोजना अपने ढंग की निराली है। इस क्षेत्र में हमारा यह पहिला अनुभव है। यदि इसमें हमारे सामने कुछ कठिनाई आती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हम यथासंभव अधिक से अधिक उत्पादन करने लगें। भूपाल संयंत्र के विस्तार का भी कार्यक्रम है। आजकल हमारा लक्ष्य प्रतिवर्ष २५ करोड़ रुपये की मशीनें बनाने का है जिसे बढ़ाकर हम १०० करोड़ रुपये की मशीनें बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। यह भी विचाराधीन है कि यह संयंत्र एक ही स्थान पर हो अथवा विभिन्न स्थानों पर।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर की परियोजना के बारे में भी उल्लेख किया गया है। आंध्र प्रदेश और तामिलनाड में भी दो संयंत्रों की स्थापना हो रही है। उनके बारे में भी शीघ्रता से काम लेना है। हमारा उद्देश्य केवल विद्युत् उत्पादन करना ही नहीं है बल्कि विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिये मशीनें भी बनाना है। इन संयंत्रों के काम में भी हमें माननीय सदस्यों का सहयोग मिलेगा, ऐसी हमारी आशा है।

भोपाल में फरवरी के महीने में आम चुनाव के समय हड़ताल हुई। यह समय ठीक नहीं था। यह हड़ताल उस समय की गई जब कि वहां प्रधान मंत्री भाषण देने के लिये गये थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह हड़ताल वहां के प्रशिक्षार्थियों ने की न कि श्रमिकों ने जो कि वहां काम करते थे। जो लोग प्रशिक्षण लेने गये और हड़ताल करने लगे भला ऐसे लोग काम क्या करेंगे। नौजवानों के लिये यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। भले ही उनको कितनी कुर्बानी क्यों न करनी पड़े कितनी ही शिकायतें उनकी क्यों न हो उन्हें तो इस दृष्टि से काम करना चाहिये था कि वे राष्ट्र के निर्माण के लिये कार्य कर रहे हैं। देश के विकास के लिये काम कर रहे हैं। वे अपनी शिकायतों के लिये संयंत्र मैनेजर के पास जा सकते थे, सरकार के पास आ सकते थे। लेकिन हड़ताल करना बिल्कुल अनुचित था। एक महीने की बातचीत के बाद कहीं जाकर यह मामला समाप्त हुआ। २१ व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दिये गये हैं। मैंने इस सम्बन्ध में यह कार्यवाही की है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति इस मामले की जांच करे। इस जांच के बाद अन्ततोगत्वा वहां के प्रबन्धकों का ही यह कर्तव्य है कि वे उन नवयुवकों को सही रास्ते पर लायें और उनके साथ नर्मी का बर्ताव करें। लेकिन किसी के हस्तक्षेप से वहां काम नहीं बनेगा। वहां अच्छा वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री को भी इस मामले में घसीटा गया है। उन पर जो आरोप लगाया गया है उसका उत्तर तो वे यहां नहीं दे सकेंगे किन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। और वे भी इसको अच्छी दृष्टि से ही लेंगे। मैं आशा करता हूं कि भोपाल में अच्छे श्रमिक सम्बन्ध स्थापित किये जायेंगे ताकि भविष्य में किसी को कोई शिकायत न हो।

जहां तक उर्वरकों का प्रश्न है श्री कृ० चं० पंत ने उनके संबंध में कुछ उपयुक्त प्रश्न उठाये। उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठाया कि उर्वरकों के उत्पादन से अधिक महत्व इस बात का है कि उर्वरक विशेष प्रकार की भूमि के लिये तैयार किये जायें। इसके लिये भूमि का परीक्षण और विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक भूमि का सही सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं होगा तब तक उसके योग्य उपयुक्त उर्वरक का विकास नहीं कर सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

जिन उर्वरक संयंत्रों का निर्माण किया गया है उनकी कुल क्षमता ६,५०,००० टन नाइट्रोजन उत्पादन की है। वस्तुतः साढ़े बारह लाख टन नाइट्रोजन के उत्पादन का लायसेंस दिया जा चुका है तथापि हमें आशा है कि तीसरी योजना के अंत तक हम १० लाख टन नाइट्रोजन के उत्पादन में सफल होंगे।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इनमें से अधिकांश कारखाने सरकारी क्षेत्र में हैं और सरकारी क्षेत्र ही अच्छा कार्य कर रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र में जिन लोगों ने लायसेंस लिये वे लायसेंस वापस देने को तैयार हैं।

जहां तक जनता कार का प्रश्न है उस के संबंध में मैं कठिनाइयां बता चुका हूं। इसके लिये हमारी इच्छा ही पर्याप्त नहीं है अपितु विदेशी मुद्रा भी उपलब्ध होनी चाहिये। तथापि यदि

मंत्रिमंडल और वित्त मंत्री इस मामले में अपनी स्वीकृति दें तो मैं इस योजना में कभी बाधक नहीं बनूंगा । अपितु मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जितने शीघ्र संभव होगा मैं इसे क्रियान्वित करने का प्रयत्न करूंगा ।

यह कहा गया है कि जनता कार की योजना इस कारण क्रियान्वित नहीं की जा रही है क्योंकि और कहीं से इसके विरुद्ध दबाव पड़ रहा है । कीमतों को स्थिर रखने के बारे में भी यही बात कही गयी । में माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार पर ऐसे किसी दबाव का कोई प्रभाव नहीं होगा ।

निसंदेह मेरा काम बहुत कठिन है । यदि मुझे अपने काय में सफलता मिल सकती है तो वह इस सभा की सहानुभूति और सहयोग से ही प्राप्त हो सकती है । तथापि मुझे आज की चर्चा से विश्वास हो गया है कि मुझे सभा के सभी पक्षों से सहानुभूति और सहयोग प्राप्त होगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस्पात और भारी उद्योग मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८६	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय . .	१८,३०,०००
८७	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	३८,९०,५५,०००
१३५	इस्पात और भारी उद्योगों का पूंजी व्यय . .	९५,५७,४३,०००

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार १८ मई, १९६२/२८ वैशाख, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १७ मई, १९३२/२७ वैशाख १८८४ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. .	२२९९–२३२५
तारांकित प्रश्न संख्या		
७९०	सीमेंट की नावें . .	२२९९–२३००
७९१	डाकघरों में "टैलर" प्रणाली	२३००–०१
७९४	दिल्ली-लन्दन बस सेवा	२३०१–०२
७९५	आदिम जाति क्षेत्रों में दुग्ध चूर्ण (पाउडर मिल्क) का संभरण	२३०३–०४
७९७	पश्चिमी तट के मछुवे .	२३०५–०७
७९८	मेडिकल कालिजों में आयुर्वेद विभाग	२३०७–०८
७९९	पंचायतों के निर्वाचन .	२३०८–१०
८०१	बिजली के लक्ष्य .	२३१०–११
८०२	देश में बिजली की कमी	२३११–१४
८०३	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र . . .	२३१४–१६
८०४	विभागातिरिक्त डाक तथा तार कर्मचारियों का वेतन	२३१६–१८
८०६	केरल में नींदाकारा पुल	२३१८–१९
८११	सड़क से कोयले की ढुलाई .	२३१९–२१
८१३	दिल्ली के लिये भाखड़ा की बिजली	२३२१–२२
८१४	लाइट रेलवेज़ का राष्ट्रीयकरण	२३२२–२३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
९	रूस से बिजली का साजसामान	२३२४–२५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. .	२३२५–२४०५
तारांकित प्रश्न संख्या		
७८९	दिल्ली विकास प्राधिकार . . .	२३२५–२६
७९२	उत्तर और दक्षिण बिहार को मिलाने वाला राष्ट्रीय राजपथ	२३२६–२७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . .

तारांकित
प्रश्न संख्या

७९३ विद्युत् संयंत्र २३२७–२८
७९६ त्रिपुरा को सड़कों के लिये पत्थर . . . २३२८
८०५ इंडियन एयर लाइन कारपोरेशन द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा २३२८–२९
८०७ दिल्ली में डाक तथा तार विभाग का मोटर सेवा अनुभाग २३२९
८०८ नये तारघर खोलने के लिए प्रतिभूति . . . २३२९
८१० नागार्जुनसागर बांध . . . २३२९–३०
८१२ बरम्हन में नर्मदा पर पुल . . . २३३०
८१५ उड़ीसा में डेलटा सिंचाई योजना . . . २३३०
८१६ प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली . . २३३१
८१७ नर्मदा घाटी विकास योजना . . २३३१
८१८ मत्स्यपाल प्रशिक्षण केन्द्र, कोचीन २३३२
८१९ अन्तर्देशीय जल परिवहन . . २३३२
८२० रत्नगिरि बन्दरगाह २३३२–३३
८२१ राजासांसी हवाई अड्डा अमृतसर में विमान उतारने के लिये सुविधायें २३३३
८२२ अलवर में माल डिब्बों का न दिया जाना २३३३–३४
८२३ बम्बई गोआ जहाज सेवा . . . २३३४
८२४ माताटीला बांध से मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई २३३४
८२५ झूमियों को दी गयी जमीनें . २३३४–३५
८२६ आन्ध्र प्रदेश में तापीय बिजली घर . . २३३५
८२७ एशियाई राजपत्रों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष निधि २३३५–३६
८२८ तवा परियोजना २३३६
८२९ ग्रामीण क्षेत्रों में पोषाहार . २३३६
८३० दुर्घटना जांच समिति २३३६–३७
८३१ वनस्पति तेलों में रंग मिलाना . . . २३३७
८३२ कुम्भ मेले के सिलसिले में तैनात रेलवे कर्मचारी २५३७–३८
८३३ क्विलोन में रेलवे माल डिब्बा निर्माण कारखाना २३३८
८३४ पम्बा कक्की जल विद्युत् परियोजना २३३८–३९
८३५ बच्चों में टिटेनस, डिप्थीरिया रोग २३३९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३६३	कोजीकोड में तिरूर पर ऊपरी पुल . . .	२३३९–४०
१३६४	राजस्थान में नलकूप . .	२३४०
१३६५	विशाखापटनम में सूखी गोदी	२३४१
१३६६	रेल के डिब्बों में पंखों की व्यवस्था . . .	२३४१
१३६७	दक्षिण पूर्व रेलवे पर टिकट घर और प्रतीक्षालय . .	२३४२
१३६८	नौपाद-गुनुपुर (दक्षिण-पूर्व) रेलवे लाइन पर वार्षिक आय .	२३४२
१३६९	ब्रह्मना (कानपुर) रेलवे स्टेशन . . .	२३४२–४३
१३७०	भारत-नार्वे परियोजना का विस्तार . .	२३४३
१३७१	डाक तथा तार परीक्षायें	२३४३
१३७२	डाकघरों के नगर निरीक्षक तथा रेडियो लाइसेन्स निरीक्षक .	२३४३–४४
१३७३	डाक तथा तार विभाग की वार्षिक रिपोर्ट . .	२३४४
१३७४	कोटा को अजमेर और भोपाल से मिलाना . .	२३४४
१३७५	पार्वतीपुरम् नगर रेलवे स्टेशन . . .	२३४५
१३७६	वन विकास	२३४५
१३७७	दिल्ली में टेलीफ़ोन एक्सचेंजों का विस्तार . .	२३४५–४६
१३७८	विशाखापटनम बन्दरगाह	२३४६–४७
१३७९	रासायनिक उर्वरकों का संभरण . .	२३४७
१३८०	स्वास्थ्य संबधी अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण . . .	२३४७–४८
१३८१	दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिजली का जोना . .	२३४८–४९
१३८२	केरल में देशान्तरगामी पक्षी .	२३४९
१३८३	'रोटरी विंग' विमान .	२३४९–५०
१३८४	नालियां और खड़जें .	२३५०
१३८५	आवास तथा कृषि श्रमिक . . .	२३५०
१३८६	उत्तर रेलवे में हरिजनों के लिये प्रविधिक पद	२३५०–५१
१३८७	उच्च रक्त चाप . . .	२३५१
१३८८	पुलिस द्वारा बिना टिकट यात्रा को बढ़ावा .	२३५१
१३८९	डी० एस० कार्यालय, बीकानेर द्वारा नियोजित अनुसूचित जाति के कर्मचारी .	२३५२
१३९०	मनीपुर को दुग्ध चूर्ण का संभरण .	२३५२
१३९१	आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण	२३५२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या

१३९२	डाक कर्मचारियों के काम के घंटे . . .	२३५३
१३९३	रेलवे सेवा आयोग	२३५३–५४
१३९४	सहायक शुभ कल्याण निरीक्षक और सतर्कता निरीक्षक .	२३५४
१३९५	हवाई अड्डे	२३५४
१३९६	सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा . .	२३५५
१३९७	तीर्थ स्थानों के लिये रेलवे टिकट पर अधिभार	२३५५
१३९८	त्रिपुरा में चिकित्सालय .	२३५६
१३९९	कूएं और नल कूप .	२३५६–५७
१४००	नये मेडिकल कालेज . .	२३५७
१४०१	केरल में छोटे पत्तनें	२३५७–५८
१४०२	टिड्डी दल का आक्रमण . . .	२२५८–५९
१४०३	घाटे में चलने वाली रेलवे लाइनें .	२३५९
१४०४	झांसी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय .	२३५९–६०
१४०५	भूमि परीक्षण . .	२३६०
१४०६	मनीपुर में टीक की उपज	२३६०
१४०७	मनीपुर में भूमि परीक्षण .	२३६१
१४०८	तामेंलोग आदि में बांसों का उपयोग	२२६१–६२
१४०९	रेलवे प्रविधिक प्रशिक्षण स्कूल समिति .	२३६२
१४१०	बम्बई के डाक व तार कर्मचारियों की मुअत्तिली	२३६२
१४११	दिल्ली का चिड़ियाघर	२३६३
१४१२	लखुपुर में रेलवे स्टेशन	२३६३
१४१३	जम्मू और काश्मीर राज्य में सहकारी संस्थाओं के लिए अनुदान .	२३६३–६४
१४१४	टेलीफोन के कनेक्शन . . .	२३६४–६५
१४१५	राजस्थान में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर .	२३६५
१४१६	डाक-तार कर्मचारी . .	२३६५
१४१७	राजस्थान में पशुधन का विकास .	२३६६
१४१८	रेलवे कर्मचारियों को उत्सव ऋण	२३६६
१४१९	मलनाड़ बोर्ड	२३६६
१४२०	सहकारी मजदूर संघ	२३६५–६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१४२१	खाद का उत्पादन	२३६७–६८
१४२२	पाकिस्तान को रावी और व्यास का पानी देना	२३६८
१४२३	रेलवे बोर्ड में असिस्टेन्टों की वरिष्ठता . . .	२३६८–६९
१४२४	नारियल की खेती के लिए खाद .	२३६९
१४२५	प्रविधिक शिक्षा	२३६९
१४२६	डाक-तार मोटर सेवा अनुभाग, दिल्ली में भ्रष्टाचार	२३६९–७०
१४२७	मध्यम सिंचाई योजनाएं	२३७०
१४२८	जी० टी० रोड पर हावड़ा के निकट होने वाली दुर्घटनायें	२३७०–७१
१४२९	केरल का नदियों के पानी का उपयोग	२३७१
१४३०	डाक्टर .	२३७१–७२
१४३१	मेडिकल कालेज .	२३७२–७३
१४३२	नागार्जुनसागर परियोजना . . .	२३७३
१४३३	रेलवे कर्मचारियों की सहकारी मकान निर्माणसमितियां	२३७३
१४३४	त्रिपुरा में एक-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र	२३७४
१४३५	धर्मनगर (त्रिपुरा) में सहकारी खेती .	२३७४
१४३६	त्रिपुरा में जूरी नदी पर पुल	२३७४
१४३७	त्रिपुरा में बाढ़ नियंत्रण .	२३७५
१४३८	भारतीय भूमि की उर्वरता	२३७५–७६
१४३९	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के मेडिकल अफसरों को सवारी भत्ता	२३७६
१४४०	उत्तर रेलवे में मडौली पर हाल्ट स्टेशन	२३७७
१४४१	धौरसलार पर फ्लैग स्टेशन . .	२३७७
१४४२	दिल्ली से हिसार तक डीजल ट्रेन बंद होना	२३७७
१४४३	कम्बोडिया की मेकाना योजना	२३७८
१४४४	खनिज स्रोत्र और स्वास्थ्यवर्धक स्थान	२३७८
१४४५	दिल्ली में पानी का संभरण . . .	२३७८–७९
१४४६	केरल में समुद्र द्वारा कटाव को रोकने की कार्यवाही	२३७९
१४४७	ग्वालियर और कानपुर के बीच पुल	२३७९–८०
१४४८	घुवरन तापीय संयंत्र	२३८०–८१
१४४९	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदो का आरक्षण .	२३८०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४५०	रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति . .	२३८१
१४५१	रेलवे कर्मचारियों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के बारे में नियम	२३८१--८२
१४५२	स्टेशनों पर भोजन व्यवस्था ठेकेदारों सम्बन्धी नियम	२३८२
१४५३	लमडिंग बदरपुर पहाड़ी विभाग में रुकावट	२३८२
१४५४	तेजपुर उत्तर लखीमपुर रेलवे लाइन	२३८३
१४५५	आसाम में उनियम बांध परियोजना	२३८३
१४५६	कालपी के पास यमुना पर पुल	२३८३–८४
१४५७	सैंगर नदी पर पुल .	२३८४
१४५८	केरल में पर्यटन का विकास . . .	२३८४–८५
१४५९	रेलवे के स्कूलों और कालिजों में अध्यापक	२३८५
१४६०	फल और सब्जी गवेषणा केन्द्रों की स्थापना	२३८५
१४६१	केरल में कारापारा-कुरियारकुरी जलविद्यु योजना	२३८६
१४६२	चन्दन की लकड़ी का रोपण	२३८६
१४६३	दिल्ली ट्राम सेवा . . .	२३८७
१४६४	अंडमान द्वीपसमूह में इमारती लकड़ी के मूल्य	२३८७–८८
१४६५	कृषि फसलों के लिए बीमा योजना . . .	२३८८
१४६६	डाक तथा तार विभाग के क्लर्कों और आर० एम० एस० सार्टर	२३८८–८९
१४६७	कल्याण निरीक्षक	२३८९
१४६८	वाराणसी को 'बी' श्रेणी का नगर घोषित करना	२३८९–९०
१४६९	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर मेनि स्टाफ . .	२३९०
१४७०	रेलवे पर सामयिक श्रमिकों का लगाया जाना . .	२३९०
१४७१	महाराष्ट्र में पत्तन	२३९१
१४७२	बिना डाकखानों वाले ग्राम और टेलीफोन प्रयोक्ताओं से आय .	२३९१
१४७४	क्षयरोग के रोगियों की घर पर चिकित्सा . .	२३९१–९२
१४७५	जहाज खरीदने के लिए ऋण	२३९२
१४७६	अम्बला डिवीजन में टेलीफोन आपरेटर . .	२३९३
१४७७	गन्ने की खेती . .	२३९३
१४७८	नर्मदा घाटी परियोजना . . .	२३९३–९४
१४७९	कानपुर में ऊपरी पुल .	२३९४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४८०	चम्बल परियोजना . . .	२३९४—९६
१४८१	दिल्ली में कृषि मेला	२३९६
१४८२	'अपना टेलीफोन' योजना . . .	२३९६—९७
१४८३	ताजेवाला हैडवर्क्स दिल्ली के पास बांध में दरार .	२३९७
१४८४	यमुना नहर के दोनों ओर पानी जमा होना	२३९७
१४८५	रूपड़-नांगल बांध लाइन पर प्रतीक्षालय बनाना .	२३९७—९८
१४८६	पंजाब में मध्यम सिंचाई योजनाएं .	२२९८
१४८७	बिहार के सिंहभूम जिले में डाक घर	२३९८
१४८८	फरक्का बांध . . .	२३९९
१४८९	हिसार पशु फार्म . . .	२३९९
१४९०	दिल्ली दुग्ध वितरण योजना .	२३९९—२४००
१४९१	नागालैंड में सड़क परिवहन .	२४००
१४९२	बिहार में राजपथ . . .	२४००—०१
१४९३	बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	२४०१
१४९४	वंशाधारा परियोजना . .	२४०१
१४९५	बम्बई गोआ सड़क . . .	२४०२
१४९६	सिंचाई परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा	२४०२
१४९७	सिंचाई और विद्युत् परियोजनाएं .	२४०२
१४९८	तृतीय योजना में चीनी के कारखाने .	२४०२—०३
१४९९	वातानुकूलित डिब्बों के यात्री . . .	२४०३
१५००	केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन	२४०३—०४
१५०१	चावल का आयात	२४०४
१५०२	डाक तथा तार के कानपुर इन्जीनियरिंग डिवीजन का विभाजन	२४०४—०५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .		२४०५—१०

श्री हेम बरुआ ने १४ और १५ मई, १९६२ को दिल्ली में हुए दो कथित विस्फोटों की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २४१०–११

(१) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १३ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३८ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम, १९६० ।

(दो) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२६७ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) संशोधन नियम, १९६० ।

(तीन) दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८७ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (चिकित्सा अधिकारियों का ले जाया जाना) नियम, १९६१ ।

(चार) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२६५ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (समुद्रसेवा में शिशिक्षुता) संशोधन नियम, १९६१ ।

(पांच) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३४७ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (पालदार जहाजों का पंजीयन) संशोधन नियम, १९६१ ।

(छः) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३४८ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (भारतीय जहाजों का पंजीयन) संशोधन नियम, १९६१ ।

(सात) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५१० में प्रकाशित वणिक् नौवहन (सक्षमता के प्रमाणपत्र) नियम, १९६१ ।

(आठ) दिनांक १० फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६७ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) संशोधन नियम, १९६२ ।

(नौ) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९६ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, १९६२ ।

(दस) दिनांक १० मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९६ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, १९६२ ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :

पृष्ठ

(एक) दिनांक ८ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३७ में प्रकाशित रौलर मिले गेहूं के उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६२ ।

(दो) दिनांक १० मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६७१ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (चौथा संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(तीन) दिनांक १० मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६७३ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६२ ।

समितियों के लिये निर्वाचन २४१२–१३

(१) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(२) स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासी निकाय के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(३) स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य दिल्ली विकास प्राधिकार सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें . . . . . २४१३—५१

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ होकर समाप्त हुई । सभी मांगें पूरी की पूरी स्वीकृत हुईं ।

शुक्रवार, १८ मई, १९६२/२८ वैशाख, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा ।

GM GIPND—LS III—912 (Ai) LSD—21-7-62—150